अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2020–21

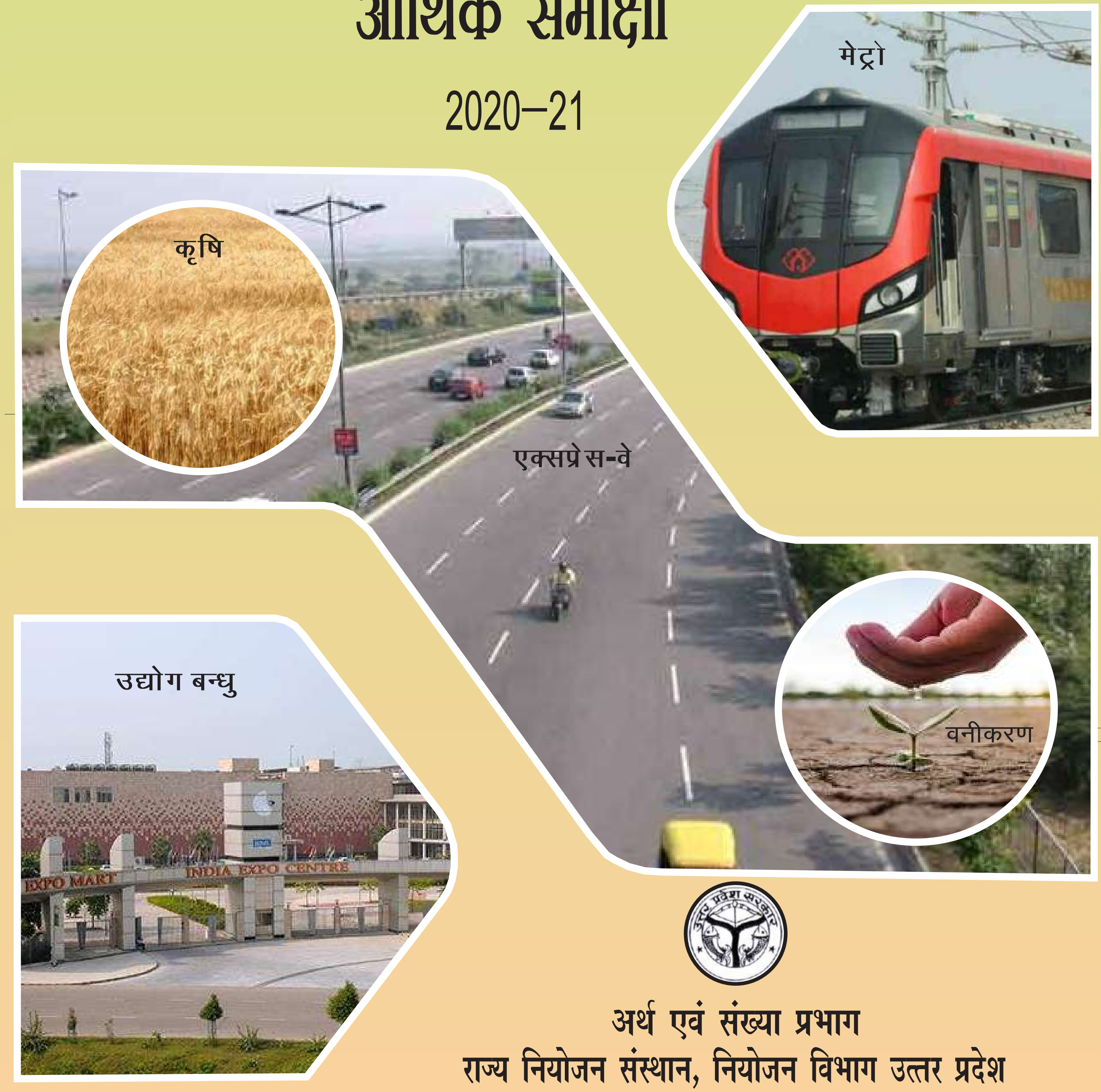

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–555

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2020-2021

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान

नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **"उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा"** प्रकाशित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है।

प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2020–21 को नये कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं की अधुनान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों यथा कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन, ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण तथा खनिज एवं विद्युत आदि का विस्तृत विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस प्रकाशन में तालिका/ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

मैं इस संस्करण हेतु अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराकर इसे प्रकाशित करने में दिये गये सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु सुझावों को विचारार्थ सहर्ष स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊ:
दिनांक: 12 **जनवरी, 2021**

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक प्रकाशन " उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2020–21" का प्रस्तुत संस्करण नये रुप में प्रकाशित किया जा रहा है।

इस प्रकाशन में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है।

इस अंक के 16 अध्यायों में मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण आदि पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं तथ्य सम्मिलित हैं।

मैं इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के अनवरत एवं उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह अंक योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ:
दिनांक: 12 जनवरी, 2021

(विवेक)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या
उत्तर प्रदेश।

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

1– श्री विवेक — निदेशक

प्राविधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

1– श्रीमती मालोविका घोषाल — संयुक्त निदेशक

2– श्रीमती शालू गोयल — उप निदेशक

पाण्डुलिपि संरचना एवं समन्वय कार्य

1–श्री अजय कुमार पाण्डेय — अपर सांख्यिकीय अधिकारी

2–कु0 आरती गुप्ता — अपर सांख्यिकीय अधिकारी

टंकण कार्य

1–श्रीमती आभा — कनिष्ठ सहायक

2– कु0 अजिता द्विवेदी — कनिष्ठ सहायक

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

1– श्री शिव शंकर यादव — चीफ आर्टिस्ट

2– श्री लक्ष्मी प्रसाद — वरिष्ठ कलाकार

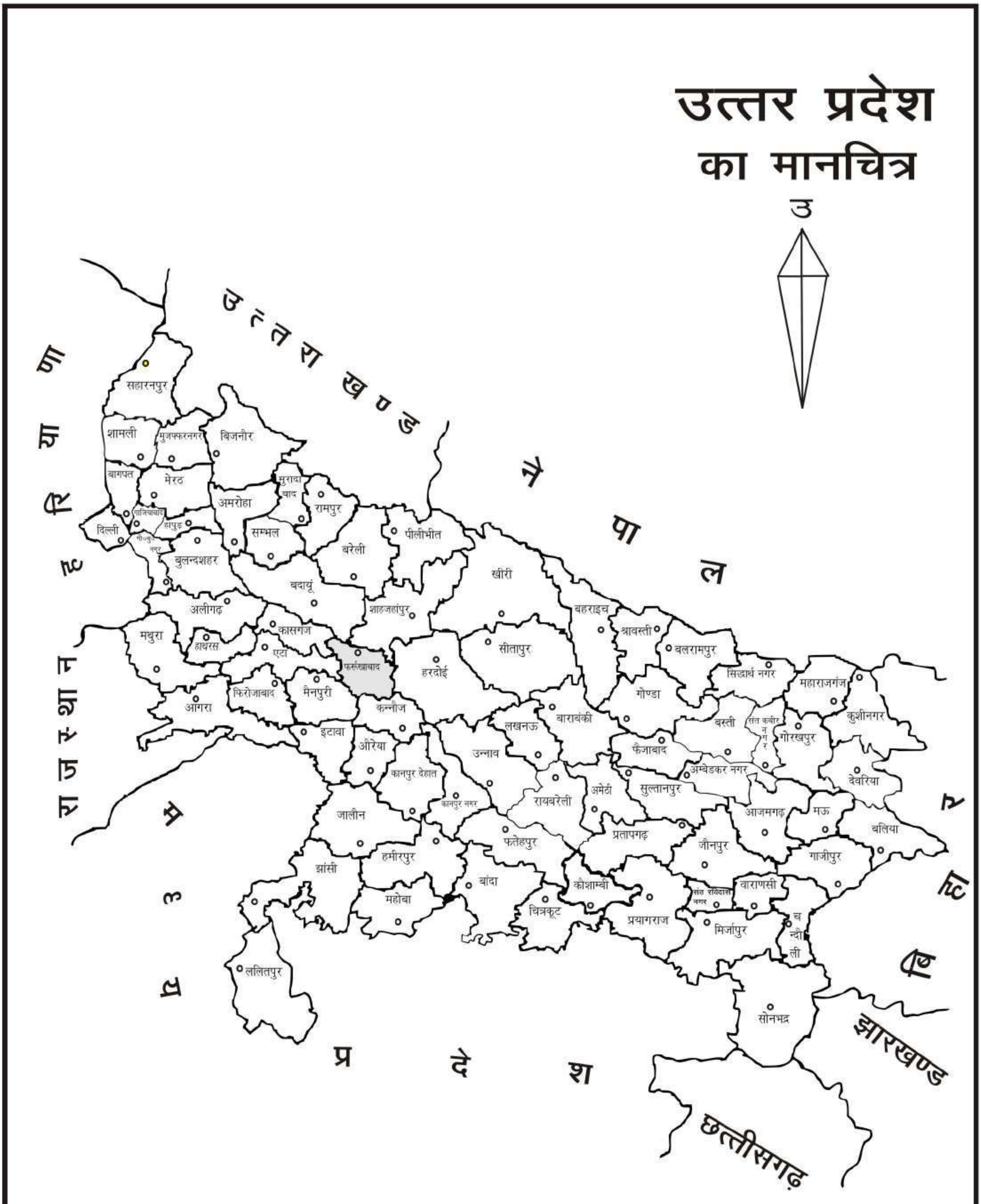
उत्तर प्रदेश
का मानचित्र
उ
उत्तराखण्ड
नेपाल
हरियाणा
राजस्थान
मध्य प्रदेश
बिहार
झारखण्ड
छत्तीसगढ़
सहारनपुर
शामली
मुजफ्फरनगर
बिजनौर
बागपत
मेरठ
मुरादाबाद
रामपुर
अमरोहा
गाजियाबाद
हापुड़
दिल्ली
सम्भल
पीलीभीत
बरेली
बुलन्दशहर
बदायूं
खीरी
अलीगढ़
शाहजहांपुर
मथुरा
हाथरस
कासगंज
एटा
फर्रुखाबाद
हरदोई
सीतापुर
बहराइच
श्रावस्ती
बलरामपुर
सिद्धार्थ नगर
महाराजगंज
कुशीनगर
आगरा
फिरोजाबाद
मैनपुरी
कन्नौज
गोण्डा
बाराबंकी
लखनऊ
बस्ती
गोरखपुर
इटावा
औरैया
उन्नाव
फैजाबाद
अम्बेडकर नगर
देवरिया
कानपुर देहात
कानपुर नगर
रायबरेली
अमेठी
सुल्तानपुर
आजमगढ़
मऊ
बलिया
जालौन
फतेहपुर
प्रतापगढ़
जौनपुर
गाजीपुर
झांसी
हमीरपुर
बांदा
कौशाम्बी
वाराणसी
महोबा
चित्रकूट
प्रयागराज
मिर्जापुर
चन्दौली
ललितपुर
सोनभद्र
अनुमानित मानचित्र

क0म0	*अध्याय*	*पृष्ठ संख्या*
1.	राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक–वित्त	1–17
2.	प्रादेशिक विकास मे चुनौतियाँ एवं रणनीति	18–26
3.	बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त	27–37
4.	कृषि, वन एवं पर्यावरण	38–56
5.	पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	57–73
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	74–81
7.	ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण	82–88
8.	औद्योगिक प्रगति	89–102
9.	सेवा क्षेत्र	103–108
10.	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	109–127
11.	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	128–137
12.	शिक्षा	138–154
13.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	155–171
14.	समाज कल्याण	172–188
15.	श्रमशक्ति एवं सेवायोजन	189–203
16.	सतत् विकास	204–208

अध्याय–1
राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक–वित्त

<u>मुख्य बिन्दु–</u>

- वर्ष 2019–20 में स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.8%,एवं प्रचलित भावों पर 6.5% रही है।
- वर्ष 2019–20 के स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय रू० 44618 एवं प्रचलित भावों पर रू० 65704 आंकलित हुई है, जो गत वर्ष से वृद्धि दर क्रमशः 2.2% एवं 4.9 % को दर्शाता है।
- वर्ष 2019–20 में स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 1.9%, -0.5%, 7.7% एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 6.3%, 0.6%, 8.9% रही है।
- वर्ष 2019–20 में स्थायी भावों पर जीएसवीए का खण्डवार वितरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 23.0, 26.8 एवं 50.0 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 25.3, 24.9, एवं 49.7 प्रतिशत रही है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 39.5 प्रतिशत है, जबकि वैट का अंश लगभग 16.7 प्रतिशत है।
- वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में पूंजीगत परिव्यय में शत-प्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया, बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।
- वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है।
- राजकोषीय घाटा का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 2.63 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2018–19 में घटकर 2.38 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है।

किसी अर्थव्यवस्था का आय विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यह अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए आधार प्रस्तुत करता है। आय विश्लेषण से विभिन्न खण्डों, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड एवं उनके उप–खण्डों की वृद्धि दर तथा योगदान प्रदर्शित होता है। प्रदेश मे राज्य आय विश्लेषण का यह महत्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अन्तर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ ही सकल राज्य मूल्य वर्धन, निवल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय का आँकलन किया जाता है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के जारी **त्वरित अनुमान** के अनुसार वर्ष 2019–20 में स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011–12) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 3.8% एवं प्रचलित भावों पर 6.5% रही है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2019–20 के स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय रू० 44618 एवं प्रचलित भावों पर रू० 65704 आंकलित हुई है, जो गत वर्ष से वृद्धि दर क्रमशः 2.2% एवं 4.9% को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) स्थायी भावों एवं प्रचलित भावों पर

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी स्थायी भावों एवं प्रचलित भावों पर वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन निम्नवत् है–

तालिका–1.01
सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रगति विवरण

वित्तीय वर्ष	(स्थायी भावों पर)		(प्रचलित भावों पर)	
	जीएसवीए (रु0 करोड मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए (रु0 करोड मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
2012–13	716339	5.1	777206	14.0
2013–14	754331	5.3	885565	13.9
2014–15	780937	3.5	948993	7.2
2015–16	852914	9.2	1057651	11.4
2016–17	952331	11.7	1196900	13.2
2017–18	993975	4.4	1316177	10.0
2018–19	1057364	6.4	1458532	10.8
2019–20	1100186	4.0	1546444	6.0

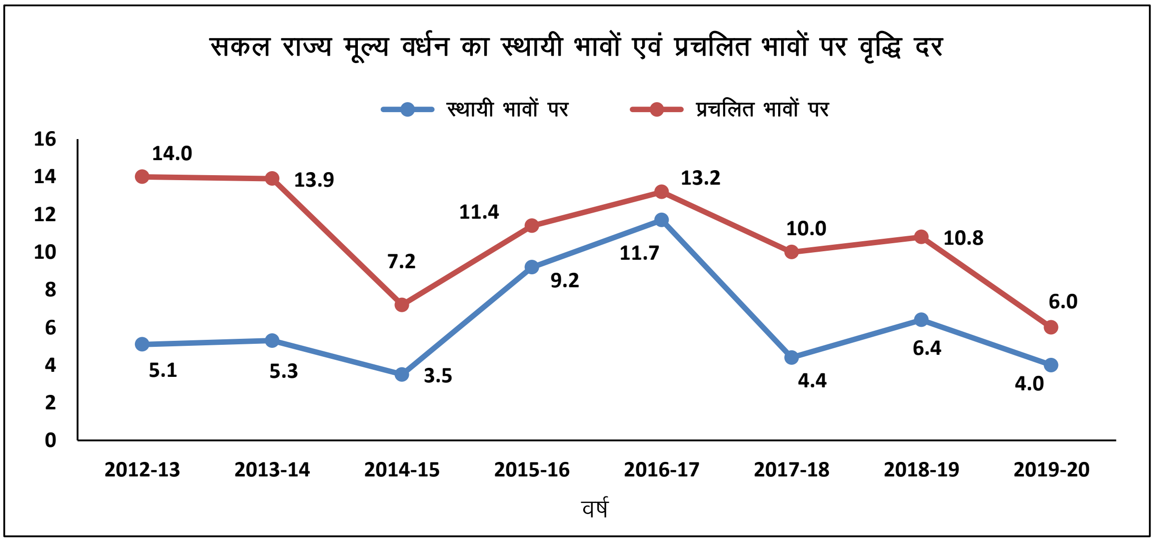

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2012–13 में रू० 716339 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 754331 करोड़, वर्ष 2014–15 में रू० 780937 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 852914 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू० 952331 करोड़, वर्ष 2017–18 में 993975 करोड़, वर्ष 2018–19 में 1057364 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में रू० 1100186 करोड़ रहा है तथा वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 5.1%, वर्ष 2013–14 में 5.3%, वर्ष 2014–15 में 3.5%, वर्ष 2015–16 में 9.2%, वर्ष 2016–17 में 11.7%, वर्ष 2017–18 में 4.4% तथा वर्ष 2018–19 में 6.4% एवं 2019–20 मे 4.0% रही है।

प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2012–13 में रू० 777206 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में रू० 948993 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 1057651 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू० 1196900 करोड़, वर्ष 2017–18 1316177 करोड़, वर्ष 2018–19 में रू० 1458532 करोड़ तथा वर्ष 2019–20 में रू० 1546444 करोड़ रहा है तथा वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 14.0%, वर्ष 2013–14 में 13.9%, वर्ष 2014–15 में 7.2%, वर्ष 2015–16 में 11.4%, वर्ष 2016–17 में 13.2%, वर्ष 2017–18 में 10.0% तथा वर्ष 2018–19 में 10.8% एवं 2019–20 मे 6.0% रही है।

तालिका–1.02
प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रमुख राज्यों की स्थिति (करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	2011-12	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आन्ध प्रदेश	379402	684416	793186	862957	972782
2	गुजरात	615606	1167156	1329095	1502899	अप्राप्त
3	कर्नाटक	606010	1209136	1357579	1544399	1699115
4	उत्तर प्रदेश	724050	1288700	1416006	1584764	1687818
5	मध्य प्रदेश	315562	649823	724729	809592	906672
6	महाराष्ट्र	1280369	2198324	2382570	2632792	अप्राप्त
7	पंजाब	266628	426988	470834	526376	574760
8	राजस्थान	434837	760750	835170	942586	1020989
9	तमिलनाडु	751486	1302639	1465051	1630208	1845853
10	बिहार	247144	421051	468746	530363	611804
भारत का सकल घरेलू उत्पाद		**8736329**	**15391669**	**17098304**	**18971237**	**20339849**

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों एवं प्रचलित भावों पर)

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के योगदान में परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2019–20 में स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 1.9%, -0.5%, 7.7% एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 6.3%, 0.6%, 8.9% रही है जबकि वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 3.6%, 6.6%, 7.6% एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 6.3%, 11.1%, 13.2% रही है, त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

तालिका–1.03
वर्ष 2019–20 में खण्डवार वृद्धि दर एवं जीएसवीए मे योगदान (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	खण्ड	(स्थायी भावों पर)		(प्रचलित भावों पर)	
		वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान
1	प्राथमिक	1.9	23.0	6.3	25.3
2	द्वितीयक	–0.5	26.8	0.6	24.9
3	तृतीयक	7.7	50.2	8.9	49.7

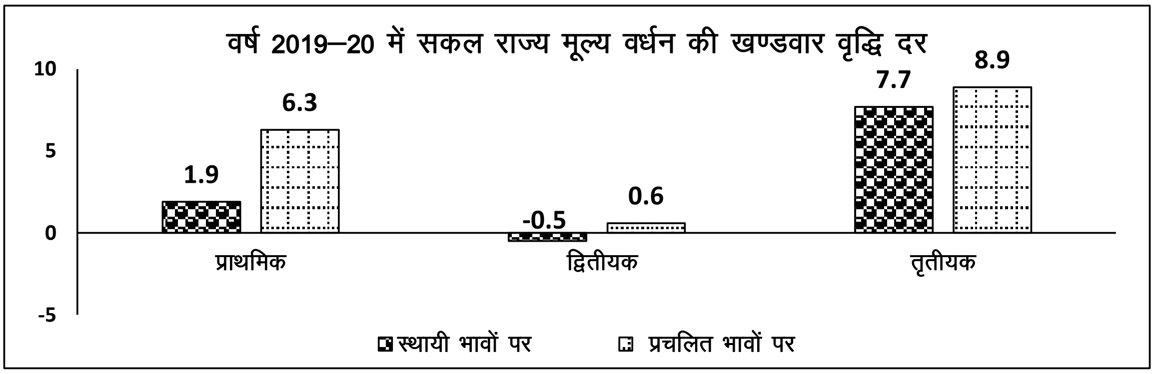

वर्ष 2019–20 में स्थायी भावों पर जीएसवीए का खण्डवार वितरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 23.0, 26.8 एवं 50.2 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 25.3, 24.9, एवं 49.7 प्रतिशत रही है। विगत् वर्षों मे वृद्धि दर तथा योगदान निम्नवत् रही है–

तालिका–1.04

स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011–12)

सकल राज्य मूल्य वर्धन मे खण्डवार वृद्धि एवं योगदान (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	प्राथमिक खण्ड		द्वितीयक खण्ड		तृतीयक खण्ड	
	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान
2012–13	4.4	27.7	2.8	26.1	6.8	46.3
2013–14	–0.1	26.2	7.9	26.7	7.1	47.0
2014–15	–0.9	25.1	–2.0	25.3	9.2	49.6
2015–16	6.2	24.4	15.3	26.7	7.6	48.9
2016–17	5.8	23.1	28.0	30.6	5.7	46.3
2017–18	8.8	24.1	–4.7	27.9	8.1	47.9
2018–19	3.6	23.5	6.6	28.0	7.6	48.5
2019–20	1.9	23.0	–0.5	26.8	7.7	50.2

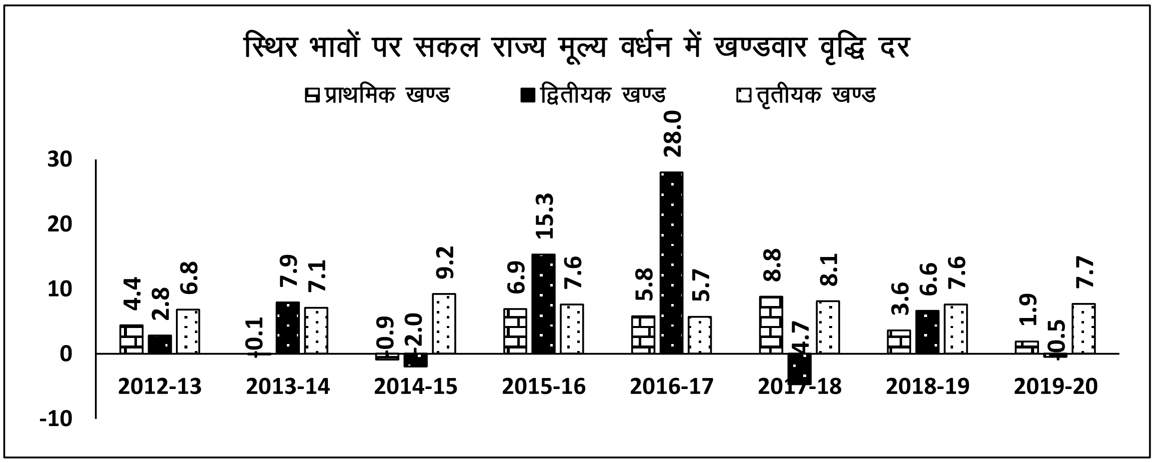

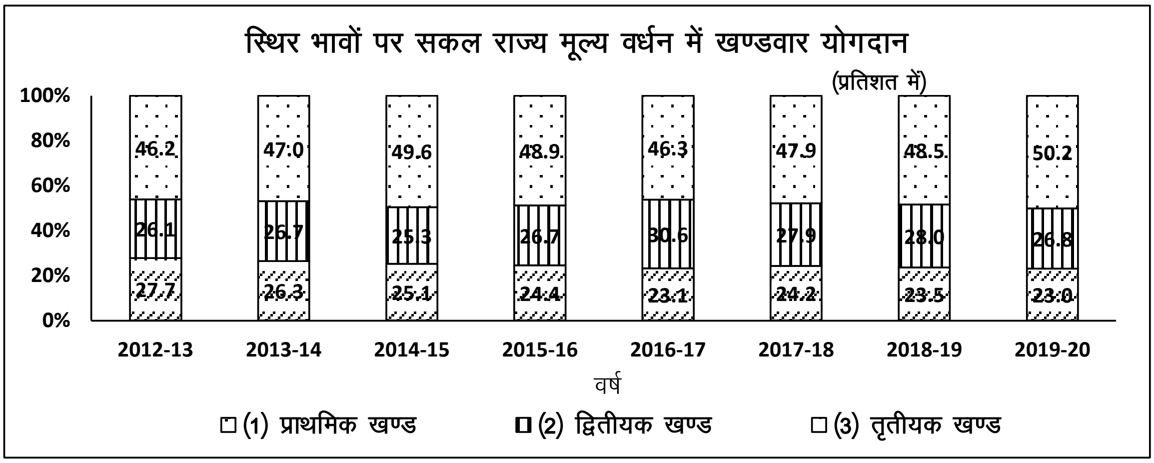

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्ययन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आंकलित किये जाते थे। द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल

संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है तथा तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उप–खण्ड सम्मिलित हैं।

स्थिर भावों पर प्राथमिक खण्ड की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 में 6.2%, 2016–17 में 5.8%, 2017–18 में 8.8% तथा 2018–19 में 3.6% एवं 2019–20 मे 1.9%, रही है। द्वितीयक खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 15.3%, 28%, –4.7%, 6.6% तथा –0.5% एवं तृतीयक खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 7.6%, 5.7%, 8.1%, 7.6% तथा 7.7% रही है।

स्थिर भावों पर प्राथमिक खण्ड का योगदान वर्ष 2012–13 के 27.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019–20 मे 23.0 प्रतिशत हो गया जबकि द्वितीयक खण्ड का 26.1 प्रतिशत से बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गया, इस खण्ड का योगदान वर्ष 2016–17 मे 30.6 प्रतिशत तक पहुँच गया था तथा तृतीयक खण्ड का योगदान 46.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.2 प्रतिशत हो गया है।

प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 के रू० 32002 से बढ़कर वर्ष 2018–19 व 2019–20 में क्रमशः रू० 62652 एवं रू० 65704 हो गयी है। वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 10.2 तथा 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2018–19 व 2019–20 में क्रमशः रू० 43670 एवं रू० 44618 हो गयी है। वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 मे क्रमशः 4.4 प्रतिशत तथा 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

तालिका–1.05
राज्य मे प्रतिव्यक्ति आय का विवरण

(वृद्धि दर प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	(स्थायी भावों पर)		(प्रचलित भावों पर)	
	प्रतिव्यक्ति आय	प्रतिशत वृद्धि	प्रतिव्यक्ति आय	प्रतिशत वृद्धि
2012–13	32908	2.8	35812	11.9
2013–14	34044	3.5	40124	12.0
2014–15	34583	1.6	42267	5.3
2015–16	36973	6.9	47118	11.5
2016–17	40847	10.5	52671	11.8
2017–18	41832	2.4	56861	8.0
2018–19	43670	4.4	62652	10.2
2019–20	44618	2.2	65704	4.9

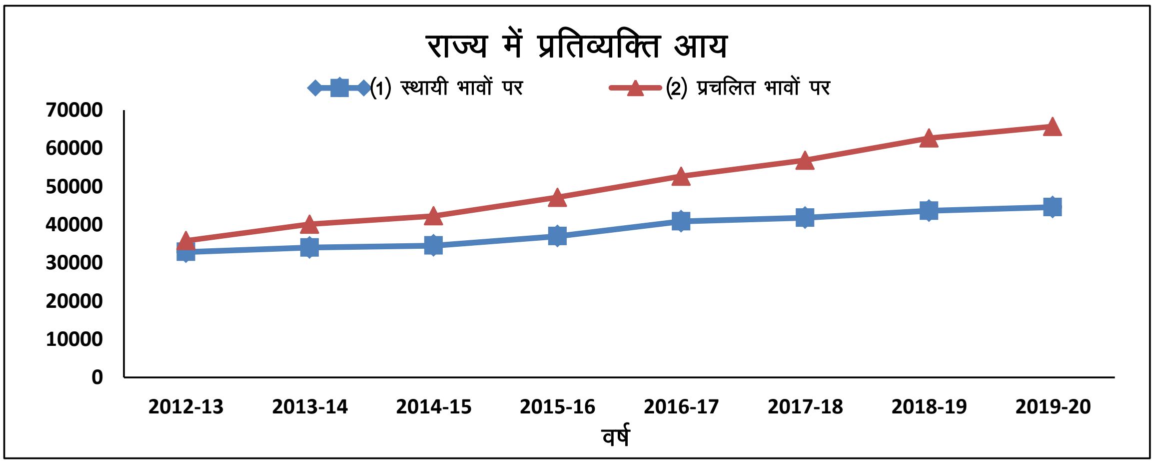

तालिका–1.06

प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति (प्रचलित भावों पर)

क्र.सं	राज्य	2011-12	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आन्ध्र प्रदेश	69000	120676	139680	151173	169519
2	गुजरात	87481	156295	175068	195845	अप्राप्त
3	कर्नाटक	90263	170133	188765	212477	231246
4	उत्तर प्रदेश	32002	52671	56861	62652	65704
5	मध्य प्रदेश	38497	74324	81642	90165	99763
6	महाराष्ट्र	99597	163738	175121	191736	अप्राप्त
7	पंजाब	85577	128780	139775	154313	166830
8	राजस्थान	57192	91946	99366	110606	118159
9	तमिलनाडु	93112	156595	175276	193964	218599
10	बिहार	21750	34045	36850	40982	46664
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय		63462	103870	115293	126521	134226

राज्य आय के त्वरित अनुमान, वर्ष 2019–20

प्रदेश के वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रचलित एवं स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमान निम्नवत हैं–

तालिका–1.07

सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2019–20 का त्वरित अनुमान

क.सं.	खण्ड	प्रचलित भावों पर जीएसवीए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत	स्थायी भावों पर जीएसवीए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	366727	6.7	23.7	226459	2.0	20.6
1.1	फसलें	233174	7.8	15.1	147704	1.4	13.4
1.2	पशुधन	103408	1.8	6.7	60590	3.7	5.5
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	19774	11.8	1.3	13659	0.1	1.2
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	10371	27.5	0.7	4506	5.5	0.4
2.	खनन और उत्खनन	25030	1.0	1.6	26535	0.8	2.4
क–प्राथमिक (1+2)		391757	6.3	25.3	252993	1.9	23.0
3.	विनिर्माण	187345	–2.7	12.1	156723	–3.5	14.2
4.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	33137	4.3	2.1	16843	3.5	1.5
5.	निर्माण कार्य	165220	3.7	10.7	121086	3.2	11.0
ख–द्वितीयक (3 से 5)		385703	0.6	24.9	294651	–0.5	26.8
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	156405	7.4	10.1	115254	6.6	10.5
7.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	113115	3.8	7.3	96175	10.7	8.7
7.1	रेलवे	21139	–2.8	1.4	15436	–4.4	1.4

क्र.सं.	खण्ड	प्रचलित भावों पर जीएसवीए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत	स्थायी भावों पर जीएसवीए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत
7.2	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	63042	4.7	4.1	58841	18.3	5.3
7.3	भण्डारण	2017	7.9	0.1	1370	3.0	0.1
7.4	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	26917	7.1	1.7	20528	4.5	1.9
8.	वित्तीय सेवायें	51819	4.3	3.4	40832	2.5	3.7
9.	स्थावर संपदा,आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	233909	9.7	15.1	152233	6.1	13.8
10.	लोक प्रशासन और रक्षा	117265	18.6	7.6	83008	12.0	7.5
11.	अन्य सेवाएं	96472	7.2	6.2	65039	7.2	5.9
ग–तृतीयक (6 से 11)		768985	8.9	49.7	552541	7.7	50.2
सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)		1546444	6.0	100.0	1100186	4.0	100.0
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)		1687818	6.5	100.0	1166817	3.8	100.0

वर्ष 2020–21 के प्रथम त्रैमास के अनुमान (अप्रैल से जून)

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के प्रथम त्रैमासिक अनुमान के अनुसार स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में कोविड–19 एवं लाकडाउन से प्रभावित होने के कारण वर्ष 2020–21 की वृद्धि –22.5 प्रतिशत रही है। वर्ष 2020–21 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की यह वृद्धि दर क्रमशः –4.5 प्रतिशत, –42.9 प्रतिशत तथा –22.8 प्रतिशत रही है। इस प्रकार प्रथम त्रैमास में द्वितीयक खण्ड में सर्वाधिक कमी परिलक्षित हुई।

द्वितीय त्रैमास के अनुमान (जुलाई से सितम्बर)

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के द्वितीय त्रैमासिक अनुमान के अनुसार स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में कोविड–19 एवं लाकडाउन से प्रभावित होने के कारण वर्ष 2020–21 की वृद्धि –6.6 प्रतिशत रही है। वर्ष 2020–21 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की यह वृद्धि दर क्रमशः –3.3 प्रतिशत, –0.9 प्रतिशत तथा –10.8 प्रतिशत रही है। इस प्रकार द्वितीय त्रैमास में तृतीयक खण्ड में सर्वाधिक कमी परिलक्षित हुई।

लोक–वित्त

लोक–वित्त के अन्तर्गत आय, व्यय, एवं ऋण प्रबन्धन का विवरण होता है। इसमें राजस्व के स्रोत, राजस्व व्यय की दिशा एवं स्थिति, राज्य ऋण का विवरण होता है। इनसे सम्बन्धित आँकड़े वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए जाते है। प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का

16.6 प्रतिशत निवास करती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रदेश के कर–करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है।

राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान। वर्ष 2018–19 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को 3,29,977.51 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 1,50,222.56 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 1,79,754.95 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। राज्य के गत् पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–1.08 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.08
राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	**राज्य करेत्तर राजस्व**	**केन्द्रीय करों में अंश**	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**	
2015–16	81,106.29	23,134.66	90,973.66	31,861.33	2,27,075.94
2016–17	85,966.25	28,944.07	1,09,427.96	32,536.87	2,56,875.15
2017–18	97,393.00	19,794.86	1,20,939.14	40,648.45	2,78,775.45
2018–19	1,20,121.85	30,100.71	1,36,766.46	42,988.49	3,29,977.51
2019–20 (पु0अ0)	1,34,038.94	31,375.92	1,35,312.19	69,538.40	3,70,265.45

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2018–19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 45.53 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 54.47 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2020 में उल्लिखित संसाधन वृद्धि के राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

1. वाणिज्यिक कर विभाग

वाणिज्यिक संव्यवहार की 06 वस्तुयें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल, वायुयान ईधन, मानव उपयोग के एल्कोहलिक लीकर व नेचुरल गैस पर वैट कर अधिनियम लागू है और इस पर कर की दर परिवर्तित करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदत्त है। राज्य कर उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति सं0 दिनांक 04–10–2018 द्वारा पेट्रोल, डीज़ल पर वैट कर की राशि/कर की दर में कमी की गई थी जिसे विज्ञप्ति सं0 दिनांक 19–08–2018 द्वारा यथावत् कर दिया गया।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर राजस्व बढ़ाने हेतु पंजीयन बेस बढ़ाने के उपाय

- जी0एस0टी0 के पश्चात पंजीकृत व्यापारी की संख्या 14.95 लाख हो गई है।
- मोबाइल एप के माध्यम से नये पंजीयन का शतप्रतिशत सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
- जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु विशेष पंजीयन जागरुकता अभियान प्रारम्भ किया गया।
- प्रवर्तन कार्यों में तेजी लायी गयी है तथा फील्ड स्तर पर साप्ताहिक एवं मासिक समीक्षा की जा रही है ।
- कार्यात्मक लक्ष्य रिटर्न दाखिला, रिटर्न स्क्रूटनी, पंजीयन सत्यापन कार्य की भी साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समीक्षा की जा रही है।

2. आबकारी विभाग

- वित्तीय वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति निर्धारित की गयी।
- . 3 देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0 आदि में वृद्धि की गयी।
- माडल शाप्स की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।
- बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।

3. परिवहन

- अधिसूचना दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों हेतु निर्धारित शमन शुल्क की दर में वृद्धि की गई है ।
- परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या, नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से या "प्रथम आगत प्रथम स्वागत" के सिद्धान्त पर, आन लाइन के माध्यम से आरक्षित करने हेतु अधिसूचित संख्याओं के आधार मूल्य (बेस प्राइस) में वृद्धि की गयी है।
- वाहन स्वामियों के नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा की गई है जिसके अन्तर्गत वाहन स्वामी के आवेदन करने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नये यान के लिये चालू श्रृंखलाओं की नई रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित करेगा और पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को नये यान में प्रवहित करेगा और साथ ही साथ नये यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को पुराने यान में प्रवहित करेगा। यदि पुरानी संख्या अधिसूचित और आरक्षित संख्याओं की श्रेणी में आती है तो चार पहिया यान के लिये उक्त संख्या की श्रेणी के आधार मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा 5 हजार रुपये, जो भी अधिक हो और दो पहिया यान के लिये उक्त संख्या की श्रेणी के आधार मूल्य पर 20 प्रतिशत अथवा 01 हजार रुपये, जो भी अधिक हो, वाहन स्वामी द्वारा देय होगा।

4 भूतत्व एवं खनिकर्म

- खनन नीति–2017 के अन्तर्गत उपखनिजों के खनन परिहार ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा–सह–ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्राविधान किये गये है तथा तद्नुसार शासनादेश निर्गत किये गये हैं।
- सरकारी संगठन अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन के हित में किसी व्यक्ति/कम्पनी के पक्ष में खनिज क्षेत्र आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है ।
- कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी नियमावली–1963 की अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी दर के अनुसार कटौती कर कार्यदायी विभाग अपने खाते में आरक्षित करने के निर्देश दिये गये है तथा ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन, कार्यदायी संस्था जिस जनपद में होगा, उस जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराकर जितनी मात्रा का परिवहन प्रपत्र सही पाये जायेगें उसकी रायल्टी ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी तथा जितनी मात्रा का परिवहन प्रपत्र गलत पायें जायेंगे उसकी रायल्टी खनिज विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी ।
- अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण कर राजस्व वृद्धि हेतु इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलान्स सिस्टम यूनीफाइड कमाण्ड सेन्टर पर स्थापित किया गया है जिसके अन्तर्गत खनन क्षेत्रों के जीयो–फेन्सिंग, कार्यरत बालू/मोरम की खदानों पर कैमरा, खनन क्षेत्र से निकासी स्थल पर खनिजों के वाहनों के मापन हेतु कैमरे युक्त वे–ब्रिज स्थापित करते हुये इसे निदेशालय स्थित कमाण्ड सेन्टर से जोड़ा गया है। इसके साथ ही समय–समय पर जांच हेतु खनन क्षेत्रों की ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी कराये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसका सर्विलांस निदेशालय स्थित यूनीफाइड कमाण्ड सेन्टर से किया जाता है ।
- खनन योग्य रिक्त क्षेत्रों को चिन्हांकित करते हुये वन विभाग की अनापत्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है ।

विदित है कि माह जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली लागू हो गयी है। ज्ञातव्य है कि पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होने वाले कर को छोड़कर मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) के सभी घटक जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं तथा मनोरंजन कर एवं लग्जरी कर भी जी.एस.टी. में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 39.5 प्रतिशत है जबकि वैट का अंश लगभग 16.7 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क का अंश 21.9 प्रतिशत हो गया है तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 13.4 प्रतिशत है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व इन्हीं मदों से प्राप्त होने वाले कर पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है।

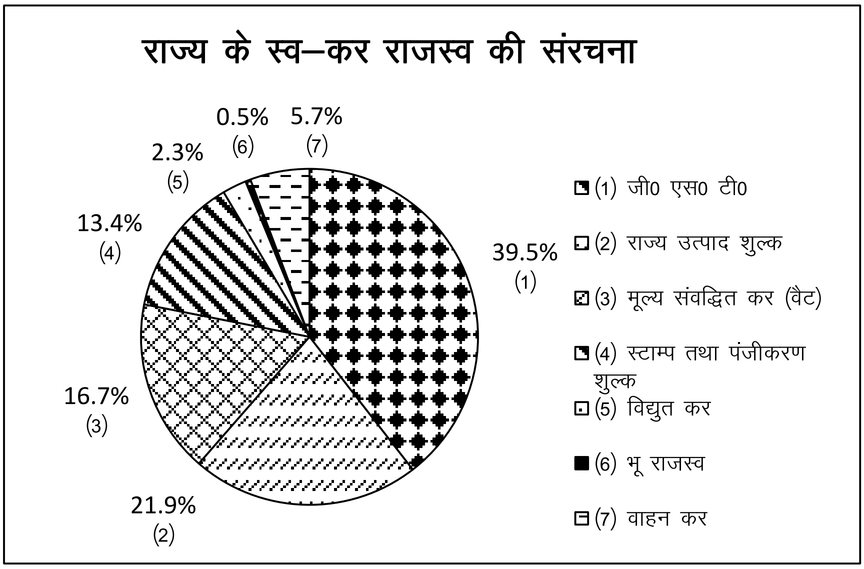

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–1.09 में दिया गया है।

तालिका 1.09
राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
2015–16	2,12,735.95	72,227.92	82,486.46	47,881.28	10,140.29
2016–17	2,36,592.26	88,254.82	91,861.12	45,834.16	10,642.16
2017–18	2,66,223.52	1,05,781.67	84,251.68	64,634.76	11,555.41
2018–19	3,01,727.96	1,31,057.25	91,311.73	67,258.59	12,100.39
2019–20 (पु०अ०)	3,43,983.28	1,38,588.01	1,19,254.47	71,640.78	14,500.02

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय, विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घट कर 34 प्रतिशत के स्तर तक आ गया था परन्तु इसके उपरान्त इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

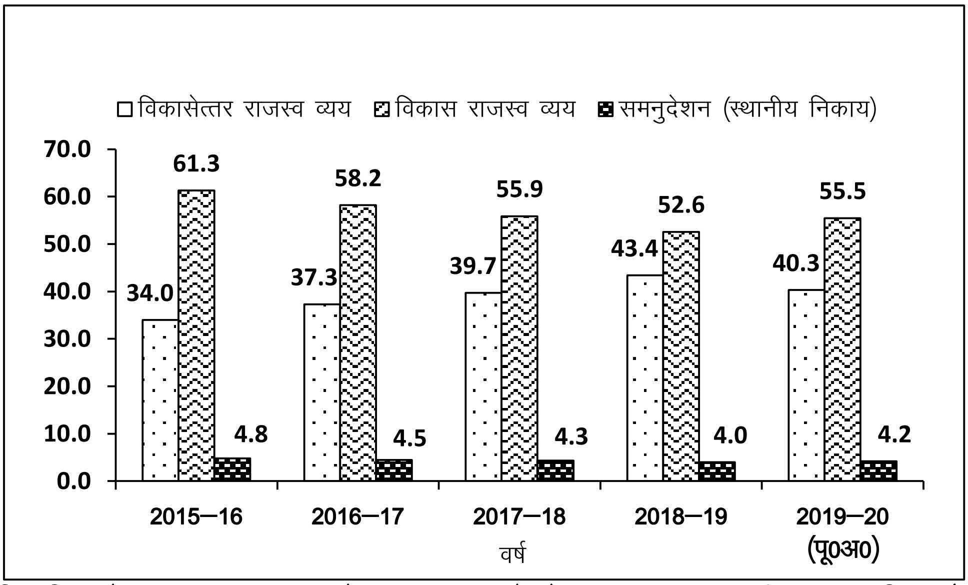

उल्लेखनीय है कि विकासेत्तर राजस्व व्यय में मुख्य रूप से पेंशन एवं ब्याज की मद शामिल है तथा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2017 (प्रभावी तिथि 01 जनवरी, 2016) से पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आगे के वर्षों में यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है।

वेतन, पेंशन, ब्याज

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–1.10 में दिया गया है।

तालिका–1.10

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (रू0 करोड़ में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
2015–16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016–17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017–18	84,160.43	38,476.49	29,135.83	1,51,772.75
2018–19	90,262.88	44,023.94	32,042.09	1,66,328.91
2019–20 (पु०अ०)	1,08,110.6	55,005.05	34,562.53	1,97,678.18

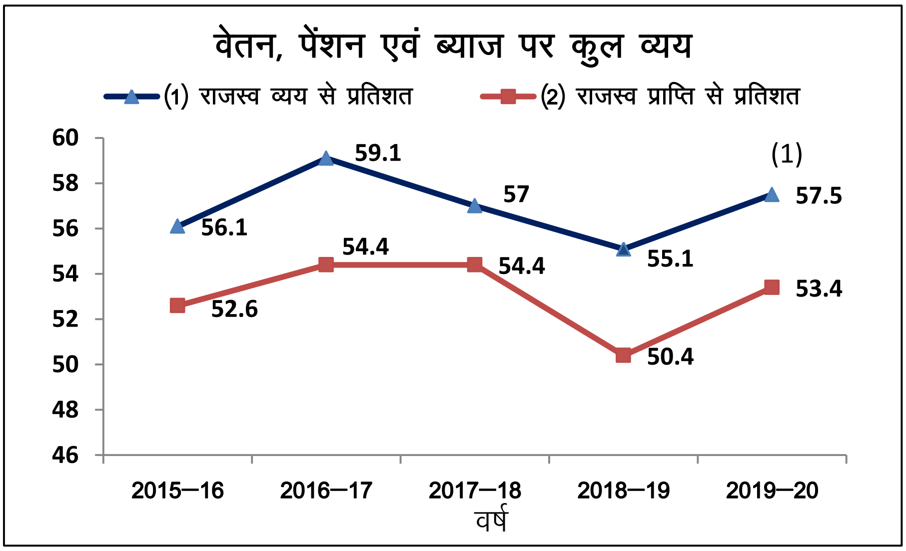

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य की राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है। वर्ष 2015–16 में यह राजस्व व्यय का 56.1 प्रतिशत था जो 2018–19 में घट कर 55.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। यद्यपि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतन एवं पेंशन का जनवरी, 2016 की प्रभावी तिथि से पुनरीक्षण के फलस्वरूप इसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है।

पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। यद्यपि पूंजीगत परिव्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं है फिर भी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, राज्य के लिये बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण

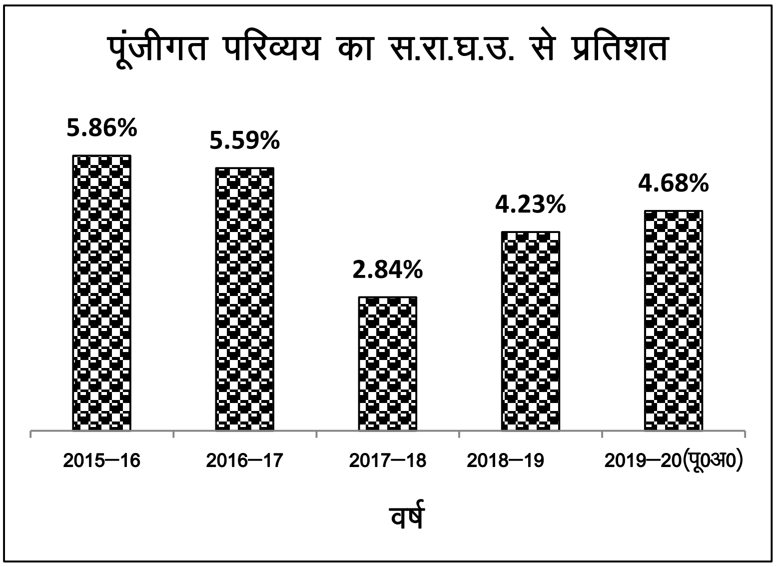

की समस्या के दृष्टिगत ऋण मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017–18 में कमी परिलक्षित हो रही है। राज्य सरकार का यह कदम वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है तथा इसका दीर्घकालीन अनुकूल प्रभाव प्रदेश की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

ऋण का उपयोग

विकासशील अर्थव्यवस्था में ऋण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परन्तु वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रदेश की जनोपयोगी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यद्यपि आगे के वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से ऊपर है जिसका आशय है कि न सिर्फ शतप्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

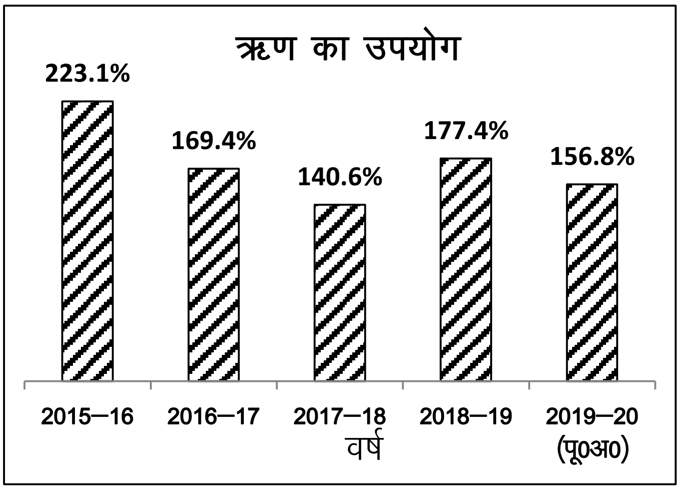

वित्तीय संकेतक

वर्ष 1988–89 से वर्ष 2005–06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया। विगत पांच वर्षों में राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–1.11 से समझा जा सकता है।

तालिका 1.11

राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक (रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2015-16	14,339.99	58,475.01 *(28,872.41)*	37,027.14
2016-17	20,282.89	*55,988.53* *(41,187.24)*	29,052.86
2017-18	12,551.93	27,809.56	-1,326.27
2018-19	28,249.56	35,203.11	3,161.02
2019-20 (पु०अ०)	26,282.17	50,405.03	15,842.50

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े, राजकोषीय घाटा में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 2015–16 में रू0 29602.60 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू0 14801.29 करोड़ के बाण्ड्स को केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रख कर प्रदर्शित किया गया है।

राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है, साथ ही यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि हो सके।

राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत होता है। वर्ष 2015–16 में यह 2.63 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2018–19 में घटकर 2.38 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति लागू हो गयी तथा राजकोषीय घाटा के जी.एस.डी.पी. से 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा ऋण/जी.एस.डी.पी. के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25–0.25 प्रतिशत की लोचनीयता भी प्रदान की गयी अर्थात दोनों शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की सीमा तक जा सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 में राज्य की ब्याज अदायगी सम्बन्धी शर्त पूर्ण होने के कारण राज्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य थी। ग्राफ में उल्लिखित राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के भार को शामिल न करते हुये राजकोषीय घाटे का आगणन किया गया है।

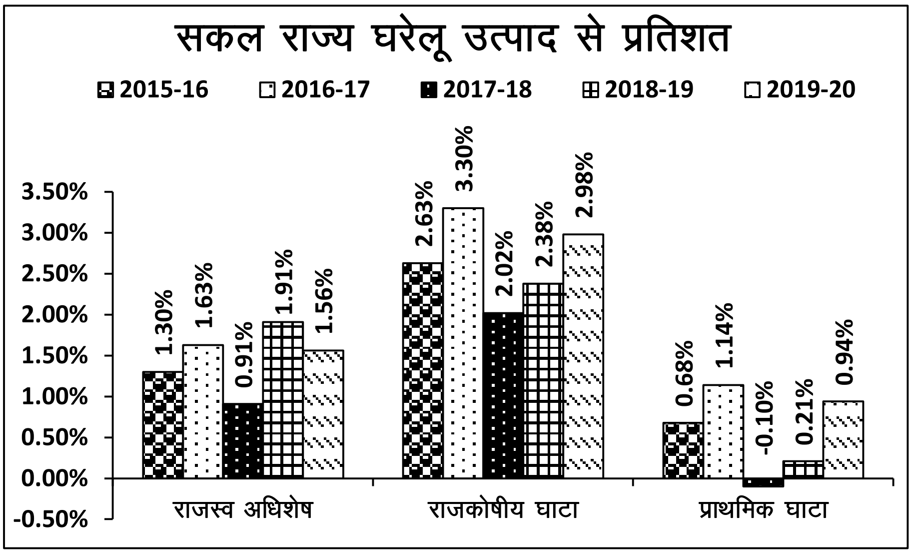

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2019–20 में लगभग 0.94 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। जैसा पूर्व में भी कहा गया है कि लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है परन्तु ऋण का उचित प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा राज्य, ऋण जाल में फंस सकता है। अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

तालिका 1.12

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता (रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	34,872.73	44,297.46	**3,23,935.66**
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	49,674.02	44,886.05	**3,73,417.33**
2017-18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	**4,08,716.49**
2018-19	2,35,356.93	55,736.67	54,907.14	49,674.02	49,528.48	**4,45,203.24**
2019-20(पु०अ०)	2,77,311.48	50,614.60	56,141.54	46,592.26	45,494.82	**4,76,154.70**

***अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।**

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार वर्ष 2018–19 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 4,45,203.24 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2019–20 के अन्त तक इसके रू0 4,76,154.70 करोड़ तक होने का अनुमान है।

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं, अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य के ऋणग्रस्तता का सही आंकलन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये कुल ऋणग्रस्तता एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है। यदि राज्य अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है। 14वें वित्त

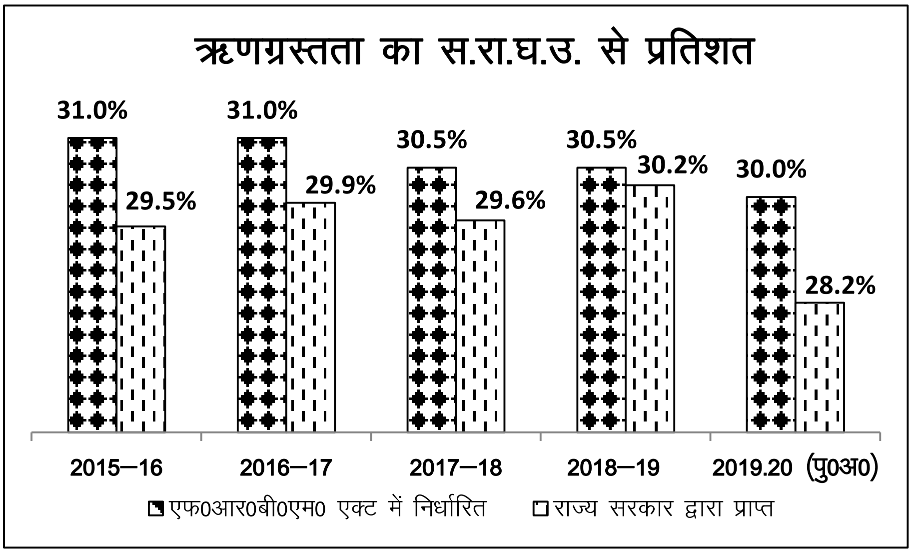

आयोग की संस्तुतियों के क्रम में 'उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में समय–समय पर संशोधन कर राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात, अधिनियम में निर्धारित अनुपात से प्रत्येक वर्ष कम रहा है जो इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य के सकल ऋण उत्तरदायित्व की स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2019–20 तक के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग आधे से अधिक अंश अर्थात 58.2 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 10.6 प्रतिशत है तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त होने से इसमें लगातार कमी हो रही है। भविष्य एवं पेंशन निधियाँ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुए केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 2.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि राज्यों को भिन्न–भिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

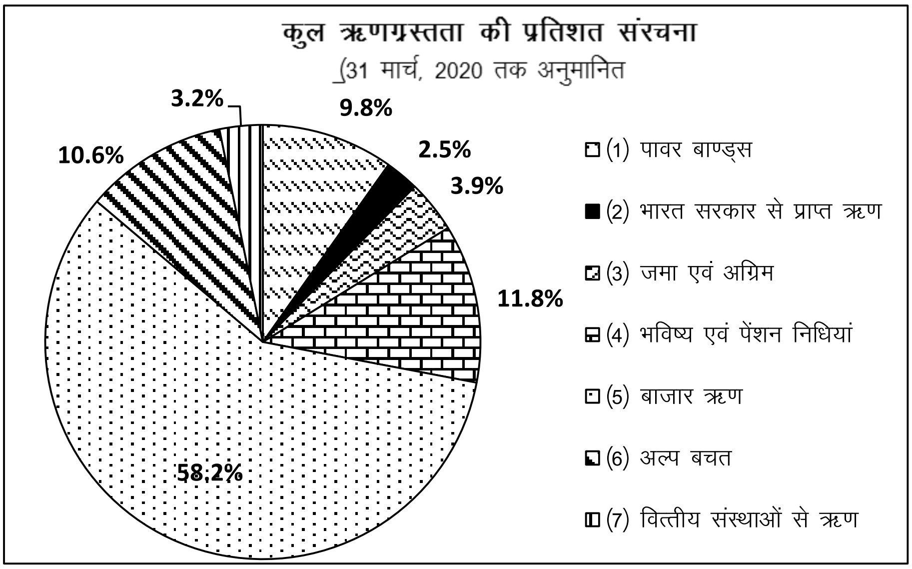

ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2015–20 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही

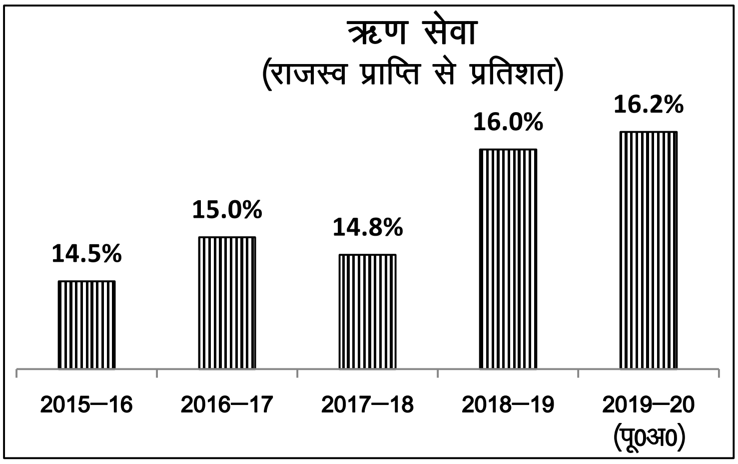

ऋण लिया जाये। यद्यपि राज्यों को ऋण सीमा में 0.25–0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचनीयता प्रदान की गयी है यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है अथवा ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति का अनुपात 10 प्रतिशत से कम है। यह लोचनीयता अलग–अलग अथवा एक साथ राज्यों को प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

राज्य सरकार की ऋण सेवा के दो घटक हैं, ऋणों का प्रतिसंदाय एवं ब्याज अदायगी जिसमें विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 26 प्रतिशत से अधिक था जो वर्ष 2015–16 तक घटते हुये 14.5. प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त यद्यपि ऋण सेवा में वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा वर्ष 2018–19 में यह 16.0 प्रतिशत के स्तर पर आ गया एवं वर्ष 2019–20 तक इसके 16.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आंकड़ों में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में विकासोपयोगी योजनाओं एवं अवस्थापनाओं के विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में जनसंख्या के दबाव के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही विकासात्मक गतिविधियों से समझौता किये बिना वित्तीय अनुशासन से एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजकोषीय घाटा तथा कुल ऋणग्रस्तता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित अनुपात को भी नियन्त्रण में बनाये रखा गया है। राज्य में 'इन्वेस्टर समिट', 'ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी' तथा 'डिफेन्स एक्सपो' जैसे सफल आयोजन किये गये हैं जिससे प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना है। रोजगार सृजन के लिये भी अनेकों प्रयास किये गये हैं। राज्य 1 ट्रिलियन इकानामी बनने की दिशा में लगातार काम कर रही है। संसाधनों की प्राप्ति के लगातार अथक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार वंचित वर्ग के उत्थान के लिये लगातार प्रयासरत है।

****

अध्याय–2

प्रादेशिक विकास में चुनौतियाँ एवं रणनीति

"आत्मनिर्भरता में लाखों चुनौतियाँ, किन्तु करोड़ों समाधान"

मुख्य बिन्दु–

- प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक सेक्टर में अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है।
- ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया।
- विगत् वर्षो में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया।
- प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार हुआ है और प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।
- महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की गयी है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने मे सहायक होगा।
- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु ''नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग'' का गठन किया गया है।
- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की 87.96 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की सख्या में भी 25.50 प्रतिशत की **वृद्धि** देखी गयी।

देश में, जनसंख्या की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था करना मुख्य चुनौती है। वर्ष 2022 तक कृषि आय को दो गुना करना, वर्ष 2024 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, वर्तमान वर्ष में कोविड–19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना, विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलबध कराना, प्रदेश सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती है। इसके लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना अति आवश्यक है।

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापर्ण़ू अवस्थापना सुविधाओं का विकास, किसानों की खुशहाली तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल सम्वर्द्धन तथा प्रदेश की बढ़ती कार्यकारी जनसंख्या को यथोचित रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवनस्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश सरकार, उपरोक्त चुनौतियों के सापेक्ष रणनीतिक सामन्जस्य के साथ संतुलित विकास की ओर अग्रसर है। वर्ष 2017–2018 का बजट किसानों को, वर्ष 2018–2019 के बजट में औद्योगिक विकास, वर्ष 2019–2020 मे महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाये जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान दी गयी, वहीं वर्ष 2020–2021 के बजट मे युवाओं की शिक्षा, कौशल सम्वर्द्धन एवं रोजगार के साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराये जाने को प्रमुखता दी गयी।

नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की। समग्र सुधार कें शीर्ष तीन राज्यों मे उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं

एवं सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा मे बड़ा सुधार हुआ है। रणनीतिक परिवर्तन के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन कर राज्य के समेकित तथा सतत् विकास के लिये रोडमैप तैयार किया जायेगा। जनपद स्तर पर भी यथार्थपरक योजनायें तैयार करने तथा उनके समेकन हेतु तंत्र तैयार किया जायेगा।

प्रादेशिक अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे विकास की आगे की अवस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के योगदान मे परिवर्तन होता है। प्राथमिक खण्ड का योगदान निरन्तर कम होता है और द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड के योगदान में वृद्धि होती है। वर्ष 2019–20 में स्थायी भावों पर जीएसवीए का खण्डवार वितरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 23.0, 26.8 एवं 50.2 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2011–12 मे क्रमशः 27.8, 26.7, एवं 45.5 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 39.5 प्रतिशत है। राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 54.47 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है। वर्ष 2015–16 में यह राजस्व व्यय का 56.1 प्रतिशत था जो 2018–19 में घट कर 55.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया।

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। राजस्व व्यय के सापेक्ष इस पर व्यय जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी अधिक तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगी। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है, बशर्ते उस ऋण का उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यद्यपि आगे के वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से ऊपर है, जिसका आशय है कि न सिर्फ शतप्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है। राज्य द्वारा विगत् कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

वर्ष 1988–89 से वर्ष 2005–06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

पूँजी निवेश

प्रदेश सरकार ने कम से कम 01 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र औद्योगीकरण के लिये प्रदेश सरकार सतत् प्रयासरत है। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजीनिवेश के लिये आकर्षक बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किये हैं।

विगत् वर्षो में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार हुआ है और प्रदेश को

एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इसमें विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3 हजार से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई, जिसमें 23 एम0ओ0यू0 प्रदेश सरकार के डिफेन्स कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किये गये, जिनसे प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश सम्भावित है।

त्वरित न्याय एवं कानून–व्यवस्था

निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उपयुक्त माहौल का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी महत्ता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आवश्यक निर्णय लिए है। कानून–व्यवस्था को अनुकूल बनाने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है। सरकार आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिए विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयो एवं ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गयी हैं।

प्रदेश में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेन्सेज) ऐक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये 218 न्यायालयो ं के गठन का निर्णय लिया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक कोर्ट्स की सख्या 81 है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के 25 कोर्ट तथा 13 कामर्शियल कोर्ट्स की स्थापना करायी गयी है। निर्वाचित सांसदो, विधायको के लम्बित अपराधिक वादों के लिए 01 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने मे सहायक होगा।

ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। योजना के परफार्मेन्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आगामी वर्ष मे 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मे मुसहर, वनटांगिया तथा थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण मे प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी 75 जनपद ओ0डी0एफ0 घोषित हो चुके हैं। योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के साथ सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायतों के क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना की जा रही है।

कृषि

किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की गयी है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश, किसानो को देय अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।

कृषि गणना 2011–12 के अनुसार प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5 था, जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। प्रदेश में जोतों

का औसत आकार घटता जा रहा है तथा वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश के कुल कर्मकरों मे कृषको का प्रतिशत 41.1 से घटकर 29 प्रतिशत हो गयी जबकि कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 24.8 से बढकर 30.3 हो गया है। इसे कृषि विकास हेतु अच्छा संकेतक नही माना जा सकता है।

प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14 प्रतिशत एवं 66.27 प्रतिशत कम है।

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। वॉछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है, इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्‌देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्धक आँकड़ें प्राप्त हो रहे है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना एवं राज्य सिंचाई योजना तैयार कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ भूमि जल स्तर को ऊपर उठाने तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में वाटरशेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो के द्वारा जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर, उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रो की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्‌देश्य से संचालित की जा रही है।

पशुपालन

पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है। वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता क्रमश 330 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। अतः 2030 तक 3 गुना उपलब्धता हेतु लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत 32.5 है जिसे 2022 तक 75 प्रतिशत किया जाना है। प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, सम्बर्धित तथा रोगमुक्त रखने में सरकार सतत प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका–मुँहपका एवं ब्रुस्लोसिस

रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका–मुँहपका रोग से मुक्त कराया जाना है।

मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है, अतः सरकार द्वारा जून, 2014 मे मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है।कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है।

पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावनायें हैं। सजावटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भावना है। इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्तायुक्त बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाये तथा स्थानीय स्तर पर ही उत्पादकता के अनुरूप विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। पर्यावरण प्रदूषण के असर से ताल तालाब और नदियां भी अछूती नहीं बची हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मुहानों/किनारों पर आवश्यक रूप से सदाबहार वृक्ष/पौधे लगाये जाएं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प है। प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक–''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' औषधीय पौध मिशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

सिंचाई एवं जलापूर्ति

प्रदेश मे बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को वर्षा जल संचयन हेतु पुनर्विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। **जल शक्ति एवं नमामि गंगे** तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण विभागों को शासन स्तर पर गठित ''जल शक्ति विभाग'' के अन्तर्गत रखा गया है। इसी प्रकार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु ''नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग'' का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा 6 हजार करोड़ रूपये की लागत वाली ''अटल भू–जल योजना'' प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों मे भूजल के संचयन को बढ़ावा देना और भूजल के अतिदोहन पर रोक लगाना है। प्रदेश की जनता को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिये सरकार प्रदेश में अटल भूजल योजना का पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन करायेगी।

अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध, गुंटा बांध, मौदहा बांध तथा जमरार बांध आदि परियोजनाओ को परा किया गया। इन परियोजनाओ के पूर्ण होने से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई।आगामी वर्ष मे 04 परियोजनाओ– उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर री–स्ट्रक्चरिंग परियोजना, कचनौदा बाँध परियोजना, भरौट बाँध परियोजना तथा

उमरहट पम्प नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य गंगा (द्वितीय चरण) परियोजना से 1 लाख 46 हजार हेक्टेयर तथा अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 44 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं सहायक नदियों को निर्मल एवं अविरल बनाये जाने के उद्‌देश्य से नमामि गंगे अभियान संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत 45 सीवरेज परियोजनायें प्रारम्भ की गईं जिनमें से 12 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। अमृत योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक पेयजल की 158 एवं सीवरेज की 228 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

पारम्परिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा

वर्तमान में शहरों तथा गाँवों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगभग 22 हजार 922 मेगावॉट विद्युत की उपलब्धता है जो माँग के अनुरूप पर्याप्त है। आगामी वर्षों हेतु अनुबन्धित क्षमता को मांग के अनुरूप बढ़ाया भी जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 5 हजार 800 मेगावॉट है, जिसको बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3 हजार 960 मेगावॉट उत्पादन क्षमता की तापीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे वर्ष 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होगा । इसके अतिरिक्त भविष्य में लगभग 3 हजार मेगावॉट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना सम्भावित है।

गत दो वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख घरों को विद्युत संयोजन कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय में संतृप्त कर दिया गया है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की गयी है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्‌देश्य से सौर ऊर्जा नीति–2017 क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्‌देश्य से 4 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावॉट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

नागरिक उड्‌डयन

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति''प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ–साथ नॉन–रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश मे 08 हवाई अड्‌डे क्रियाशील हैं तथा 11 नये हवाई अड्‌डों पर कार्य चल रहा है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट एवं कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से देश–विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुचने में आसानी होगी।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है। वन स्थिति रिपोर्ट–2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओ में सडक़, रेलवे लाइन तथा

कृषको की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है।

दिनांक 09 अगस्त, 2019 को वृक्षारोपण महाकुम्भ में एक ही दिन में 22 करोड़ 59 लाख पौधो का रोपण किया गया। 09 अगस्त, 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सम्मिलित किया गया है।

मानव–वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य मे बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 मे 173 हो गई है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु आई0आई0टी0, कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम–स्ट्राइप्स एप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारम्भ की गई है।

सड़क परिवहन व्यवस्था

प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लम्बाई में ''पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना'' का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिये लगभग 91 किलोमीटर लम्बाई में ''गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे'' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। ''पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे'' से बलिया को जोड़ने के लिये 'बलिया लिंक एक्सप्रेस–वे'' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिये जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लम्बाई का ''बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे'' निर्माणाधीन है। यह एक्सप्रेस–वे बुन्देलखण्ड के लिये लाईफ लाइन सिद्ध होगा।

मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लम्बे ''गंगा एक्सप्रेस–वे'' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु''डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर'' परियोजना के लिये आवश्यक भूमि झाँसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों मे चिन्हित की गयी है। प्रदेश में लगभग 2 लाख 31 हजार किलोमीटर लम्बाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है।

लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहाँपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा को बेहतर करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। 15 हजार प्राथमिक विद्यालयो तथा 1 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है । प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में फीस को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 111 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगरीय विकास

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की

परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त 10 नगर निगमों के अतिरिक्त, 07 अन्य नगर निगमो- मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोयडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, जिसके लिये 900 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुये परियोजना की लागत 11 हजार 76 करोड़ रूपये अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 32 किलोमीटर है। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8 हजार 379 करोड़ रूपये की लागत से अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'सबके लिये आवास योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। दुर्बल आय वर्ग के लिये मार्च, 2021 तक 04 लाख भवनो के निर्माण का लक्ष्य है।

पर्यटन विकास

प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के बिखरे पड़े अवशेषो को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों, स्मारकों तथा पुरावशेषो का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलो का उत्खनन आदि कार्य किये जा रहे हैं।

जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना, पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

अयोध्या मे दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर, 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4 लाख 04 हजार 26 से अधिक दीप जलाये गये। यह एक नया कीर्तिमान था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सम्मिलित किया गया ।

औद्योगीकरण

औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश मे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लिए जा रहे है, परिणामस्वरुप वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'** में प्रदेश गत वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये **दूसरी रैंक** हासिल की है।

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग-बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **'उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020'** लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 03 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है। लॉकडाउन के समय में एमएसएमई इकाइयों को लाभान्वित कराने हेतु तीन क्रेडिट आनलाइन लोन मेला का आयोजन किया गया जिसके द्वारा 729691 इकाइयों को रू0 20442 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया।

देश के एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की शिकायतों के निराकरण हेतु '**रिवाइवल एवं फैसिलटेशन सेल**' का गठन किया गया है। उ0प्र0 सरकार ने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये **'उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020'** लागू किया है।

प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र मे एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। ''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017'' प्रख्यापित की गई है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु ''विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना''लागू है।

अन्य

त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओ से सम्बंधित यथा–सडक़ , पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है।

दिव्यांग दम्पत्तियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दम्पत्तियों जिनमें पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों, के बच्चों के पालन–पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा।

प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेंट, कृषि तथा विनिर्माण में विकास, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों तथा सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है।

आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें नीतिगत निर्णयों का परिणाम धीरे–धीरे ही दृष्टिगोचर होता है। विगत् वर्षों में लिए गए आर्थिक निर्णयों के सार्थक परिणाम मिलने प्रारम्भ हो गए हैं। सरकार द्वारा संतुलित विकास की रणनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश सरकार, एक ओर जहाँ कृषि विकास पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगीकरण हेतु भी निरन्तर प्रयास कर रही है उन्हीं प्रयासों के फलस्वररूप निवेश करने मे निवेशकों की रूचि बढ़ रही है।

अतः प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि कृषि विकास के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नही है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। इसीलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों क्षेत्रों के विकास पर एक साथ जोर दे रही है। एक ओर भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं यथा–प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैण्ड–अप एवं स्टार्ट–अप इण्डिया आादि के क्रियान्वयन मे उत्कृष्ट कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम–सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि प्रारम्भ कर उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के माध्यम से उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है।

****

अध्याय–3
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

मुख्य बिन्दु—

- बैंकिंग नेटवर्क मार्च, 2020 तिमाही मे औसतन एक आउटलेट प्रति 2.41 वर्ग कि0मी0 से बढ़कर औसतन 2.28 वर्ग कि0मी0 हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में समीक्षा अवधि जून 2020 तक कुल 7,68871 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।
- कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गो हेतु ऋण क्रमशः 25.98%, 58.34% एवं 18.94% है।
- एम.एस.एम.ई/ व्यावसायिक ईकाईयों/कृषकों/समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' की घोषणा की गयी हैं।
- प्रदेश प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत देश मे सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते (16.48 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क मार्च, 2020 तिमाही मे औसतन एक आउटलेट प्रति 2.41 वर्ग कि0मी0 से बढ़कर औसतन 2.28 वर्ग कि0मी0 हो गया है। कुल 18988 बैंक शाखाओं, 18549 ए0टी0एम0 एवं 69401 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि0 की 76 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैः–

तालिका 3.01
प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

क्र0सं0	बैंकिंग केन्द्र	बैंक शाखाओं की संख्या	
		जून, 2019	जून, 2020
1	बैंक शाखा	18869	18988
2	एटीएम	17570	18549
3	बैंक मित्र	29695	69401
4	इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक	–	76
कुल		**66134**	**107014**

तालिका 3.02
प्रदेश मे बैंकिंग क्षेत्र का प्रगति विवरण

(राशि करोड़ मे)

क्र.सं	विवरणी	मार्च, 2019	मार्च, 2020	जून, 2020
1	जमा	1030115.17	1138904.22	1172007.35
2	अग्रिम	542578.19	587643.92	595701.69
3	कुल व्यवसाय	1540525.94	1726548.14	1767709.04
4	ऋण जमा अनुपात	52.67	51.60	50.83
5	अग्रिम निवेश सहित	634406.71	684667.43	692046.27
6	अग्रिम + निवेश : जमा अनुपात	61.59	60.12	59.05
7	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	320636.04	349697.71	349970.77
8	कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का %	59.09	59.51	58.75

क्र.सं	विवरणी	मार्च, 2019	मार्च, 2020	जून, 2020
9	कृषि अग्रिम	147060.06	159092.48	160925.74
10	कुल अग्रिमों में कृषि क्षेत्र का %	27.10	27.07	27.01
11	लघु उद्यमियों को अग्रिम	113570.58	126233.23	126714.17
12	कुल अग्रिमों में लघु उद्यमियों का %	20.93	21.48	21.27
13	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	60003.40	64372	62330.86
14	कुल अग्रिमों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र %	11.06	10.95	10.46
15	कमजोर वर्गों को अग्रिम	101786.85	109180.31	110867.93
16	कुल अग्रिमों में कमजोर वर्गो का %	18.76	18.58	18.61
17	शाखा विस्तार			
	• ग्रामीण	9037	9014	9029
	• अर्द्धनगरीय	4220	4227	4195
	• शहरी/मेट्रो	5714	5696	5764
18	कुल शाखाओं की संख्या	18971	18937	18988

ऋण जमा अनुपात

मार्च 2020 की स्थिति के सापेक्ष जून 2020 तक की एजेन्सीवार, ऋण जमा अनुपात एवं ऋण निवेश जमा अनुपात की प्रगति निम्नानुसार हैः–

तालिका 3.03

ऋण जमा अनुपात की प्रगति

(प्रतिशत में)

विवरण	संस्था	त्रैमास		अंतर (मार्च 2020 से जून 2020)
		जून 2020	मार्च 2020	
ऋण जमा अनुपात	वाणिज्यिक बैंक	48.86	50.95	(–)2.09
	क्षेत्रीय ग्रा. बैंक	56.06	56.50	(–)0.44
	वाणि.बैंक+ क्षे.ग्रा.बै	49.45	51.41	(–)1.96
	कोऑपरेटिव बैंक	86.45	76.92	9.53
	वाणि.बैंक+ क्षे.ग्रा.बै सहकारी बैंक	50.83	51.96	(–)1.13
ऋण+निवेश जमा अनुपात	वाणिज्यिक बैंक	54.16	55.21	(–)1.05
	क्षेत्रीय ग्रा. बैंक	99.76	107.51	(–)7.75
	वाणि.बैंक +क्षे.ग्रा.बै	57.88	59.54	(–)1.66
	कोऑपरेटिव बैंक	129.49	116.59	12.90
	वाणि.बैंक+ क्षे.ग्रा.बै +सहकारी बैंक	59.05	60.62	(–)1.57

वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यथा– कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान योजनान्तर्गत रू0 46105.13 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया। वर्ष 2020–21 हेतु रू0 246751.02 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष जून 2020 तक रू0 44075.21 करोड़ (17.86 प्रतिशत) रही है। सेक्टरवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 3.04

वार्षिक ऋण योजना की स्थिति (धनराशि करोड़ मे)

क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि	%उपलब्धि
	2019–20	2020–21	जून, 2020	जून, 2020
कृषि	170201.06	170201.05	22921.78	13.47
लघु उद्यम	51808.81	61759.37	19431.36	31.46
सेवायें (शिक्षा+गृह+अन्य)	34379.12	14790.60	1722.07	11.64
कुल	256388.99	246751.02	44075.21	17.86

वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गो हेतु ऋण क्रमशः रू 1,47,972.07 करोड़ (25.98%), रू 3,32,249,01 करोड़ (58.34%) एवं रू 1,07,842.32 करोड़ (18.94%) हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष अच्छा है तथा बैंकों द्वारा किये जा रहे सघन प्रयासों का द्योतक है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वसूली– कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत जून 2020 में ऋण वसूली का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 3.05

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वसूली (धनराशि करोड़ मे)

विवरण	मांग	वसूली	अतिदेय	प्रतिशत जून 2020	प्रतिशत जून 2019
कृषि	51033.78	23649.25	27384.53	46.34	63.48
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	15236.62	8070.90	7165.71	52.97	62.47

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत जून, 2020 तक क्रमशः 46.34 प्रतिशत व 52.97 प्रतिशत वसूली रही है जो गत् वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कम हुई है।

किसान क्रेडिट कार्ड

वित्तीय वर्ष 2020–21 में समीक्षा अवधि जून 2020 तक कुल 7,68871 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिनमें से नये जारी कार्ड 1,27,766 है तथा कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया 6,41,105 मामलों में की गयी है।

तालिका 3.06

किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (धनराशि रू करोड मे)

बैंक	किसान क्रेडिट कार्ड (वित्तीय वर्ष 2020–21)					
	नवीनीकरण		नवीन स्वीकृत		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वाणिज्यिक बैंक	331624	5024.96	90427	1200.91	422051	6225.87
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	270446	2205.86	27874	391.99	298320	2597.85
को–आपरेटिव बैंक	39035	413.74	9465	96.62	48500	510.36
कुल योग	641105	7644.56	127766	1689.52	768871	9334.08

किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्तिकरण अभियान

अभियान–1 (08.02.2020 से 29.02.2020 तक)

इस अभियान के अंतर्गत सभी बैंक शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से वंचित पी.एम.किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ सुरक्षा बीमा योजनाओं यथा– प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

अभियान–2 (01.06.2020 से 31.07.2020 तक)

किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा को डेयरी तथा मत्स्य पालन के लिये भी उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त योजनांतर्गत रू 3 लाख तक की सुविधा के अंतर्गत रू 2 लाख की सब–लिमिट को डेयरी तथा मत्स्य पालन हेतु, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 2 प्रतिशत सबवेंशन तथा 3 प्रतिशत शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन राशि की सुविधा उपलब्ध है। अभियान की समयसीमा को बढ़ाकर 30.09.2020 तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0)

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के कृषकों को प्राकृतिक आपदा के द्वारा होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करते हुए ऋणी कृषकों हेतु ऐच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित होने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा भी जुलाई 2020 को आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदेश में योजना के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप समस्त आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर एम.एस.एम.ई. ईकाईयों, गरीबों, श्रमिको एवं किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से अर्थव्यवस्था को उभारने व समाज के विभिन्न वर्गो को अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किये जा रहे है। इसी क्रम में एम.एस.एम.ई/ व्यावसायिक ईकाईयों/कृषकों/समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी हैं।

इस पैकेज के अंतर्गत विशेष रूप से एम0एस0एम0ई ईकाईयों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजना' की शुरूआत की गयी है। यह योजना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित की जा रही है। सभी पात्र व्यावसायिक/ एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को दिनांक 29.02.2020 के कुल देयता का 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान किया जाना है।

कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पी. एम.स्वनिधि) योजना की शुरूआत की गयी है। योजनांतर्गत पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं को रू 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पी.एम.स्वनिधि पोर्टल के अनुसार प्रदेश में अगस्त, 2020 तक कुल 85919 स्ट्रीट वेन्डर्स को पंजीकृत किया गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार समस्त बैंको द्वारा कुल 19349 स्ट्रीट वेन्डर्स को रू 1928.58 लाख की ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पात्र एवं पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को दी गई सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब–ऑर्डिनेट डेब्ट योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना का संचालन सूक्ष्म और लघु उद्यमी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी समस्त एम0एस0एम0ई0 इकाईयाँ, जो मार्च 2018 में स्टैन्डर्ड कैटेगरी में एवं अप्रैल 2020 को एस0एम0ई0–1 या एन0पी0ए0 की श्रेणी में है, किन्तु चालू अवस्था में हो,

योजनांतर्गत पात्र है। योजनांतर्गत ऋण प्रमोटर्स को उनकी इक्विटी प्लस डेब्ट का 15 प्रतिशत या अधिकतम 75 लाख, जो कम हो, प्रदान किया जाना है, जिसकी 90 प्रतिशत गारण्टी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत प्रमोटर्स द्वारा प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक मई .2020 को एक विशेष अभियान की शुरूआत की गयी हैं। प्रदेश में 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य प्राप्त हुए है।

ऑनलाइन रोजगार संगम–प्रथम

लखनऊ में 14 मई 2020 को एक ऑनलाइन रोजगार संगम का आयोजन कर एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ओ.डी.ओ.पी. मार्जिन मनी योजना, ओ.डी.ओ.पी. प्रशिक्षण एवं टूल ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरूआत की गयी। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 56754 लाभार्थियों को रू 2002 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान–द्वितीय

लखनऊ में 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान 135666 नवीन एम.एस.एम.ई. ईकाईयों को रू 4034 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित आपातकालीन केंडिट लाइन गारण्टी योजनांतर्गत 267980 एम.एस.एम.ई ईकाईयों को रू 6565 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया।

ऑनलाइन स्वरोजगार संगम–तृतीय

भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज एवं विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत 07 अगस्त 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन कर कुल 129753 लाभार्थियों को रू 4661 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजनांतर्गत 139538 एम.एस.एम.ई ईकाईयों को रू 3180 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

प्रदेश में वित्तीय समावेशन

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना मे प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जून, 2020 तक लगभग 6.63 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें रू0 23617.97 करोड़ की धनराशि जमा है। इनमें से 5.16 करोड़ (83.91%) खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। देश में खोले गये कुल 40.21 करोड़ खातो में प्रदेश सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते (16.48 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत जून, 2020 तक 2.66 करोड़ लोगों के पंजीकरण के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। योजना में जून, 2020 तक 5619 दावों के सापेक्ष 4003 का निस्तारण किया जा चुका है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जे0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम

रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मे जून, 2020 तक 68.57 लाख पंजीकरण के साथ प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। योजना में जून, 2020 तक 26,841 दावों के सापेक्ष 24,811 का निस्तारण किया जा चुका है।

(घ) अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) के अन्तर्गत वृद्धावस्था में जीवन यापन हेतु 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य नागरिकों को विशेषकर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजनान्तर्गत अभी तक 34.27 लाख लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है। नोडल एजेंसी पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 01.02.2020 से 31.03.2020 तक चलाये जा रहे एपीवाई सिटिजेंस च्वाइस 2020 अभियान के अंतर्गत प्रदेश को आवंटित लक्ष्य 1.65 लाख नामांकन के सापेक्ष 1.84 लाख की प्रगति हासिल करते हुए प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस अभियान में हमारे प्रदेश के तीन अग्रणी जनपद यथा महोबा, सुल्तानपुर तथा अम्बेडकरनगर को बेहतर प्रदर्शन के लिए "अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस" एवं अन्य 26 जनपदों को शत–प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु "सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस" प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

कोविड–19 महामारी के कारण गरीब परिवारों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत की गयी है। योजनांतर्गत सभी महिला प्रधानमंत्री जन–धन खाताधारकों को डी.बी.टी. के माध्यम से 3 माह (अप्रैल, मई जून 2020) में रू 500/– प्रतिमाह के आधार पर अंतरित किये गये हैं। प्रदेश में कुल 3.40 करोड़ खातों में कुल रू 5067.82 करोड़ की धनराशि का अंतरण किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2019–24 के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति जारी की गयी है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री जन–धन योजना के समस्त अर्ह लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं एवं अटल पेंशन योजना से कवर किया जाना है।

बैंक मित्रों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवायें

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय सेवायें सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने हेतु समस्त प्रदेश को 27,628 सब–सर्विस एरिया में बॉटा गया। सब–सर्विस एरिया 4 से 6 हजार की आबादी व 5 कि0मी0 की दूरी को ध्यान में रखकर बनाया गया। प्रदेश में जून, 2020 तक 69,401 बैंक मित्रों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो आधार एवं रूपे कार्ड आधारित ट्रांजेक्शन के माध्यम से सेवायें प्रदान कर रहें हैं।

एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिजनेस केन्द्र

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजनान्तर्गत कृषि संकाय के स्नातकों, डिप्लोमा होल्डर्स इत्यादि को कृषि क्लीनिक व कृषि व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु 02 माह का पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, तत्पश्चात बैंक ऋण के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वित्त पोषित लाभार्थियों को भारत सरकार से 36 से 44 प्रतिशत तक के अनुदान का भी प्रावधान है। इसके माध्यम से बैंको द्वारा जहॉ एक ओर स्वरोजगार को बढावा मिलेगाा, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऋण की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में जून, 2020 तक विभिन्न बैंको द्वारा कुल प्राप्त 284 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 133 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति के साथ साथ ऋण वितरण की कार्यवाही की गयी है तथा कुल रू 176.55 लाख की धनराशि वितरित की गयी है।

ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह विशेष योजना लागू की गयी है। इसमें कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की मजबूरी समाप्त करना, कृषि जीन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरूआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना है। नाबार्ड द्वारा इस योजना का समन्वय किया जा रहा है जिसमें 15 से 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 37.50 लाख) बैक द्वारा प्रदत्त अनुदान का प्रावधान है, जो 100 से 10000 टन क्षमता की इकाईयों के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्व–रोजगार योजना

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, को कृषि एवं उससे सम्बन्धित अन्य किया–कलापों तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के किया–कलापों हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष मे जून, 2020 तक कुल प्रेषित 21148 आवेदन पत्रों में से ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही कमशः 3235 एवं 102 आवेदन पत्रों में सुनिश्चित की गयी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण रू 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि, ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर ब्याज की धनराशि, ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायाी जाती है। इस योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष मे जून, 2020 तक कुल प्रेषित 1922 आवेदन पत्रों में से ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही कमशः 196 एवं 33 आवेदन पत्रों में सुनिश्चित की गयी।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु दिसम्बर, 2018 से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित की जा रही है। इस के अंतर्गत पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुद्दृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा। मई, 2020 को लखनऊ में आयोजित ऑनलाइन रोजगार संगम के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु ऑनलाइन पोर्टल लांच करने के साथ लाभाथ्रियों को टूल किट का वितरण भी किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में अप्रैल, 2018 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए रू 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू 10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। परियोजना लागत की कुल राशि का

25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। निर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम रू 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू 2.50 लाख की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार इन समुदायों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों हेतु ऋणों में वर्गीकृत किया जाता है, साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण का 15 प्रतिशत तक प्रदान करने हेतु निर्देश है। प्रदेश के 21 जनपदों को अल्पसंख्यक बाहुल्य के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में जून 2020 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 21,30,475 व्यक्तियों को रू 49394.08 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जो कि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 13.88 प्रतिशत (खाते) एवं 14.11 प्रतिशत (धनराशि) है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कुल 11,71,258 व्यक्तियों को रू 20436.58 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 25.18 प्रतिशत (खाते) एवं 23.95 प्रतिशत (धनराशि) हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भारत सरकार द्वारा अति लघु इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों हेतु मुद्रा योजना की शुरूआत, गैर–कार्पोरेट एवं गैर–कृषि लघु/लघु उद्यमों को रू0 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 5.21 लाख खातों में रू0 3038.52 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी है।

तालिका 3.07

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मे वित्त पोषण (धनराशि करोड़ मे)

अवधि	शिशु ऋण (रू0 0.50 लाख तक)			किशोर ऋण (रू0 0.50–5 लाख तक)			तरूण ऋण (रू0 5–10 लाख तक)		
	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि
जून 2020	413918	758.02	685.37	90748	1741	1332.3	17068	1329.4	1020.9
जून 2019	1130570	2874.5	2813.1	85595	1582.3	1370.2	16249	1355.1	1110.7

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की जून 2020 तक की ऋण वसूली की स्थिति संक्षेप में योजनावार निम्न है:–

तालिका 3.08

योजनाओं के अंतर्गत ऋण वसूली की स्थिति (प्रतिशत में)

योजना	वाणिज्यिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	जून, 2020	जून, 2019	जून, 2020	जून, 2019
एससीपी	43.46	45	57.06	47
एसजीएसवाई	45.97	50	38.60	42
केवीआईसी(मार्जिन मनी स्कीम)	55.32	54.83	57.97	58.10
केवीआईबी(एमएमजीआर स्कीम)	44.96	41	57.49	37

यह उल्लेखनीय होगा कि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं को–ऑपरेटिव बैंकों में गैर–निष्पादक आस्तियों का स्तर जून 2020 में क्रमशः 8.70 प्रतिशत, 18.52 प्रतिशत व 9.42 प्रतिशत रहा है। विगत् वर्ष की आलोच्य अवधि से वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के

गैर–निष्पादक आस्तियों का स्तर बढ़ा है जबकि को–ऑपरेटिव बैंको में स्तर कम हुआ हैं। कुल गैर–निष्पादक आस्तियों का औसत स्तर 9.43 प्रतिशत गत् वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष अधिक है।

प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर समुदाय हेतु जून, 2016 द्वारा योजना में संशोधन किये गये। अब बुनकर समुदाय हेतु ऋण सुविधा मुद्रा योजनांतर्गत कवर की जायेगी और यह '**प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना**' के नाम से जानी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश के 13 परिक्षेत्रों हेतु प्लान तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान के अनुसार हथकरघा बुनकरों को बैंको की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने हेतु 2000 लक्ष्य रखा गया है।

स्टैंण्ड अप इण्डिया योजना

भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2016 मे स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्मियों को रू 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है। इसमे प्रत्येक बैंक शाखा को एक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। योजनांतर्गत हमारा प्रदेश भारतवर्ष में **प्रथम स्थान** पर है। योजनांतर्गत संक्षेप में प्रगति निम्नानुसार हैः–

<u>सफलता की कहानी</u> (स्टैंड अप इंडिया योजना)

आपको आज मैं अपनी सफलता के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी हूँ एवं मेरी उम्र लगभग 29 वर्ष है एवं मै ग्रेजुएट हूँ। पिछले पांच वर्षो से मैं एक ताला फैक्ट्री में कार्य कर रहा था परन्तु अपने हुनर एवं कड़ी मेहनत के बाबजूद मुझे उचित मेहनताना/सैलरी नहीं मिल पा रही थी।

बचपन से ही मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने की चाहत थी, परन्तु पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण अपना व्यवसाय शुरू करना बहुत कठिन था, बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता था परन्तु सही माध्यम का पता नहीं था।

मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा, तालानगरी शाखा से संपर्क किया वहां मैंने अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जाहिर की तो शाखा द्वारा कई महत्वपूर्ण याजनाओं के बारे में बताया जिसमें भारत सरकार की **स्टैंड अप इंडिया योजना** के तहत शाखा द्वारा रू 25 लाख का ऋण स्वीकृत कर दिया जिससे मैंने परदे के ब्रैकेट्स बनाने की इकाई स्थापित की। शाखा द्वारा किये गए ऋण से मैंने अपनी फर्म देवेश मेसर्स देवेश इंटरनेशनल की स्थापना हो सकी, जिसके लिऐ मै बैंक ऑफ बडौदा, ताला नगरी शाखा का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में रूचि दिखाकर इसे स्थापित करने में सहयोग किया। आज मेरे द्वारा 10 परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है एवं मेरा व्यापार प्रगति पर है, जिसके लिए मै बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता के लिए सदा आभारी रहूँगा।

प्रो0 देवेश मेसर्स देवेश इण्टरनेशनल, अलीगढ़, उ0प्र0

तालिका 3.9
स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना में प्रगति (धनराशि करोड़ मे)

बैंक	शाखाओं की संख्या	लक्ष्य @2 प्रति शाखा	स्वीकृत		वितरित	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	10843	21686	10894	2223	10894	1155
प्राईवेट बैंक	1230	2460	230	54	230	44
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4184	6060	665	109	665	57
कुल योग	16257	30206	11789	2386	11789	1256

एक जनपद एक उत्पाद योजना

प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना का सृजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी जनपदों में एक प्रमुख उत्पाद को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाकर उन्हें स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी है तथा पात्र व्यक्तियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु ओ0डी0ओ0पी0 मार्जिन मनी योजना लागू की गयी है, गत् 10.08.2018 को राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में ओ0डी0ओ0पी0 समिट का वृहद आयोजन माननीय राष्ट्रपति, भारत गणराज्य की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग रू 1007 करोड़ धनराशि के ऋण प्रदान किये गये। इसकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य कार्यक्रमों का आयोजन क्रमशः लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, एवं मेरठ केन्द्रों पर किया गया। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत कुल रू 18344.87 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गयी जिसमें से ओ.डी.ओ.पी का अंश रू 3835.89 करोड़ है।

लखनऊ में मई 2020 मे आयोजित रोजगार संगम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा ओ.डी.ओ.पी योजना हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की गयी है। इसके अलावा ऑनलाइन ई–रोजगार संगम में प्रदेश के 5 जनपदों में ओ0डी0ओ0पी0 ईकाईयों को उनके उत्पादों में मूल्यवृद्धि करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादित करने हेतु आधुनिक उपकरणों से युक्त सुविधा केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 मे सभी शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना सभी शहरों में लागू की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। चूँकि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 2022 तक सबकों आवास देने का लक्ष्य हैं।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मानदण्डों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है, संशोधित अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः–

तालिका 3.10

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

विवरण	इकाइयों में प्लांट एवं मशीनरी क्षेत्र में निवेश	वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम टर्नओवर
सूक्ष्म उद्योग	रू 1 करोड़ तक	रू 5 करोड़ तक
लघु उद्योग	रू 1 करोड़ से अधिक एवं रू 10 करोड़	रू 5 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक
मध्यम उद्योग	रू 10 करोड़ से अधिक एवं रू 50 करोड़ तक	रू 50 करोड़ से अधिक 250 करोड़ तक

आरसेटी संस्थान से सम्बन्धित विवरण

वर्तमान में प्रदेश में कुल 75 आरसेटी संस्थान कार्यरत है। इनमें से 3 संस्थान गैर–अग्रणी बैंको द्वारा अन्य जनपदों में खोले गये हैं यथा–लखनऊ (बैंक ऑफ बड़ौदा), रायबरेली

एवं कन्नौज (इलाहाबाद बैंक), जनपद शामली (पंजाब नेशनल बैंक) में, संबंधित अग्रणाी बैंक द्वारा आरसेटी संस्थान की स्थापना लम्बित है।

विगत् वर्षो में आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान किये जाने पर बल दिया गया व वर्तमान के 42 प्रतिशत क्रेडिट लिंकेज को राष्ट्रीय औसत (50 प्रतिशत) तक अतिशीघ्र पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कोविड–19 महामारी के कारण प्रदेश में कार्यरत समस्त आरसेटी में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूप से बाधित था। नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार अब सभी आरसेटी मे प्रशिक्षण पूर्व की भाँति आयोजित किये जा सकेगे'।

****

अध्याय–4
कृषि, वन एवं पर्यावरण

मुख्य बिन्दु–

- किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की गयी है एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया।
- उत्तर प्रदेश, किसानों को देय अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।
- वर्ष 2018–2019 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604 लाख 15 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है।
- कृषि श्रमिको की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 1 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, आजमगढ़ तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, लखीमपुर–खीरी में पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
- प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

कृषि, देश एवं प्रदेश, दोनों अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिये प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ ही फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर क्षेत्र विशेष हेतु विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन–स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठाया जा सके।

उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बडा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस राज्य के चार पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो तराई, गंगा के मैदान, भाभर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसमें 18 मंडल और 75 जिले हैं। इस राज्य में छः स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं–भाभर मृदा, तराई मृदा, विंध्य मृदा, बुंदेलखंड मृदा, अरावली मृदा और जलोढ मृदा हैं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के नौ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस राज्य की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है और लगभग 66 प्रतिशत आबादी खेती और इसकी सहायक गतिविधियों से आजीविका कमाती है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेंहूँ, मक्का, धान, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है।

प्रदेश मे देश का लगभग 21 प्रतिशत खाद्यान्न, 10.8 प्रतिशत फल और 15.4 प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन होता है। वर्ष 2019–20 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में 25.3 प्रतिशत एवं स्थायी भावों पर 23.0 प्रतिशत का योगदान है।

तालिका–4.01
सकल राज्य मूल्य वर्धन मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान

(स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड़ मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2012–13	**198113**	**4.4**	**27.7**
2013–14	**197869**	**–0.1**	**26.2**
2014–15	**196024**	**–0.9**	**25.1**
2015–16	**208267**	**6.2**	**24.4**
2016–17	**220267**	**5.8**	**23.1**
2017–18	**239728**	**8.8**	**24.1**
2018–19	**248296**	**3.6**	**23.5**
2019–20	**252993**	**1.9**	**23.0**

स्रोतः– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

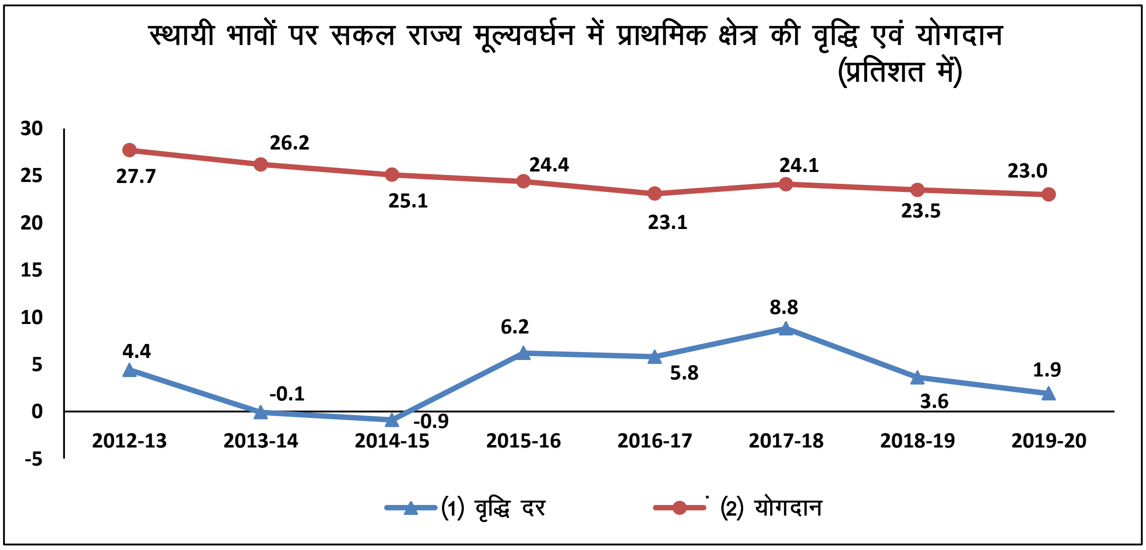

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये है, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आंकलित किये जाते थे। विगत् वर्षों मे प्राथमिक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है।–

तालिका–4.02
प्राथमिक उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर

(आधार वर्ष 2011–12)

क्र.सं	उप–खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर प्रतिशत					
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	–2.0	5.0	5.5	2.6	4.5	2.0
2	फसलें	–5.4	4.9	6.6	3.8	4.1	1.4
3	पशुधन	5.6	3.7	3.4	0.5	6.5	3.7
4	वानिकी और लट्ठा बनाना	1.2	11.5	0.1	–0.3	–0.3	0.1
5	मत्स्ययन और जलीय कृषि	6.4	2.1	22.4	1.8	5.3	5.5
6	खनन और उत्खनन	28.2	32.4	9.5	105.8	–3.8	0.8
	क–प्राथमिक (1+6)	–0.9	6.2	5.8	8.8	3.6	1.9

वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी भावों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि जो वर्ष 2014–15 में –0.9 प्रतिशत था, वह वर्ष 2019–20 में 1.9 प्रतिशत रही है। वर्ष 2019–20 मे प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत सर्वाधिक योगदान मत्स्ययन और जलीय कृषि मे रहा है।

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उप–खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में क्रमशः –5.4, 4.9, 6.6, 3.8, 4.1 तथा 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में क्रमशः 1.2, 11.5, 0.1, (–) 0.3 , (–) 0.3 तथा 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में क्रमशः 5.6, 3.7, 3.4, 0.5, 6.5 तथा 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में क्रमशः 6.4%, 2.1%, 22.4% ,1.8%, 5.3% तथा 5.5% की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा के0 सां0 कार्या0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में क्रमशः 28.2, 32.4, 9.5, 105.8, (–) 3.8 तथा 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में वर्ष 2014–15 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.98 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2017–18 में 0.56 प्रतिशत घटकर 164.42 लाख हेक्टेयर हो गया। प्रदेश में विभिन्न वर्षों में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका–4.03 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–4.03
प्रदेश में भूमि उपयोग के आँकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	मद	2001–02	2009–10	2014–15	2017–18
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24202	24170	24170	24170
2	वन	1689	1662	1659	1671
3	ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	595	494	462	444
4	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2514	2801	3046	3163
5	कृषि अयोग्य भूमि	518	431	405	389
6	स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	71	65	65	66
7	अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	355	360	305	283
8	वर्तमान परती	1026	1232	1122	1061
9	अन्य परती	624	537	509	552
10	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	16812	16589	16598	16542
11	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	8635	8851	9549	10322
12	कुल बोया गया क्षेत्रफल	25447	25440	26147	26864

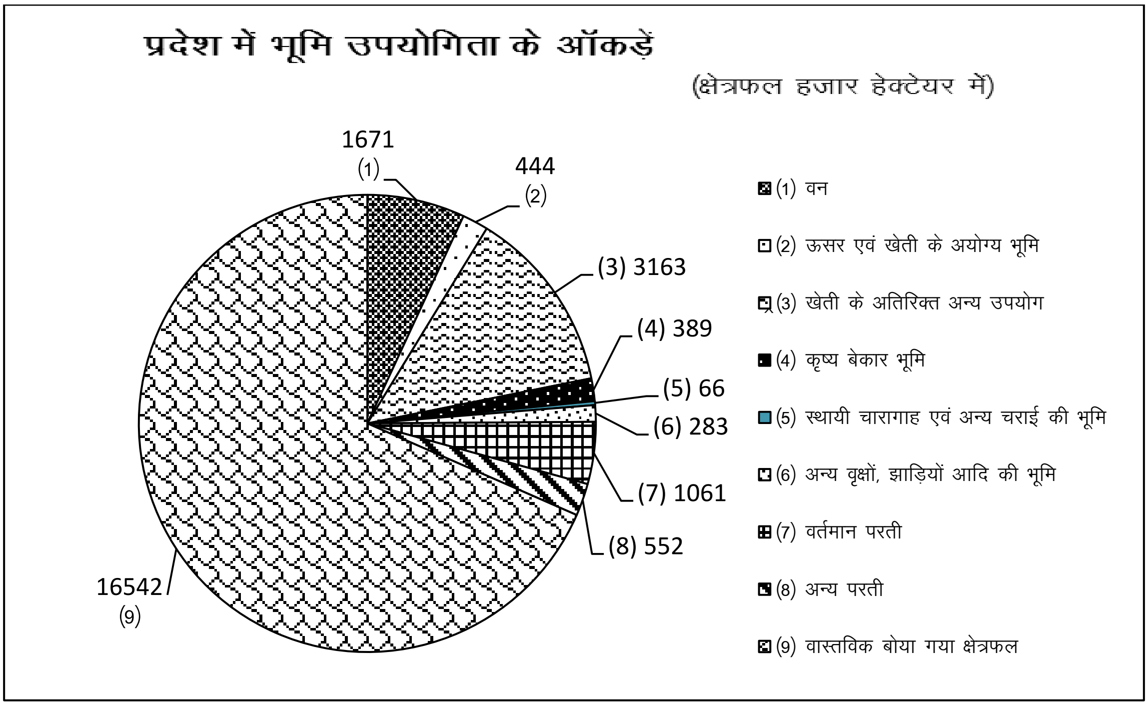

जोतों का आकार–

कृषि गणना 2010–11 के आंकड़ों से विदित होता है कि प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5 था, जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है–

तालिका–4.04
प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0 में)	2000–01		2015–16	
	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)
1	2	3	4	5
1.0से कम	16658.9 (76.9)	6647.7 (37.0)	19100 (80.2)	7298 (41.8)
1.0–2.0	3087.1 (14.2)	4365.8 (24.3)	3008 (12.6)	4175 (23.9)
2.0–4.0	1427.1 (6.6)	3905.6 (21.7)	1314 (5.5)	3560 (20.4)
4.0–10.0	463.0 (2.1)	2579.9 (14.03)	377 (1.6)	2075 (11.9)
10.0 और अधिक	32.1 (0.2)	484.3 (2.7)	23 (0.1)	343 (2.0)
योग	21668.2 (100.0)	17983.3 (100.0)	23822 (100.0)	17450 (100.0)

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
नोटः–कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित हैं।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति–

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में कृषको की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है–

तालिका–4.05
प्रदेश में कर्मकरों का विवरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या 2001	2011	कर्मकरों का प्रतिशत 2001	2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		539.84	658.15	100.0	100.0

तालिका–4.06
वर्ष 2018–19 मे प्रमुख फसलों के योगदान मे प्रदेश की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0 टन में)				उत्पादकता (कु0 / हे0)		
	प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	श्रेणी	प्रदेश	भारत	श्रेणी
चावल	159.32	1164.20	13.34	द्वितीय	27.03	26.59	7वॉ
गेहूँ	380.40	1021.90	32.04	प्रथम	38.60	35.07	4था
दलहन	24.08	234.00	10.24	तृतीय	10.51	8.06	2वॉ
खाद्यान्न	604.15	2849.50	19.17	प्रथम	30.23	22.99	6ठॉ
तिलहन	13.31	322.60	4.13	पांचवां	10.80	12.65	9वॉ

तालिका 4.06 से स्पष्ट है, कि प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है।

तालिका 4.07 से स्पष्ट है, कि प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से कम है। वर्ष 2019–20 में उत्पादन, खपत व उपलब्धता निम्नवत् रही –

तालिका–4.07
वर्ष 2019–20 मे उत्पादन, खपत व उपलब्धता की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन)	खपत (लाख मी0टन)	अधिक / कमी (लाख मी0टन)	आवश्यक (ग्राम / व्यक्ति / दिन)	उपलब्धता (ग्राम / व्यक्ति / दिन)
चावल	169.48	117.50	51.98	133.99	207.60
गेहूँ	362.10	249.76	112.34	284.82	441.28
धान्य फसलें	577.18	398.12	179.06	454.00	703.39
दाल	24.43	64.09	–39.64	85.00	29.80
खाद्यान्न	601.63	462.20	139.43	539.00	733.19
तिलहन	14.89	39.21	–26.18	19.18	6.11

वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2019–20 में प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की निम्नवत् रही –

तालिका–4.08
प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

(इकाई–आच्छादन–लाख हे0, उत्पादन– लाख मी0टन एवं उत्पादकता– कु0 / हे0)

क्र0सं0	फसल	2000–01			2019–20		
		आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	चावल	59.04	116.72	19.77	58.99	169.48	28.73
02	गेहूँ	92.39	251.68	27.24	98.53	362.10	36.75
03	धान्य फसलें	176.16	405.76	23.03	177.67	577.37	32.50
04	दलहन	26.92	21.61	8.03	23.70	24.47	10.32
05	खाद्यान्न फसलें	203.08	427.37	21.04	201.37	601.84	29.89
06	तिलहन	8.92	7.10	8.25	12.06	13.05	8.91

तालिका–4.09
गत् वर्ष (2018–19) के सापेक्ष वर्तमान वर्ष (2019–20) में वृद्धि/कमी प्रतिशत में

क्र0सं0	फसल	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	धान	+0.07	+6.38	+6.29
02	गेहूँ	–0.03	–4.81	–4.79
03	धान्य फसलें	+0.41	–0.46	–0.85
04	दलहन	+3.26	+2.09	–1.81
05	खाद्यान्न फसलें	+0.76	–0.38	–1.12
06	तिलहन	–2.19	–19.23	–17.50

उर्वरक–

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में उपयोग वांछित है। प्रदेश में वर्ष 2016–17 में कुल 8950 हजार मी0 टन रासायनिक उर्वरकों की खपत का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 10391 हजार मी0 टन रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की गयी। वर्ष 2019–20 में लक्ष्य बढ़कर 9234 हजार मी0 टन एवं पूर्ति 8631 हजार मी0 टन हो गया। विभिन्न वर्षों मे रासायनिक उर्वरकों की खपत के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नवत है:–

तालिका–4.10
रासायनिक उर्वरकों की खपत

उर्वरक(000मी0 टन में) कृषि रक्षा रसायन (मी0 टन/कि0ली0 में)

कार्यक्रम	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
खरीफ	4000	4575	3850	4124	4100	4131	4600	3553
. रबी	4950	5816	5200	5203	5165	5483	4634	5078
कुल योग (खरीफ+रबी)	8950	10391	9050	9327	9265	9614	9234	8631
कृषि रक्षा रसायनों का वितरण	17870	15362	18140	18466	18440	16703	19240	10247

रासायनिक उर्वरकों का वितरण

विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। प्रदेश में वर्ष 2018–19 में 47.22 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया, जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 52.70 लाख मी0 टन हो गया। प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण तालिका–4.11 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.11
प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(हजार मी0 टन में)

मद	2001–02	2011–12	2016–17	2018–19	2019–20
1	2	3	4	5	6
नाइट्रोजन(एन0)	2465	3067	2890	3481	3804
फास्फेट(पी0)	708	1024	1134	1051	1263
पोटाश(के0)	87	167	238	190	203
योग	3260	4258	4261	4722	5270

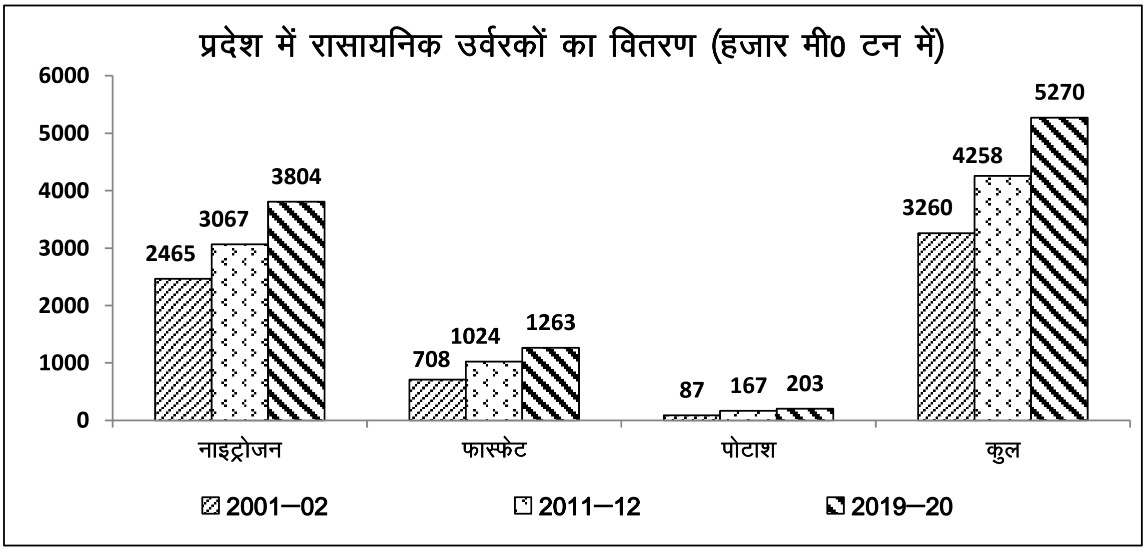

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि, उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया, वहीं वर्ष 2016–17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल, वर्ष 2017–18 में 5614.08 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5468.17 हजार कुन्तल, वर्ष 2018–19 में 5622.12 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2019–20 में 5764.64 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5919.88 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। प्रमुख कृषि बीजों के लक्ष्य एवं आपूर्ति का विवरण निम्नलिखित हैः–

तालिका–4.12
प्रदेश में बीज वितरण

(हजार कु0 में)

कार्यक्रम	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1. धान	887.00	843.42	681.00	683.44	690.00	698.46	700.00	706.75
2. अन्य खरीफ	216.00	193.20	121.07	113.88	120.17	115.68	114.64	119.09
3. कुल खरीफ	**1103.00**	**1040.60**	**802.07**	**797.32**	**810.170**	**814.14**	**814.64**	**825.85**
4. गेहूँ	3990.00	3646.16	4350.00	4218.78	4350.00	4487.60	4500.00	4635.96
5. अन्य रबी	460.00	406.83	462.01	452.07	462.01	439.78	450.00	458.07
6. कुल रबी	**4450.00**	**4052.99**	**4812.01**	**4670.85**	**4812.01**	**4927.39**	**4950.00**	**5094.03**
योग(खरीफ+रबी)	**5553.00**	**5093.59**	**5614.08**	**5468.17**	**5622.12**	**5741.53**	**5764.64**	**5919.88**

गत्वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण

- वर्ष 2019–20 में कुल 59.20 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है। जिसमें खरीफ में 8.26 लाख कुन्तल एवं रबी में 50.94 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।
- वर्ष 2019–20 में कुल 92.34 लाख मी0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ में 35.53 लाख मी0टन एवं रबी में 50.78 लाख मी0टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2020–21 में उर्वरक वितरण का 61.50 लाख मी0टन का लक्ष्य रखा गया है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया, इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

- वर्ष 2019–20 में कुल 128292.05 करोड़ रु0 फसली ऋण वितरण का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ में रु0 38298.17 करोड़ एवं रबी के अन्तर्गत रु0 69169.92 करोड़ (कुल रु0 107468.09 करोड़)) का फसली ऋण वितरण किया गया, जो लक्ष्य का 83.77 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में कुल रु0 139555.05 करोड़ का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- वर्ष 2019–20 में 44.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 57.62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2020–21 में कुल 59.18 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

प्रदेश के लगभग 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा मार्च 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष मार्च 2017 तक की अवशेष राशि में से रू0 एक लाख तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था हेतु कुल रू0 36000 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया। योजनान्तर्गत कुल 4520321 अर्ह कृषकों के बैंक खातों में कुल रू0 25215.22 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

प्रदेश के समस्त लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ किया जाना

वर्ष 2017–18 में बैंकों के माध्यम से तीन चरणों में कुल 34.80 लाख अर्ह किसानों का कुल रू0 20942.22 करोड़ का भुगतान मार्च, 2018 तक किया गया। इसके अतिरिक्त एन.पी.ए. समाधान योजनान्तर्गत कुल 1.26 लाख कृषकों को आच्छादित करते हुए रू0 149.83 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी। वर्ष 2018–19 में एन0पी0ए0 समाधान योजना एवं फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत 8.48 लाख पात्र/लाभार्थी कृषकों का रू0 3730.07 करोड़ ऋण मोचन किया गया। इस प्रकार अद्यतन कुल 44.54 लाख कृषकों का कुल रू0 24822.12 करोड़ का ऋण मोचन किया गया।

वर्ष 2019–20 में जनपद स्तर पर प्राप्त ऑफलाइन शिकायतों के अन्तर्गत 1.18 लाख कृषकों की रू0 704.08 करोड़ की डिमाण्ड जेनरेट की गयी है, जिसमें 56 जनपदों के 66257 किसानों को अब तक रू0 393.92 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 45.20 लाख किसानों को रू0 25215.22 करोड़ का ऋण मोचन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0–किसान) योजना

वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत 185.75 लाख कृषकों को प्रथम किस्त के रूप में रु0 3715.03 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी। प्रथम किस्त से लाभान्वित कृषकों में से 171.05 लाख को द्वितीय किस्त के रूप में रु0 3420.93 करोड़ तथा द्वितीय किस्त से लाभान्वित 149.92 लाख कृषकों को तृतीय किस्त के रूप में रू0 2998.36 करोड तथा तृतीय किस्त में लाभान्वित 77.29 लाख कृषकों को चतुर्थ किस्त के रूप में रू0 1545.76 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 11680.08 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

प्रधानमंत्री किसान मान–धन (पी0एम0–के0एम0वाई0) योजना

वर्ष 2019–20 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरूष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रू0 3000/माह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। यह एक स्वैछिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें सम्मिलित होने की आयु 18 से 40 वर्ष तक है। अब तक 239050 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें पुरूष 75.01 प्रतिशत एवं महिला 24.99 प्रतिशत हैं। इस योजना में 18–25 आयु वर्ग के 23.67 प्रतिशत, 26–35 आयु वर्ग के 49.84 प्रतिशत तथा 36–40 आयु वर्ग के 26.49 प्रतिशत लाभार्थी हैं।

- कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। इस समस्या के स्थायी निदान के उपाय स्वरूप

जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015–16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र में दिसम्बर, 2019 तक कुल 368.37 लाख कार्ड उपलब्ध कराये गये। इसी क्रम में वर्ष 2019–20 से मॉडल ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 2.55 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स का वितरण किया गया।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार) भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर, महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उपज के अन्तर को कम करते हुऐ किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।

- वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की उप–योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्द्धक आँकड़ें प्राप्त हो रहे है।

- प्रदेश में गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों के साथ–साथ वर्ष 2019–20 से तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु सम्मिलित किया गया है।

- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी सब–मिशन यथा– सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब–मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं नेशनल ई–गवर्नेस प्लान एग्रीकल्चर, मिशन से संचालित किये जा रहे है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना एवं राज्य सिंचाई योजना तैयार कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ भूमि जल स्तर को ऊपर उठाने तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में वाटरशेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो के द्वारा जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर, उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके चार मुख्य घटक है–

1. त्वरित सिचांई लाभ परियोजना
2. हर खेत को पानी
3. प्रति बूँद अधिक फसल
4. जलागम विकास।

नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक है :

अ– रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)

ब– मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस0एच0एम0)

1– स्वायल हेल्थ

2– स्वायल हेल्थ कार्ड

स– परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0)– नमामि गंगे

- **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स–** भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित इम्प्रूवमेन्ट आफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स स्कीम के अन्तर्गत टी0आर0एस0 एवं आई0सी0एस0 योजना का संचालन किया जा रहा था। उक्त दोनों योजनाओं को इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स में संविलीन कर संचालित किया जा रहा है।

- **प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना–** इस योजना के माध्यम से कृषकों को खरीफ एवं रबी फसलों की गुणवत्ता युक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे है। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वहन किया जाता है।

- **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना–**देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ–साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों के आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।

- **अटल सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना–**गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

- **कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना–** कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं ''वन स्टाप शॉप'' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही है।

- **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना–** रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के दुष्प्रभावों को कम करने हेतु चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- **कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना/डी0बी0टी0 योजना–** किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत कृषि निवेश प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकृत कृषकों को ही विभाग द्वारा अनुदान एवं अन्य सुविधा देय है। डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि नकद स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत कृषक के खाते में तीन दिन के अन्दर धनराशि अन्तरित की जा रही है।

भूमि संरक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं–

- **नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना** को भविष्य की चुनौतियों एवं घटते जल स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।

- **प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना–** मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

- भूमि एवं जल संरक्षण में आर0ए0डी0 योजना तथा नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया जाता है।

- **अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी–क्रिटिकल विकासखण्डों** में जल की समस्या के आलोक में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने तथा कम जल से

अधिक क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराते हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए वर्मीकम्पोस्ट यूनिट स्थापना की योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।

- विगत वर्षों से प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसे गतिशील बनाये रखने के लिए कृषि उत्पादन की नवीन तकनीक को ससमय कृषकों तक पहुँचाना, सामयिक कृषि संसाधन व्यवस्था हेतु मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ में गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठियों में कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिक तथा प्रदेश स्तर के अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लेकर कृषकों के हितोपयोगी बनाया जाता है।

- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की सम–सामयिक समस्याओं के निदान, अद्यतन पद्धति एवं तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु कृषि एवं पशुपालन मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है तथा इसे कृषकों के मध्य रू0 24 मात्र के वार्षिक मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

- कृषि की सम–सामयिक समस्याओं के निदान एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु **मासिक बुलेटिन "कृषि चिन्तन"** का प्रकाशन किया जा रहा है। इस बुलेटिन को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों, विभागीय कर्मचारियों, प्रगतिशील कृषकों एवं जन–प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रहा है।

- कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु **रबी 2017–18** से एक अनूठी **किसान पाठशाला (द मिलियन फार्मर्स स्कूल)** का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें 10 लाख से अधिक कृषकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दो सत्रों के माध्यम से कृषि, उद्यान, गन्ना, रेशम, विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
- कृषि विभाग की बेबसाइट **"यूपी.एग्रीपारदर्शी.जीओवी.इन"** एवं **"यूपीपारदर्शी मोबाइल ऐप"** के नाम से संचालित है। कृषक इस वेबसाइट पर जाकर कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते है एवं कृषि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी को देखकर उसका लाभ उठा सकते है।

नई प्रस्तावित योजना–

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–** भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना : प्रतिकूल मौसम मे फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के

उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औधानिक फसलों यथा केला एवं मिर्च को अधिसूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।

तालिका–4.13

फसल बीमा योजनाओं का प्रगति विवरण

क्र0सं0	विवरण	इकाई	वर्ष 2019–20		
			खरीफ	रबी	योग
1	**बीमित कृषक**	लाख	23.89	23.32	47.21
2	**बीमित क्षेत्रफल**	लाख हे0	18.90	18.09	36.99
3	**बीमित धनराशि**	करोड़ रू0	7970.48	9229.31	17199.79
4	**प्रीमियम**	करोड़ रू0			
	कृषक		159.41	161.90	321.31
	राज्यांश		279.87	214.36	494.23
	केन्द्रांश		279.87	214.36	494.23
	योग		719.15	590.62	1309.77
5	**लाभान्वित कृषक**		6.12	3.07	9.19
6	**क्षतिपूर्ति**	करोड़ रू0	780.77	255.05	1035.82

तालिका–4.14

कृषि विभाग का आय व्ययक अनुमान

वर्ष	बजट प्राविधान			व्यय			व्यय प्रतिशत		
	आयोज नागत	आयो जनेत्तर	ऋण मोचन	आयोज नागत	आयो जनेत्तर	ऋण मोचन	आयोज नागत	आयो जनेत्तर	ऋण मोचन
2016–17	2579.15	1439.68	–	1517.08	1206.36	–	58.82	83.79	–
2017–18	2792.13	1504.76	36000	1647.27	1352.97	21142.9	59.00	89.91	58.73
2018–19	2978.83	1900.09	5500	1939.39	2885.55	3733.9	65.11	151.86	67.89
2019–20	3014.95	2616.51	600	1799.97	2427.91	411.3	59.7	92.8	68.5
2020–21 नव.2020	3252.04	2670.53	317	258.84	1147.63	–	7.9	43.0	–

नोट–चालू वित्तीय वर्ष से सरकार द्वारा बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

पेराई सत्र 2019–2020 मे 119 चीनी मिले संचालित हैं, जिनके द्वारा 552 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुये 60 लाख 26 हजार टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। प्रदेश में कुल स्थापित 50 आसवनियों द्वारा दिसम्बर, 2019 तक 50 करोड़ 54 लाख लीटर एथनॉल की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है।

गन्ना की आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल, रमाला (बागपत) की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 टी.सी.डी. की गई तथा इसके साथ 27 मेगावॉट को–जेन संयंत्र लगाया गया, जिसका लोकार्पण 04 नवम्बर, 2019 को किया जा चुका है। मोहिउद्दीन–मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5,000 टी.सी.डी. तक बढ़ाया जा सकता है। सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, बिजनौर में 40 के.एल.पी.डी. और सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ में 30 के.एल.पी.डी. क्षमता की 02 नई डिस्टलरियाँ लगायी गयीं। बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच, गोरखपुर एवं मुण्डेरवा, बस्ती के स्थान पर 5 हजार टी0सी0डी0 की 2 नई चीनी मिलें और 27 मेगावॉट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, के प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का विवरण

- भारत सरकार द्वारा निर्गत अध्यादेश जून, 2020 के क्रम में मण्डी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह लाईसेन्स व मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को तत्काल बेच सकतें हैं।

- कोरोना काल के दौरान फल एवं सब्जियों के कृषकों के हितार्थ 45 कृषि जीन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त किया गया, ताकि कृषकों को विपणन में सुविधा रहे।

- मण्डी परिषद की आय को बढ़ाने के लिए नियमित समीक्षा द्वारा तथा कर चोरी पर लगाम के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019–2020 में मण्डी समितियों की कुल आय रू0 1997.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020–2021 के जुलाई, 2020 तक मण्डी समितियों की कुल आय रू0 430.00 करोड़ हुई।

- गड्ढामुक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से जून, 2020 तक 10136 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, रू0 1228.45 करोड़ की लागत से मण्डी परिषद द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से पूरी तरह से नवीनीकृत/ब्लैक टाप कर दिया गया है।

- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) के अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–2021 में लगभग रू0 250.00 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है।

- मण्डी समितियों के आन्तरिक कार्यो को भी ऑनलाईन करने की दिशा में ई–मण्डी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–2021 में लगभग 07 हजार ई–लाईसेन्स एवं 07 लाख से अधिक प्रवेश पर्ची, 6 आर, 9 आर तथा अन्य ऑनलाईन पर्चियां निर्गत की गयीं।

- प्रदेश में जुलाई, 2020 में **''वृक्षारोपण अभियान''** चलाकर 16 लाख पौधे रोपड़ हेतु कृषकों को निःशुल्क वितरित किये गये।

- **''मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना''** (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2019–2020 में रू0 37.81 करोड़ आवंटित करते हुए 20,850 कृषकों एवं वित्तीय वर्ष 2020–2021 जून, 2020 तक में रू0 3.80 करोड़ से भी अधिक की धनराशि आवंटित करते हुए 2,899 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा पल्लेदारों/श्रमिकों के बैंक खातों में रू0 1000.00 हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 20,000 से अधिक श्रमिकों की सूचना नगर निगम व अन्य जनपदीय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया।

वन एवं वन्य जीव संरक्षण

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन, दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,148 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–4.15
प्रदेश के वन–एक दृष्टि में (क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में)

अ: वन क्षेत्र	
1–प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	**2,40,928**
2–अभिलिखित वन क्षेत्र	**16,582**
क–आरक्षित वन क्षेत्र	**12,070**
ख–संरक्षित वन क्षेत्र	**1,157**
ग–अवर्गीकृत वन क्षेत्र	**3,355**
3–वनावरण	**14,806**
क–अति घना वन क्षेत्र	**2,617**
ख–घना वन क्षेत्र	**4,080**
ग–खुला वन क्षेत्र	**8109**
4–वृक्षावरण	**7,342**
5–वनावरण एवं वृक्षावरण	**22,148**
6–भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	**9.19**
ब: वन्य जीव परिरक्षण	
1–प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	**1**
2–प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	**26**
3–आरक्षित संरक्षण क्षेत्र	**1**
4–प्रदेश में प्राणि उद्यान '	**4**

स्रोतः– स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019

प्रदेश में वर्ष 2017–18 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.71 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल, प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.09 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में 127 वर्ग किमी वनावरण एवं वृक्षावरण मे वृद्धि हुई है। यह मुख्य रुप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षावरण के कारण हुई है।

जैव विविधता

राज्य सरकार जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सतत् प्रयासरत है। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के दृष्टिकोण से जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 4 प्राणि उद्यानों की स्थापना की गयी है। वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद **गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान** का निर्माण, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है।

गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन सामान्य को वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(क) वानिकी एवं वन्यजीव योजनाएं

प्रदेश में कार्यान्वित हो रही वृक्षारोपण की मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न हैः–

1. सामाजिक वानिकी

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा–अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। वर्ष 2019–20 में रू0 401.10 करोड़ व्यय कर 29883 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में रू0 250.56 करोड़ व्यय कर 26334 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का अनुमान है।

2. शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2019–20 में रू0 500.00 लाख व्यय कर 9 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में रू0 500.00 लाख व्यय का अनुमान है।

3. हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। पर्यावरण सुधार से समस्त प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा।

वर्ष 2018–19 में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रू0 16556.43 लाख, हरित पटटी विकास योजना के अन्तर्गत रू0 171.06 लाख व्यय किये गये।

4–टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में रू0 948 लाख वृक्षारोपण हेतु व्यय किये गये। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 251.13 लाख के व्यय का अनुमान है।

5–वनावरण संवर्घन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्घन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में इस योजना में रू0 290.56 लाख व्यय कर पौध रोपण किया गया है। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत रू0 16.90 लाख के व्यय का अनुमान है।

6–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 2000–01 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जन मानस को वनों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के कार्य से जोड़ने हेतु प्रदेश के प्रत्येक प्रभाग में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जनपद स्तर पर गठित वन विकास अभिकरण (एफ0डी0ए0) के द्वारा अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 111.81 लाख व्यय किया गया है जिससे 314 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 से यह योजना ग्रीन इण्डिया मिशन में समायोजित कर दी गयी है। वर्ष 2020–21 में रू0 1500 लाख प्राविधान किया गया है।

7–गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के गौरा हरदो में वन विहार (पार्क) के निर्माण हेतु ''गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास'' योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2019–20 में अनुमानतः रू0 56.49 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 में रू0 56.49 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

8–जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की योजना

मऊ जनपद के एक मात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार करके यहां की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी।

इस योजना हेतु वर्ष 2019–20 में अनुमानतः रू0 100.00 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

9–बर्ड फेस्टिवल का आयोजन

पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2019–20 में अनुमानतः रू0 100.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

10–नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणि उद्यान में तितली पार्क का निर्माण

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणि उद्यान में इस तितली पार्क के माध्यम से जन–मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जायेगी। इस योजना में लखनऊ प्राणि उद्यान में वर्ष 2017–18 में रू0 24.76 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 11.63 लाख व्यय किया गया।

इस योजना हेतु कानपुर प्राणि उद्यान में वर्ष 2019–20 में अनुमानतः रू0 40.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में रू0 40.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

11–नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जर्वेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी प्रबन्ध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुँचाना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 457.00 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 में अनुमानतः रू0 800.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

12–वेटलैण्डस का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास

प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर–पतवार निकालना, पौधा रोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस योजना में वर्ष 2019–20 में अनुमानतः रू0 50.00 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 में रू0 50.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

(ख) वन्यजीव परिरक्षण योजनाएं

1–प्रोजेक्ट टाइगर

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी संयुक्त रूप से ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजनान्तर्गत लाया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 2289.15 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 में रू0 2984.42 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

2–इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना हेतु वर्ष 2019–20 में अनुमानतः रू0 811.22 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में रू0 1500.00 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

3–प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

यह योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व''चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों, मानव–वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 76.95 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में रू0 80.51 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

4–मयूर संरक्षण केन्द्र का विकास

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 19.54 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में रू 00.92 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

5–ईको पर्यटन का विकास

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जहां प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो।

इस योजनार्न्तगत वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 दोनों वर्षों में रू0 10.29 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 10.29 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

6–गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

इस योजना में वर्ष 2019–20 में रू0 10000.00 लाख अनुमानतः व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में रू0 4000.0 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

प्रदेश में वर्ष 2019–20 में 180 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 20 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी, 47 हजार कौड़ी बांस तथा 189 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण तालिका–4.16 में दर्शाया गया है –

तालिका–4.16
प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20#
1	3	4	5	6
1–**इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	174	159	174	180
(क) साल	18	15	17	18
(ख) सागौन	7	6	6	9
(ग) शीशम	16	20	18	19
(घ) खैर	3	3	4	5
(च) असना	1	1	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	71	68	63	71
(ज) विविध	58	46	65	57
2–**जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)**	1	0	23	20
3–**बांस (हजार कौड़ी)**	52	12	37	47
4–**तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	180	253	176	189
5–**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	1	1	0	0

 # अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 में असना को छोड़कर इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में वर्ष 2018–19 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

****

अध्याय–5
पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

मुख्य बिन्दु–

- वर्ष 2019–20 में प्रदेश मे 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु पीसीडीएफ व एनडीडीबी द्वारा विकसित टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारम्भ किया गया है। पीसीडीएफ द्वारा विकसित इस जांच प्रणाली को एनडीडीबी द्वारा मिल्क डे (1 जून, 2018) पर इनोवेशन एवार्ड दिया गया।
- मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद व झांसी में विटामिन ए व डी युक्त फोर्टीफाइड पराग दुग्ध का विक्रय प्रारम्भ कराया गया है।
- प्रदेश के 5 जनपदों में पायलट बेस पर दुग्ध पट्टी पर पशु चिकित्सा सुविधा, दवाई आदि हेतु सी0एस0आर0 कॉल सेन्टर (1800 102 2017) स्थापित किये गये हैं।
- प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 शाहजहाँपुर में स्थापित किया गया है।

देश के भौगोलिक क्षेत्र के 7.3 प्रतिशत क्षेत्र को आवरित करने वाला उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बडा राज्य है, वहीं पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है।

दूध, पौष्टिकता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण आहार है, इसलिये इसे आदर्श आहार कहते है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है। वर्ष 2020–21 में लक्ष्य 401.00 लाख मी0टन0 के सापेक्ष जुलाई 2020 तक 101.90 लाख मी0टन0 दुग्ध उत्पादन किया गया है। वर्ष 2019–20 में 310 करोड अण्डों का उत्पादन किया गया था, वर्ष 2020–21 में 35000 लाख अण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई तक 9300.00 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है। मांस का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 1316.00 हजार मी0टन0 किया गया था एवं वर्ष 2020–21 में 1510 हजार मी0ट0 लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई तक 75.00 हजार मी0ट0 मांस का उत्पादन किया गया है।

तालिका–5.01
पशु उत्पाद की प्रगति

उत्पाद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 जुलाई 2020
दूध(लाख मी0ट0)	290.52	305.18	318.20	101.90
अण्डा(करोड़ संख्या)	243.98	261	310	93.0
ऊन(हजार कि0ग्रा0)	1299	1316	1316	337
मांस(हजार मी0ट0)	1151.12	1227.09	1020.00	75.00

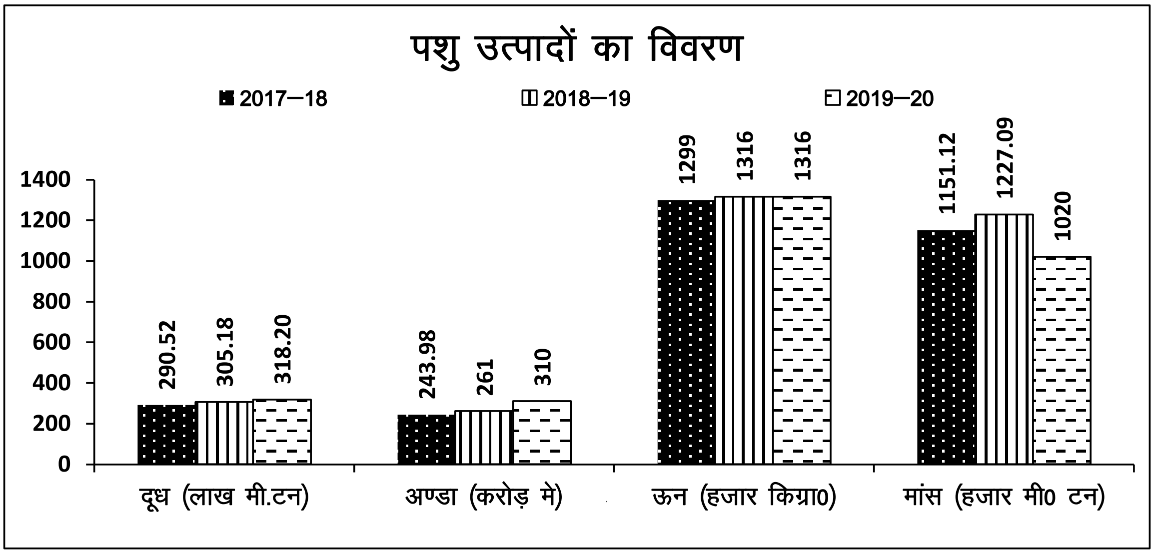

दृष्टिकोण–2030 में वर्तमान वृद्धिदर के अनुसार वर्ष 2030 तक पशु उत्पाद मे 340.5 लाख मी0टन दूध, 293.76 हजार मी0टन0 मांस एवं 28273 लाख अण्डों का उत्पादन सम्भावित है। वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता क्रमशः 330 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। अतः वर्ष 2030 तक 3 गुना उपलब्धता हेतु लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी।

पशुधन

गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, भेड़, सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकरण आदि कार्य नियमित रूप से किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में वृद्वि हो सके। पशुपालन सीधे किसानों के हित से जुड़ा है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने मे यह सहायक सिद्व होगा। वर्ष 2012 एवं 2017 की पशुगणनानुसार प्रदेश में पशुधन तालिका–5.02 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–5.02
प्रदेश में पशुधन (लाख में)

पशुधन	2012	2017	वृद्धि दर(प्रतिशत में)
गाय	205.66	202.04	(-)1.76
भैंस	306.25	330.17	7.81
भेड	13.54	9.85	(-)27.25
बकरी	155.86	144.80	(-)7.10
सूकर	13.34	4.08	(-)69.42
कुक्कुट	186.68	125.16	(-)32.95

प्रदेश में 2202 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 267 'डी' श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशुचिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

प्रजनन सेवाएं–

1.भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा (पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र)– भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी प्रजाति के उच्च उत्पादक गोवंशीय पशुओं की संख्या में त्वरित वृद्धि हेतु सांड़ो का उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद बरेली में स्थापित पशु उत्थान वर्णसंकर केन्द्र के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता के स्वदेशी मादा पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग करते हुए 1000 भ्रूण उत्पादन किया जाना है जिससे वर्ष 2022 तक लगभग 400 संतति प्राप्त होंगी जिनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 ली0 प्रति ब्यांत होगी। पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र पर स्वदेशी प्रजाति के 200 उच्च जनन क्षमता के सांड़ों का उत्पादन सम्भव होगा।

2.कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन में वृद्धि– प्रदेश में उ0प्र पशु प्रजनन नीति–2018 क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 174 लाख कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष जुलाई, 2020 तक 22.7 लाख किया गया है। वर्ष 2022 तक 180 लाख प्रजनन योग्य पशुओं को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। देशी गायों की साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गंगातीरी प्रजातियों से शत–प्रतिशत उन्नत प्रजनन आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एन0ए0आई0पी0) के द्वारा उच्च आनुवांशिक वीर्य के माध्यम से वृहद् स्तर पर पशुओं का नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। उच्च गुणवत्ता युक्त स्वदेशी गोवंशीय पशुओं के नस्लों का संरक्षण एवं सर्वधन किया जायेगा। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत फेज–1 में प्रत्येक जनपद के 300 ग्रामों का चयन किया गया है जहां पर कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत बढाये जाने हेतु 15.00 लाख पशुओं में निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष मई 2020 तक 6.60 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया है तथा 5.52 लाख ईनाफ पोर्टल पर फीडिंग की गयी। फेज–2 को 01 अगस्त 2020 से 31 मई 2021 तक संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जनपद में 500 ग्रामों का चयन किया गया है जहां पर कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम है। योजनान्तर्गत प्रति जनपद 50000 गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाना है।

तालिका–5.03

विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति **(लाख में)**

कार्यक्रम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (जुलाई, 2020 तक)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
कृत्रिम गर्भाधान	160.00	133.60	168.00	140.80	174.00	22.70
टीकाकरण	1613.44	1434.01	1613.44	1381.83	1660.24	159.19
चिकित्सा	333.98	375.45	333.98	399.96	353.13	106.19
बधियाकरण	27.50	23.51	29.83	29.42	30.18	6.19

3.बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा– चिकित्सालयों पर पदस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों को मोबिलिटी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त पशु को किसी बीमारी में त्वरित आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 774 विकास खण्डों (बुन्देलखण्ड को छोड़कर जहाँ बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत ये पूर्व से स्थापित हैं) में विकासखण्ड स्तर के पशुचिकित्सालय पर बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाएं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों

के पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बॉझपन निवारण, संक्रामक/महामारी की स्थिति में तत्काल रोकथाम आदि सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण

- **पेस्टडिस् पेटि्टस रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम–** भूमिहीन कृषक/पशुपालकों द्वारा जीविकोपार्जन/लघु व्यवसाय हेतु बकरियों एवं भेड़ों का पालन किया जाता है। इन पशुओं में प्रबल सम्भावना वाली विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी को महामारी के रूप में फैलने से रोकने हेतु पी0पी0आर0सी0पी0 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उक्त बीमारी से 90–95 प्रतिशत पशु प्रभावित होते हैं जिनके सापेक्ष 75 प्रतिशत पशुओं की मृत्यु होने की प्रबल सम्भावना होती है। प्रदेश के लक्षित पशुओं (भेड़ एवं बकरियों) को रोग मुक्त रखने के उद्देश्य से भारत सरकार के 60 प्रतिशत वित्त पोषण से उक्त योजना चलायी जा रही है।
- **पशुओं को कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्स्चर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराना–** पशुओं को समय से कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्स्चर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराने से दुग्ध उत्पादकता में तात्कालिक रूप से लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि सम्भावित होती है। योजनान्तर्गत कृमिनाशक की 2 खुराक एवं 3 कि0ग्रा0 मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2022 तक चरणबद्ध रूप से 250 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा।
- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मेलों का आयोजन–** सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक हेतु संचालित वाहनों द्वारा उन्नत पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाएं गावों में शिविर लगाकर निःशुल्क दी जा रही हैं। वर्ष 2019–20 में मण्डल स्तरीय मेलों में 37802 बड़े पशु तथा 50320 छोटे पशु पंजीकृत किये गये है जिसमें 26243 सामान्य चिकित्सा, 40782 पशुओं को कृ0ना0 दवापान, 1350 पशुओं की लघुशल्य चिकित्सा आदि कार्य प्रमुखतः से किये गये है। इसी प्रकार न्याय पंचायत स्तरीय मेलों में 742680 बडें पशु तथा 547627 छोटे पशु पंजीकृत किये गये है जिसमें 403492 सामान्य चिकित्सा, 648069 पशुओं को कृमिनाशक दवापान, 12806 पशुओं की लघुशल्य चिकित्सा आदि कार्य प्रमुखता से किये गये है। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के कारण शिविरों का आयोजन माह नवम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक संचालित कराया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्नत पशुपालन की क्षमता में विकास कर कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय पशुरोग नियत्रंण कार्यक्रम–पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारम्भ सितम्बर 2019 को पण्डित दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गो–अनुसंधान संस्थान, मथुरा में किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका–मुहपका टीकाकरण हेतु रूपये 209.036 करोड़ की कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी है। भारत सरकार द्वारा रू0 39.52 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कार्यक्रम अन्तर्गत बुस्लोसिस टीकाकरण हेतु रूपये 5.07 करोड़ की कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी है । टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए लगभग 43000 टीकाकरण कार्यकर्ताओं एवं लगभग 35000 सहायकों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर कर प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में गोवंश एवं महिषवंश के पशुधन की टैगिंग एवं उक्त की सूचना इनाफ पोर्टल पर अंकित करने का कार्य किया जा रहा है, अगस्त, 2020 तक 76.72 लाख पशुधन की टैगिंग करते हुए 47.69 लाख पशुधन का इनाफ पोर्टल (एन0ए0डी0सी0पी0) पर अंकन किया गया।

प्रदेश में खुरपका–मुहपका टीकाकरण का कार्यक्रम अगस्त, 2020 से प्रदेश के सीमांचल 28 जनपदों में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त टीकाकरण के सफल संचालन हेतु जनपदों को रूपये 6.94 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी। खुरपका–मुहपका नियत्रण हेतु 520.36 लाख

से अधिक पशुओं का टीकाकरण प्रत्येक चरण में किया जाना लक्षित है। ब्रुस्लोसिस रोग नियत्रण हेतु 4026129 लाख पशुओं में टीकाकरण किया जाना लक्षित है।

पशु आरोग्य मेलों का आयोजन –पशुपालकों को पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, लघु शल्य चिकित्सा के साथ–साथ अनुर्वरता (बॉझपन) से ग्रसित दुधारू पशुओं की पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा 18 मण्डल मुख्यालय पर आयोजन कर उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2019–20 में मण्डल स्तरीय मेलों में 37802 बड़ें पशु तथा 50320 छोटे पशु पंजीकृत किये गये है जिसमें 26243 सामान्य चिकित्सा, 40782 पशुओं को कृमिनाशक दवापान, 1350 पशुओं की लघुशल्य चिकित्सा आदि कार्य प्रमुखता से किये गये है। इसी प्रकार न्याय पंचायत स्तरीय मेलों में 742680 बड़ें पशु तथा 547627 छोटे पशु पंजीकृत किये गये है जिसमें 403492 सामान्य चिकित्सा, 648069 पशुओं को कृमिनाशक दवापान, 12806 पशुओं की लघुशल्य चिकित्सा आदि कार्य प्रमुखता से किये गये है। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के कारण शिविरों का आयोजन नवम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक संचालित कराया जाना प्रस्तावित है।

पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना – प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, सम्वर्धित तथा रोगमुक्त रखने में सरकार सतत प्रयत्नशील है। प्रदेश में पशुधन की सुरक्षा हेतु नवीन वैज्ञानिक तकनीक आधारित पशुचिकित्सा से यह आवश्यक है कि विभिन्न रोगों को त्वरित जाँच की व्यवस्था हो। पशुचिकित्साधिकारियों को उत्तम पशुचिकित्सा में औषधियों के चिह्नीकरण से बीमार पशुधन जल्दी ठीक होंगे तथा उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। बीमार पशुओं के तत्काल निदान होने से पशुपालकों पर आर्थिक बोझ भी नहीं आयेगा। 65–जनपदों के सदर–पशुचिकित्सालयों (जनपद–वाराणसी, आगरा, अयोध्या, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, झांसी, प्रयागराज, एवं गोरखपुर को छोड़कर, जहां पूर्व से ही मण्डलीय रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित/कार्यरत है) पर इनकी स्थापना के फलस्वरूप पशुपालकों के पशुओं को नवीन वैज्ञानिक तकनीक आधारित पशुचिकित्सा, पशुचिकित्साधिकारियों को रोगों की पहचान में सुलभता, क्षेत्र में प्रभावी रोग नियंत्रण क्षेत्र में किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोक आदि लाभ होंगे। वर्ष 2019–20 में उक्त समस्त पशुरोग निदान प्रयोगशालायें वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत कियाशील है।

गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं सम्वर्धन – प्रदेश में 20वी पशुगणना के अनुसार 11.84 लाख छुटटा/निराश्रित गोवंश हैं, इनके संरक्षण हेतु वर्ष 2017–18 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 5–5 पशु आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु कुल 10 लाख की धनराशि व्यय कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया तथा पशुओं को संरक्षित किया गया है।

चारागाह क्षेत्र

क्र0सं0	जोनवार क्षेत्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1-	पश्चिमी क्षेत्र	17985.00
2-	केन्द्रीय क्षेत्र	24521.00
3-	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	5105.00
4-	पूर्वी क्षेत्र	17838.00
	योग	65389.00

- वर्ष 2018–19 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 1–1 गोवंश वन्य विहार तथा शेष 68 जनपदों में 1–1 वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रति केन्द्र रू0 1.20 करोड़ की धनराशि से की गयी है तथा पशुओं को संरक्षित किया गया है।
- वर्ष 2019–20 में बुन्देलखण्ड के जनपदों में 16 गोवंश वन्य विहार तथा शेष 68 जनपदों में 96 वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रति केन्द्र रू0 1.20 करोड़ की धनराशि से की जा रही है।

- गोसंरक्षण केन्द्रों में मनरेगा के सहयोग से वर्मी कम्पोस्ट, हरा चारा उत्पादन, बाउण्ड्री वाल निर्माण, समतलीकरण, सौर उर्जा आदि कार्य कराये जा रहे है।

चारा एवं चारागाह विकास

- **चारागाह क्षेत्र**– प्रदेश में वर्ष 2013–14 में गोचर/स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि का विवरण निम्नवत् है–

  पश्चिमी क्षेत्र (30 जनपद) एवं पूर्वी क्षेत्र (28 जनपद) में गोचर भूमि लगभग बराबर है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र (7 जनपद) में मात्र 5105 हेक्टेयर भूमि है। सबसे अधिक गोचर भूमि केन्द्रीय क्षेत्र (10 जनपद) में उपलब्ध है। प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 65389 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गोचर भूमि अभिलेखों में अंकित है।

  इस प्रकार सभी स्रोतों से प्राप्त हरे चारे, सूखे चारे एवं दाने की आपूर्ति के बाद भी प्रदेश में पशुओं को खिलाने हेतु लगभग 740.37 लाख मी0टन हरा चारा (46.64 प्रतिशत), 141 लाख मी0टन सूखा चारा(17.26 प्रतिशत) एवं 348.82 लाख मी0टन दाने (82.78 प्रतिशत) की कमी रह जाती है। अतः हरे एवं सूखे चारे की कमी को पूरा करने हेतु लगभग 13.76 लाख हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल बोये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए लगभग 4.60 लाख कु0 चारा बीज की आवश्यकता है।
- **चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु पशुपालकों को चारा उत्पादन पैकेज**– चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रमुख समस्या कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का होना है। चारा उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालकों को **"चारा उत्पादन पैकेज"** अनुदान सहायता के रूप में दिये जाने की कार्य योजना है, जिससे प्रत्येक वर्ष 8000 हे0 अतिरिक्त भूमि पर चारा आच्छादन बढ़ाया जायेगा।
- **पशु संरक्षण एवं संर्वधन** –प्रदेश में देशी गोवंशीय प्रजातियों यथा–साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर, गंगातीरी गायों का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना अति आवश्यक है। देशी गोवंशीय प्रजातियां ग्लोबल क्लाईमेट चेन्ज की स्थिति में भी अधिक अनुकूलित होती हैं एवं कठिन परिस्थितियों में भी उत्पादन बहुत प्रभावित नहीं होता। इसी के दृष्टिगत पशुपालकों को इन प्रजातियों को पालने हेतु **'देशी गोवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन पैकेज'** दिये जाने का कार्यक्रम है। देशी गायों का इन्हीं पशु प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता सीमेन से शत–प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उ0प्र0 गो–संरक्षण एवं संवर्द्धन कोष

उ0प्र0 में गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष के गठन हेतु उ0प्र0 गोसंरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली–2019 प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत–

- गोवंश आश्रय स्थलों में आवासित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पालन पोषण, विकास कार्यों एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने की योजनाओं में सहयोग किया जायेगा।
- गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये प्रदेश के गोवंश आश्रय स्थलों में अस्थायी/अति आवश्यक प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाइयों/योजनाओं हेतु सहयोग किया जायेगा।
- दान व चन्दे, से सरकारी/गैर सरकारी संगठन से, मण्डी शुल्क/सेस की 2 प्रतिशत धनराशि, आबकारी विभाग द्वारा लगायी गयी 'स्पेशल फीस' या अन्य किसी स्रोत से नियमानुसार प्राप्त धनराशि से कोष की आय होगी।
- कोष में रु0 50 लाख की धनराशि आरक्षित रखी जाएगी जिसका उपयोग आपदाग्रस्त घोषित होने पर जिले में गोवंश के पालन पोषण के प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

प्रदेश में 20वी पशुगणना के अनुसार 11.84 लाख छुटटा/निराश्रित गोवंश है, इनके संरक्षण हेतु वर्ष 2017–18 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 5–5 पशु आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु कुल 10 लाख की धनराशि व्यय कर निर्माण कार्य पूर्ण कर पशुओं को संरक्षित किया गया है। वर्ष 2018–19 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 1–1 गोवंश वन्य विहार तथा शेष 68 जनपदों में 1–1 वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रति केन्द्र रू0 1.20 करोड की धनराशि से की गयी है तथा वर्ष 2019–20 में बुन्देलखण्ड के जनपदों में 16 गोवंश वन्य विहार तथा शेष 68 जनपदों में 96 वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रति केन्द्र रू0 1.20 करोड की धनराशि से कराया गया। गोसंरक्षण केन्द्रों में मनरेगा के सहयोग से वर्मी कम्पोस्ट, हरा चारा उत्पादन, बाउण्ड्री वाल निर्माण, समतलीकरण, सौर उर्जा आदि कार्य कराये जा रहे है।

- **गौ–संरक्षण की योजना–** निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में एक–एक वृहद् गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये रु0 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रु0 8160.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में ''गोवंश वन्य विहार'' की स्थापना के लिये रु0 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रु0 840.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन की योजना**

  बुन्देलखण्ड में पशुपालकों द्वारा गोवंशीय पशुओं को छुट्टा छोड़ दिया जाता है जो फसलों के लिए हानिकारक है, जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं। अन्ना प्रथा का मुख्य कारण क्षेत्र के गोवंशीय पशुओं का निम्न आनुवंशिक गुणवत्तायुक्त होना है। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों यथा झाँसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर एवं जालौन में अन्ना प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्न कोटि के बछड़ों का बधियाकरण, उच्चगुणवत्तायुक्त सांड़ों की उपलब्धता व उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

- **जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा**

  ऐसे पशुपालक जिनके परिवार की आजीविका पशुधन पर निर्भर है, उन्हें पशु बीमा कराने के फलस्वरूप पशु मुत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध एक सुरक्षा तंत्र प्राप्त होता है। योजनान्तर्गत बीमा प्रीमियम का बड़ा अंश, औसतन 75 प्रतिशत तक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है जबकि अवशेष हिस्सा पशुपालक द्वारा वहन किया जाता है। बीमा आच्छादन को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाया जाएगा।

कुक्कुट पालन– प्रदेश में 108 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है, जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते है। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते है। कुक्कुट मांस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर के चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे है। जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते है। क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गयी। पुनः उक्त नीति को 2022 तक बढाया गया है जिसके अन्तर्गत 90.00 लाख पक्षी पाले जाने का लक्ष्य है।

कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 पक्षी की एक इकाई) 353 इकाइयां क्रियाशील है। कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 308 इकाइयां क्रियाशील है। ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 36 इकाइयां क्रियाशील है जिनसे कुल 109.05 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन उत्पादन हो रहा हैं तथा 81340

व्यक्तियों को स्वरोजगार मिला है। नीति अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश में रू0 1059.24 करोड़ का निवेश हुआ है एवं 34.85 लाख अतिरिक्त चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहे हैं। प्रदेश में बैकयार्ड कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2022 तक भारत सरकार सहायतित रूरल बैकयार्ड योजनान्तर्गत 2500 मदर यूनिट स्थापित की जायेंगी।

पशुपालन द्वारा कोविड–19 में किये गये कार्य

- राजकीय एवं निजी पशुचिकित्सालयों के द्वारा अगस्त, 2020 तक 2665000 पशु–पक्षियों को आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी। पशुओं के आहार एवं पशु औषधि की उपलब्धता बनाये रखने हेतु निजी क्षेत्र की पशु आहार विक्रय इकाइयों एवं पशु औषधि स्टोर को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है।
- प्रदेश में 5098 गो संरक्षण केन्द्रों/स्थलों में कुल 511017 गोवंश संरक्षित किये गये है। पशुओं के भरण–पोषण हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से 715161 कु0 तथा दानदाताओं से प्राप्त 72405 कु0, कुल 787566 कु0 भूसा की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है। चारे–भूसे की उपलब्धता बनी रहे इस हेतु जनपदों में कुल 3444 भूसा बैंक भी स्थापित किया जा चुका है।
- लॉक डाउन अवधि में भी विभाग के सहयोग से अगस्त, 2020 को एस0पी0सी0ए0, पशु कल्याण संस्थाओं एवं नगर निकायों के माध्यम से कुल 35983 निराश्रित कुत्तों/पशुओं के आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी एवं विभिन्न जनपदों द्वारा गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में कुल 7672550 टैगिंग किया गया है। कुल 4769137 पशुओं का पंजीकरण इनाफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता

संपूर्ण आहार और बायोइण्डीकेटर के रूप में मछली जैविक पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। भारतवर्ष में 2200 तथा उ0प्र0 में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है (झींगा उत्पादन में प्रथम) जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30 प्रतिशत उत्पादन होता है। भारत वर्ष की जी.डी.पी में मत्स्य पालन का लगभग 01 प्रतिशत योगदान है। उ0प्र0 की जी.एस.डी.पी में मत्स्य उद्योग का योगदान लगभग 0.4% है जबकि कृषि सेक्टर में मत्स्यिकी का 1.73 प्रतिशत योगदान है। आन्ध्रप्रदेश व प0बंगाल के पश्चात् मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।

मत्स्य पालन को रोजगारोन्मुख (विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में) करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016–2017 में 'नीलीक्रान्ति मिशन' के माध्यम से पूर्व संचालित केन्द्रपोषित व केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुये नई केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज"** लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत जल संसाधनों का मत्स्य क्षमता के अनुसार दोहन करते हुये मत्स्यिकी को आधुनिक उद्योग के रूप में परिवर्तित करने, मछुआरों व मत्स्य पालकों की आय दोगुना करने, प्रदेश की खाद्य व पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, मत्स्य विपणन व पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास तथा नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिन्हें वर्ष 2022 तक प्राप्त करना है। इस योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज

सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से वित्तीय सहायता निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से इस योजना के स्थान पर नई केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गई है।

मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है, अतः सरकार द्वारा जून, 2014 मे मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश में वृहद् एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है।

तालिका–5.04

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद् एवं मध्यमाकार	2.28	2.26	99.12
जलाशय प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	5.34	3.66	68.53

1.तालाबों का पट्टा प्रदेश में उपलब्ध जलसंसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं।

प्रदेश का कुल अन्तःस्थलीय मत्स्य उत्पादन, वर्ष 2019–20 में 6.99 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। प्रदेश की वर्ष 2019–20 में मत्स्य विकास की वार्षिक वृद्धि दर 5.28 प्रतिशत रही है, मत्स्य उत्पादन स्तर को वर्ष 2018–19 के 6.62 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2019–20 में कोविड–19 लाकडाउन के विषम स्थिति के बावजूद, मत्स्य उत्पादन का स्तर 6.99 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है।

2.मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 250 हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 10 मिलियन क्षमता की एक हैचरी की स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रू0 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 15.00 लाख अनुदान धनराशि देय है, शेष 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित

मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

विगत् चार वर्षो में अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता, मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–5.05

अनुमानित मत्स्य बीज उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/है0/वर्ष)	अंगुलिका/मत्स्य बीज वितरण (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2017–18	6.29	4375	26333.92	786.95	27120.87
2018–19	6.62	4455	29442.13	347.22	29789.35
2019–20	6.99	4367	30008.96	278.85	30287.81

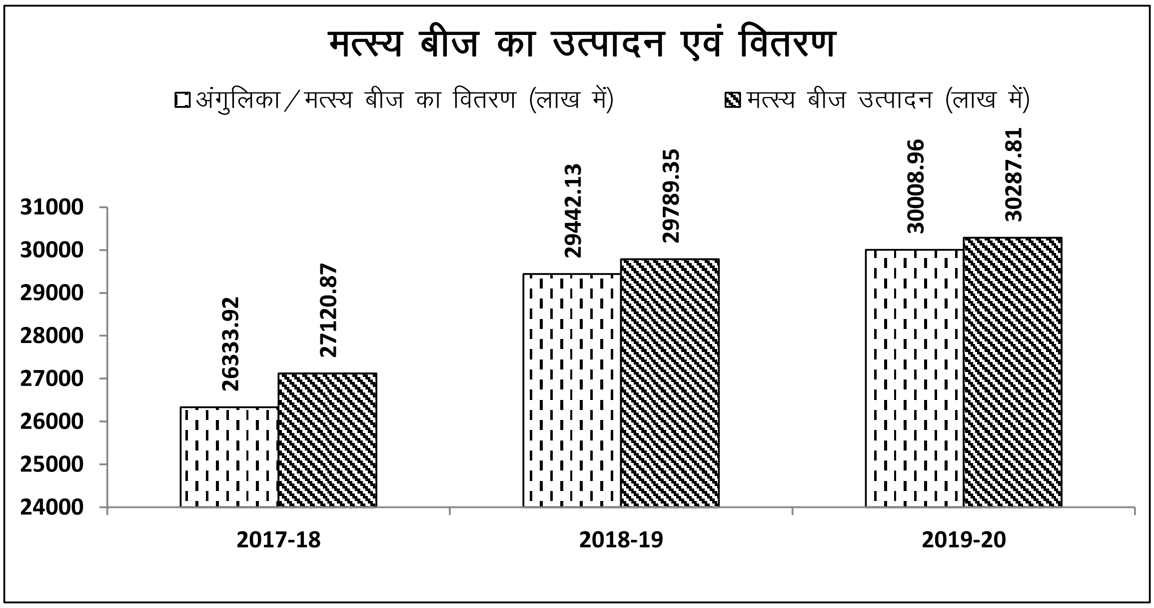

3.मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एंव आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं । प्रदेश में 1111 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है।

क– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 12.00 (रू0 6.00 भारत सरकार व रू0 6.00 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि वहन नहीं करनी पड़ती है। इस योजना को वर्ष 2018–19 से भारत सरकार द्वारा डाटा फीडिंग के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है

जिसके अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 134014 सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किया जा चुका है। योजना प्रारम्भ से अब तक **139 मृत/अपंग सदस्यों के आश्रितों को लाभान्वित कराया गया है।** वर्ष 2019–20 में 03 बीमित मृत व्यक्तियों के परिवारों को रू0 दो–दो लाख की बीमा राशि का भुगतान किया गया।

ख– मछुआ आवासों का निर्माण

भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित इस योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को वर्ष 2017–18 से प्रति आवास रू0 1.20 लाख, जिसमें रू0 0.60 लाख केन्द्रांश तथा रू0 0.60 लाख राज्यांश के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2019–20 तक कुल 25882 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं।

भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज'' योजना में कल्याणार्थ मद हेतु मछुआ आवास योजनान्तर्गत प्रति आवास इकाई लागत रू0 1.20 लाख जिसमें 60 प्रतिशत रू0 0.72 लाख प्रति आवास केन्द्रांश के रूप में निहित है, का पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। ब्लू रिवोल्यूशन की गाइडलाइन्स के अनुसार, निर्मित किये जाने वाले आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। वर्ष 2018–19 में 448 आवासों का निर्माण कराया गया था तथा वर्ष 2019–20 में 718 आवासों को पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 के 328 सामान्य, साथ 168 अनुसूचित जाति तथा 88 अनुसूचित जनजाति के आवासों का वर्ष 2020–21 में निर्माण कराया जा रहा है।

4. नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज'' योजना

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में केन्द्र पोषित विभिन्न योजनाएं वर्ष 2015–2016 तक संचालित थी। केन्द्र सरकार द्वारा नीलीक्रान्ति मिशन के माध्यम से मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के साथ–साथ जैव सुरक्षा तथा पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारणीय तरीके से संपूर्ण मत्स्यिकीय विकास के लिए मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढाने हेतु पूर्व संचालित समस्त योजनाओं को एक अम्ब्रैला के अंतर्गत लाते हुए नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज'' योजना को प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2016–17 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मद जो लाभार्थी परक हैं, परियोजना लागत (इकाई लागत व अधिकतम सीमा) के आधार पर कुल का 50 प्रतिशत पोषण केन्द्रीय सहायता अंश तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यांश सहायता/लाभार्थी अंश निर्धारित है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के द्वारा अनुदान धनराशि/ फन्डिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत (केन्द्रांश 24 प्रतिशत + राज्यांश 16 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत (केन्द्रांश 36 प्रतिशत + राज्यांश 24 प्रतिशत) अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

''ब्लू रिवोलुशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज'' योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से वित्त पोषण अधिकतम सीमान्तर्गत वित्तीय सहायता निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से इस योजना के स्थान नई केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गई है।

वर्ष 2019–20 में मत्स्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की प्रगति

- ग्रामसभा तालाबों का 5634.18 हे0 जलक्षेत्र का पट्टा आवंटन कराते हुए 6728 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन प्रारम्भ कराया गया।
- वर्ष 2019–20 में 30008.96 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों को रोजगार वृद्धि के लिए उपलब्ध कराया गया।

- नीली क्रान्ति योजनान्तर्गत 2095 लाभार्थियों को विभिन्न उपयोजनाओं से लाभान्वित किया गया।
- 2635 मत्स्य पालकों को रू0 2722.55 लाख के किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों से स्वीकृत कराते हुए निवेश ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- मत्स्य उत्पादन की नई तकनीकी के अन्तर्गत 57 रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का निजी क्षेत्र में निर्माण कराते हुए मत्स्यिकी क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया।
- 508 मछुआरों को मछली की बिक्री हेतु मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स सहित राजकीय अनुदान पर उपलब्ध कराई गई।
- मथुरा एवं हाथरस जनपद में खारे जल में श्रिम्प उत्पादन में सफलता प्राप्त करते हुए 20 हेक्टेयर में प्रथम बार श्रिम्प उत्पादन करायी गयी।
- सौर ऊर्जा के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की हैचरियों पर 40 सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम स्थापित कराये जा रहे हैं।

वर्ष 2020–21 में कराये जाने वाले कार्य की प्रगति

- मत्स्य उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 7.00 लाख मी0टन के सापेक्ष द्वितीय त्रैमास तक 2.275 लाख मी0 टन मत्स्य उत्पादन किया गया।
- ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे का वार्षिक लक्ष्य 3000.00 हे0 के सापेक्ष 1936.23 हे0 जलक्षेत्र का पट्टा आवंटित कराते हुए 2013 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन में आच्छादन किया गया।
- 32447.66 गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में नई केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के सापेक्ष राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा रू0 406.09 करोड़ की लागत की परियोजनाओं, जिनमें केन्द्रांश रू0 124.27 करोड़, राज्यांश रू0 80.83 करोड़ तथा लाभार्थी अंश के रूप में रू0 200.98 करोड़ सम्मिलित है, को भारत सरकार के अनुमोदनार्थ संस्तुत करने हेतु निर्णय लेते हुए प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

योजना में निम्न प्रकार अनुदान धनराशि लाभार्थी को डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जाती है–

(i) अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि – परियोजना की कुल लागत तालाब सुधार हेतु रुपये 3.50 लाख तथा प्रथम वर्ष निवेश हेतु रुपये 1.50 लाख प्रति हेक्टयर है जिस पर कुल 40 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2 लाख प्रति हेक्टयर अनुदान की धनराशि 03 किश्तों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ii) मत्स्य बीज रियरिंग यूनिट निर्माण – परियोजना की कुल लागत रुपये 7.50 लाख (निर्माण कार्य एवं प्रथम वर्ष निवेश हेतु) प्रति हेक्टयर है, जिस पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 3.0 लाख देय है जो 03 किश्तों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(iii) रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) – यह परियोजना 8 टैंकों की है जिसकी इकाई लागत रुपये 50 लाख है जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 20 लाख देय है।

कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है। पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावनायें हैं। सजावटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भावना है। इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्तायुक्त बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाये तथा स्थानीय स्तर पर ही उत्पादकता के अनुरूप विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस हेतु बहुउद्देशीय कोल्ड

स्टोरेज, जो फल, फूल, सब्जी, दूध, मांस आदि के लिए भी प्रयुक्त हो सके, की स्थापना से उत्पादों को रखने की समस्या दूर होगी। मत्स्य पालन के साथ–साथ मत्स्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत मछली का अचार, तेल, फिश मील (खाद) आटा, ग्लू आदि का निर्माण छोटे स्तर पर भी किया जा सके।

पर्यावरण प्रदूषण के असर से ताल तालाब और नदियां भी अछूती नहीं बची हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मुहानों/किनारों पर आवश्यक रूप से सदाबहार वृक्ष/पौधे लगाये जाएं। वृक्ष व मत्स्य उत्पादन के बीच एक सकारात्मक सम्बन्ध है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति होने के कारण न केवल पानी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है बल्कि मत्स्य उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अतः नहरों, तालाबों और अन्य जल निकायों के किनारे वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

दुग्ध विकास

भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, वहीं उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। देश में दुग्ध उत्पादन 2018–19 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़कर 18.77 करोड़ टन हो गया, जबकि 2017–18 में यह 17.63 करोड़ टन था। देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर प्रतिदिन 394 ग्राम हो गई।

"सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य होने के उपरान्त भी संगठित क्षेत्रों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण 12 प्रतिशत से भी कम हो पा रहा है जबकि भारत का औसत दुग्ध प्रसंस्करण 17 प्रतिशत है। सर्वाधिक दुग्ध प्रसंस्करण गुजरात में 49 प्रतिशत है।" *(स्रोत–एन.डी.डी.बी.)*

संकलित की जा रही सूचना के अनुसार पीसीडीएफ/अमूल/अन्य निजी क्षेत्र की डेरियों/मिल्क प्लाण्टस् द्वारा वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से औसतन लगभग 44 लाख कि0ग्रा0 दूध उपार्जित कर औसतन लगभग 33 लाख ली0 तरल दुग्ध की आपूर्ति की जा रही हैं।

(क) राज्य सेक्टर

1. आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट व बटर मिल्क कूलर की स्थापना –प्रत्येक दुग्ध समिति में दूध की सही माप तौल, कीमत की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में 2767 डाटा मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित हैं जिन्हें आगामी 2 वर्षों में 6156 करने का लक्ष्य है। 5–10 समितियों के क्लस्टर यूनिट बनाने के लिए बटर मिल्क कूलर (बीएमसी) लगाये जा रहे हैं। इसमें दूध की तत्काल चिलिंग की प्रक्रिया होने से दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी। वर्तमान में 574 बीएमसी के लक्ष्य के सापेक्ष 160 की स्थापना कर आनलाइन संचालन किया जा रहा है।

2. ई–गर्वनेन्स–सूचना तकनीकी व कम्प्यूटरीकरण योजना– दुग्ध संघों के कियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु वेब आधारित साफ्टवेयर की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 150 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है। दुग्ध मूल्य भुगतान, गुणवत्ता, विपणन आदि की शिकायतों हेतु कॉल सेन्टर (1800 843 6455) स्थापित किया गया है।

पीसीडीएफ *की नई परियोजनाएं*

1. वाराणसी व मेरठ में 4 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना ।

2. लखनऊ में 3 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना।

3. बरेली,गोरखपुर, फिरोजाबाद व मुरादाबाद में 1 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना।

4. अयोध्या में 0.5 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना ।

5.झांसी, नोएडा, अलीगढ़ व प्रयागराज डेरी का उच्चीकरण।

6. 15 संकर डेरी की प्रयोगशालाएं एवं पीसीडीएफ की केन्द्रीय प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

7.ट्रांजिट हानि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम (सोलर बेस्ड पीएमसीयू) की स्थापना।

8.बटर मिल्क कूलर कूल चेन नेटवर्क की स्थापना।

3. गोकुल पुरस्कार 2018–19

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व दुधारू पशुओं के अच्छे रख रखाव हेतु दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर 51 हजार रु0, प्रदेश स्तर पर दो उत्पादकों को रु0 2.00 लाख व रु0 1.50 लाख नकद, गाय बछड़ा के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति व एक शील्ड प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

4. पीसीडीएफ को ऋण

- कानपुर में 20 मी0 टन दैनिक क्षमता के पाउडर प्लाण्ट की स्थापना हेतु।
- 08 नयी डेयरियों (दुग्ध प्लाण्टों) की स्थापना हेतु।
- जनपद कन्नौज में एक लाख लीटर क्षमता वाले दूध के प्लान्ट की स्थापना हेतु।
- विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु।

5. सी.जी. सिटी लखनऊ में 05 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना का कार्य प्रक्रियारत है।

तालिका–5.06

प्रमुख कोर पैरामीटर्स के समक्ष उपलब्धि

क्र.सं	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2019–20		वर्ष 2019–20 (अगस्त,2020 तक)	
			लक्ष्य	उपब्धि	लक्ष्य	उपब्धि
1	कार्यरत समिति	संख्या कमिक	8554	8049	8335	7212
2	समिति सदस्यता	लाख में कमिक	3.74	3.58	4.16	3.24
3	दुग्ध उपार्जन	लाख किग्रा0 प्रतिदिन	7.03	3.32	4.02	2.61
4	दुग्ध बिक्री	लाख लीटर प्रतिदिन	2.06	1.97	2.65	1.84

(ग) केन्द्र पोषित योजनाएं

प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम–प्रमुख आयाम

- **नन्द बाबा पुरस्कारः– भारतीय गोवंश द्वारा सर्वाधिक दुग्ध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहन (नन्द बाबा पुरस्कार) –** योजनान्तर्गत

वर्ष 2020—21 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021—22 में प्रदेश के 75 जनपदो में सहकारी दुग्ध समितियों के भारतीय गोवंश द्वारा दुग्ध आपूर्ति करने वाले 75 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत (नन्द बाबा पुरस्कार) से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत भारतीय गोवंश को पालने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2018—19 में की गयी। इसके अनुसार दिये जाने वाले पुरस्कार का विवरण निम्नवत् है—

1 प्रदेश स्तर पर भारतीय गोवंश द्वारा सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को देने वाले दुग्ध उत्पादक को रु0 51 हजार का पुरस्कार दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को एक प्रमाण—पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भी उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जनपद स्तर पर भारतीय गोवंश द्वारा सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को देने वाले उत्पादक को रु0 21 हजार की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।
3. विकास खण्ड स्तर पर भारतीय गोवंश द्वारा सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को देने वाले उत्पादक को रू0 5,100 की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

- जनपद वाराणसी में 4 लाख ली0 प्रतिदिन की क्षमता, गोरखपुर में 1 लाख ली0 प्रतिदिन की क्षमता, मुरादाबाद में 1 लाख ली0 प्रतिदिन की क्षमता एवं कन्नौज में (गाय के दुग्ध के प्रसंस्करण हेतु) 1 लाख ली0 प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी प्लाण्टस् का लोकार्पण एवं जनपद शाहजहॉपुर में प्रदेश के प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का शुभारम्भ किया गया। साथ ही जनपद बांदा में 1 लाख ली0 प्रतिदिन की क्षमता एवं मथुरा में 1 लाख ली0 प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी प्लाण्ट्स का शिलान्यास किया गया।
- प्रदेश में प्रयागराज (60 हजार ली0) एवं पराग डेरी नोएडा (4 लाख ली0) में डेयरी प्लाण्ट का रिफर्बिशमेंट कार्य पूर्ण कर संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- **प्रस्तावित / कियान्वित सुदृढ़ीकरण** कार्यों के फलस्वरूप पीसीडीएफ के स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध कुल प्रसंस्करण क्षमता जो 17.70 लाख किग्रा0 प्रतिदिन है, से बढ़कर 25.90 लाख किग्रा0 प्रतिदिन हो जायेगी। **नवीन प्लान्ट्स** के आगमन से शहरी उपभोक्तओं को अत्याधुनिक एवं लॉन्ग शेल्फ लाइफ स्वभाव के नवीन उत्पाद यथा—यूएचटी मिल्क, योगार्ट, फ्लेवर्ड मिल्क बटर बिल्सिटर पैक, रायपेन्ड कीम आदि वृहद् उत्पाद श्रृंखला दिया जाना लक्षित है, जिससे नवीन उत्पाद क्षेत्र में पदार्पण सुलभ हो सकेगा।
- उपार्जन व विपणन में ट्रांजिट हानि नियंत्रण हेतु व ऑन लाइन मॉनीटरिंग (पारदर्शिता) हेतु 500 व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम वी0टी0एस0 स्थापित एवं ऑन लाइन संचालित किये जा रहे हैं। अब तक 482 स्थापित किया जा चुका है।
- **दुग्ध नीति** प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को बढावा देने के उद्देश्य से ***दुग्ध नीति 2018*** का सृजन किया गया है। यह भारत वर्ष में अपनी तरह की प्रथम परिकल्पना है।

विकास क्रम

1. 1970—71— 8 जनपदों में आपरेशन फ्लड—I लागू। मेरठ व वाराणसी में 1—1 लाख ली0 दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिंग दुग्धशालाएं एवं 100—100 मीट्रिक क्षमता की 2 पशु आहार निर्माणशालाएं तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना।
2. 1975—गायों की नस्ल में सुधार एवं दुग्घ उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु **'फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन'** ब्रिटेन एवं प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग से **पीसीडीएफ** द्वारा संकर पशु प्रजनन परियोजना आरम्भ।
3. 1976—दुग्ध विकास विभाग की स्वतन्त्र रूप से स्थापना। उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद का गठन।
4. दुग्ध नीति 2018 का सृजन।

- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग, पी0सी0डी0एफ0 द्वारा निर्मित मिल्क पावडर में सोयाबीन मिलावट सम्बन्धी टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारम्भ किया गया। गुणवत्ता आश्वासन, पीसीडीएफ द्वारा विकसित इस जॉच प्रणाली को एनडीडीबी द्वारा गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग, पी0सी0डी0एफ0 मिल्क डे (1 जून 2018) को इन्नोवेशन अवार्ड दिया गया।
- मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं झांसी में विटामिन ए व डी–युक्त फोर्टीफाइड पराग दूध का विक्रय प्रारम्भ कराया गया है।
- **प्रदेश के जनपद** शाहजहाँपुर में सर्वप्रथम पूर्णतः **शाहजहाँपुर महिला मिल्क यूनियन (शमूल)** की स्थापना की गयी है, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। **एनपीडीडी योजनान्तर्गत** जनपद शाहजहाँपुर हेतु प्रेषित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रांश रू0 1449.875 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि 10.00 करोड़ प्राप्त हुआ, जो **शाहजहाँपुर महिला मिल्क यूनियन (शमूल) के पक्ष में** अवमुक्त कर दिया गया है ।
- **दुग्ध परिवहन में ट्राजिट हानि को नियंत्रि**त करने के दृष्टिगत वेहिकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, इससे दुग्ध परिवहन व्यवस्था को पूर्णतया पारदर्शी व लाभप्रद बनाया जाना सम्भव होगा।
- **फेडरेशन द्वारा फेसबुक, ट्विटर एकाउन्ट एवं ई–कामर्स पोर्टल** बनाते हुए ऑन–लाइन संवाद एवं विक्रय की व्यवस्था प्रारम्भ किया गया है।
- **दुग्ध कय में पारदर्शिता के दृष्टिगत दुग्ध समितियों में डी0पी0एम0सी0यू0 की स्थापना का कार्य किया गया है, अब तक कुल 3761 स्थापित किये जा चुके है।**
- प्रदेश के 5 जनपदों में पायलट बेस पर दुग्ध पट्टी पर पशु चिकित्सा सुविधा, दवाई इत्यादि हेतु सी0एस0आर0 कॉल सेन्टर स्थापित कर संचालित किया किया गया।
- दूध का प्राकृतिक स्वभाव बना रहे, इस हेतु 574 बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) की स्थापना का कार्य गतिमान है। वर्तमान तक 125 स्थापित हो गया है।
- तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने व बीमारियों से बचाने हेतु डिवर्मर, मैस्टाइटिस एवं टिक कन्ट्रोल की दवाएं वितरित की जाती हैं।
- क्षेत्र आच्छादन विस्तार के अन्तर्गत मूल्य वर्धित उत्पादों के क्षेत्र में पदार्पण, जिसमें हार्टीकल्चर उत्पाद (फल एवं सब्जियां) आधारित डेयरी ड्रिंक्स का उत्पादन व विपणन प्रस्तावित है, उदाहरण– बनाना मिल्क शेक।

उ0 प्र0 में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय
साहिवाल गाय

भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय
गिर गाय.

विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय –
होल्स्टीन फीजियन

दूध की रानी –
सानेन बकरी

सम्भावनाएं

(i) प्रदेश में सहकारी दुग्ध समितियों का आच्छादन मात्र 7 प्रतिशत ग्रामों तक है। वर्ष 2022–23 तक समितियों की वर्तमान संख्या को 12960 तक ले जाने का लक्ष्य है।

(ii) वर्तमान में पीसीडीएफ के स्तर पर कुल प्रसंस्करण क्षमता 17.70 लाख किग्रा0 प्रतिदिन है, जिसे उपरोक्त कार्यों से बढ़ाकर 25.90 लाख किग्रा0 प्रतिदिन किया जाना है।

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पशु प्रजनन और पोषण के माध्यम से गोजातीय उत्पादकता बढ़ाना।
2. दुधारू पशुओं के पोषण में सुधार कर उनकी अनुवांशिक क्षमता के अनुरूप दुग्ध उत्पादन कर मीथेन उत्सर्जन में कमी करना।
3. गांव आधारित दूध अधिप्राप्ति प्रणाली विकसित कर गांव स्तर के मूलभूत ढ़ाँचे में निवेश कर दूध कैन, गांव समूह के लिए थोक दूध शीतक, संबंधित मापन व परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराना।
4 उत्पादकों को संतुलित आहार के बारे में शिक्षित करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे दुधारू पशुओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता सही रूप से पूर्ण हो सके तथा उत्पादन क्षमता में सुधार के साथ–साथ शुद्ध आय में बढ़ोत्तरी हो सके।
5. डेयरी उद्योग – देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन का विशेष महत्व है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी में नयी–नयी तकनीकों के फलस्वरूप डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्षेत्र बढ़ा है जिसमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। आवश्यकता है कि डेयरी टेक्नोलॉजी के मुख्य क्षेत्र जैसे– डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी बैक्टिरियोलॉजी, डेयरी इकोनॉमिक्स आदि के कोर्स हेतु बढ़े पैमाने पर संस्थान खोले जाएं।

भारत के साथ–साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, जो सामान्यतः मानसून पर आधारित है। भारत में छोटे मझोले किसान, भूमिहीन और मजदूर वैकल्पिक रूप से स्वयं को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में भी संलिप्त रखते हैं, जिससे वे कृषि के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें तथा दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होने से **'सतत् विकास लक्ष्य'** के गोल '2' के अन्तर्गत **'खाद्य सुरक्षा एवं पोषण संवर्धन'** के लक्ष्य की प्राप्ति भी सम्भव हो सकेगी।

****

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्य बिन्दु–

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- प्रदेश में बागवानी के समन्वित विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन औषधीय पौध मिशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- वर्ष 2020–21 में औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम हेतु 812.61 करोड़ रू0 का बजट प्राविधान किया गया है, जो प्रदेश सरकार के कुल बजट 512860 करोड रू0 का 0.16 प्रतिशत है।
- प्रदेश में औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2019–20 मे 579.37 करोड़ रू0 व्यय किया।
- वर्ष 2017–18 में आलू, आम एवं अमरुद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा।
- देश के कुल आम उत्पादन में प्रदेश का योगदान 20.86 प्रतिशत था।

औद्यानिक फसलों, फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं मशरूम, पान एवं शहद उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प है। बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों, यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

वर्ष 2017–18 के ऑकड़ों के आधार पर प्रमुख बागवानी फसलों के उत्पादन में प्रदेश का योगदान एवं स्थान निम्नानुसार है–

तालिका–6.01
बागवानी फसलों का उत्पादन

(हजार मी0 टन में)

क्र0सं0	फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	प्रथम तीन राज्य
1	आलू	15555.53	51310.01	30.32	1.उत्तर प्रदेश 2.पश्चिम बंगाल 3. बिहार
2	आम	4551.83	21822.32	20.86	1.उत्तर प्रदेश 2.आन्ध्र प्रदेश 3. बिहार
3	अमरुद	928.44	4053.51	22.90	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. बिहार

स्रोत–औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रदेश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक हैं। इन प्रयासों के फलस्वरुप प्रदेश में बागवानी

फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017—18 में प्रदेश में कुल 10539.77 हजार मी0 टन फल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 10.8 प्रतिशत है। **सब्जी** उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है।

तालिका—6.02
प्रमुख फल एवं सब्जी के कुल उत्पादन में प्रदेश का अंशदान

(हजार मी0 टन में)

क्र0 सं0	फल			सब्जी		
	उत्पादक राज्य	उत्पादन	प्रतिशत अंश	उत्पादक राज्य	उत्पादन	प्रतिशत अंश
1	आन्ध्र प्रदेश	15215.85	15.63	उत्तर प्रदेश	28316.45	15.36
2	महाराष्ट्र	11728.66	12.05	पश्चिम बंगाल	27695.29	15.02
3	उत्तर प्रदेश	10539.77	10.82	मध्य प्रदेश	17545.48	9.52
4	गुजरात	8996.02	9.24	बिहार	15863.21	8.60
भारत		97357.51	100.00	**भारत**	184394.51	100.00

स्रोत— औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रदेश में बागवानी विकास हेतु संचालित क्रियाकलापों के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं—

1—औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करना।

2— फसलों के सघनीकरण एवं फसल—चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुंचाना।

3—वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।

4—फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास करना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रभावी बनाना।

5—फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

6—बागवानी की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढना तथा प्रयोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुॅचाना।

7—क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, बागवानी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति—2017** प्रख्यापित की गई है जिसके द्वारा पूंजीगत अनुदान, ब्याज उपादान, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ—साथ प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है। आनॅलाइन वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को राज्य सरकार की राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी (एस0एल0ई0सी0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण/हाईजीन प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण/विधायन आदि योजनाएँ लागू की गयीं हैं। प्रदेश में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् है—

तालिका–6.03
बागवानी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल ('000 हेक्ट. में), उत्पादन ('000 मी0 टन में),उत्पादकता (मी. टन/हेक्ट.)

वर्ष		बागवानी फसलें			
		कुल फल	कुल सब्जियां	कुल मसालें	कुल पुष्प
2015–16	क्षेत्रफल	468.89	1234.58	86.63	20.75
	उत्पादन	10296.14	25840.43	289.82	45.34
	उत्पादकता	21.96	20.93	3.35	6087 (लाख में)
2016–17	क्षेत्रफल	474.89	1255.70	87.70	20.99
	उत्पादन	10504.05	27801.53	293.76	45.97
	उत्पादकता	22.12	22.14	3.35	6191 (लाख में)
2017–18	क्षेत्रफल	476.64	1259.23	88.04	21.22
	उत्पादन	10541.07	27887.98	295.58	46.42
	उत्पादकता	22.12	22.15	3.36	6304 (लाख में)
2018–19	क्षेत्रफल	480.53	1256.27	88.29	21.33
	उत्पादन	10651.26	27694.12	296.54	46.70
	उत्पादकता	22.17	22.05	3.36	6341 (लाख में)

स्रोत– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के समन्वित बागवानी विकास हेतु संचालित औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–6.04
औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2019–20			वर्ष 2020–21		
		आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय	आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय (अगस्त, 2020 तक)
1.	उद्यान सेक्टर	62403.56	55240.76	51565.45	72441.56	27444.25	6501.69
2.	खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर	7668.50	7593.50	6372.35	8819.94	5009.94	1181.34
	योग (उद्यान+खाद्य प्रसंस्करण)	70072.06	62834.26	57937.80	81261.50	32454.19	7683.03

एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन) –

बागवानी विकास के दृष्टि से एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन से व्यवसायिक औद्यानिक विकास को नयी दिशा प्राप्त हुयी है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसके लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य सहायता (अनुदान) देय है।

योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन–पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ तथा 2020–21 में प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् हैं–

तालिका–6.05
विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2019–20		2020–21
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	2300	2239	3600
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	2100	2122	2700
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	200	197	400
4	मौनपालन	हे0	30300	28767	30300
5	द्वितीय व तृतीय वर्ष के बागों का अनुरक्षण	वर्ग मी0	2960	1888	2760
6	संरक्षित खेती	सं0	84.00	78.77	85.2
7	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पैक हाउस, कोल्ड रूम, शीतगृह, रिफर वैन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर)	सं0	198	156	2048
8	राज्य/जिला स्तरीय किसान मेला/गोष्ठियाँ	सं0	105	68	55
9	मानव संसाधन विकास	सं0	9900	6670	5750
10	बागवानी में मशीनीकरण	सं0	270	270	400
11	इन्ट्रीग्रेटड कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम				03

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक–पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन कराया जा रहा है। अन्य 30 जनपद जहां एम0आइ0डी0एच0 लागू नही हैं, उन जनपदों में आर0के0वी0वाई0 लागू की गयी।

प्रदेश के 30 जनपदों में उक्त योजनान्तर्गत नवीन उद्यान रोपण, पुष्प विकास, मसाला विकास, शाकभाजी क्षेत्र विस्तार, मौनपालन तथा कृषक प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् है–

तालिका–6.06
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2019–20		2020–21
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	2930	2811	3010
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	4500	4408	5775
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	800	734	1050
4	संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार	हे0	4950	3883	4905
5	मधुमक्खी पालन	सं0	220	205	230
6	प्रशिक्षण	सं0	6600	6400	7350

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन)

प्रदेश में माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम के उपघटक में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप–अप) की व्यवस्था करते हुए लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका–6.07

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2019–20		2020–21
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	ड्रिप सिंचाई	हे0	14103	6859	43303
2	स्प्रिंकलर सिंचाई	हे0	43297	50094	114697
3	मानव संसाधन विकास	सं0	11900	10703	15650

4. आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला (हिमाचल प्रदेश) के क्षेत्रीय केन्द्रों से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। इस प्रकार उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में आलू बीज उत्पादन एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषकों के मध्य वितरित आलू बीज का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–6.08
आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम की प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2019–20		2020–21
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	भारत सरकार द्वारा प्राप्त ब्रीडर आलू बीज	कुन्तल	11500	7640.50	11500
2	उत्पादित आलू बीज	कुन्तल	45000	43328.5	40000
3	आलू बीज उत्पादकों के मध्य वितरित आलू बीज	कुन्तल	35000	39627.66	40000

5. फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना

प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आंवला के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी विकसित की गयी हैं। आम फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित है। अमरूद फल पट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूं के 6 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के दो विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक क्रेट्स, मैंगों हार्वेस्टर, आई.पी.एम./आई.एन.एम., कृषक प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

6. शीतगृह रहित विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना किये जाने पर अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था

यद्यपि मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार शीतगृहों की संख्या एवं उनकी क्षमता की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथापि प्रदेश में शीतगृह रहित विकास खण्डों में आवश्यकतानुसार शीतगृह की स्थापना हेतु सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश के 27 चिन्हित जनपदों के 58 ऐसे विकास खण्ड जिसमें आलू एवं शाकभाजी का उत्पादन अधिक होता है, उन विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.4 करोड़ के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 60 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे विकास खण्डों में स्थापित होने वाले प्रथम शीतगृह को 5000 मी. टन क्षमता हेतु रू. 140 लाख के स्थान पर अधिकतम रू. 200 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा।

तालिका–6.09

देश में राज्यवार शीतगृहों की संख्या (31–03–2018 की स्थिति)

क्र0सं0	राज्य	शीतगृहों की संख्या	क्षमता (मी. टन में)
1	उत्तर प्रदेश	2368	14500773
2	गुजरात	890	3515976
3	पंजाब	672	2201386
4	महाराष्ट्र	603	979607
5	पश्चिम बंगाल	511	5940511
6	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	452	1836366
7	अन्य	2420	7255056
भारत		**7916**	36229675

स्रोत– औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाएं

(अ) राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है तथा नवीनतम स्थापित हो रहे उद्योगों तथा स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचाालित है।

(ब) राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना

- प्रदेश में वर्ष भर कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद की उपलब्धता एवं जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन उद्योग के विकास की पृष्ठभूमि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो रहे हैं। कैटरिंग संस्थानों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 मण्डलों (वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में स्थापित राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बन्धी विधाओं में प्रशिक्षण देकर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।

- **राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र**

प्रदेश के 75 जनपदों में घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न जनपदों/ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जन सामान्य को रोजगार उपलब्ध कराना, पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करना तथा किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाना, कृषि औद्यानिक उत्पादों को नष्ट होने से बचाना है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत किसान सम्पदा योजनान्तर्गत मेगा फूड पार्क के 3 प्रस्तावों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017** के योजनान्तर्गत कुल 491 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें निजी पूंजी निवेश रू. 2692.29 करोड़ तथा कुल प्रस्तावित रोजगार सृजन 39847 है। प्राप्त आवेदन/परियोजना प्रस्ताव के सापेक्ष अब तक 275 परियोजनायें जिनमें रू0 810.51 करोड़ पूंजी निवेश प्रस्तावित है तथा इन्हे रू. 56.34 करोड़ की अनुदान धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके सापेक्ष गत् वर्ष तक 134 प्रस्तावों की अनुदान धनराशि रू. 3693.88 लाख संस्थाओं को नेफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अवमुक्त की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में धनराशि रू. 219.15 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

तालिका–6.10
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2019–20		2020–21
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
(अ)	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान	संख्या	40	21	40
(ब)	**राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनाएं**				
1	एक वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	152	150
2	एक वर्षीय बेकरी एवं कन्फेक्शनरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	145	150
3	एक वर्षीय कुकरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	145	150
4	अंश कालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	संख्या	310	301	310
5	अंश कालीन कुकरी (पाक कला)	संख्या	250	245	250
6	एक माह सम्मिलित प्रशिक्षण	संख्या	500	465	500
7	15 दिवसीय अंश कालीन खाद्य प्रसंस्करण	संख्या	25450	25044	15400

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2019–20		2020–21
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
	प्रशिक्षण				
8	ग्रामीण शिविर	संख्या	154	154	0
9	सामुदायिक कार्य द्वारा उत्पादन	कुन्तल	201	184.10	108
10	खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	17	17	48
11	ढाबा फास्ट फूड / रेस्टोरेंट प्रशिक्षण	संख्या	50	50	60
12	गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण	संख्या	96	96	120

'किसान रेल सेवा' एवं 'किसान उड़ान योजना'

देश की पहली किसान रेल सेवा (7 अगस्त 2020) का परिचालन प्रारम्भ किया गया है। यह महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन से होते हुए बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी, किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी। किसान रेल से सस्ती दरों पर कृषि उत्पादों, खासतौर से जल्दी खराब होने वाली उपज के परिवहन में मदद मिलेगी, और यह पहल किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी।

किसान रेल सेवा के अतिरिक्त उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार विशेष किसान उड़ान योजना भी शुरू कर रही है, इसके तहत किसानों की उपज को विशेष तरह के विमानों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, इससे किसानों की उपज को बाजारों तक जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी, ये उड़ानें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की होंगी।

रणनीति

फल, सब्जियाँ अति संवेदनशील उत्पाद हैं, जिनके तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन, उचित एवं त्वरित विपणन हेतु सुविधाओं का विकास एवं मार्केट फेसिलिटी आवश्यक पहलू है। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने तथा औद्यानिक फसलों के विपणन को संगठित कर बागवानों एवं कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है। औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों को भी क्रियाशील बनाना एक आवश्यक कदम है।

****

अध्याय–7
ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

<u>मुख्य बिन्दु</u>–

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत **प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान** प्राप्त किया है।
- प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर रू0 182/–प्रति मानव दिवस से बढाकर रू0 201/– निर्धारित कर दी गई है।
- वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 592 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सितम्बर, 2020 तक 14.30 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना के **परफार्मेन्स इंडेक्स में प्रदेश, देश में पहले स्थान पर** है।
- मुख्यमत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है, इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 16700 एवं 2019–20 में कुल 34040 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग हैं एवं कार्यदायी विभाग–लोक निर्माण विभाग (42 जनपदों में) एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (33 जनपदों में) योजना के कार्य संपादित कर रहें हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 79 पंचायत भवनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 54 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** को वर्ष 2019–20 में **ई–गवर्नेंस पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य, गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोका जा सके तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.73 प्रतिशत जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए इसके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है। इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार परक प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

एस0डी0जी0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है :–

1. मनरेगा अन्तर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत।
2. स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
3. आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या।
4. स्वच्छ जल के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
5. व्यक्तिगत शौचालय योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
6. पाइपलाइन पेयजल के अन्तर्गत आच्छादित बस्तियां।

वर्तमान में ग्राम्य विकास हेतु चलाये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :–

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

उक्त योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत–प्रतिशत तथा सामग्री में 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार द्वारा सामग्री में 25 प्रतिशत अंश दिया जाता है।

- आजीविका में वृद्धि के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का निर्माण ।
- ग्रामीण अवस्थापना के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- उक्त योजना माँग आधारित है। इच्छुक परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- प्रदेश में मजदूरी दर रू0 201/–प्रति मानव दिवस निर्धारित है।
- कुल व्यय का 60 प्रतिशत कृषि से सम्बन्धित कार्यों पर किया जा सकता है।
- प्रदेश में कुल क्रियाशील श्रमिक लगभग 100.78 लाख है। पारदर्शिता बनाये रखने के लिये आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम तथा जियो टैगिंग को अपनाया गया है।

मनरेगा अन्तर्गत गत् तीन वर्षों में लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका–7.01

मनरेगा अन्तर्गत लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	सृजित मानव दिवस (लाख)	व्यय धनराशि (लाख)
1	2017–18	1815	450298
2	2018–19	2125	583226
3	2019–20	2445	606021
4	2020–21(सित. 2020 तक)	2506	675668

(2)उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू0पी0एस0एन0आर0एल0एम0)

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाते हुए गरीबी को दूर करना है।

- प्रत्येक ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार को स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के दायरे में लाना।
- आर्थिक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को आसानी से ब्याज की कम दरों पर बैंकों से विभिन्न चरणों में ऋण प्राप्त कराना।
- स्वयं सहायता समूह फेडरेशन्स का विभिन्न स्तरों पर गठन एवं सुदृढ़ीकरण।
- क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के लिये प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वतः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर0एस0ई0टी0आई0) की स्थापना की जा रही है।
- एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जा रही है।

- वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 592 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गत् वर्षों में गठित समूह का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :–

तालिका–7.02
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रगति विवरण

क्र0सं0	वर्ष	वर्ष में गठित समूह	रिवॉलविंग फण्ड प्राप्त समूह	बैंक से लिंक समूह	व्यय धनराशि (लाख में)	सी0आइ0एफ0
1	2	3	4	5	6	7
1	2017–18	61700	50225	29210	40508	–
2	2018–19	65157	40091	25305	59579	–
3	2019–20	111347	67877	38474	91840	52504
4	2020–21 (सित. 2020 तक)	21637	26878	10130	53713	28370

(3)प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आवासहीन,कच्चे व जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

- आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए रू0 1 लाख 20 हजार तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए रू0 1 लाख 30 हजार निर्धारित है।
- निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। आवास में शौचालय हेतु धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
- योजना के अन्तर्गत धनराशि केन्द्र एवं राज्य द्वारा 60:40 अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है।
- एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011 के आधार पर सत्यापन के उपरांत 14.61 लाख लाभार्थी स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित हैं। अक्टूबर 2020 तक 14.30 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।
- वर्ष 2020–21 हेतु 5.54 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त है।

(4)मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

मुख्यमत्री आवास योजना ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है, जो फरवरी, 2018 से प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परंतु एस0ई0सी0सी0 2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में न सम्मिलित होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन, कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 34040 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है, जिनमें से 33036 आवास पूर्ण हो चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 369.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

- मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक आवास हेतु रू0 1 लाख 20 हजार तथा 90 दिवस का श्रमिक भुगतान (मनरेगा के द्वारा) प्रदान किया जाता है।

(5) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)

उक्त योजना 25 दिसम्बर, 2000 से शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में प्रारंभ की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक आबादी के अनुसार समस्त गैर–जुड़ी बसावटों को एकल संपर्क मार्ग के आधार पर पक्के मार्गों से जोड़ना है। नक्सल प्रभावित जनपदों–सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में उक्त मानक को 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग की बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है।

- योजना के मानकों के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की समस्त बसावटों का आच्छादन कर लिया गया है।
- वर्ष 2015–16 से योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 कर दिया गया है।
- प्रदेश की समस्त अर्ह बसावटों के आच्छादन का लक्ष्य पूर्ण कर वर्ष 2013–14 से पी0एम0जी0एस0वाई0–2 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत केवल पूर्व निर्मित मार्गों के उच्चीकरण/सुधार के कार्य ही अनुमन्य हैं।
- पी0एम0जी0एस0वाई0–3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 तक प्रदेश के लिए 18937.05 किमी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग हैं एवं कार्यदायी विभाग–लोक निर्माण विभाग(42 जनपदों में) एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग(33 जनपदों में) योजना के कार्य संपादित कर रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में सितम्बर, 2020 तक 295.502 किमी0 सडक का निर्माण पूर्ण किया गया एवं रू0 198.48 करोड व्यय किया गया।
- वर्ष 2020–21 में सितम्बर 2020 तक 3195.93 किमी0 सडकों का पीरियाडिक रिन्यूवल कराया जा चुका है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अद्यतन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की 05 वर्षीय 12397.27 किमी अनुरक्षणाधीन सडकें अनुरक्षित की गयी।
- पीएमजीएसवाई–3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 18937.05 किमी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(6) सामुदायिक विकास कार्यक्रम

इसके अंतर्गत जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय संसाधन द्वारा कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 29.87 करोड की धनराशि व्यय की गयी, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रू0 30.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

(7) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

विधान मण्डल क्षेत्र के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित विकास कराये जाने हेतु उक्त योजना का प्रारंभ किया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 से वार्षिक रू0 3.00 करोड़ (जी0एस0टी सहित) की धनराशि निर्धारित की गयी है। इसके पूर्व रू0 2.40 करोड़ धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही थी, जिसमें विकास कार्यों हेतु रू0 दो करोड़ तथा जी0एस0टी0 हेतु 0.4 करोड़ निर्धारित थी।

- वित्तीय संसाधन व्यवस्था शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड हेतु वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किया जाना अनुमन्य है। कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020–21 तक चिकित्सीय उपकरण क्रय हेतु एवं कोविड केयर फण्ड में धनराशि हस्तान्तरित करने की व्यवस्था भी की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रू0 1008.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गयी जिसके सापेक्ष 993.00 करोड़ रू0 विधायक निधि में निर्गत किये गये। जी0एस0टी के भुगतान हेतु रू0 201.60 करोड की व्यवस्था बजट में की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 76.07 करोड़ निर्गत किये गये। अक्टूबर,.2020 तक रू0 321.92 करोड की धनराशि व्यय करके 3227 परियोजनायें पूर्ण करायी गयी तथा 6743 परियोजनायें निर्माणाधीन है।

पंचायत सशक्तिकरण

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 02 अक्टूबर, 2014 से प्रारम्भ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त कर, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। वर्ष 2018–2019 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। तत्पश्चात एल0ओ0बी0 एवं एन0ओ0एल0बी0 के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। योजना में व्यक्तिगत शौचालय की लागत रू0 12 हजार है, जिसमे केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। गत् तीन वर्षों में निर्मित शौचालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–7.03

क्र0सं0	वर्ष	निर्मित स्वच्छ शौचालय	व्यय धनराशि (लाख में)
1	2017–18	4410903	496804.05
2	2018–19	10648419	1246097.74
3	2019–20	3407004	317742.44

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 मे अक्टूबर, 2020 हेतु कुल रूपये 579116.13 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष 55232 शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।

वर्तमान में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 15वां वित्त आयोग एवं मनरेगा अंश के कन्वर्जेंस से किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–II में ओ0डी0एफ0–प्लस का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

2. बहुउददेशीय पंचायत भवन (जिला योजना)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 1400.00 लाख का प्राविधान किया गया था, पंचायत भवनों के लिए प्रति पंचायत भवन भूकम्परोधी रहित रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित रू0 18.03 लाख की दर से कुल 79 पंचायत भवनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 54 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

3.ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल (जिला योजना)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया गया है–

- योजनान्तर्गत ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 10000.00 लाख का प्राविधान जिसके सापेक्ष प्रति ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल हेतु रू0 24.36 लाख की दर से 406 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 120 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कुल 410 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। एक अंत्येष्टि स्थल की लागत रू0 24.36 लाख निर्धारित है।

4 .राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** योजना को केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर योजना की स्वीकृति सेंट्रल एक्सक्यूटिव कमेटी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के अन्तर्गत डेस्कटॉप, कम्प्यूटर/लैपटाप, नए पंचायत भवनों का निर्माण/मरम्मत, प्रशिक्षण माड्यूल, टी0एन0ए0, डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण, आई.ई.सी., जी.पी.डी.पी. पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कर्मियों/अधिकारियों/ संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, पंचायत प्रोत्साहन योजना, राज्य, मंडल एवं जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना, पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यथा– प्रिया–सॉफ्ट, नेशनल एसेट डायरेक्ट्री, नेशनल पंचायत पोर्टल, प्लान–प्लस–वी.2, एक्शन सॉफ्ट, एम. एक्शन साफ्ट, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री, एरिया प्रोफाइलर के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिए जाने का कार्य किया जाता है। योजना की प्रगति विवरण निम्न है–

- वर्ष 2019–20 में मुख्य एवं अनुपूरक कार्ययोजना को मिलाकर धनराशि रू0 842.45 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध/अवमुक्त धनराशि रू0 360.36 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 169.56 व्यय किया जा चुका है।
- वर्ष 2020–21 हेतु रू. 593.38 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।
- पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की उत्कृष्ट कार्य कर रही 06 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2019–20 में लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया है।
- पंचायतों में सुशासन, सुविधाकेन्द्र एवं स्वयं के आय के स्त्रोतों में वृद्वि के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में 388 ग्राम पंचायतों का चयन सी.एस.सी. स्थापना के लिए किया गया है, जिसमें पंचायत भवन में सी.एस.सी. स्थापना के लिए एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराये जाने का कार्य प्रारम्भ है।

- वर्ष 2019–20 में 582 पंचायत भवनों के निर्माण एवं 500 पंचायत भवनों की मरम्मत की धनराशि मार्च, 2020 से ग्राम पंचायतों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। जनपदों द्वारा 220 पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 362 में निर्माण कार्य जारी है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1231 पंचायत भवनों हेतु धनराशि रू0 129.46 करोड़ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से हस्तान्तरित की जा चुकी है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु 25 जनपदों में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 15 जनपदों में डी.पी.आर.सी. के भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2019–20 में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभाग को ई–गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

5- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

योजना का मुख्य उद्‌देश्य, उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाना है। पंचायतों में प्रतिस्पर्धा की भावना आने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत रू 2500 लाख का प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष प्रदेश मे कुल 346 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें प्रत्येक जनपद में पांच सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को क्रमशः 08 लाख, 07 लाख, 05 लाख, 03 लाख एवं 02 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2020–2021 हेतु उक्त योजनान्तर्गत रू0 2500 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है।

6 - डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना

पंचायती राज संस्थाओं में ई–गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना ही इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य है। योजना में राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी, जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम एवं ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण का कार्य आदि प्रमुख गतिविधियॉ है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश के 01 मंडलीय कार्यालय, 02 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय एवं प्रत्येक मंडल से 01 ग्राम पंचायत को स्मार्ट कार्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 मे धनराशि रू. 4.04 करोड़ के सापेक्ष रू. 2.58 करोड़ का व्यय किया गया एवं वर्ष 2020–21 में रू0 4.05 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 0.98 करोड़ का व्यय अक्टूबर 2020 तक किया जा चुका है।

****

अध्याय–8
औद्योगिक प्रगति

<u>मुख्य बिन्दु</u>–

- वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'** में उत्तर प्रदेश गत् वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये **दूसरी रैंक** हासिल की है।
- प्रदेश के जनपदों के कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु सरकार द्वारा **''एक जनपद एक उत्पाद''** (ओडीओपी) योजना 24–01–2018 को प्रारम्भ की गयी है। इस योजना हेतु वर्ष 2019–20 में रू0 250.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020–2021 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारम्भ करने जा रही है। इस योजना से युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ–साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- उ0प्र0 सरकार ने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये **'उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020'** लागू किया है इसके अन्तर्गत उद्यमी को निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा करने होंगें तथा 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नही होगी।
- औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **'उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020'** लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 03 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
- प्रदेश मे लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा हब) के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह स्थापित किया जाएगा।
- देश में कुल खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादन में प्रदेश का 5 प्रतिशत का योगदान है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के प्रकोप से अत्यंत अस्थिरता युक्त वातावरण में आत्म–निर्भर भारत की संकल्पना के साथ उद्यम प्रदेश के रूप में अग्रसित हो रही है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन की अहम भूमिका है। यह क्षेत्र उत्पादन और रोजगार की समग्र संवृद्धि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील है, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

तालिका–8.01
सकल राज्य मूल्य वर्धन मे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान
(स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड़ मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2012–13	186814	2.8	26.1
2013–14	201616	7.9	26.7
2014–15	197493	–2.0	25.3
2015–16	227708	15.3	26.7
2016–17	291368	28.0	30.6
2017–18	277720	–4.7	27.9
2018–19	296121	6.6	28.0
2019–20	294651	–0.5	26.8

स्रोत– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश

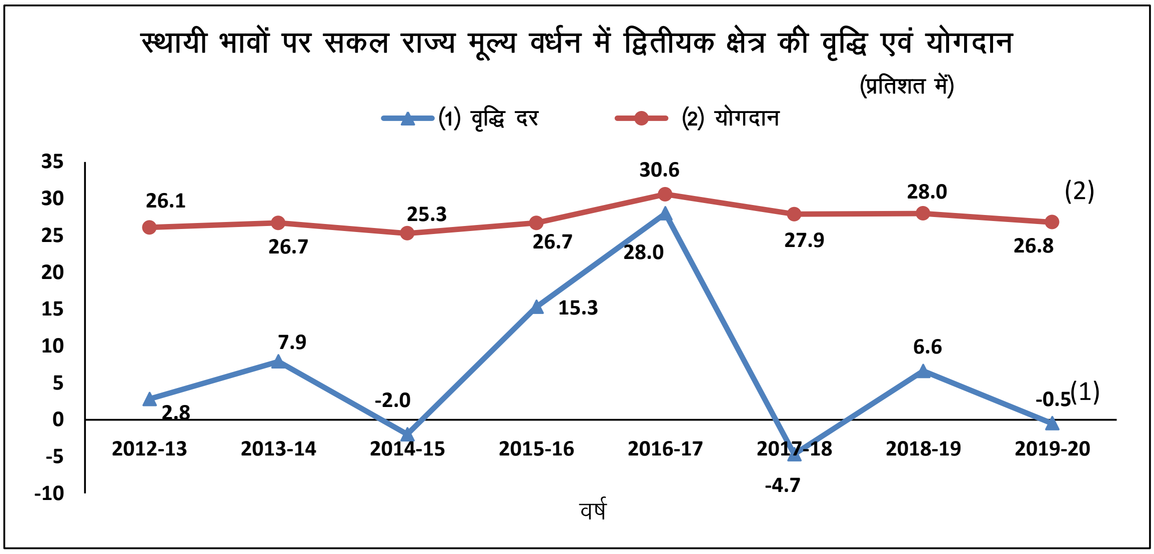

द्वितीयक खण्ड

द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। विगत् वर्षों मे द्वितीयक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–8.02
द्वितीयक खण्ड के उप–खण्ड का स्थायी भावों पर पर वृद्धि दर
(आधार वर्ष 2011–12)

क्रसं.	उप–खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर					
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	विनिर्माण	–10	26.4	47.0	–11.0	5.2	–3.5
2.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	6.0	6.3	14.3	11.6	2.2	3.5
3.	निर्माण कार्य	6.5	5.2	6.6	3.6	9.4	3.2
ख–माध्यमिक(1 से 3)		–2.0	15.3	28.0	–4.7	6.6	–0.5

सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 26.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2019–20 में 26.8 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में विनिर्माण उप–खण्ड का योगदान 14.2 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.0 प्रतिशत रहा है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में क्रमशः –2.0, 15.3, 28.0, –4.7, 6.6 तथा –0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 में क्रमशः –10, 26.4, 47.0, –11.0, 5.2 तथा –3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अर्न्तगत 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में क्रमशः 6.0, 6.3, 14.3, 11.6, 2.2, तथा 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में क्रमशः 6.5, 5.2, 6.6, 3.6, 9.4 तथा 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

व्यापार सुगमता

प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सुधारों की पहल की है, जिससे समग्र व्यवसाय वातावरण बेहतर हुआ है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिये विद्यमान नियमों को सरलीकृत और युक्ति युक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इन्ही प्रयासों का असर, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'**में देखा जा सकता है। देश की ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश, देश के शीर्ष 10 प्रदेशों में शामिल होते हुये दूसरे पायदान पर पहुँच गया है। यह रैंक पिछले वर्ष के 12वें स्थान से 10 रैंक की छलांग लगाकर **दूसरे रैंक** पर पहुँच गयी है। प्रदेश में यह सुधार आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करते हुये देखा जा सकता है।

प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योग आदि की गणना प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। इन मदों से सम्बंधित आंकड़े तालिका में दिये जा रहे हैं :–

तालिका–8.03

प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी (हजार मी0टन)#	वनस्पति तेल** (हजार मी0टन)	सूती कपड़ा+ (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी0टन)
1	2	4	5	6
2015–16	6855	–	43	42
2016–17	8773	68	30	35
2017–18	12050	60	16	29
2018–19	11822	51	16	27**#**
2019–20	12637	17*****	–	26**#**

***नवम्बर से मार्च तक। # अनन्तिम**

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2019–20 (12637 हजार मी० टन) में 2018–19 (11822 हजार मी० टन) की तुलना में 6.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वनस्पति तेल के उत्पादन में वर्ष 2019–20 (17 हजार मी० टन) में, वर्ष 2018–19 (51 हजार मी० टन) की तुलना में (–)66.67 प्रतिशत की कमी हुई है।

प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका–8.04 में दिये जा रहे हैं :–

तालिका–8.04

औद्योगिक विकास सम्बन्धी प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2017–18)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाखरु0)	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	16296	597292	3593370	32	1170	602
2–बिहार	3461	121772	640408	2	79	526
3–गुजरात	26586	1826748	18130698	41	2808	993
4–हरियाणा	8891	858313	6368005	32	3086	742
5–कर्नाटक	13518	1065346	8721853	21	1624	819
6–मध्य प्रदेश	4533	378022	3991800	6	473	1056
7–महाराष्ट्र	26393	2007794	22999569	22	1672	1146
8–पंजाब	12726	708232	2679446	42	2343	378
9–राजस्थान	9212	556103	4246017	12	738	764
10–तमिलनाडु	37787	2523483	13713990	49	3291	543
11–उत्तर प्रदेश	15830	1070841	7360712	7	485	687
12–प0 बंगाल	9534	663751	3699113	10	681	557
भारत	**237684**	**15614619**	**122967418**	**20**	**1290**	**788**

स्रोत–उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2017–18 खण्ड–1, भारत सरकार।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्यचीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति सम्बन्धी तालिका 8.05 दी जा रही है। तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100) वर्ष 2018–19 में 123.62 था, जो (–)4.5 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2019–20 में 118.00 हो गया। सर्वाधिक वृद्धि (2.3 प्रतिशत) पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद के वर्ग में हुई।

तालिका–8.05

प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12 = 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत् वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2018–19	2019–20	
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	108.73	101.87	(–)6.31
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	65.76	67.27	2.3
3	सूती कपड़ा	132.04	117.38	(–)11.1
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	132.42	131.95	(–)0.4
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	138.16	131.99	(–)4.5
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	125.88	85.50	(–)32.1
7	अन्य	128.79	128.70	(–)0.1
	विनिर्माण सूचकांक	**123.62**	**118.00**	(–)4.5

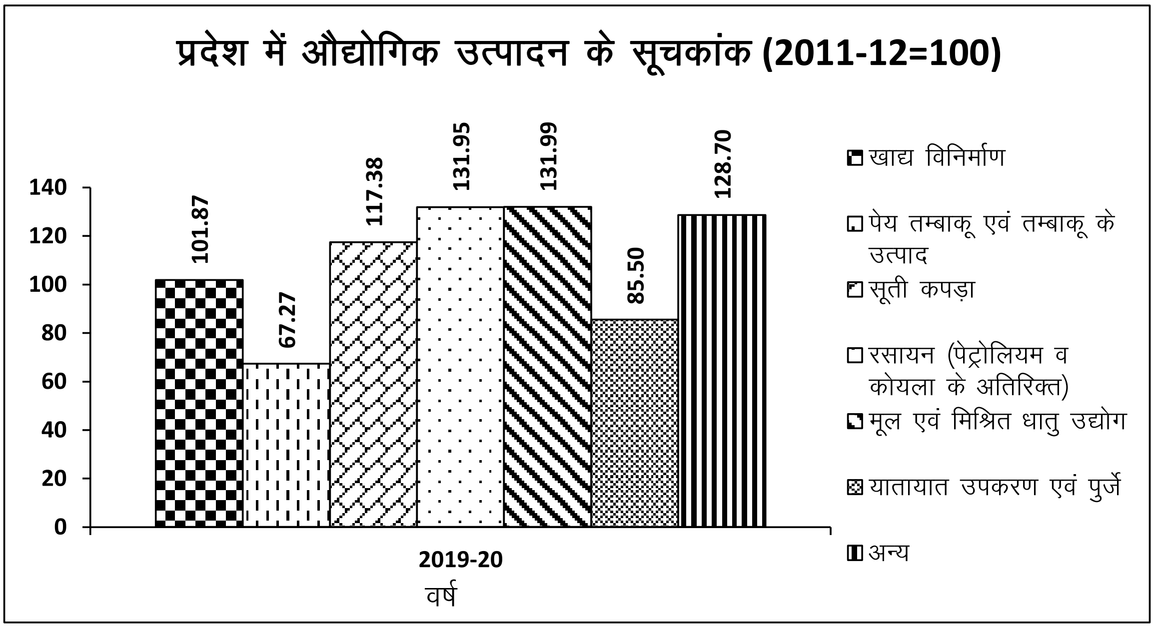

उ0प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से संबधित संचालित योजनायें

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं

1–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम आठवीं पास बेरोजगारों को स्व–रोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक के विनिर्माण क्षेत्र तथा रू0 10.00 लाख तक के सेवा क्षेत्र की इकाइयों के माध्यम से युवाओं को स्व–रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है| परियोजना लागत की इकाइयों को बैंकों से वित्त पोषण प्रदान कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा–

अनु0जा0 / ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाइयों पर 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है।

प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2019–20** में कुल 2514 लाभार्थियों को रू0 7728.67 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार से 3429 इकाइयों की स्थापना हेतु रू0 10287.00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। माह सितम्बर, 2020 तक 812 लाभार्थियों को रू0 2698.64 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई।

2 उद्यम क्लस्टर विकास योजना

योजनान्तर्गत भारत सरकार के द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से क्षेत्र विशेष / क्लस्टर विशेष को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र मे कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित कराने हेतु (कम से कम 20 सदस्य) एस0पी0वी0 के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। सामान्यतः परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक का अनुदान अनुमन्य है।

अब तक भारत सरकार द्वारा 8 कॉमन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) के प्रस्ताव (कुल लागत धनराशि रू0 5737.60 लाख) स्वीकृत हुए है। सीएफसी पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर मेरठ संचालित है। औद्योगिक अवस्थापना से सम्बन्धित आगरा, शिकोहाबाद एवं मेरठ से सम्बन्धित तीन प्रस्ताव (कुल लागत धनराशि रू0 1755.51 लाख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुए है।

3 एस्पायर योजना

भारत सरकार द्वारा संचालित एस्पायर योजनान्तर्गत संस्थाओं को एल0बी0आई0 (लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर) एवं टी0बी0आई (टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर) स्थापित करने हेतु अनुदान मात्र मशीनरी के मद में अधिकतम रू0 01 करोड़ तक अनुमन्य है। सरकारी संस्था को रू0 01 करोड़ की सीमा तक शत–प्रतिशत अनुदान देय है। प्राइवेट संस्था को मशीन की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50.00 लाख का अनुदान अनुमन्य है। शेष 50 प्रतिशत, प्राइवेट संस्था को मैचिंग ग्रान्ट उपलब्ध कराना होगा।

भारत सरकार से एल0बी0आई0 के प्रेषित कुल 6 प्रस्ताव (लागत रू0 381.65 लाख) स्वीकृत हुए है। उक्त के सापेक्ष धनराशि भी रू0 157.845 लाख प्राप्त हो गई है, जिसे सम्बन्धित एल0बी0आई0 के खातों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु महत्वपूर्ण नई योजनाओं में युवाओं को स्व–रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की योजना लागू की जा रही है। प्रदेश में संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत हैं :–

1—मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण, बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रविधान है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 लाख है। इस हेतु हाई स्कूल उत्तीर्ण 18—40 वर्ष आयु वर्ग के उ0प्र0 के ऐसे मूल निवासी पात्र हैं जो किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर न हों।

वित्तीय वर्ष 2019—20 में 2869 इकाइयों को स्थापित कर 6429.81 व्यय किया गया **वित्तीय वर्ष 2020—21** में 5000 इकाइयों को स्थापित कराने हेतु रू0 9700.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। माह सितम्बर, 2020 तक 632 लाभार्थियों के आवेदन—पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये।

2—एक जनपद एक उत्पाद

रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को "एक जनपद एक उत्पाद" नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उत्पादों की उन्नति एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिये कई योजनाएं, जैसे— वित्त पोषण हेतु सहायता योजना,विपणन प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास और टूल किट वितरण योजना और सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना का संचालन किया है।

एक जनपद—एक उत्पाद योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कम पूंजी निवेश से बेहतर रोजगार की भरपूर सम्भावना है। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के साथ ही स्थानीय रूप से रोजगार में भी बढ़ोत्तरी होगी।

योजनान्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2019—20** में 1442 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये रु0 4354.00 लाख़ का ऋण वितरण किया गया, जिसमें लगभग 19529 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। **वर्ष 2020—21** हेतु रु0 10670.00 लाख का आय व्ययक प्रावधान किया गया है। सितम्बर 2020 तक लक्ष्य के सापेक्ष 489 लाभार्थियों को रू0 1771.67 लाख का ऋण वितरित किया गया।

ओडीओपी कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019—20 में 20000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण के लक्ष्य हेतु रू0 5000 लाख आवंटित किये गये जिसके सापेक्ष 19529 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण में कुल रू0 4174.49 लाख व्यय हुए। वित्तीय वर्ष 2020—21 में 16000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण लक्ष्य हेतु रू0 2000 लाख रूपये आवंटित किये गये, जिसके सापेक्ष सितम्बर 2020 तक कुल 14600 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित की जा चुकी है।

3. हस्तशिल्प विकास की योजनाएं

हस्तशिल्पियों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना, विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना एवं विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजनाएं चलाई जा रही है।

3.1–हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उ0प्र0 में विभिन्न हस्तशिल्प जैसे– कालीन, चूड़ी, ताला, जरी, जरदोजी, हैण्डलूम, चिकन कारीगरी, स्टोन कार्विंग, बुड कार्विंग, ब्लैक पाटरी, बेंतवास, लकड़ी के खिलौने, टेराकोटा, पीतल की कला, जूटवॉल हैंगिंग, पतंगकासा, पंजादरी पाटरी आदि क्षेत्रों में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी हैं। इनमें अधिकांशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द होते हुए भी अत्यन्त गरीब हैं। हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल के विपणन में सहायता के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टॉल के किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– की धनराशि राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 200.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 198.39 लाख की धनराशि व्यय कर 2015 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत रू0 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, परन्तु कोविड–19 के कारण मेलों का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं है।

3.2 हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे–धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं। इस प्रशिक्षण में नवीनतम तकनीकी एवं उन्नत किस्म के औजारों/उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता हैं। इस हेतु निम्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैंः–

(अ) हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजनाः–यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के दिशा–निर्देशन व संरक्षण में संचालित करायी जाती है।

(ब) निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजनाः–यह योजना भी प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित एवं स्पांसर्ड वर्कशॉप आयोजित कराना है। यह प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में संचालित है, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियाँ बनाई जा रही हैं। योजनान्तर्गत वही पात्र होते हैं जो हस्तकला/निर्यात से सम्बद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु इस योजना में लक्ष्य 1740 के सापेक्ष 1730 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु रू0 119.35 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रू0 120.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। सितम्बर, 2020 तक 3.00 लाख रू0 व्यय करते हुए 120 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3.3–हस्तशिल्प पेंशन योजना

योजनान्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त न्यूनतम 50 वर्ष के हस्तशिल्पियों को प्रति माह रू0 2,000/– पेंशन, आजीवन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 233 हस्तशिल्पियों को रू0 57.60 लाख की धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु रू0 57.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। 224 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को माह सितम्बर, 2020 तक की पेंशन दी जा रही है।

3.4 विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट विशिष्ट हस्तशिल्पियों को उच्चकोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार योजना लागू है। इस योजना में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पी को उनकी उत्कृष्ट कलाकृति हेतु राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार तथा दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार 20–20 हस्तशिल्पियों को प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रति हस्तशिल्पी रू0 35000/– की धनराशि राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार में एवं रू0 20000/– की धनराशि दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार में प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके लिये रू0 25 लाख की धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 में भी 25 लाख रू0 की धनराशि 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वीकृत की गई है।

4–मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु दिसम्बर, 2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला एवं दिव्यांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है) एवं शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1375 हस्तशिल्पियों को पेंशन दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे सितम्बर, 2020 तक 20.06 लाख रू0 व्यय करते हुए 1361 हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक पेंशन दी जा चुकी है।

5.कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण योजना एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये है।

5.1–अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 से विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें कौशल विकास हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ताकि वे प्रशिक्षणोंपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षार्थियों के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु रू0 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष रू0 198.50 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

5.2– अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के युवक/युवतियों को चयनित कर उनके कौशल विकास हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान

किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में से की जा सके। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे– बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, टैक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साड़ियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 487.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से 6771 प्रशिक्षार्थियों के लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति की गयी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु इस योजना में 6771 प्रशिक्षार्थियों हेतु रू0 487.50 लाख की बजट स्वीकृति प्रदान की गयी है। सितम्बर, 2020 तक लगभग 1440 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

5.3–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु योजना संचालित की जा रही है।

औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु रू0 6.00 लाख की धनराशि व्यय की गई ।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु इस योजना में 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 6.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

6–विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं सम्वर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है। इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा वे अपनी आजीविका सुगमता से चला सकेंगे।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रू0 3000.00 लाख़ का बजट स्वीकृत किया गया। जिससे 19938 लाभार्थियों को प्रशिक्षण व टूल किट वितरित कराये जाने में रू0 2919 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 20000 पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु रू0 3000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। सितम्बर, 2020 तक 2000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण व टूल किट वितरित कराये जाने में रू0 2743 लाख का व्यय किया गया हैं।

7–एकलमेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुगम (फैसिलीटेट) करने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था की गयी है।

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग–बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय

उद्योग बन्धु बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार किये जाने की व्यवस्था है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के सृजन व निवेश बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत फैसले लेती है। कोई भी उद्यमी जिले, मण्डल अथवा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका निराकरण करा सकता है।

एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश–मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाइट निवेशमित्र.यूपी.एनआईसी.इन पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एन0ओ0सी0 आदि प्राप्त कर सकते हैं।

8–औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

प्रदेश के वृहद् औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं (जैसे–सड़क, नाली, ड्रैनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधा के उच्चीकरण हेतु योजना संचालित की जा रही है। **वित्तीय वर्ष 2019–20** में रू0 700.00 लाख के बजट से प्रदेश के 14 औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है। वर्ष 1960–70 में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रफल के 78 वृहद् औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये जिनमे 985 शेड तथा 3647 भूखण्ड विकसित है। इनमें से 09 शेड और 41 भूखण्ड रिक्त है। इसी प्रकार तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर 1980 से 1992 के मध्य 160 मिनी औद्योगिक आस्थान किये गये, जिनमें 7924 विकसित भूखण्ड है। वर्तमान में 1527 भूखण्ड आवंटन हेतु रिक्त है।

9–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिवर्तन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम व्यवस्था सितम्बर 2015 में लागू की गई थी, जिसे पुनः परिवर्तित कर 'उद्यम रजिस्ट्रीकरण' जिसे 26 जून 2020 के भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया तथा 1 जुलाई, 2020 से लागू किया गया। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

(1) सूक्ष्म उद्यम :– ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश 1 करोड़ रूपये से अधिक नही है और आवर्तन पांच करोड़ से अधिक नही है।

(2) लघु उद्यम :– ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश दस करोड़ रूपये से अधिक नही है और आवर्तन पचास करोड़ रूपये से अधिक है।

(3) मध्यम उद्यम :– ऐसा मध्यम उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन दो सौ पचास करोड़ से अधिक नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा भी इस व्यवस्था को अंगीकृत कर लिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करने का आशय रखता है, वह उद्यमरजिस्ट्रेशन.गव.इन वेबसाइट पर जाकर स्व–घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाणपत्र या सबूत को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नही है।

ईएम–भाग–।। या यूएएम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी विद्यमान उद्यम 1 जुलाई 2020 को या उसके पश्चात् उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगें। 30 जून 2020 तक रजिस्ट्रीकृत सभी उद्यमों को इस अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जायेगा तथा 30 जून, 2020 से पहले रजिस्ट्रीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगें।

उ0प्र0 सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रयास

- उ0प्र0 सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन को सुगम बनाने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्यमी द्वारा उद्यम विस्तारीकरण और विवधीकरण हेतु अभिस्वीकृत प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिये जिलास्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ यथा अपेक्षित समस्त प्रपत्रों सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा किया जायेगा। इससे उद्यमी को 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नही होगी। उक्त अवधि के उपरान्त उद्यमी, 100 दिवस उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति पत्र प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम को लागू कर 01 वर्ष में 15 लाख नये रोजगार के अवसर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यह अधिनियम तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पानमसाला, एल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद एवं पटाखों के निर्माण में लागू नही होगा।

- उ0प्र0 सरकार द्वारा लाकडाउन के विषम समय में एमएसएमई इकाइयों को लाभान्वित कराने हेतु 3 क्रेडिट आनलाइन लोन मेला का आयोजन किया गया जिसके द्वारा 729691 इकाइयों को रू0 20442 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया।

- प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) को अंगीकृत किया गया है। प्रदेश को सरकारी विभागों में सबसे अधिक जेम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, सरकारी विभागों के लिये जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों को खरीदना अनिवार्य हो गया है।

- देश के एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की शिकायतों के निराकरण हेतु '**रिवाइवल एवं फैसिलटेशन सेल**' का गठन किया गया है।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत 03 सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किये जा चुके है एवं 02 स्थापनाधीन है।

- प्रदेश में रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस एक्सपो का आयोजन दिनांक 05 फरवरी 2020 से 09 फरवरी 2020 तक लखनऊ में किया गया।

कोविड–19 महामारी का उद्योग जगत पर प्रभाव

1930 की महामन्दी (जो तीसा की महामन्दी नाम से जानी जाती है) के बाद कोविड–19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। कोविड–19 में विश्व के हर प्रभावित देश ने जन–जीवन बचाने के लिये आंशिक या पूर्णरूपेण लॉकडाउन किया जिससे अर्थव्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है।

इसी क्रम में भारत सरकार ने भी इस संकट का सामना करते हुये फेजवाइज राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया। फेज–1 लॉकडाउन में चिकित्सीय सेवायें, ग्रॉसरी, आवश्यक वस्तुयें तथा बैंकिंग सेवाओं को छोड़कर पूर्णरूपेण लॉकडाउन था। इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

उद्योग क्षेत्र मांग व पूर्ति दोनो पक्षों द्वारा प्रभावित हुआ है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन अवधि में उत्पन्न होने वाली मांग, जिस मांग को स्थगित नही किया जा सकता था उससे कई उद्योग प्रभावित हुये। ऐसी मांग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग,

हॉस्पिटैलिटी उद्योग, उड्डयन उद्योग, सिनेमा थिएटर, परिवहन उद्योग प्रमुख है जिनको इस अवधि में सर्वाधिक घाटे का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र, रियल स्टेट, निर्माण क्षेत्रों पर भी काफी बुरा असर देखने को मिला है। कच्चे माल की आपूर्ति, मध्यवर्ती माल की आपूर्ति, व्यापार बन्द होने के कारण वित्तीय समस्यायें, श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण अनलॉक फेज में पूर्ति पक्ष ने उद्योगों पर काफी विपरीत प्रभाव डाला है।

वहीं फार्मास्यूटिकल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग में पीपीई किट व मास्क का वृहद स्तर पर मांग का बढ़ना, हैण्डवाश व हैण्ड सेनेटाइजर उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण बहुत सारे नये स्टार्टअप भी शुरू हुये। वर्क फ्राम होम की अवधारणा ने ई–लर्निंग, साईबर सेक्योरिटी, होम फर्नीचर जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया है।

कोविड–19 अवधि में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए किये गये प्रयास

केन्द्र सरकार के साथ–साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड–19 आपदा को 'औद्योगिक क्षेत्र के लिये' अवसर में बदलने का अहम प्रयास किया है।

- भारत सरकार द्वारा **'आत्मनिर्भर भारत अभियान'** के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमतापूर्वक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के रूप में विशेष पैकेज दिया गया। प्रदेश में सितम्बर 2020 तक आत्म निर्भर पैकेज के अन्तर्गत लगभग, 424466 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है।
- केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु पूरे देश में चैम्पियन कन्ट्रोल रूम खोले गये है। इस समय पूरे देश में कुल 67 चैम्पियन कन्ट्रोल रूम कार्यरत है, जिनमें एक केन्द्रीय स्तर पर एवं 66 राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित 4 चैम्पियन कन्ट्रोल रूम कानपुर, आगरा, प्रयागराज एवं वाराणसी में कार्यरत है। केन्द्र सरकार का अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि में एमएसएमई उद्योगों को परमिट देने एवं आ रही कठिनाइयों एवं शिकायतों के निवारण हेतु 20 अप्रैल 2020 से विशेष सेल का गठन किया गया है।
- केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया जिसमें उन उद्योगों को भी फायदा हुआ, जो एमएसएमई के दायरे से बाहर हो गये थे।
- प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वतः रोजगार पर भी काफी जोर दिया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिये **'उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020'** एवं **'उ0प्र0 कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020'** लागू किया गया, जिसमें उद्यम स्थापना हेतु कई छूटों का प्राविधान है।

खनिज अन्वेषण

प्रदेश में अब तक किये गये खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत प्रदेश में स्वर्ण, लौह अयस्क, ग्लूकोनाईट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर व रॉक फास्फेट, पोटाश, सिलिका सैण्ड व चीनी मिट्टी के खनिज भण्डारों की पुष्टि हुई है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रूचि ली जा रही है।

प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी अब ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की कार्यदायी संस्था, अपट्रान पावरट्रानिक लि0 द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त साफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी खनन क्षेत्रों की जिओ टैगिंग भी कराई गई है।

प्रदेश में खनिज उत्पादन

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नासाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 8.06 में दिये जा रहे हैं:-

तालिका–8.06

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र0सं0	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		गत् वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन.		गत् वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
		2018–19	2019–20*		2018–19	2019–20*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पाइरोफाइलाइट	280	230	–17.86	14377+	5090+	–64.60
2	गन्धक	0	0	0	46111	43602	–5.44
3	कोयला	–	–	–	18884	16598	–12.11
4	चूने का पत्थर	6244	7046	12.84	2388	2633	10.26

*अनन्तिम + **परिमाण घन मी.**

उपखनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख हैं। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 8.07 में दिये जा रहें हैं–

तालिका–8.07

प्रदेश में उप खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्रम सं0	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (हजार रू.में)			परिमाण(हजार घनमीटर)		
		2018–19	2019–20*	गत् वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2018–19	2019–20*	गत् वर्ष की अपेक्षा% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	13003700	11160000	–14.17	45198	7432	–83.55
2	स्लैब स्टोन	1644060	138500	–91.57	4233	64	–98.48
3	गिट्टी	29875975	25707000	–13.95	3334	11465	243.88
4	ग्रेनाइट	1054405	256500	–75.67	1071	8	–99.25
5	ईटों की सं0 (लाख में)	9129695	–	–	337712	–	–
6	मौरंग	62163600	37216000	–40.13	82885	10691	–87.10

*अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में वर्ष 2018–19 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 में सभी उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में कमी परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक कमी (91.57 प्रतिशत) स्लैब स्टोन के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत् वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2019–20 में गिट्टी को छोड़कर शेष सभी खनिज पदार्थो के उत्पादन में कमी हुई है।

****

अध्याय–9
सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु–

- प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2019–20 में 49.7 प्रतिशत हो गया है।
- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 7.7% की वृद्धि हुई है।
- स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन के व्यापार, होटल एवं जलपान गृह खण्ड में वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में क्रमशः 5.7 व 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।
- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में वित्तीय सेवाएं खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2019–20 में 3.4 प्रतिशत हो गया है।
- प्रदेश में मार्च, 2018 में सेवा क्षेत्र में 10.47 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे।

अर्थव्यवस्था के तीन खण्डों प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत तृतीयक खण्ड का जी0एस0डी0पी0 में सबसे बड़ा योगदान है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2019–20 में इस सेक्टर का अंश 49.7 प्रतिशत है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं खण्ड सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं, जिनकी कई विशेषताएं तथा आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी हैं। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान के आंकलन हेतु आंकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन के स्थायी भावों पर लगभग 50.2 प्रतिशत का अंशदान है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 23.0 प्रतिशत तथा 26.8 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयंसिद्ध है। वर्ष 2018–19 व 2019–20 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 7.6 प्रतिशत तथा 7.7 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2019–20 में 49.7 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.01
सकल राज्य मूल्य वर्धन मे तृतीयक क्षेत्र का योगदान

(स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड़ मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2011–12	310326	–	45.5
2014–15	387420	9.2	49.6
2015–16	416939	7.6	48.9
2016–17	440696	5.7	46.3
2017–18	476527	8.1	47.9
2018–19	512946	7.6	48.5
2019–20	552541	7.7	50.2

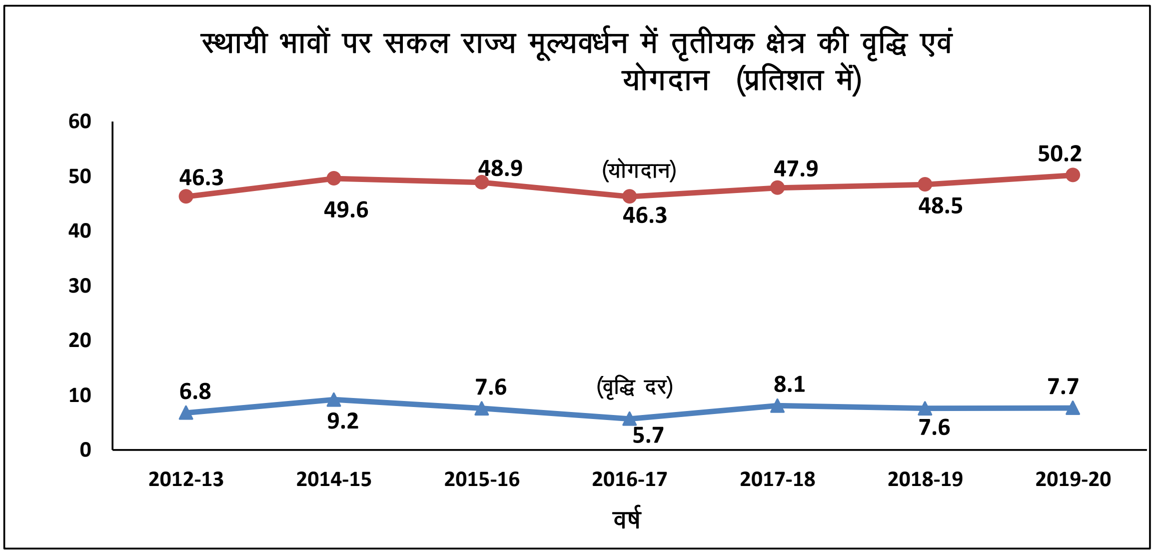

अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। विगत् वर्षों मे तृतीयक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–9.02

तृतीयक उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011–12)

क्रसं.	उप–खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर					
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	6.3	9.6	6.6	7.2	5.7	6.6
2	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	22.1	12.2	3.8	6.9	9.2	10.7
3	रेलवे	3.2	–2.1	0.3	16.2	4.8	–4.4
4	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	26.1	13.1	8.2	9.3	13.1	18.3
5	भण्डारण	–0.9	3.7	1.1	6.3	0.8	3.0
6	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	36.1	23.1	–2.0	–4.4	4.3	4.5
7	वित्तीय सेवायें	11.2	8.5	–1.3	7.6	2.7	2.5
8	स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	6.0	4.9	5.3	4.7	6.8	6.1
9	लोक प्रशासन और रक्षा	4.8	3.2	10.8	16.3	9.7	12.0
10	अन्य सेवाएं	10.5	9.1	7.8	11.5	11.9	7.2
तृतीयक खण्ड (1 से 10)		9.2	7.6	5.7	8.1	7.6	7.7

#त्वरित अनुमान

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उप–खण्ड का स्थायी भाव पर वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में क्रमशः 9.2, 7.6, 5.7, 8.1, 7.6, तथा 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उप–खण्ड का 13.8 प्रतिशत है।

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1)परिवहन, संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन, संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं, रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस उप–खण्ड में वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन रू० 40475 करोड़ था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर रू० 96175 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में इस उप–खण्ड में क्रमशः 9.2 तथा 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इसका योगदान वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2019–20 में 8.7 प्रतिशत हो गया है।

भण्डारण का वर्ष 2019–20 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 1370 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्यवर्धन रू० 20528 करोड़ था। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र एक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

तालिका–9.03

परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन

वर्ष	प्रचलित भावों पर (करोड़ रू०में)	स्थायी (2011–12) भावों पर (करोड़ रू०में)	वृद्धि दर स्थायी भावों पर %
2011–12	40475	40475	–
2014–15	72439	63879	22.1
2015–16	81824	71703	12.2
2016–17	87939	74395	3.8
2017–18	95922	79505	6.9
2018–19	108978	86845	9.2
2019–20	113115	96175	10.7

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस खण्ड का सकल मूल्यवर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू० 69466 करोड़ था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर रू० 115254 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में इस खण्ड में क्रमशः 5.7 व 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.2 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2019–20 में 10.1 प्रतिशत रह गया है।

प्रदेश अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर इस खण्ड की वृद्धि दर तथा योगदान को बढ़ा सकता है। प्रदेश में वर्ष 2019 में कुल 5406 लाख पर्यटक आये जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 5358.55 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 47.45 लाख रही। पर्यटन उद्योग का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभाव होता है तथा यह क्षेत्र विकास के उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकता है। प्रदेश पर्यटन में विकास एवं रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र की महत्ता के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों

को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुंचाने हेतु **''उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018''** लागू की गयी है।

तालिका–9.04
व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का सकल मूल्यवर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	69466	69466	–
2014–15	93256	81626	6.3
2015–16	105070	89448	9.6
2016–17	115903	95370	6.6
2017–18	130407	102231	7.2
2018–19	145609	108082	5.7
2019–20	156405	115254	6.6

(3) वित्तीय सेवाएं

इसके अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 25182 करोड़ था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर रू० 40832 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 में 2.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2019–20 में 3.4 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है, कि इसके आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

तालिका–9.05
वित्तीय सेवायें खण्ड का सकल मूल्यवर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	25182	25182	–
2014–15	35209	33662	11.2
2015–16	39377	36534	8.5
2016–17	38885	36075	(–)1.3
2017–18	44905	38804	7.6
2018–19	49682	39836	2.7
2019–20	51819	40832	2.5

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इसके अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां, शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल मूल्यवर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 97454 करोड़ था जो बढ़कर वर्ष 2019–20 में रू० 152233 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में क्रमशः 6.8 प्रतिशत व 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2019–20 में 15.1 प्रतिशत रहा है। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उप–खण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

तालिका–9.06

स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का सकल मूल्यवर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12)भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	97454	97454	–
2014–15	145156	116097	6.0
2015–16	157675	121739	4.9
2016–17	173477	128182	5.3
2017–18	189133	134243	4.7
2018–19	213183	143435	6.8
2019–20	233909	152233	6.1

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश की समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 42348 करोड़ था, जो कि वर्ष 2019–20 में बढ़कर रू० 83008 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में इस खण्ड में क्रमशः 9.7 प्रतिशत तथा 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 6.20 एवं वर्ष 2018–19 में 7.6 प्रतिशत रहा है।

तालिका–9.07

सार्वजनिक प्रशासन खण्ड का सकल मूल्यवर्धन (करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धिदर स्थायी भावों पर
2011–12	42348	42348	–
2014–15	59737	50806	4.8
2015–16	63177	52422	3.2
2016–17	72494	58069	10.8
2017–18	87486	67555	16.3
2018–19	98884	74097	9.7
2019–20	117265	83008	12.0

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2019–20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्यवर्धन स्थायी भावों पर रू० 35401 करोड़ था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर रू० 65039 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में इस खण्ड में क्रमशः 11.9 प्रतिशत तथा 7.2 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2011–12 में इस उपखण्ड का योगदान 5.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.08
अन्य सेवाएं उपखण्ड का सकल मूल्यवर्धन

(करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	35401	35401	–
2014–15	50351	41350	10.5
2015–16	57526	45093	9.1
2016–17	65352	48605	7.8
2017–18	76052	54188	11.5
2018–19	90017	60652	11.9
2019–20	96472	65039	7.2

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश में सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च, 2019 में सेवा क्षेत्र में 10.47 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रहे।

तालिका–9.09
प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	228860
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	347
"जे"	सूचना एवं संचार	21367
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102842
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20213
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	436
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	544505
"पी"	शिक्षा	237115
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	99929
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2044
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3386
योग		**1047044**

****

अध्याय–10
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

मुख्य बिन्दु–

- निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस –वे पर समाप्त होगा।
- **"विश्वकर्मा"** सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य सम्बंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जायेंगे।
- प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढाई है, उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण हेतु 2020–21 में **मेजर ध्यानचंद पथ** योजना चलायी जा रही है।
- वर्ष 2020–21 में **प्रदेश** के शहीदों को सम्मान देने हेतु उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण कराने के लिए 14 मार्गों के कार्यों हेतु माह अगस्त तक 10.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे है।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ, प्रदेश के बलिया जनपद से किया गया था।

अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। इनके सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। इसके अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास शामिल है।

परिवहन एवं संचार

राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क, रेल, वायु मार्ग, जल मार्ग एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया–कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर ही निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये सड़क एवं परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

प्रदेश में सड़क परिवहन का विकास

सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्री की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका–10.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.01
सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	मार्ग का वर्गीकरण	मार्च 2015 तक	मार्च 2016 तक	मार्च 2017 तक	मार्च 2018 तक	मार्च 2019 तक	वर्तमान स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	राष्ट्रीय मार्ग (कि0मी0)	7552	7572	8328	10981	11384	11475
2	राज्य मार्ग (कि0मी0)	7597	7147	7202	6810	6859	8334
3	प्रमुख जिला मार्ग (कि0मी0)	7338	7637	7486	7277	7388	5434
4	अन्य जिला मार्ग (कि0मी0)	43512	46006	47576	49037	49138	49027
5	ग्रामीण मार्ग (कि0मी0)	149193	163035	169051	168694	175437	176698
	योग–	**215212**	**231397**	**239643**	**242799**	**250206**	**250968**

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

प्रदेश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता युक्त अनेक हाईवे एवं एक्सप्रेस वे विकसित किये जा रहे हैं–

गंगा एक्सप्रेस वे

प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए करीब छह सौ किमी लम्बे गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है,जो रोजगार, उद्योग व पर्यटन में भी सहायक होगा। यह मेरठ, अमरोहा, बुलन्दशहर, बदायूँ, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। इसके लिए 6556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जायेगी। इस परियोजना में 8 आरओबी (ओवर ब्रिज) और 18 फ्लाई–ओवर्स बनेंगें। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 36 हजार करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे

गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे 91.352 किमी लंबा होगा और 988 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इस परियोजना की लागत 5555.16 करोड़ रूपये हैं। चार लेन का यह लिंक एक्सप्रेस–वे गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ तक बनेगा। आजमगढ़ के जरिए यह एक्सप्रेस वे पूर्वांचल–एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे व यमुना एक्सप्रेस–वे से जोडा जाएगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे

प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण तीन साल (2021 तक) से कम वक्त में पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है। एक्सप्रेस–वे 340.824 किमी लम्बा 6–लेन चौड़ा (एक्सपेन्डेवल टू 8 लेन प्रवेश नियंत्रित पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे) होगा। एक्सप्रेस–वे लखनऊ–सुल्तानुपुर रोड (एन0एच–56) के ग्राम चॉद सराय से

गाजीपुर में यूपी बिहार सीमा से 18 किमी पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर हैदरिया ग्राम पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस–वे पर यातायात संचालन, नियंत्रण व निगरानी के लिए आटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा।

परियोजनान्तर्गत 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 110 लघु सेतु, 11 इन्टरचेन्ज, 2 टोल प्लाजा, 5 रैम्प प्लाजा, 20 टोल बूथ, 220 अन्डरपास तथा 492 पुलियों का निर्माण होगा। आपात कालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग/टेक ऑफ के लिए सुल्तानपुर में 32 किमी लम्बी हवाई पट्‌टी का भी निर्माण होगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे

बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस –वे पर समाप्त होगा। इसकी दूरी 296.264 किमी और प्रभावित क्षेत्रफल 3641.63 हेक्टेयर अनुमानित है। इसके निर्माण में 14716.26 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

तालिका–10.02
वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट प्राविधान

(धनराशि रू0 करोड़ में)

<table>
<tr><th rowspan="2">योजना का नाम</th><th colspan="3">वर्ष 2019–20</th><th colspan="5">वर्ष 2020–21</th></tr>
<tr><th>आवंटन</th><th>व्यय</th><th>उपलब्धि</th><th>बजट प्राविधान</th><th>आवंटन</th><th>व्यय</th><th>लक्ष्य</th><th>प्रगति</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण मार्गो का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण</td><td rowspan="2">1676.65</td><td rowspan="2">1472.53</td><td>3598 कि0मी0</td><td rowspan="2">1635</td><td rowspan="2">9441</td><td rowspan="2">25.70</td><td>4889 किमी0</td><td>468 किमी0</td></tr>
<tr><td>ग्राम/बसावटों को जोड़ा जाना</td><td>1785 नं0</td><td>4671 नं0</td><td>449 नं0</td></tr>
<tr><td>विभिन्न श्रेणी के मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण</td><td>5406.91</td><td>5145.17</td><td>4007 कि0मी0</td><td>9394.28</td><td>365.82</td><td>180.52</td><td>2560 किमी0</td><td>399.93 किमी0</td></tr>
<tr><td>नदी सेतुओं का निर्माण एवं रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य</td><td>2083.92</td><td>2079.66</td><td>132 नं0</td><td>2529.5</td><td>251.19</td><td>94.31</td><td>216 नं0</td><td>24 नं0</td></tr>
<tr><td>इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना</td><td>143.18</td><td>134.97</td><td>22 किमी0</td><td>138.67</td><td>53.00</td><td>16.44</td><td>27 किमी0</td><td>12 किमी0</td></tr>
</table>

सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड को दो लेन मार्ग से जोड़ना

(अ) अभी तक 26 **त**हसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जुड़े नहीं थे जिन्हे जोड़ने हेतु रू0 387 करोड़ की लागत से रू0 269.66 किमी0 मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृतियां निर्गत की गई हैं। अगस्त, 2020 तक 16 **त**हसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जोड़े जा चुके हैं।

(ब) वर्तमान में कुल 138 विकास खण्ड दो लेन मार्ग से जुड़े हुए नहीं है, जिनमे से 113 को दो लेन मार्ग से जोड़ने की स्वीकृतियां रू0 1570.00 करोड़ की लागत से 948.28 किमी0 हेतु निर्गत की जा चुकी है जबकि अवशेष की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्गत किया जाना प्रस्तावित है, अगस्त 2020 तक 66 कार्य पूर्ण कर लिये है।

2. अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान

ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 250 अथवा उससे अधिक है एवं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को पक्के सम्पर्क मार्गों से विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2019–20 में चालू कार्यो एवं नये कार्यो हेतु रू0 234.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया एवं बसावटों के सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण किया गया है। वर्ष 2020–21 में चालू एवं नये कार्यो हेतु रू0 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

3.(अ)मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में अगस्त, 2020 तक कुल लगभग 4407 किमी0 मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें से वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी की चुनौतियों में भी अगस्त तक 400 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2020–21 में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु रू0 9394 करोड़ की व्यवस्था उपलब्ध है।

(ब) प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों एवं राष्ट्र को परोक्ष/अपरोक्ष रूप से जोड़ने हेतु कुल 69 कार्यों को स्वीकृत किया गया है जिनकी लम्बाई 756 किमी0 एवं लागत रू0 1468 करोड़ है, जिन पर रू0 1044 करोड़ व्यय करते हुए 41 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्यों पर कोविड–19 के बावजूद भी कार्य प्रगति पर है।

4. एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य

परियोजना की कुल लागत रू0 2782 करोड़ है जिस पर 70 प्रतिशत धनराशि एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक एवं 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत 08 मार्ग (लम्बाई 431 किमी0) सम्मिलित है, जिसमें अगस्त–2020 तक 04 मार्गो पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 04 मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

5. विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य

परियोजना की कुल लागत रू0 3700 करोड़ है जिस पर 70 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक एवं 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना के प्रथम चरण में 260 किमी0 के 04 मार्ग चयनित है। वर्ष 2020–21 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत चयनित 06 मार्गों पर डी0पी0आर0 के गठन की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

6.केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मार्गो का निर्माण

अन्य प्रादेशिक सीमा वाले महत्वपूर्ण मार्गो को विकसित करने एवं स्वागत द्वार तथा अन्य सौन्दर्यीकरण आदि के उद्देश्य से 69 सड़को को रू0 1468 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 32 कार्य वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूर्ण किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त रू0 3034 करोड़ की लागत से 117 प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में अगस्त तक 99 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

7.सार्वजनिक– निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) माडल पर उपशा द्वारा मार्ग निर्माण

वर्ष 2004 में राज्यमार्ग एवं अन्य मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। जिसके अन्तर्गत ट्रिपल पी0 माडल के माध्यम से विभिन्न कार्यो को कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि रू0 44.80 करोड़ प्रदेश के पुखरांया– घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) हेतु अवमुक्त कराया गया है।

8.सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 18 दीर्घ सेतु,, 9 रेल उपरिगामी सेतु एवं 140 लघु सेतु तथा वर्ष 2020–21 मे अगस्त तक 4 दीर्घ सेतु 2 रेल उपरिगामी सेतु एवं 18 लघु सेतुओं को अप्रोच मार्ग पूर्ण कर सामान्यजन को आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2020–21 में 629 लघु सेतु, 312 दीर्घ सेतु एवं 122 रेल उपरगामी सेतु पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

9.इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना

प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना प्रस्तावित है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपद, क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महराजगंज से होकर गुजरता है। परियोजना की लम्बाई 640.00 कि0मी0 तथा लागत रू0 1621.00 करोड़ है।

मार्च, 2020 तक निर्माण कार्यो पर रू0 626 करोड़ का व्यय करते हुये 157 कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे स्वीकृत 12 कार्यों का अनुबंध गठित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल 252 कि0मी0 का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्माण कार्यो हेतु रू0 14.49 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 11.0 करोड़ का व्यय करते हुए 12 कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूमि अध्यापन हेतु रू0 38.51 करोड़ का बजट आवंटन प्राप्त है, जिसके सापेक्ष रू0 5.44 करोड़ व्यय किया जा चुका है

10.बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की वर्तमान स्थिति

(वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)

	1000+	500-999	250-499	<250	योग
कुल बसावटों की संख्या	**41170**	**49319**	**55301**	**69307**	**215097**
पूर्व से जुड़ी हुई बसावटों की संख्या	**28232**	**20440**	**15060**	**13401**	**77133**
अनजुड़ी बसावटों की संख्या	**12938**	**28879**	**40241**	**55906**	**137964**
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	**6815**	**4700**	**709**	**478**	**12702**
अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	**6123**	**24179**	**31420**	**30225**	**91947**
अवशेष अनजुड़ी बसावटों की संख्या	**203**	**1472**	**8108**	**23532**	**33315**

11.अन्य जन उपयोगी योजनाऐं

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ के रूप में विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 तक कुल 146 मेधावी छात्रों के ग्रामों/विद्यालयों/मेधावी छात्रों के निवास स्थलों तक मार्ग निर्माण/मरम्मत के कार्य रु० 40.53 करोड़ लागत की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिसके सापेक्ष 123 मार्गों का निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2020–21 में कक्षा 10 वीं एवं 12वी के लिये विभिन्न शिक्षा परिषद/बोर्ड के अन्तर्गत टॉप–20 टापर्स के ग्रामों मे मार्ग निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

मेजर ध्यानचंद पथ योजना प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढाई है, उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण हेतु 2020–21 में **मेजर ध्यानचंद पथ** योजना चलायी जा रही है।

जय हिन्द वीर पथ योजना वर्ष 2020–21 में **प्रदेश** के शहीदों को सम्मान देने हेतु उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण कराने के लिए 14 मार्गों के कार्यों हेतु माह अगस्त तक 10.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना में 2020–21 में कुल 34 कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

वर्ष 2018–19 में मार्गों को हर्बल मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु प्रदेश के सभी मण्डलों में एक–एक मार्ग का चयन किया गया है। इसका शुभारम्भ लखनऊ में चंद्रिका मार्ग से बी0के0टी0 मार्ग को चयनित करते हुए दि0 15 अगस्त, 2018 को हर्बल वृक्ष/पौधा लगाकर किया गया। इसके किनारे मासपर्णी, सप्तपर्णी, जतरोफा (रतनजोत), जल नीम, छोटानीम, सहजन, मेंथा, लेमनग्रास, भ्रिंगराज, मुई, आंवला, ब्राह्मी, तुलसी, अनन्तमूल, ग्वारापाठा, अश्वगंधा, हल्दी आदि पौधो को लगाया गया है। इन मार्गों के किनारे नवगृह/नक्षत्रों के नाम से भी वृक्ष/पोधौं को लगाया जाएगा।

वर्ष 2019–20 में प्रदेश के 53 जनपदों में कुल 53 मार्गों के (कुल 311 किमी0) का चयन करते हुए 16029 पौधों को रोपित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश 175 खण्डों के एक–एक हर्बल मार्ग का चयन किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 39762 पौधे रोपित किये जा चुके हैं।मार्ग निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग विगत वर्षों से किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट का सड़क निर्माण में प्रयोग से लगभग रू 3.25 लाख प्रति किमी0 की बचत आती है। उक्त मार्ग हेतु अपनाये जाने वाली **नई तकनीक का उद्देश्य** निम्नलिखित है।–

1. **प्लास्टिक वेस्ट की अधिकाधिक मात्रा का सदुपयोग करना।**
2. **पर्यावरण बचाना।**
3. **भूमि की उत्पादन क्षमता को डिग्रीडेशन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना**
4. **सड़क निर्माण की लागत को कम करना।**

12. प्रदेश में लोक निर्माण कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

मार्ग एवं सेतु के निर्माण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश में निम्न प्रयास किये गये हैं–

1. रू0 10 लाख से अधिक के समस्त कार्यों को ई–टेडिरिंग के माध्यम से करना।
2. सरकार द्वारा लोक निर्माण कार्य के बजट, पंजीकरण, ई–एम0बी0, ई–बिलिंग, ई–डिमांड एवं ई–एलोटमेंट ऑनलाइन करने के लिए **'चाणक्य' एवं 'विश्वकर्मा'** नाम से 2 बड़े साफ्टवेयर लागू किए गए हैं।

➢ **चाणक्य साफ्टवेयर पर** विभिन्न श्रेणियों में ठेकेदारी के कार्य हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवदेन करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से **ई–रजिस्ट्रेशन** मॉड्यूल गठित किया गया है। इसमें **ई–एम0बी0 पर** कार्य के अनुबंध गठन का डाटा प्रविष्टि के साथ, कार्य की बिल ऑफ क्वान्टिटी प्रविष्टि/अपलोड की जाएगी। प्रविष्टि बिल ऑफ क्वान्टिटी के सापेक्ष संपादित कार्य का बिल, **ई–बिल** पर जनरेट होगा।

➢ **ई–मॉनिटरिंग मे** ई–एम0बी0 की प्रविष्टियों के आधार पर कार्य की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कार्यस्थल के फोटों, गुणवत्ता परीक्षणों की रिपोर्ट अपलोड की जा सकेगी। कार्य सम्पादन में विलम्ब के सम्बन्ध में ई–मेल/एस0एम0एस0 के एलर्ट निर्गत होंगे।

''विश्वकर्मा'' सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य सम्बंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जायेंगे। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन व अनुश्रवण के उद्देश्य की पूर्ति होगी। प्रदेश की समस्त सड़कों पर जनता की नजर रखने के लिए **'निगरानी ऐप'** भी लॉन्च किया गया है। सामान्य जनता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक **टोल फ्री हेल्पलाइन नं0 1800 121 5707 तथा व्हाटस –अप नं0 7991995566** जारी किया गया है, जिसमे जनता से प्राप्त, निर्माण कार्य संबंधी प्रकरणों/शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन

परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा यात्री और माल की आवाजाही सड़क परिवहन द्वारा ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका–10.03 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.03
प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2018–19 की अपेक्षा 2019–20 में प्रतिशत वृद्धि
1–औसत परिचालित बसे **(सं0)**	10526	11862	11615	11688	0.6
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग **(संख्या)**	2711	2933	2979	2897	–2.8
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई **(कि0मी0)**	251	258	257	246	–4.3
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई **(हजार कि.मी.)**	681	757	765	712	–6.9
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी **(हजार कि0 मी0)**	3703	4092	3972	3939	–0.8
6–प्रतिदिन ले जाये गये यात्री **(लाख)**	15.47	17.15	16.48	15.72	–4.6
7–दुर्घटनायें **(प्रति लाख कि0मी0)**	0.06	0.06	0.07	0.06	–14.3
8–कुल दुर्घटनायें **(संख्या)**	648	741	751	643	–14.4

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ***अनन्तिम**

प्रदेश में आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.04 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.04
प्रदेश में मोटर वाहनो की सख्या मे परिवर्तन

मद	वाहनो की संख्या (31 मार्च को)		2018–19 की अपेक्षा 2019–20 में प्रतिशत वृद्धि	कुल के सापेक्ष वाहनो की प्रतिशत अंश	
	2018–19	2019–20*		2018–19	2019–20
1–मोटर साईकिल	26597000	27959149	5.12	81.3	80.0
2–कार	3089250	3351115	8.5	9.4	9.6
3–बस	86531	109765	26.9	0.3	0.3
4–टैक्सी	606247	753124	24.2	1.9	2.2
5–ट्रक	691826	880630	27.3	2.1	2.5
6–ट्रैक्टर	1447604	1522750	5.2	4.4	4.4
7–अन्य	193596	348291	79.9	0.6	1.0
कुल	32712054	34924824	6.8	100.0	100.0

स्रोतः–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम। ***अनन्तिम***

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (एल0एम0आर0सी0)

मेट्रो रेल किसी शहर में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी, मास रेपिड, ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने एवं टैफिक को कम करने एवं जो शहर के विकास एवं समृद्धि में सहयोगी होता हैं। इसी विशेष प्रयोजन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है। इसी आशय से भारत एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1 का डी0पी0आर0, डी0एम0आर0सी0 द्वारा वर्ष 2013 में तैयार किया गया था। डी0पी0आर0 में निम्नलिखित कॉरिडोर प्रस्तावित थे– नार्थ–साउथ कॉरिडोर–22.878 किमी0 तथा ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर–11.165 किमी0।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज–1ए)– नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) 22.878 किमी. तक शहर की व्यस्त व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन मार्च 2019 को शुभारम्भ किया गया है।

यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा डी0एम0आर0सी0 के स्तर से तैयार की गई डी0पी0आर0 का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करते हुए नवम्बर, 2019 में क्विक अप्रेजल रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
चारबाग से वसंत कुंज	4.286	6.879	11.165	5	7	12

अन्य मेट्रो परियोजनायें

नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जनवरी 2018 मे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी.पी.आर. दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया। भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2019 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य दिनांक–15.11.2019 को प्रारम्भ किया गया जिसका विवरण निम्न है।

कोरिडोर का नाम	**कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)**			**स्टेशन की संख्या**		
	एलीवेटिड	**भूमिगत**	**कुल**	**एलीवेटिड**	**भूमिगत**	**कुल**
आई.आई.टी. कानपुर से नौबस्ता	**15.2**	**8.6**	**23.8**	**14**	**8**	**22**
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा –8	**4.2**	**4.4**	**8.6**	**4**	**4**	**8**

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

आगरा मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14.07.2020 को मंजूरी दे दी गई। आगरा मेट्रो परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
सिकन्दरा से ताज ईस्ट गेट	6.3	7.7	14	6	7	13
आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार	15.4	—	15.4	14	—	14

गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.) परियोजना

इस **परियोजना** हेतु भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था मेसर्स राइट्स को नामित किया गया तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नोडल विभाग तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को समन्वयक बनाया गया है। राज्य सरकार ने **उक्त परियोजना** के संशोधित डीपीआर को अपनी मंजूरी दे दी है। परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)	स्टेशन की संख्या
श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज	15.14	14
बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज से नौसढ चौराहा	12.70	13

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना

नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए जनवरी 2019 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। परियोजना पर भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.06.2019 को लिए गये निर्णय के क्रम में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पुनर्गठित करते हुए उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन की प्रक्रिया अक्टूबर 2019 को पूर्ण की जा चुकी है।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
श्रृद्धापुरी फेज़–2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन	**9.864**	**4.286**	**14.15**	**10**	**3**	**13**

प्रदेश में विमानन का विकास

प्रदेश मे 08 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नये हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनलग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के लिये 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एयरपोर्ट का संचालन वर्ष 2023 तक सम्भावित है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रूपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिये 92 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विद्युत

सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में विद्युत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां कृषि एवं औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि में करने के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं हमारे दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है। यही कारण है कि आज के युग में विद्युत विकास का पर्याय हो गया है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका–10.05
उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2018–19	2019–20	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	7159	7159	0
2	उपभोग (मिलियन यूनिट)	87945	91355	3.88
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	30627	26199	–14.46
4	उपभोक्ताओं की संख्या (हजार में)	25979.1	27108.3	4.35

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ। ***संशोधित**

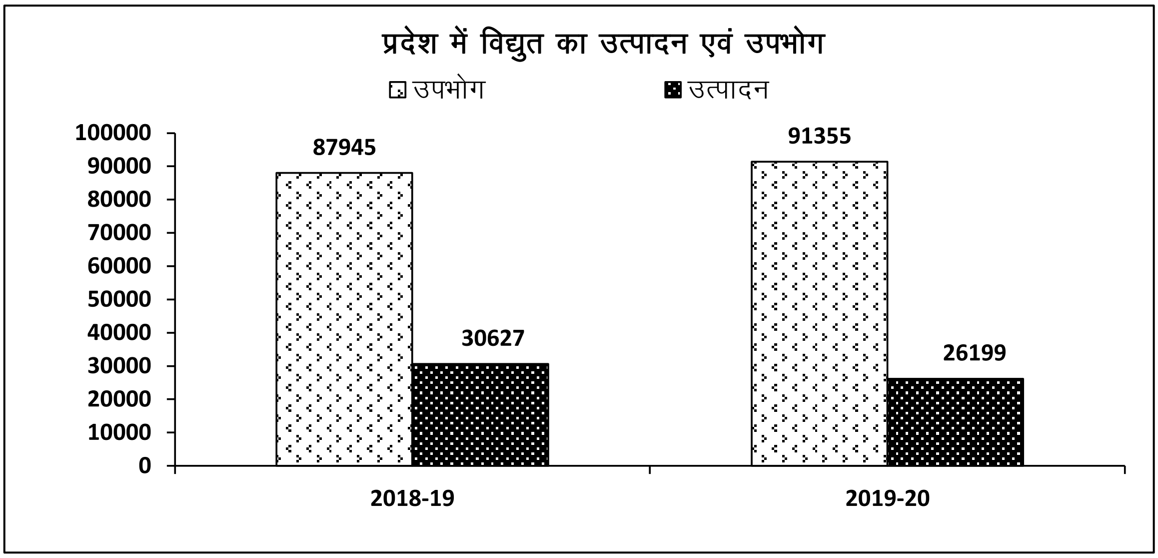

प्रदेश में विद्युत की मांग प्रदेश में विद्युत की सर्वाधिक मांग ग्रीष्म ऋतु में होती है जिसमें विद्युत की पीक मांग मई–अगस्त माह के मध्य होती है। विद्युत की पीक मांग सम्बंधी आंकड़े तालिका 10.06 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.06
आंकलित पीक मांग (मई–अगस्त के मध्य)

(मेगावाट में)

क्र.सं.	वर्ष	आंकलित पीक मांग (मई–अगस्त के मध्य)
1	2019–20	22500
2	2020–21	24500

स्रोत– पावर मैनेमजमेन्ट सेल, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

तालिका–10.07
उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े–2018–19

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.घंटा)
1	आन्ध्र प्रदेश	1225	1480
2	बिहार	5	311
3	झारखण्ड	388	938
4	गुजरात	1403	2378
5	हरियाणा	1039	1990
6	कर्नाटक	886	1396
7	केरल	223	757
8	मध्य प्रदेश	866	1084
9	छत्तीसगढ़	2587	1961
10	महाराष्ट्र	1039	1424
11	ओडिशा	512	1628
12	पंजाब	1565	2046
13	राजस्थान	886	1282
14	तमिलनाडु	866	1866
15	पश्चिम बंगाल	408	703
16	उत्तर प्रदेश	310	606
17	उत्तराखण्ड	1000	1467
18	हिमांचलप्रदेश	1582	1418
19	असम	44	341
20	गोवा	0	2274
भारत		1050	1181

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर क्रमशः 87489, 97804, 97814 रही। जो 2018–19 एवं 2019–20 के अन्त तक 97814 अर्थात शत–प्रतिशत ही रही।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिये उनके विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या 99462 रही।

नलकूप/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एंव वर्ष 2019–20 के अन्त तक ऊर्जीकृत नलकूपो/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 10.57, 10.86, 11.20, 11.63, 12.16 एवं 12.54 लाख हो गई।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति में सुधार हेतु प्रयासों का विवरण

विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में क्रमशः 260, 236 एवं 38 नग नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा 1853.4, 3770.00 एवं 646.00 किमी सम्बन्धित 33 के0वी0 लाईनों का निर्माण किया जा चुका है।

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं)** के अन्तर्गत 39089 के लक्ष्य के सापेक्ष 39089 मजरों का विद्युतीकरण एवं 773177 के लक्ष्य के सापेक्ष 773177 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत कर के शत प्रतिशत लक्ष्य तक पूर्ण कर लिया गया है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12 वीं)** के अन्तर्गत 104767 के लक्ष्य के सापेक्ष 104767 मजरों का विद्युतीकरण एवं 1904111 के लक्ष्य के सापेक्ष 1904111 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत कर के शत प्रतिशत लक्ष्य तक पूर्ण कर लिया गया है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन)** इस योजना के अन्तर्गत ग्रामो का विद्युतीकरण क्लेक्टिंग–अनक्नेवटेड हाउसहोल्ड (आई0ई0वी0) विलेज क्लेक्टिंग–अन्क्नेक्टेड आउसहोल्ड (आई0ई0वी0) मजरे, बी0पी0एल, घरों का विद्युतीकरण ग्रामीण घरो का विधुतीकरण (आर0एच0ह0), 33/11 के0वी0 नये उपकेन्द्रो का निर्माण, 33/11के0वी उपकेन्दों की क्षमता वृद्धि, फीडर मीटरिंग, डी0टी0 मीटरिंग, उपभोक्ता मीटरिंग, कृषि एवं गैर–कृषि 11 के0वी0 पोषकों का पृथक्कीरण, वितरण परिवर्तकों की स्थापना आदि कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2020 तक लगभग 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

आई0पी0डी0एस0 योजना

इस योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 नये उपकेन्द्र, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि 33 के0वी0 नये पोषक/फीडर का विभक्तिकरण,11 के0वी0 नये पोषक/फीडर का विभक्तिकरण, नयी ए0बी0सी0 लाईन, भूमिगत केबिल, वितरण परिवर्तक की स्थापना, वितरण परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, कैपेसिटर बैंक, सीमा मीटर, डी0टी0 मीटर, 33 के0वी0 रिकन्डक्टरिंग एच0टी0, 11 के0वी0 रिकन्डक्टरिंग एच0टी0, रिकन्डक्टरिंग एल0टी0 आदि कार्य कराये जा रहे है। योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2020 तक लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उजाला योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 10405892 एलईडी बल्ब एवं 189813 ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया जा चुका है।

सौभाग्य योजना

24X7 पावर फार आल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक घर को विद्युत की पहुॅच की सुविधा उपलब्ध कराकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जानी है। प्रदेश के प्रत्येक घर को विद्युत की सुविधा की पहुॅच उपलब्ध कराने एवं विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिये अक्टूबर 2017 से सम्पूर्ण प्रदेश में सौभाग्य योजना प्रारम्भ की गयी ।

सौभाग्य योजना में आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येंक गरीब परिवार को निःशुल्क संयोजन एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे नॉन पूअर परिवार को रू0 50 प्रतिमाह की कुल 10 मासिक किस्तों में विद्युत संयोजन निर्गत किये गये। इसके अतिरिक्त आवश्यक विद्युत तंत्र के निर्माण का कार्य भी सौभाग्य योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित है।

प्रदेश द्वारा दिसम्बर 2018 तक प्रदेश के प्रत्येक मजरे में विद्युत तन्त्र की पहुॅच की सुविधा उपलब्ध कराकर समस्त मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण कर दिया गया । केवल सौभाग्य योजना में मार्च 2020 तक कुल लगभग 56.67 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजना निर्गत किये गये है।

नगरों/शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने, लाईन हानियों में कमी लाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 35 नगरों में अण्डग्राउन्ड केबिलिंग का कार्य लक्षित था जिसमें से वर्ष 2017–18 के अन्त तक 13 स्थानों पर कार्य पूर्ण कराया गया इस प्रकार वर्ष 2019–20 में मार्च, 2020 तक कुल 25 स्थानों पर कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 10 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती मांग एवं पारम्परिक ऊर्जा के सीमित भण्डारों के कारण वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतो की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन स्रोतों के उपयोग से ऊर्जा की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ऊर्जा के उपर्युक्त स्रोतों पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु जल–विद्युत ऊर्जा जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास एवं प्रसार के लिए ऐसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

प्रदेश में बढ़ती हुयी ऊर्जा की पूर्ति, विभिन्न स्रोतों से करने के लिये प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगमता से निजी विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाईन सिंगल विण्डों क्लियरेंस की व्यवस्था की जायेगी। नीति के अन्तर्गत कुल लक्षित क्षमता 10700 मेगावाट में से 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना होना लक्षित है।

नीति के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना पर इन परियोजनाओं से उत्पादित, सौर पावर निकासी हेतु एक नियत किलोमीटर की पारेषण लाईन के निर्माण का व्यय राज्य सरकार के बजट से वहन किया जायेगा। स्टैण्ड एलोन यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनायें एवं पब्लिक सोलर पार्क में स्थापित सौर पावर परियोजनाओं से उत्पादित पावर को क्रय हेतु यूपीपीसीएल द्वारा 25 वर्ष की अवधि का पावर परचेज अनुबंध विकासकर्ता के साथ किया जायेगा। प्रदूषण बोर्ड से (स्थापना एवं संचालन की

सहमति) संबंधित अनापत्ति प्राप्त करने से मुक्त होंगे, तथा परियोजना स्थापना के लिये क्रय की जा रही भूमि पर 100 प्रतिशत स्टैम्प डयूटी से छूट होगी।

सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से जहॉ एक ओर प्रदेश में निजी निवेश में बढ़ोत्तरी होगी, वहीं बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्र में उपलब्ध अकृषक भूमि का उपयोग हो सकेगा तथा कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हो सकेगें। सौर परियोजनाओं की स्थापना की सम्भावना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में होने के दृष्टिगत इन परियोजनाओं से सुगमतापूर्वक विद्युत निकासी हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशलन लि0 द्वारा 4000 मेगावाट क्षमता हेतु ग्रीन ऊर्जा कोरीडोर का निर्माण किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति–2017 के अन्तर्गत बिडिंग के द्वारा वर्ष 2018–19 में 1050 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं का आंवटन किया गया, जिसकी कमिशनिंग नवम्बर 2020 तक लक्षित है।

नीति के अन्तर्गत 4300 मेगावाट क्षमता ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट स्थापना, वर्ष 2022 तक लक्षित है। सरकारी, अर्द्धसरकारी भवनों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप की ओपेक्स मोड में रेस्को मोड द्वारा स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। आवासों पर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु निजी आवासों पर इन संयंत्रो की स्थापना पर रू0 15000/– प्रति किलोवाट अधिकतम रू0 30000/– प्रति उपभोक्ता को राज्यानुदान देय है।

सौर ऊर्जा नीति–2017 के अन्तर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में आंवटित 1050 मेगावाट क्षमता की 19 परियोजनाओं से 455 मेगावाट क्षमता की 09 सौर पावर परियोजनाओं की ग्रिड संयोजन व कमिशनिंग सितम्बर, 2020 तक अपेक्षित है। सौर पावर परियोजनाओं की कमिशनिंग एवं क्रियाशीलता के उपरान्त 09 परियोजनाओं हेतु 150 किलोमीटर पारेषण लाइन का निर्माण, यूपीपीटीसीएल के शीड्यूल आफ रेट्स के अनुसार प्रतिपूर्ति करने हेतु रू0 500.00 लाख से करायी जायेगी।

सोलर पार्क

भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे है, जिसमे जनपद मिर्जापुर में 75 मेगावाट, प्रयागराज में 50 एवं जालौन में 40 मेगावाट, कुल 165 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किये जा चुके है। सोलर पार्क के विकास एवं प्रबन्धन हेतु यूपीनेडा एवं भारत सरकार की नामित नोडल एजेन्सी सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) के मध्य एक संयुक्त उपक्रम, लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 गठित किया गया है।

इस संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा एवं सेकी का 50–50 प्रतिशत अशं है। भारत सरकार की योजना के अनुसार सोलर पार्क विकसित करने पर भारत सरकार द्वारा रू0 20.00 लाख प्रति मेगावॉट अथवा परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम होगी, की दर से अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। सोलर पार्क में भूमि विकास के अतिरिक्त, सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत निकासी संबंधी समस्त अवस्थापना व्यवस्थायें उपलब्ध होगी।

अल्ट्रा मेगा रिन्युबल इनर्जी पावर पार्क

भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजनान्तर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्युबल इनर्जी पावर पार्क का विकास एवं स्थापना करने संबंधित निर्गत अन्तर्गत न्यूनतम 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क की स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में वृद्वि के उद्देश्य से महात्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) घोषित की गयी है। इस योजना को

प्रदेश में भी संचालित किया जायेगा। इसमे तीन कम्पोनेन्ट ए, बी एवं सी है। **कम्पोनेट–ए** के अन्तर्गत, कृषकों द्वारा अपनी अनुपयोगी भूमि मे 500 कि0वाट क्षमता से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर प्लाण्ट स्थापित किये जा सकते हैं। **कम्पोनेंट–बी** के अन्तर्गत आफग्रिड मोड में मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों को 7.5 एच0पी0 क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कृषि विभाग को नोडल/कियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। **कम्पोनेंट–सी** के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित निजी विद्युत चालित नलकूपो को सौर ऊर्जीकृत किया जाना वांछनीय है। इसका उद्देश्य किसानों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को प्री–फिक्स्ड टैरिफ की दर से विक्रय कर किसानों की आमदनी बढ़ाना है। कार्यक्रम का कियान्वयन यूपीपीसीएल/डिस्काम एवं यूपीनेडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।

प्रोजेक्ट मोड योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कर विद्यार्थियों को सोलर आर0ओ0वाटर के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा कक्षाओं में पंखों की सुविधा, बजट में प्राविधानित रू0 500.00 लाख की धनराशि एवं मा0 सांसद/विधायक/ग्राम पंचायत निधियों से प्राप्त धनराशि के 50.50 प्रतिशत से करायी जायेगी। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर0ओ0वाटर संयंत्र की स्थापना रू0 274.43 लाख की धनराशि से कराया जाना है।

डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी0डी0जी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को पूर्ण परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके ब्याज का भुगतान बजट में व्यवस्थित धनराशि रू0 18.66 लाख से किया जायेगा।

ग्रामों में सोलर मिनी ग्रिड पावर प्लाण्ट की स्थापना मे प्रदेश के ऐसे ग्रामों, जहॉ विद्युत आपूर्ति नहीं है, या अनियमित है, उन ग्रामों में रू0 500.00 लाख से सोलर मिनीग्रिड पावर प्लाण्ट की स्थापना कर विद्युत आपूर्ति की जायेगी। पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मे प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण मुख्य बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की स्थापना का कार्य, धनराशि रू0 1500.00 लाख से कराया जायेगा।

ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ईसीबीसी मानकों के अनुरूप किया जायेगा। सोलर रूफ टॉप फेज–2 के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा 01 से 03 कि0 वाट क्षमता तक 40 प्रतिशत तथा 03 कि0 वाट से अधिकतम 10 कि0 वाट तक 20 प्रतिशत का अनुदान व्यक्तिगत लाभार्थी को अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को रू0 15000/– प्रति कि0 वाट, अधिकतम रू0 30000 का राज्यानुदान प्रदत्त किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान हेतु पंजीकरण के लिए आनलाइन वेब–पोर्टल विकसित किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 225 मेगावाट की रूफटॉप सोलर परियोजनायें स्थापित की गई हैं।

ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट के अन्तर्गत निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु डीजल जनेरेटर के स्थान पर विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर ऑफग्रिड/ग्रिड हाईब्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, गत् वर्ष 2019–20 में कुल 4.0 मेगावाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना विभिन्न आई0टी0 आई, पालीटेक्निक, कलेक्ट्रेट एवं तहसील इत्यादि में करायी गयी है। परियोजना हेतु धनराशि संबंधित विभागों/संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट, जो सूर्यास्त होते ही स्वतः जल जाता है एवं सूर्योदय पर स्वतः बंद हो जाता है, को प्रोजेक्ट मोड मे

रू0 7100/– के राज्यानुदान पर किया जा रहा है। अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रारम्भ से अब तक लगभग 2.95 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के प्रथम चरण में 62 जनपदों के 1138 राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले–बसावट सहित) में अभिकरण द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कराया जा चुका है।

सोलर पावर पैक की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा चयनित लाभार्थी के आवास पर सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जाती है, जिससे 3 वॉट की 2 ल्यूमेनियर, 5 तथा 7 वॉट का 1 ल्यूमेनियर एवं 22 वॉट का एक डीसी सीलिंग फैन एवं मोबाइल चार्ज की सुविधा प्रतिदिन लगभग 8 घंटे हेतु उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में सौभाग्य योजना के अर्न्तगत लगभग 60,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी हैं।

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम

प्रदेश में जैव–अपशिष्टों से ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत बायो एथेनाल, मेथेनाल बायोगेस, सीएनजी, प्राड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाईयों की स्थापना करायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही 10 वर्षो तक एस–जीएसटी की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत–प्रतिशत छूट (बैंक गारण्टी के विरूद्ध) प्रदान की जा रही है। नीति के अन्तर्गत बायोऐथेनाल/ड्राप–इन फ्यूल के 03, बायो सीएनजी के 06 तथा बायोकोल की 03 परियोजना के लिए लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया गया हैं। इन इकाइयों में गन्ने की खोई, कृषि अपशिष्ट, वुडी तथा अन्य बायोमास आदि का प्रयोग किया जायेगा।

चीनी मिलों में उपलब्ध बगास से को–जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा एक उत्प्रेरक/फैसीलिटेटर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को यूपी पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा चीनी मिलों के साथ निष्पादित पावर परचेज एग्रीमेन्ट के अर्न्तगत क्रय किया जाता है। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में लगभग 1900 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित हैं।

प्रदेश में बगास के अलावा अन्य बायोमास(एग्रो–रेसीड्यू) का उपयोग कर विभिन्न तकनीक यथा– गैसीफिकेशन, सह–उत्पादन तथा कम्बस्शन पर आधारित 286 मेगावाट के ग्रिड/कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये जा चुके है। विभिन्न औद्योगिक इकाईयों यथा– डिस्टलरीज, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, डेयरी, पेपर एण्ड पल्प आदि से निकलने वाले कचरे (अपशिष्ट) से कुल 104 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित है।

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ विण्ड इनर्जी, चेन्नई द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर घाघरा एवं शारदा नदियों के बेसिन में 80 मीटर की ऊॅचाई पर पवन ऊर्जा की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुख्यतः शाहजहॉपुर, लखीमपुर–खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर जिलों में सर्वेक्षण कार्य किया गया। अभिकरण द्वारा जनपद शाहजहॉपुर के ग्राम बिजौरा एवं जनपद लखीमपुर के ग्राम गुलेरिया में 80 मीटर ऊॅचाई का पहला विण्ड मॉनीटरिंग मास्ट स्थापित कराकर विण्ड आंकलन एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चैन्नई (नीवे) के दिशा निर्देश एवं सुझाव के अनुसार वायु वेग सम्भाव्यता के आधार पर प्रदेश के तीन जनपदों ललितपुर, बरेली एव मुजफ्फनगर में 100 मीटर की ऊॅचाई का विण्ड मास्ड स्थापित करके वायु संसाधन मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वायु संसाधन मूल्यांकन, उ0प्र0 में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (पूर्ववर्ती सेन्टर फार विन्ड इनर्जी टेक्नालॉजी) भारत सरकार द्वारा पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं के दृष्टिगत सम्भाव्यता आंकलित की गई, जिसके अनुसार प्रदेश में 50 मीटर की ऊँचाई पर 137 मेगावाट एवं 80 मीटर की ऊचाई पर 1260 मेगावाट के पोटेंशियल का आंकलन किया गया है। उक्त कार्य हेतु रू0 16.80 लाख की धनराशि से कराया जायेगा।

लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति घोषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 15 मेगावाट तक की परियोजनायें यूपीनेडा व 15 मेगावाट से अधिक हेतु उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

इस नीति में कैनाल फाल्स पर चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा, साथ ही उन्हे ऊपरी पारेषण लाईन बिछाने हेतु राईट–ऑफ–वे की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार उत्पादित ऊर्जा को विद्युत अधिभार से छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत यूपीनेडा द्वारा 01 परियोजना एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा 08 परियोजनायें, (कुल 09 परियोजनायें) जिनकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है, निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की जा चुकी है। तद्नुसार निजी विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बायोगैस आधारित पावर जनरेशन कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से डेयरी फार्मों में बायोगैस के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर उसका उपयोग डेयरी की विद्युत आवश्यकता पूर्ति हेतु सुगमता से किया जा सकता है। भारत सरकार से परियोजना हेतु रू0 25000/– से रू0 35000/–प्रति कि0वा0 की दर से अनुदान अनुमन्य है। जिसकी प्रतिपूर्ति लाभार्थियों को परियोजना अधिष्ठापना के पश्चात् किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चित्रकला प्रतियोगिता, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिये जाने की योजना लागू की गयी है, साथ ही ऊर्जा संरक्षण की महत्ता को प्रभावी रूप से अंकित करने हेतु वेबसाइट– **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीएसएवीईएसएनर्जी.कॉम** प्रारम्भ की गयी, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय दिये गये हैं।

प्रदेश में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का वितरण/स्थापना–विभिन्न डिस्कॉम के माध्यम से (दिसम्बर 2019 तक) 2.61 करोड़ एलईडी बल्ब, 5.04 लाख एलईडी ट्यूबलाइट एवं 1.99 लाख फाइव स्टार रेटेड सीलिंग फैन वितरित किये जा चुके है, जिससे लगभग 693 मेगावाट पीक डिमाण्ड में तथा लगभग 3.0 मिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन में कमी आयेगी। एस्को मोड में ईईएसएल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न नगरो मे (दिसम्बर 2019 तक) कुल 9.22 लाख स्ट्रीट लाईट परिवर्तित की जा चुकी है।

एग्रीकल्चर डिमाण्ड साइड मैनेजमेण्ट कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान उदय के रूप में संचालित की जा रही है। उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अभिकरण, ईईएसएल एवं यूपीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 9000 पुराने कृषक पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से परिवर्तित किया जाना है। यूपीपीसीएल द्वारा अब तक 1600 से अधिक ऊर्जा दक्ष पम्प स्थापित कराए जा चुके है।

उज्ज्वला योजना

आर्थिक रूप से कमजोर 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ, प्रदेश के बलिया जनपद से मई, 2016 में किया गया था। सरकार द्वारा 3 वर्ष में इन लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुॅचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे निर्धारित अवधि से 8 माह पूर्व ही पूरा कर लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत मई, 2019 तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 8.7 लाख कनेक्शन वितरित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में 6.7 लाख व तीसरे स्थान पर बिहार में 6.1 लाख कनेक्शन वितरित किये गये।

एयरकण्डीशनर का तापमान 24 डिग्री सेण्टीग्रेट अथवा उससे अधिक रखकर ऊर्जा संरक्षण किए जाने के संदर्भ में जनमानस को जागरूक करने के दृष्टिगत एक वैन संचालित की गई जिसके द्वारा प्रदेश के कुल 23 जनपद से होते हुए लगभग 2000 किमी की यात्रा तय की गई एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनसामान्य को जागरूक किया गया।

प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के प्रचार–प्रसार का कार्य रेडियों पर जिंगल के माध्यम से किया गया। साथ ही बीईई, भारत सरकार के एजीडीएसएम कार्यक्रम को प्रदेश सरकार द्वारा ''किसान उदय'' कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जा रहा है जिसमें पुराने पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से परिवर्तित करने हेतु कृषकों को जागरूकता करने के दृष्टिगत जिंगल भी प्रसारित किया गया ।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–10.08 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.08
प्रदेश में डाकघरों की संख्या

मद	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	2	3	4	5
डाकघरों की संख्या	17670	17671	17672	17670
(क) नगरीय	1935	1924	1927	1927
(ख) ग्रामीण	15735	15747	15745	15743

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2018–19 में प्रदेश में कुल 530540 बेसिक टेलीफोन तथा 3061 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2019–20 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 414600 एवं 2289 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार

वर्ष 2018–19 में प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या 167728 हजार थी जो वर्ष 2019–20 में घटकर 157236 हजार हो गयी। प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका–10.09 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.09
प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या	मोबाईल कनेक्शन की संख्या (हजार)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2018–19	530540	3061	167728	16302
2019–20	414600	2289	157236	16126

स्रोत :– चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार, भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

* भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पश्चिमी परिमण्डल के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

****

अध्याय–11
पर्यटन एवं नागरिक विमानन

<u>मुख्य बिन्दु–</u>

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुॅचाने हेतु ''**उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018**'' लागू की गयी है।
- **कुम्भ 2019** प्रयागराज में 2394.70 लाख भारतीय एवं 10.30 लाख विदेशी सहित कुल 2405.00 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ/स्नानार्थ आए, जो कि प्रदेश के लिए बडी उपलब्धि है।
- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की 87.96 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की सख्या में भी 25.50 प्रतिशत की **वृद्धि** देखी गयी।
- हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ व वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थलों की यात्रा कराता है।
- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को **24×7 ट्रैवल्स असिस्टेंस** प्राप्त हो सकेगा।
- **मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी** आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद् स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

निवेश एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान की अपार क्षमता को देखते हुये वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के विकास को गति दी जा रही है। भारत भी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं चिकित्सीय पर्यटन हेतु एक समृद्ध देश है। 'अतिथि देवो भव' को आदर्श मानने वाला यह देश पर्यटन में विदेशी मुद्रा एवं रोजगार सृजन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए उद्योग का दर्जा प्रदान कर व्यवसायिक स्वरुप दिये जाने की दिशा में अग्रसर है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा 4 सितम्बर, 2019 को घोषित एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतियोगी सूची में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 में 40वें स्थान से ऊपर उठकर 2019 में 34वें स्थान पर आ गयी है, जबकि वर्ष 2015 में 52वीं थी। पिछले 4 वर्ष में भारत के पर्यटन क्षेत्र में 18 स्थानों की छलांग से स्पष्ट है कि भारत द्वारा पर्यटन को बढावा देने के लिये प्रायोजित अतुल्य भारत अभियान, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रासाद स्कीम, सरदार बल्लभ भाई पटेल की सबसे लम्बी प्रतिमा की स्थापना तथा होटल पर्यटन के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढा कर 100 प्रतिशत किया जाना एक सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।

पर्यटन के बहु–आयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भी भारत का ऐसा राज्य है, जो पर्यटन के विकास हेतु आवश्यक सभी आधारभूत संसाधन, जैसे– भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ एवं शांत वातावरण, गंगा यमुना की अविरल धाराएं, पवित्र स्थलों, एवं ऐतिहासिक स्मारकों से परिपूर्ण है।

राज्य में पर्यटन–विकास हेतु निजी क्षेत्र के लिए भी पूॅजी–निवेश की विपुल सम्भावनाएं विद्यमान हैं। हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम निवेश से भी अधिक रोजगार सृजित हो सकते है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के एक आंकलन के अनुसार, पर्यटन में प्रति 10 लाख रुपये के निवेश पर

47.5 रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते है। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार एवं राजस्व के सन्दर्म में इस उद्योग की महत्ता को देखते हुये इसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तालिका संख्या–11.01
प्रदेश पर्यटन मे क्रमिक परिवर्तन

(लाख में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल	प्रतिशत परिवर्तन		
				भारतीय	विदेशी	कुल
2015	2065.15	31.04	2096.19,	(+)12.06%	(+) 6.67%	(+)11.98%
2016	2135.44	31.56	2167.01	(+)3.40%	(+) 1.69%	(+)3.37%
2017	2339.77	35.56	2375.33	(+)9.56%	(+)12.65%	(+)9.61%
2018	2850.79	37.80	2888.60	(+)21.84%	(+) 6.31%	(+)21.60%
2019	5358.55	47.45	5406.00	(+)87.96%	(+)25.50%	(+)87.14%

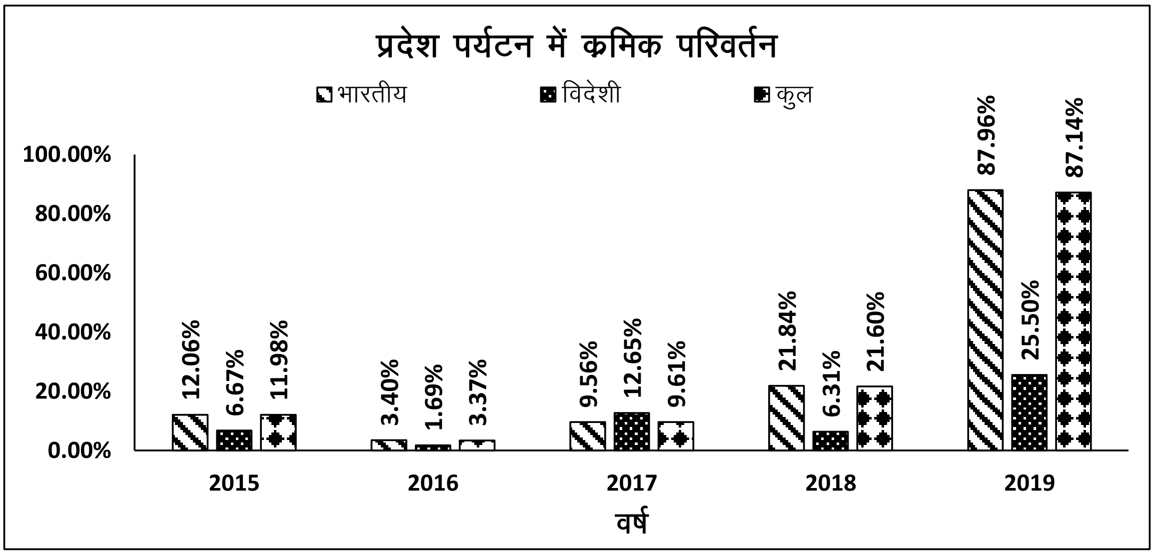

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में कुल पर्यटकों की सख्या जो 2096.19 **लाख** थी, वह 2019 में बढ़कर 5406.00 **लाख** तक पहुच गयीं, जिसमें विदेशी पर्यटक क्रमशः 31.04 **लाख** से बढकर 47.45 **लाख** और घरेलू पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2096.19 **लाख** से 5406.00 **लाख** हो गयी। वृद्धि दर के विश्लेषण से भी दृष्टिगोचर है कि 2015 की अपेक्षा 2016 में वृद्धि दर कम रही, उसके पश्चात् 2017 में 9.61 प्रतिशत, 2018 में 21.60 प्रतिशत एवं 2019 में तीव्र उछाल के साथ 87.14 प्रतिशत हो गयी, सम्भवतः यह कुम्भ मेला 2019 के सफल आयोजन के फलस्वरूप हुआ है। **कुम्भ 2019** प्रयागराज में 2394.70 लाख भारतीय पर्यटक एवं 10.30 लाख विदेशी पर्यटक सहित कुल 2405.00 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ/स्नानार्थ आये, जो कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह भी उल्लेखनीय है, कि वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की वृद्धि दर 87.96 प्रतिशत के साथ–साथ विदेशी पर्यटकों की सख्या में भी 25.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2020 में कुल 10.10 करोड़ (अनुमानित) पर्यटक जिनमें भारतीय पर्यटक 10 करोड़ (अनुमानित) एवं विदेशी पर्यटक 10 लाख (अनुमानित) आने की सम्भावना थी, किन्तु वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण दिनांक 17.03.2020 से प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थलों को बन्द कर दिया गया था जिससे पर्यटकों का आवागमन प्रभावित हुआ है और वर्तमान में भी उक्त प्रभाव के कारण पर्यटकों का आवागमन लगभग नगण्य है।

पर्यटन में बजट प्रावधान

वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत कुल रू0 1022.62 करोड़ (अनुपूरक मांग सहित) बजट व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 137.71 करोड़ एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 797.5 करोड़, जिला योजना में रू0 10 करोड़ तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 77.40 करोड़ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 63.81 करोड़ तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 445.54 करोड़ की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। बजट के सापेक्ष रूपया 509.35 करोड़ की स्वीकृतियाँ निर्गत की गई है तथा जारी स्वीकृतियों के सापेक्ष कुल रूपया 484.83 करोड़ व्यय किया गया है।

वार्षिक योजना वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत कुल रू0 1038.20 करोड़ बजट व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 116.49 करोड़ एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 852.20 करोड़, जिला योजना में रू0 5 करोड़ तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 64.50 करोड़ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में अगस्त, 2020 तक राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 3955.98 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 755.01 लाख की स्वीकृति हो गयी है। कुल बजट के सापेक्ष रूपया 4710.99 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई है तथा जारी स्वीकृतियों के सापेक्ष कुल रूपया 1085.49 लाख व्यय किया गया है।

पर्यटन का विकास

प्रदेश सरकार 'रामायण पर इन्साइक्लोपीडिया' बनवाने के साथ ही अब विदेशियों को रामलीला के मंचन की बारीकियाँ सिखायेगी, अब तक इजराइल, वेनेजुला, आदि देश के लोगों ने पंजीकरण कराया है। वाराणसी में लहरतारा तालाब, कबीर स्थल, गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर सुदृढीकरण व प्रयाग में भारद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास प्रस्तावित है। नई पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, जैन सर्किट/ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं विकास के लिए तथा अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिये बजट प्रावधान हुआ है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर के लिए प्रावधान है।

वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढीकरण, काशी विश्वनाथ कोरिडोर के तहत गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक सौन्दर्यीकरण एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक मिशन केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रावधानित है। पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के तीन स्थलों –विन्ध्याचल, बरसाना (मथुरा), चित्रकूट में रोप–वे का निर्माण पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत किया जा रहा है। चित्रकूट में रोप–वे संचालित हो रहा है। विन्ध्याचल में रोप–वे का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। बरसाना (मथुरा) में रोप–वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक अभिनव परियोजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों– आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों के गरीबी–उन्मूलन तथा रोजगार–सृजन हेतु चिह्नित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटन सुविधाओं का सृजन एवं विकास प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत रू0 371.43 करोड़ (57.14 मिलियन यू0एस0 डॉलर) है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 70 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत वहन किया जायेगा। आगरा विकास प्रधिकरण तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रगति पर है। आगरा में शाहजहाँ पार्क एवं मेहताब बाग–कछपुरा का कार्य एवं वृन्दावन में बांके बिहारी जी मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विकास का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विकास की असीम सम्भावना है क्योंकि देश–विदेश में रहने वाले पर्यटकों के आकर्षण के मुख्य स्थल रहें है। बौद्ध सर्किट में 6 स्थलों में वर्ष 2015 में जहाँ

29.24 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ वहीं वर्ष 2019 में बढकर 62.28 लाख हो गया। प्रयागराज कुम्भ 2019 में आस्था एवं तकनीक के अविस्मरणीय तालमेल से लगभग 24 करोड घरेलू पर्यटकों के प्रतिभाग करने से एक वैश्विक रिकार्ड स्थापित हुआ।

अयोध्या नगरी को वेटिकन सिटी की तर्ज पर एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म नगरी के रुप में विकसित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह एक ऐसी धर्म नगरी बन सकती है, जहाँ भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति, धार्मिक परम्पराओं के मूर्त एवं अमूर्त दोनों स्वरुप मौजूद रहेंगें।

मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद् स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट एवं वाइल्ड लाइफ सर्किट का प्रचार–प्रसार रेडियो जिंगल, मोबाइल एप, डिजिटल वेब, बैनर, समाचार पत्रों में विज्ञापन, आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेबसाइट (डाइनमिक बैनर) के माध्यम से कराया जायेगा।

स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न सर्किट को प्रदेश में एकीकृत विकास हेतु स्वीकृत किया है, वर्ष 2020–21 मे किए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या–11.02
स्वदेश दर्शन स्कीम

क्र.सं	सर्किट	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 करोड़)
1.	रामायण सर्किट	चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास।	69.45
2.	रामायण सर्किट	अयोध्या का पर्यटन विकास।	127.20
3.	बुद्धिस्ट सर्किट	कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती का पर्यटन विकास।	99.97
4.	स्पिरिचुअल सर्किट–1	आहर, अलीगढ़, कासगंज, उन्नाव, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मीरजापुर, गोरखपुर, डुमरियागंज, बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़, कैराना, बागपत एवं शाहजहांपुर का पर्यटन विकास।	68.39
5.	स्पिरिचुअल सर्किट–2	बिजनौर, मेरठ, कानपुर, कानपुर देहात, बाँदा, गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी, बलिया, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, फतेहपुर, देवरिया, महोबा, सोनभद्र, चन्दौली, मिश्रिख एवं भदोही का पर्यटन विकास।	63.77
6.	हेरिटेज सर्किट	कालिन्जर किला (बांदा), मगहर धाम (सन्तकबीर नगर), चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर), महावर स्थल (घोसी) एवं शहीद स्मारक(मेरठ) का पर्यटन विकास	34.82
अतिरिक्त प्रावधान			
7.	स्पिरिचुअल सर्किट	गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास।	15.76
8.	स्पिरिचुअल सर्किट	जेवर–दादरी–सिकन्दराबाद–नोएडा–खुर्जा–बांदा का पर्यटन विकास।	12.03

तालिका संख्या–11.03
प्रासाद स्कीम

क्र.सं	योजना नाम	प्रस्तावित धनराशि(रू0 करोड़)
1	सारनाथ में साउण्ड एण्ड लाइट शो योजना	7.70
2.	वाराणसी में क्रूज बोट संचालन की योजना	10.71
3.	वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास (फेज–2)	44.60
4.	मथुरा स्थित गोवर्धन का पर्यटन विकास	39.73
अन्य योजना		
5	गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर में संग्रहालय की स्थापना	9.37

तालिका संख्या–11.04
वर्ष 2020–21 मे राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख)
1.	वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	18000.00
2.	अयोध्या में पर्यटन सुविधा एवं सौन्दर्यीकरण	8500.00
3.	रामगढ़ताल में वाटर स्पोटर्स (गोरखपुर)	2500.00
4.	मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर–आगरा व अन्य स्थलों का विकास	1000.00
5.	ब्रज तीर्थ विकास परिषद (मथुरा)	5170.37
6.	विंध्याचल का पर्यटन विकास	1000.00
7.	गढ़मुक्तेश्वर का समेकित विकास	1000.00
8.	गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास	1500.00
9.	इको टूरिज्म का विकास	500.00
10.	सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	1000.00
11.	आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना	5000.00
12.	चित्रकूट में पर्यटन विकास	100.00

हेरिटेज आर्क

प्रदेश में नदियों के किनारे यात्रा करना अपने आप में एक यादगार और रोमांचक अनुभव है। हेरिटेज आर्क इस यात्रा का हर पल आनंद उठाने का एक नया आयाम है। इसमें प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयामों को करीब से देखने का मौका मिलता है और एक छोर से दूसरे छोर तक फैले सुन्दर और जीवंत समाज के भी दर्शन होते हैं।

वास्तव में प्रदेश के जीवन और सुन्दरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। यह ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, तीर्थ स्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों की यात्रा करने का एक अवसर प्रदान करता है। ''हेरिटेज आर्क'' के तीन प्रमुख केन्द्रों व उनसे जुड़े दर्शनीय स्थल निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या–11.05
हेरिटेज आर्क एवं सम्बन्धित स्थल

क्र0सं0	हेरिटेज आर्क	सम्बन्धित दर्शनीय स्थल
1.	आगरा	आगरा, फतेहपुर सीकरी, चंबल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन।
2.	लखनऊ	लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवाशरीफ, दुधवा, कतरनियाघाट वन्य पशु प्रेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य।
3.	वाराणसी	वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती।

"हेरिटेज आर्क का सफर करें और मंत्रमुग्ध हो जाएं।""

कुम्भ 2019 में ''यू0पी0 नहीं देखा, तो इण्डिया नहीं देखा'' की थीम पर प्रदर्शनी का निर्माण कराया गया। कुम्भ में प्रचार–प्रसार हेतु ''चलो कुम्भ चलें'' की थीम पर आधारित कुम्भ एंथम की रचना, विख्यात संगीतकार श्री शंकर महादेवन से कराया गया तथा हिन्दी, तमिल, मराठी, बंगाली, तेलगू, फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज, जापानी, अंग्रेजी, गुजराती भाषाओं में पर्यटन साहित्य का प्रकाशन कराया गया।

पर्यटन–केन्द्रों का प्रचार–प्रसार

राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन, पर्यटन–साहित्य व पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्म–सी0डी0 का निर्माण व वितरण तथा स्थान–स्थान पर होर्डिंगों एवं साइनेज की स्थापना व समय–समय पर प्रदर्शनियों, महोत्सवों के आयोजन के अवसर पर विभागीय झॉकी का प्रदर्शन करवाया जाता है।

राज्य सरकार, विभिन्न महोत्सवों एवं आयोजनों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है यथा– मगहर महोत्सव (संत कबीर नगर), ताज महोत्सव (आगरा), गोरखपुर महोत्सव (गोरखपुर) तथा लखनऊ महोत्सव (लखनऊ) आदि। इसी परिप्रेक्ष्य में दीपावली के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 को अयोध्या में दीपोत्सव, 2019 का आयोजन कर 5 लाख दीये प्रज्जवलित करके विश्व कीर्तिमान बनाया गया।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने हेतु ''उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018'' लागू की गयी है।

वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टलः– पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन, होटल बुकिंग, टैक्सी एवं रेलवे बुकिंग, आकस्मिक (एम्बुलेन्स सेवा), पुलिस सहायता इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को 24/7 ट्रैवल्स असिस्टेंस प्राप्त हो सकेगा।

पर्यटन हेतु अधोसरंचना का विकास

पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार द्वारा पर्यटन अधोसरंचना का विकास किया जा रहा है, जिसमें जन–उपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं।

परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है। सरकार ने यूपी के पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग

(प्रयागराज) से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब छह सौ किमी लम्बा यह एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनेगा। गंगा के किनारे का यह एक्सप्रेस–वे, रोजगार, उद्योग व पर्यटन में भी सहायक होगा।

गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे 91.352 किमी लंबा होगा, इसकी लागत 5,555.16 करोड़ रूपये हैं। चार लेन का यह लिंक एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ तक बनेगा और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जुड़ेगा। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे व यमुना एक्सप्रेस–वे से जुड़ जाएगा। प्रदेश में 341 किमी लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण तीन साल से कम वक्त में (2021 तक) पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर समाप्त होगा। इसकी दूरी 296.264 किमी होगी और निर्माण में 14716.26 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

भारतीय रेलवे भी राज्य के पर्यटन विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माल, यात्रियों एवं अंतर्राष्ट्रीय पयर्टकों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस देकर गौरवान्वित किया है।

लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा प्रयागराज मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल0एम0आर0सी0) को ही इन शहरों में भी मेट्रो की डीपीआर तैयार करने हेतु समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वाराणसी, मथुरा, आगरा, प्रयागराज एवं लखनऊ में हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एअरस्ट्रिप के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसके साथ ही प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा– वाराणसी दर्शन, प्रयाग(प्रयागराज) दर्शन, लखनऊ दर्शन, मथुरा के पवित्र तीर्थ स्थल, गोवर्धन तीर्थ दर्शन एवं आगरा दर्शन का कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अयोध्या में भी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रदेश के समस्त मण्डलों में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त संख्या में निजी व शासकीय क्षेत्र में विभिन्न स्तर के होटल उपलब्ध हैं। पर्यटन विकास एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कान्क्लेव, ट्रेवेल मार्ट, मेले–महोत्सव एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है।

पर्यटन सुरक्षा–व्यवस्था

पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है, जिसमें 130 पर्यटन पुलिस कर्मी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल के गठन में सेना के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया है। पर्यटन पुलिस बल की आवश्यकताओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए 130 से बढ़ाकर 500 पर्यटन पुलिस बल की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें 200 महिला सुरक्षाकर्मी हैं।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) का गठन किया जा रहा है। इसके पहले चरण में पांच बटालियन का गठन किया जाएगा। सुरक्षा बल के जवानों को मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट, जिला न्यायालयों, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों समेत अन्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। तैनाती से पहले बल के जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस दौरान उन्हें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों की विधिवत् जानकारी दी जाएगी।

नागर–विमानन

माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनन्दन में आशा व्यक्त की, कि महात्माबुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पूर्वांचल के विकास को गति मिलेगी। हमारे लिए गौरव का विषय है, कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु तथा संकिसा उत्तर प्रदेश में हैं। उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी और बोधगया भी दूर नहीं है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दायित्वों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दशाई गई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने के लिए मजबूत नागर विमानन अवसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने, विमानन क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करने, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत नए रूट्स का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने, प्रदेश के नॉन–आर.सी. एस. एयरपोर्ट्स के मध्य इन्टर–कनेक्टिविटी हेतु सुविधा प्रदान करने, भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर राज्य में पर्यटन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने, व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने, एयर कार्बो हब के विकास को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में कृषि निर्यात एवं अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं के निर्यात व विनिर्माण और ई–कामर्स कारोबार को बढ़ावा देने, मानव संसाधन विकसित करके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा कर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में एम.आर.ओ. सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक समग्र **उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017** को अगस्त, 2017 मे अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

उक्त नीति लागू होने से पूर्व, राज्य में नागरिक उड्डयन अवसंरचना की स्थिति निम्नवत् थी–

छह हवाई अड्डे, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा और कानपुर इंट्रा–स्टेट और इंटर–स्टेट एयर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे थे। वर्ष 2016–17 में यात्री हवाई यातायात की मांग का 65% हिस्सा लखनऊ हवाई अड्डे का था इसके बाद वाराणसी 32%, प्रयागराज 2.4%, गोरखपुर 0.9% आगरा 0.2% और कानपुर 0.1% था।

प्रदेश में 18 मंडल मुख्यालयों के लिए हवाई संपर्क की स्थिति निम्नानुसार थी –लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में हवाई अड्डे पूरी तरह कार्यात्मक हवाई अड्डे थें। आगरा, प्रयागराज, कानपुर में हवाई अड्डे परिचालन रक्षा हवाई अड्डे थें, जिसमें सिविल एन्क्लेव का निर्माण चल रहा था। बरेली में एक वायु सेना स्टेशन था ,जहाँ ए0ए0आई0 द्वारा सिविल एन्क्लेव विकसित किया जा रहा था। ए0ए0आई0 के साथ एम0ओ0यू0 के माध्यम से, मेरठ, मुरादाबाद, और फैजाबाद में हवाई पट्टियों को उन्नयन के लिए ए0ए0आई0 को सौंप दिया गया था। झाँसी, चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़ में संभागीय स्तर पर राज्य के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे थें जिन्हे नो–फ्रिल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सकता था। सोनभद्र (मिर्जापुर) के डिवीजनों और श्रावस्ती (गोंडा/देवीपाटन) के पास संभागीय मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर हवाई पट्टी थी, जो नो–फ्रिल एयरपोर्ट्स में अपग्रेड किए जाने की जरूरत थी।

उपरोक्त के सापेक्ष वर्तमान परिदृश्य यह है कि प्रदशे मे हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति'' प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ–साथ नॉन–रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार की इस नीति के सकारात्मकता के परिणामस्वरूप विगत् दो वर्षों में प्रदेश से विभिन्न शहरों की हवाई कनेक्टिविटी तथा पैसेन्जर ट्रैफिक में वृद्धि हुई है।

प्रदेश मे 08 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नये हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनलग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के लिये 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एयरपोर्ट का संचालन वर्ष 2023 तक सम्भावित है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रूपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिये 92 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अधिकाधिक शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है जिसकी प्रगति निम्नवत् है–

तालिका संख्या–11.06
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की प्रगति

(धनराशि लाख में)

योजना का नाम	मार्च,2020 तक व्यय	अभ्युक्ति
उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्य हेतु द्वितीय किस्त की स्वीकृत	1602.04	उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
आर0सी0एस0 योजना में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर नए सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि का क्रय	3925.54	भूमि क्रय
आर0सी0एस0 योजना में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर नए सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित फलदान वृक्षों का मूल्य, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृत		भूमि क्रय
उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास के कार्य हेतु तृतीय किस्त की स्वीकृति	757.54	उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
सैफई हवाई पट्टी के नाम बैनामा कराकर मुआवजा प्रदान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति	11.04	
उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास का कार्य हेतु चतुर्थ किस्त की स्वीकृति	219.97	उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
कुशीनगर हवाई अड्डे के परिसर में स्थित अवरोधों को हटाए जाने तथा बल्क पांवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना के कार्य की स्वीकृति	445.75	जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा कार्य कराया जायेगा
रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर(सोनभद्र) हवाई पट्टी के को नो–फिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति	8.69	ओ0एल0एस0 सर्वे का कार्य
देवागंना शिखर पर निर्मित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु प्रभावित 61.589 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.99488 हे0 वन भूमि के वर्तमान बाजार दर से मूल्य वन विभाग के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	590.41	भूमि क्रय

प्रदेश में महात्माबुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से देश–विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुचने में आसानी होगी। एयरपोर्ट बनने से बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। इस एयरपोर्ट के लिये भूमि कय की जा चुकी है। भारत सरकार ने कुशीनगर हवाईअड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। इससे थाईलैण्ड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे विश्व के अनेक देशों के बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले शोधकर्ता एवं अनुयायी, जो अच्छी कनेक्टिविटी के अभाव में नहीं आ रहे थे, को बौद्ध सर्किट के भ्रमण में आसानी होगी।

****

अध्याय–12
शिक्षा

मुख्य बिन्दु–

- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त, जनपद प्रयागराज में **"लॉ यूनिवर्सिटी"** की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में **आयुष विश्वविद्यालय** की स्थापना प्रस्तावित है।
- जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोण्डा में **इंजीनियरिंग कॉलेजों** की स्थापना तथा आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर में **इंजीनियरिंग कॉलेज** का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।
- प्रदेश के 18 मण्डलों में **अटल आवासीय विद्यालयों** की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा–6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय तथा अशासकीय लगभग 2 लाख 65 हजार विद्यालय संचालित हैं । प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019–20 में बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम **'शारदा–स्कूल हर दिन आएं'** संचालित किया है ।

शिक्षा किसी देश के नागरिक के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है, जहाँ एक ओर राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का सर्वाधिक उपयोगी तथा प्रभावी माध्यम है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी के व्यक्तित्व, यथा–संस्कारों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों तथा विशेष रूप से अन्तः प्रज्ञा की सृजनशीलता का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय विकास, सामाजिक उत्थान, आर्थिक समृद्धि, स्वावलंबन, प्रौद्योगिकी तथा सूचना तंत्र के सम्वर्द्धन में शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है, जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, आपस में सामंजस्य तथा सहयोग के गुणों के साथ–साथ उनको भविष्य में विशेषकर व्यवसाय के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके। अतएव राज्य की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की दिशा मे प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय–

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–12.01 में दर्शाये गये है–

तालिका–12.01
प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2018–19 (वास्तविक अनुमान)	2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2020–21 (आय–व्ययक अनुमान)
1	प्राथमिक शिक्षा	3538020 (74.68%)	4168532 (76.31%)	4678546 (74.66%)
2	माध्यमिक शिक्षा	870441 (18.37%)	974837 (17.85%)	1195027 (19.07%)
3	उच्च शिक्षा	274601 (5.80%)	250739 (4.59%)	315407 (5.03%)
4	अन्य	54666 (1.15%)	68148 (1.25%)	77403 (1.24%)
	योग	4737728 (100.00)	5462256 (100.00)	6266383 (100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश बजट की रुपरेखा 2020–2021

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया है।

प्रदेश में साक्षरता की स्थिति–

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत 67.7 है, जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है। इस प्रकार से महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 का अन्तर है, जबकि इसी अवधि में भारत की साक्षरता 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0 प्रतिशत) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत) एवं तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) आदि की तुलना में प्रदेश की साक्षरता कम है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़े तालिका–12.02 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–12.02
प्रमुख राज्यों की साक्षरता में प्रदेश की स्थिति

(प्रतिशत मे)

संख्या	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
2	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
3	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
4	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**
5	**उत्तर प्रदेश**	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
6	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
7	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
8	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5

प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है– जहां वर्ष 1991 में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत का अन्तर है।

प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति एक समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती पूर्ण कार्य है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में साक्षरता के आँकड़े तालिका–12.03 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–12.03
प्रदेश के विभिन्न जनपदों मे साक्षरता

संख्या	जनपद	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	गौतमबुद्ध नगर	80.1	88.1	70.8
2	गाजियाबाद	78.1	85.4	69.8
3	कानपुर नगर	79.7	83.6	75.1
4	औरैया	78.9	86.1	70.6
	उत्तर प्रदेश	**67.7**	**77.3**	**57.2**
5	बदायूँ	51.3	61.0	40.1
6	बलरामपुर	49.5	59.7	38.4
7	बहराइच	49.4	58.3	39.2
8	श्रावस्ती	46.7	57.2	34.8

नोट– जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2020–21 के अनुसार वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत् है–

तालिका–12.04
उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2018-19	**5537058** (21.2%)	**246234** (2.6%)	**5783292** (16.2%)
2019-20	**6626948** (21.4%)	**454570** (3.8%)	**7081518** (16.5%)
2020-21	**7517745** (22.4%)	**450757** (3.2%)	**7968502** (16.8%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

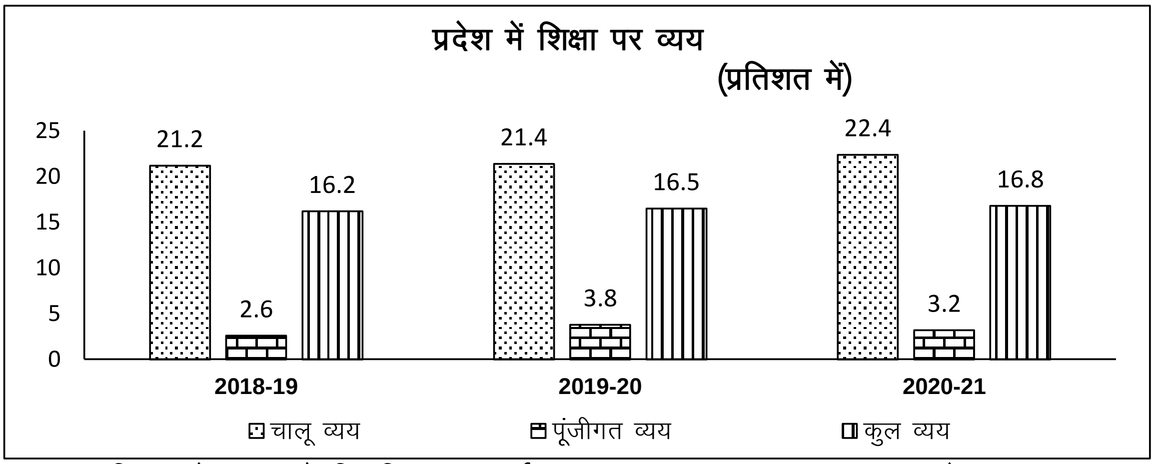

तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2020–21 (आय–व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 22.4 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.4 प्रतिशत तथा 3.8 प्रतिशत

रहा। वर्ष 2018–19 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.2 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। शिक्षा के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

प्रदेश में वर्ष 2018–19 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 161366 थी जो वर्ष 2019–20 में कम होकर 138185 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2018–19 में 80624 थी जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 83859 हो गयी। वर्ष 2018–19 में हायर सेकण्डरी विद्यालयों की संख्या 26434 थी जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 27959 हो गयी।

प्रदेश में वर्ष 2018–19 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 632 हजार थी जो वर्ष 2019–20 में कम होकर 558 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 230 हजार थी जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 480 हजार हो गयी। प्रदेश में वर्ष 2018–19 में हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 311 हजार थी जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 324 हजार हो गयी।

प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2019–20 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 73.72 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 58.30 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 60.70 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 49.09 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 32.60 केन्द्रीय क्षेत्र में रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 36.84 रही। वर्ष 2019–20 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या पूर्वी क्षेत्र में 12.94 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10.06 रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12.28 थी।

वर्ष 2019–20 में जू.बे. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (29.11) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (26.69) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में प्रदेश में यह संख्या 28.09 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक (29.81) पूर्वी में तथा सबसे कम (26.63) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में प्रदेश में यह संख्या 28.84 रही। वर्ष 2019–20 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (53.27) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (29.01) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि प्रदेश में यह संख्या 42.25 रही।

तालिका–12.05
प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ विद्यार्थियों की संख्या

(2019–20)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्डरी	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्डरी
पूर्वी	61.52	37.24	12.94	29.11	29.81	47.01
बुन्देलखण्ड	73.72	49.09	10.06	26.69	26.63	53.27
पश्चिमी	58.30	36..87	12.42	27.60	27.86	41.95
केन्द्रीय	60.42	32.60	11.12	27.03	29.31	29.01
उत्तर प्रदेश	60.70	36.84	12.28	28.09	28.84	42.25

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर है। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है।

तालिका–12.06

प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालय (1 से 8) एवं नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964
2016–17	237766	34707745
2017–18	244901	29737966
2018–19	241990	33401231
2019–20	222044	3,17,287

गत् वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हुए हैं, किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तर्जनपदीय विषमतायें है। उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तर है। क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना चुनौती है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

1.सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप–जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात् अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध धनराशि रू0 748859.58 करोड़ के सापेक्ष रू0 663933.87 करोड़ व्यय किये गये।

2. समग्र शिक्षा

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा लागू की गयी है जिसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजुकेशन सम्मिलित है।

समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। इसमें भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

तालिका–12.07
समग्र शिक्षा की वित्तीय प्रगति–2020–21

(रू0 करोड़ में)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 की अनुमोदित कार्ययोजना	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
	4841.77	**3227.85**	**8069.62**
राज्य सरकार से परियोजना को प्राप्त धनराशि का विवरण (31.10. 2020 तक की स्थिति)			
01.04.2020 को विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि(अनन्तिम)			**643.94**
वर्ष 2020–21 में प्राप्त धनराशि	2923.94	1936.20	**4860.14**
योग	**2923.94**	**1936.20**	**5504.08**

- **कुल परिव्यय के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि – रू0 5504.08 करोड़ (66.21%)**
- **जनपदों एवं संस्थाओं को कुल अवमुक्त धनराशि –रू0 4162.90 करोड (75.63%)**
- **उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय – रू0 3272.40 करोड़ (59.45%)**

3. ठहराव में सुधार

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के विद्यालय में ठहराव में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाओं हेतु निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :–

- प्रदेश के 05 प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया, 1194 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनः निर्माण की स्वीकृति एवं 1688 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया है। 1160 विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को पीने के पानी की सुविधा हेतु सबमर्सिबल पंप, टैंक तथा फिटिंग की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में 6686 विद्यालयों में विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **'आपरेशन कायाकल्प'** के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा–ब्लैकबोर्ड, बालक–बालिकाओं के पृथक–पृथक शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैण्डवाशिंग प्रणाली, फर्श की मरम्मत/टाइल्स लगवाना, विद्युतीकरण, किचेनशेड का जीर्णोद्धार, विद्यालय प्रांगण में इण्टरलाकिंग टाइल्स की कार्यवाही गतिमान है, जिसे सितम्बर, 2020 तक पूर्ण कराया जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता–

- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम **'शारदा'** संचालित किया जा रहा है, जिसमें 5 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को चिह्नित कर नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति की ट्रेकिंग शारदा पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- जनवरी, 2020 मे 5 से 14 आयुवर्ग के आउट आफ स्कूल बच्चों के **चिह्नांकन एवं नामांकन** की प्रक्रिया जनपदो मे गतिमान है। अद्यतन कुल 4,11,773 **आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नांकन** किया जा चुका है तथा इनमें से 3,17,287 बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराया जा चुका है।
- **शारदा पोर्टल** के माध्यम से इन बच्चों के नामांकन व उपस्थिति की ट्रेकिंग की व्यवस्था की गयी है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन के लिए समेकित फ्रेमवर्क लागू किया गया है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के विभिन्न घटकों की मॉनीटरिंग व तकनीकी सपोर्ट के लिए मोबाइल एप बेस्ड इन्टीग्रेटेड प्रणाली **'समर्थ'** लागू की गयी है।

4.शिक्षा की पहुंच में सुधार

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु 'उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में, जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिलें स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है।

विगत 15 वर्षो में 26299 नवीन प्राथमिक, 29231 उच्च प्राथमिक एवं 104 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों के भवन निर्माण हुए।

5.आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नांकन एवं विशेष प्रशिक्षण

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। शैक्षिक सत्र 2019–20 में 6–14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन हेतु हाउस होल्ड सर्वे सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण बस्ती व मजरेवार अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के सहयोग से किया गया। सर्वे में 6–14 आयुवर्ग के कुल 411773 बच्चे चिह्नित किये गये, जिसके सापेक्ष 317287 बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया।

6.स्कूल चलो अभियान

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रदेश में '' स्कूल चलो अभियान'' एवं ''उपस्थिति अभियान'' वर्ष में दो बार आयोजित किया गया। इसके तहत 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन करने हेतु समुदाय को जागरूक किया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान समुदाय को शत–प्रतिशत नामांकन एवं बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति के बारे में जागरूक किया गया।

7.निःशुल्क यूनिफार्म का वितरण

प्रदेश में संचालित परिषद्‌ीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं (के0जी0बी0वी0 सहित), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण कराया जाता है। गरीबी रेखा के ऊपर (नॉन बी0पी0एल) के 134.45 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क दो जोड़ी यूनीफार्म वितरित की गयी है।

8.निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2019–20 में शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही कक्षा 1–8 तक 178.87 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरित की गयी।

9.कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.12 प्रतिशत) से कम तथा जेण्डर गैप राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है।

01 अप्रैल 2008 से प्रभावी पुनरीक्षित गाइड लाइन्स के अनुसार, 30 प्रतिशत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले 79 विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले अल्पसंख्यक बाहुल्य 52 कस्बे/शहर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 अल्प संख्यक तथा बी0पी0एल0 परिवारों की ड्राप आउट, गैर–नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6–8 तक की आवासीय सुविधा सहित शिक्षा दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 तथा अल्पसंख्यक वर्गं की 75 प्रतिशत बालिकाएं तथा बी0पी0एल0 परिवारों की 25 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित की जाती हैं।

प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 734 विद्यालय माडल–I एवं 12 विद्यालय माडल–II प्रकार के है। वर्ष 2020–21 मे 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा–12 तक उच्चीकरण किया गया है।

सभी संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 76160 बालिकाएं नामांकित की गयी है जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–12.08

वर्ष 2020–21 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

श्रेणीवार नामांकन					योग
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ0बी0सी0	बी0पी0एल	अल्संख्यक	
36927	6842	20147	6928	5256	76100

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का गैप एनालिसिस के आधार पर अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण–

क्रियाशील शौचालय, पेयजल, बायोमैट्रिक, सी0सी0टी0वी0, बेडिंग, इन्सीनेरेटर, टी0वी0 एवं सतत् निरीक्षण एवं सुरक्षा–संरक्षा हेतु जनपद स्तर से होमगार्ड की व्यवस्था एवं राज्य परियोजना कार्यालय से प्रान्तीय रक्षा दल के कार्मिकों की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए परफार्मेन्स इन्डीकेटर्स निर्धारित कर श्रेणीकरण की व्यवस्था लागू की गई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली मूलभूल सुविधाएंः–

- समस्त विद्यालयों में सी0एम0ओ0 द्वारा बालिकाओं का स्वास्थ्य चेक अप तथा रिकार्ड का रख–रखाव।
- स्वच्छ पेयजल तथा वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था।
- यूनीफार्म, जूते, साबुन, तेल टूथपेस्ट, सेनेटरी नैपकिन एवं अन्य बालिकाओं के प्रयोग हेतु सामग्री की व्यवस्था।
- समुदाय को जोड़ने के लिए अभिभावक बैठक एवं विद्यालय प्रबन्धन समितियों का गठन।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में संचालित विशेष अभियान

- बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति जागरूक करना– 5.68 लाख अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों, छात्र–छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी। इस हेतु मिशन 'प्रेरणा वेबसाइट' पर सन्दर्भित वीडियोज तथा सन्दर्भ–सामग्री उपलब्ध करायी गयी।
- मिशन प्रेरणा पर अध्यापकों के लिए अरमान माड्यूल से सम्बन्धित सत्र हमारा परिवार एवं लिंग भेदभाव, लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान एवं दृढ़ निश्चय कौशल का विकास, किशोरावस्था एवं माहवारी प्रबन्धन, किशोर/किशोरियों के प्रति हिंसा, कम उम्र में विवाह

एवं हमारे कानूनी अधिकार सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध करायी गयी। 192023 अध्यापकों द्वारा उक्त सन्दर्भ सामग्री का अध्ययन करने के उपरान्त समुदाय एवं बच्चों से निरन्तर संवाद स्थापित किया गया एवं उन्हें यथासम्भव जागरूक करने का प्रयास किया गया।

- प्रधानाध्यापकों ने अपने विद्यालय के दस–दस अभिभावकों को प्रतिदिन विद्यालय में बुलाकर अरमान माड्यूल की मदद से 'मेरे बच्चे मेरे सपने, 'क्यू करें हम इनमें अन्तर', 'हमारी जिम्मेदारी, चलों हम भी जानें' तथा 'बन्द करो अब अत्याचार', के बारे में चर्चा किया। समस्त सभाओं तथा बैठकों में चाइल्ड हेल्प लाइन नं0 1098, महिला हेल्प लाइन नं0 1090, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होने की दशा में पुलिस हेल्प लाइन नं0 112 तथा घर पर किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए हेल्प लाइन न0 181 आदि की जानकारी प्रदान की गयी तथा बच्चों को मॉकड्रिल कराया जाये जिससे कि इन नम्बरों के प्रयोग का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके।
- यौन उत्पीड़न, आत्मरक्षा के तरीके, हमारे मौलिक अधिकार, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर ऑन लाईन पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसमें प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

ई–पाठशाला

कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिये बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा '**मिशन प्रेरणा की ई–पाठशाला**' का वृहद् कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं:–

1. **दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण**– शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा, प्रतिदिन पूर्वान्ह 9:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक (04 घण्टे) संचालित किया जा रहा है।
2. **आकाशवाणी से शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण**– इसी प्रकार कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक (01 घण्टे) का शैक्षणिक कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।
3. **व्हाट्स–ऐप क्लासेज**– राज्य स्तर से संचालित व्हाट्स–ऐप ग्रुप के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री नियमित रूप से शिक्षकों को प्रेषित की जा रही है। शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर 1.5 लाख से अधिक व्हाट्स–ऐप ग्रुप संचालित किये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अभिभावकों को नियमित शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है ताकि अधिकतम बच्चे लाभान्वित हो सकें।
4. **मिशन प्रेरणा यू–ट्यूब चैनल**–शैक्षणिक कन्टेंट को शिक्षकों एवं बच्चों तक पहुॅचाने के लिए मिशन प्रेरणा यू–ट्यूब चैनल भी संचालित है। इस चैनल पर नियमित शैक्षणिक वीडियोज भेजे जा रहे हैं।
5. **माड्यूल का वितरण**– बच्चों में लर्निंग आउटकम्स को सुनिश्चित करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शिक्षकों के प्रयोगार्थ 03 मॉड्यूल, फाउण्डेशन लर्निंग (आधारशिला), रीमिडियल टीचिंग (ध्यानाकर्षण) एवं कम्पेन्डियम (शिक्षण संग्रह) उपलब्ध कराये गये हैं।
6. छात्र–छात्राओं द्वारा बुनियादी शिक्षा में निर्धारित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से फाउण्डेशनल लिटरेसी एवम् न्यूमरेसी पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने हेतु महत्वाकांक्षी **"मिशन प्रेरणा"** कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका निर्धारित किये गये हैं।
7. शिक्षण को रूचिकर एवं प्रभावी बनाने के लिये **दीक्षा ऐप** के माध्यम से शिक्षकों को अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। इस ऐप पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए 5000 से अधिक उच्च कोटि के विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं। दीक्षा पोर्टल पर 04 लाख से अधिक शिक्षकों द्वारा अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है।

8. **पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेन्ट सिस्टम** (पी0एफ0एम0एस0) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ जनपद के विकासखण्ड सरोजनीनगर में लागू किया गया। तदोपरान्त प्रदेश के समस्त जनपदों में पी0एफ0एम0एस0 लागू कर दिया गया है।

- गवर्नेन्स एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग की एकीकृत 'प्रेरणा' पोर्टल एवं 'मानव सम्पदा पोर्टल' विकसित करते हुए पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। **'मानव सम्पदा पोर्टल'** के माध्यम से शिक्षकों का सेवा–विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, विभिन्न देयों का भुगतान, सेवा–पुस्तिका, चरित्र पंजिका आदि सम्बन्धी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

ऑपरेशन कायाकल्प

- विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने हेतु 14 पैरामीटर्स यथा–शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय/मूत्रालय में नल–जल आपूर्ति, शौचालय/ मूत्रालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट कक्षा–कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट्ट, रसोईघर, विद्यालय की समुचित रंगाई–पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, कक्षा–कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन) संतृप्तीकरण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विकासखण्ड स्तर पर कार्ययोजना **प्रेरणा पोर्टल** पर अपलोड कराया गया है।
- ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को चिह्नित किए गए 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं मे से 14 अवस्थापना सुविधाओं यथा–शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय/मूत्रालय में नल–जल आपूर्ति, शौचालय/मूत्रालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट कक्षा–कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट्ट, रसोईघर, विद्यालय की समुचित रंगाई–पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, कक्षा–कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन संतृप्त करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसके वित्त पोषण हेतु जिला खनिज निधि, शहरी निकाय निधि एवं विनयमित क्षेत्रों में उपलब्ध अवस्थापना विकास निधि को प्रमुखता से उपयोग किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अवस्थापना सुविधाओं के आच्छादन की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा प्रेरणा पोर्टल पर किये जाने के साथ विद्यालयों की स्टार ग्रेडिंग एवं जनपदों के रैंकिंग की व्यवस्था की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है, जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा, उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा(आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

वर्तमान में 2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20558 वित्तविहीन कुल 27355 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर सृजनात्मक विकास करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनायें निम्नवत् हैं–

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1. समग्र शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु यह अभियान वर्ष 2009–10 से संचालित है। निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता विकास के साथ पूर्व से चयनित विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान, शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन तथा निर्माणाधीन विद्यालयों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 39828.47 लाख बजट के सापेक्ष रू0 35018.36 लाख व्यय हुआ।

2–व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड का संचालन

यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजना से 892 माध्यमिक विद्यालय आच्छादित है। इस योजना हेतु 35 ट्रेड, का प्रस्ताव किया गया है। इन ट्रेडों का पाठ्यक्रम एवं इन ट्रेडों में आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में रू0 30.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 16.11 करोड़ की धनराशि अगस्त 2020 तक स्वीकृत हो चुकी है।

3–असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 1994–95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1998 के बाद इस योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि (10–10 लाख की दो समान किस्तों में) अनावर्तक अनुदान के रूप में निजी प्रबन्ध तंत्रों को निर्धारित मानक के पूर्ण होने के पश्चात्, कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 10.00 लाख का बजट प्रावधान है।

4.एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 2000–01 में आरम्भ इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20.00 लाख की दर से (दो समान किस्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2016–17 तक 396 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। वर्ष 2019–20 हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष एक विद्यालय को रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2020–21 हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

5.नये सैनिक स्कूलों की स्थापना

बच्चों में राष्ट्रीय भावना, शारीरिक विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देते हुए उन्हें सैन्य सेवाओं हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जनपद अमेठी, मैनपुरी एवं झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना

किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 में रू0 2556.58 लाख का बजट स्वीकृत की गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु रू0 4000.00 लाख का बजट प्राविधान है।

तालिका—12.09

माध्यमिक शिक्षा का आय—व्ययक प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रू0 में)

वर्ष	आय—व्ययक प्रावधान	व्यय
1	2	3
2018—19	9852.63	9126.25
2019—20	12219.68	10449.09
2020—21	13120.26	3774.82 (अनन्तिम)

उच्च शिक्षा

सरकार का प्रयास है कि बदलते हुये वैश्विक परिवेश के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाये, ताकि राष्ट्र निर्माण के उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इन आदर्शों को साकार करने की दिशा में सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही छात्र/छात्राओं को व्यवसाय—परक शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का उच्च शिक्षित युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके एवं देश की समृद्धि एवं उन्नति में वह अपना अमूल्य योगदान दे सके। वर्तमान समय में सरकार, एक ओर महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, समृद्ध पुस्तकालय, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण जैसे कार्यों पर ध्यान दे रही है तो दूसरी ओर प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा में निजी निवेश एवं सहभागिता को आकृष्ट करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 16 राज्य विश्वविद्यालय, 170 राजकीय महाविद्यालय, 331 अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय 6682 स्व—वित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् है—

तालिका—12.10

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रा एवं अध्यापकों की संख्या	2018—19	2019—20
1	**विश्वविद्यालयों की संख्या**		
	1—राज्य विश्वविद्यालय	16	16
	2—मुक्त विश्वविद्यालय	01	01
	3—डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01
	4—निजी विश्वविद्यालय	27	27
2	**महाविद्यालयों की संख्या**		
	महिला	1195	1251
	सहशिक्षा	5831	5932
	योग	**7026**	**7183**
3	शासकीय महाविद्यालय	164	170

क्रम संख्या	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रा एवं अध्यापकों की संख्या	2018–19	2019–20
4	अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	331	331
5	अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	6531	6682
6	कुल महाविद्यालयों की संख्या	7026	7183
7	**महाविद्यालयों में छात्र संख्या** छात्र छात्रायें	 2074205 2308322	 1969206 2214786
योग		**4382527**	**4183992**

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं

- **सेमिनार तथा सिम्पोजियम ज्ञान के संवर्धन एवं परिवर्धन** हेतु वे मंच हैं, जहाँ विभिन्न विषयों एवं विचारों के आदान–प्रदान से ज्ञान को नई दिशा प्राप्त होती हैं। इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में छात्र ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की नवीन विचारों से अवगत होते हैं तथा संस्था के प्राध्यापक एवं छात्र वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीन शोधों से लाभान्वित होते हैं।
- उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर **नैक संस्था** का गठन किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ गठित है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी अकादमिक एवं आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन कर **नैक** संस्था से उच्च ग्रेड प्राप्त कर सकें। इस हेतु उ0प्र0 उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना की गयी है।
- प्रदेश के उन विकास खण्डों में जहाँ वर्तमान में कोई भी महाविद्यालय नहीं है, उनमें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा **निजी प्रबन्धतंत्रों को अनुदान** प्रदान कर महाविद्यालय खोलने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल–भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृति से छात्र छात्राओं को युवा महोत्सवों द्वारा अवगत कराना तथा उनके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को विकसित करने, खेल के प्रति जागरूक करने एवं उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए **इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल** का आयोजन किया जाता है।

- **मिशन शक्ति**– आगामी शारदीय नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्मसुरक्षा तथा पॉक्सो एक्ट आदि कानूनों के वृहद् प्रचार–प्रसार के लिए एक विशेष अभियान संचालित किया गया तथा जिसे शारदीय नवरात्र एवं बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखा जाना है।

- **कोविड–19** से बचाव हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से बचाव हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार एवं कार्यालयों में कोविड–19 हेल्प डेस्क स्थापित किये गये, छात्र/छात्राओं अभिभावकों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर अपडेट करते रहने के लिए प्रेरित किया गया।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूशा)

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछडे, न्यूनतम सकल नामांकन वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाना एवं लिंग आधारित भेदभाव को कम करना तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रदान करना है। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 एवं 40 है।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को अपनी आधारभूत सुविधाओं–नवनिर्माण, अनुरक्षण एवं उन्नयन तथा नये उपकरणों एवं लाइब्रेरी हेतु पुस्तकों एवं जनरलों का क्रय इस योजना का उद्देश्य है।
- उच्च शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को कम करने तथा समानता के साथ प्रवेश एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु इक्विटी इनिशियेटिव योजना संचालित है।
- विभिन्न विश्वविद्यलायों द्वारा स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता को पारदर्शी करने हेतु ऑनलाइन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को समाजिक विकास हेतु प्रेरित करना एवं उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, जिससे वे राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकें।
- **राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना** का उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना है जिससे समाज के सभी वर्गों को समानता एवं उत्कृष्टता के साथ उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके।
- **जनपद सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना–** इस हेतु वर्ष 2020–21 में रू0 20.00 लाख सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में तथा रू0 1.00 लाख सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में कुल रू0 21.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
- **जनपद अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना–** इस हेतु वर्ष 2020–21 में रू0 20.00 लाख सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में तथा रू0 50.00 लाख सहायता अनुदान – सामान्य (वेतन) मद में कुल रू0 70.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

○ प्रदेश में 50 नये राजकीय महाविद्यालय तथा 01 राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 2500 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त, राज्य सेक्टर के 28 अन्य राजकीय महाविद्यालयों में से 23 राजकीय महाविद्यालयों तथा 05 राजकीय महाविद्यालयों में संकाय का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में रूपया 30.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्रविधियॉं विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता प्रदेश में सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निक की

स्थापना की जा रही है। ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टाफ, इक्विपमेन्ट एवं भवन) उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

तालिका–12.11

प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थायें	2017–18	2018–19	2019–20
1	2	3	4
1–राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	12	12	12
(अ) प्रवेश क्षमता	2777	3021	3079
(ब) वास्तविक प्रवेश	2758	2917	3017
2–राजकीय/अनुदानित संस्थाओं की संख्या	155	160	166
(अ) प्रवेश क्षमता	37170	36810	42646
(ब) वास्तविक प्रवेश	33157	30875	34991

सत्र 2019–20 हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी0टेक0, बी0फार्मा, बी0आर्क0 तथा होटल मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्रमों हेतु चयनित 21277 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं

डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से कराये जाते हैं। सत्र 2019–20 हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ऑन लाइन काउन्सलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों का प्रवेश कराया गया।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित अर्थात् कुल 217 पालीटेक्निक को संचालित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 166 पालीटेक्निक संचालित हैं एवं 51 डिप्लोमा स्तरीय अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।

अति पिछड़े जनपदों में केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत 41 पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट सबप्लान के अन्तर्गत स्वीकृत 19 पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 21 महिला पालीटेक्निक संचालित हैं, जिनकी सत्र 2019–20 में 5578 प्रवेश क्षमता निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न मण्डलों/जनपदों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 07 महिला पालीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं। महिलाओं के सुरक्षित शिक्षण–प्रशिक्षण के दृष्टिगत उन्हें छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से 60 सीटेड 52 महिला छात्रावासों के निर्माण कराये गये है।

विगत् पाँच वर्षों में प्रदेश में संचालित की गयी पालीटेक्निक की संख्या में हुई अभिवृद्धि का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–12.12

पालीटेक्निकों की संख्या

वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20
120	145	155	160	166

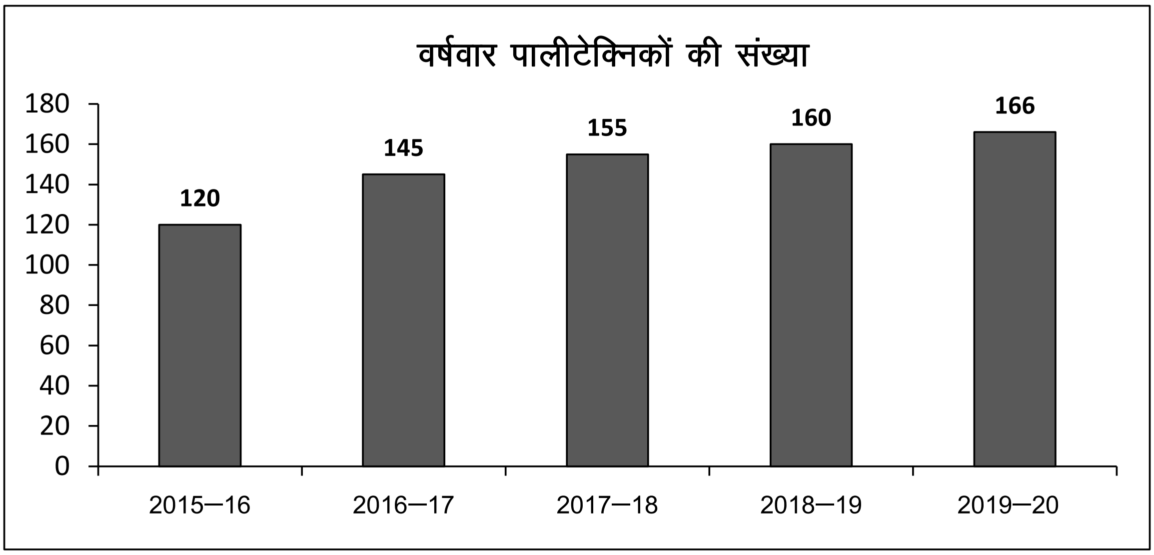

दिव्यांगजन हेतु प्रदेश में विशिष्ट संस्था डा0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर मे स्थापित है, जिसकी प्रवेश क्षमता सत्र 2019—20 में 150 निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त सभी पालीटेक्निक संस्थाओं में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

भारत सरकार द्वारा शत्—प्रतिशत वित्तपोषित कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक स्कीम, प्रदेश की 59 संस्थाओं में संचालित है। वर्ष 2019—20 में उक्त स्कीम के अन्तर्गत संचालित जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिसम्बर, 2019 तक 4225 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 3281 प्रशिक्षार्थी विभिन्न अल्पकालीन रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणरत हैं।

वर्चुअल क्लासरूम / इलैक्ट्रानिक्स मीडिया रिसोर्स सेन्टर / स्टूडियो (ई0एम0आर0सी0) शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर एवं राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद के माध्यम से सत्र 2019—20 में प्रदेश की 47 संस्थाओं में स्थिति वर्चुअल क्लासरूम में आमंत्रित विषय—विशेषज्ञों द्वारा सजीव ई—व्याख्यान का प्रसारण कराया गया एवं प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं में 200 सजीव ई—व्याख्यान का प्रसारण किया जाना प्रस्तावित है।

विगत् तीन वर्षों में प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) में उपलब्ध कराये गये बजट प्राविधान एवं उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः—

तालिका—12.13
डिप्लोमा सेक्टर में आय—व्ययक प्राविधान एवं व्यय की स्थिति

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय
2017-18	30554.78	2700.01
2018-19	32203.95	29734.86
2019-20	36147.69	31685.55

तालिका–12.14
पालीटेक्निक संस्थाओं एवं डिग्री स्तरीय संस्थाओं मे प्रवेश की स्थिति

राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्था			डिग्री स्तरीय संस्था	
वर्ष	प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश	प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश
2017–18	37170	33157	4133	3595
2018–19	36810	30875	3704	3393
2019–20	42646	34991	3681	3442

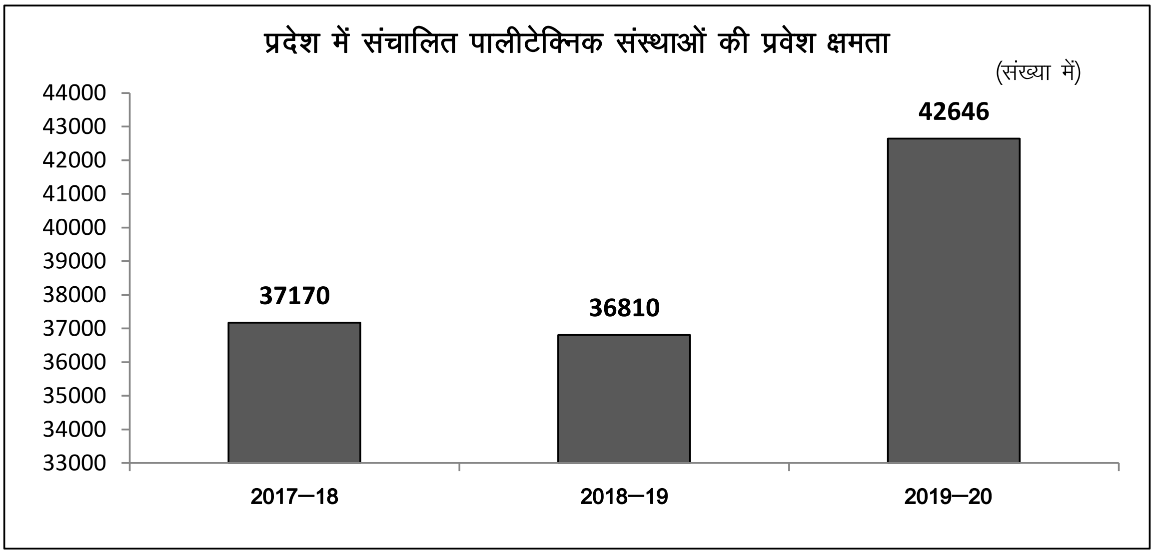

इंजीनियरिंग संस्था में अभिवृद्धिः–

अ– प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। वर्तमान में जनपद मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की गयी है।

ब– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूशा) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बस्ती में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है।

स– प्रदेश में एक उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थान (आई0आई0आई0टी0) की स्थापना लखनऊ के चकगंजरिया क्षेत्र में की जा रही है।

****

अध्याय–13

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

मुख्य बिन्दु–

- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ''महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान'', लहरतारा में होमीभाभा कैंसर हॉस्पिटल और बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में ''सुपर स्पेशिएलटी ब्लॉक'' क्रियाशील हो चुके हैं।
- प्रदेश में 08 नये मेडिकल कॉलेज– हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर व मिर्जापुर का निर्माण कार्य चल रहा है।
- नये 13 मेडिकल कॉलेज–बुलन्दशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोण्डा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चन्दौली स्वीकृत हो चुके हैं।
- लखनऊ में एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेन्टर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है।
- एस0जी0पी0जी0आई0 में एडवांस्ड डायबिटीज एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्युदर मे ंसबसे ज्यादा 30 प्रतिशत गिरावट लाने के लिये प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से एम0एम0आर0 अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।
- प्रदश में टेलीमेडिसिन की शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन के माध्यम से भी कन्ट्रोल रूम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं, मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। लक्ष्य–3 के अन्तर्गत सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना है।

मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर से सम्बन्धित आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों पर संकलित डाटा के नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जो जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर पर वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर मृत्यु दर संकेतक भी जारी करता है।

तालिका–13.01

देश एवं प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्युदर

मद	वर्ष			
	2009		2018	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
जन्म दर	22.5	28.7	20.0	25.6
मृत्यु दर	7.3	8.2	6.2	6.6
प्राकृतिक वृद्धि दर	15.2	20.5	13.8	19
शिशु मृत्यु दर	50	63	32	43

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

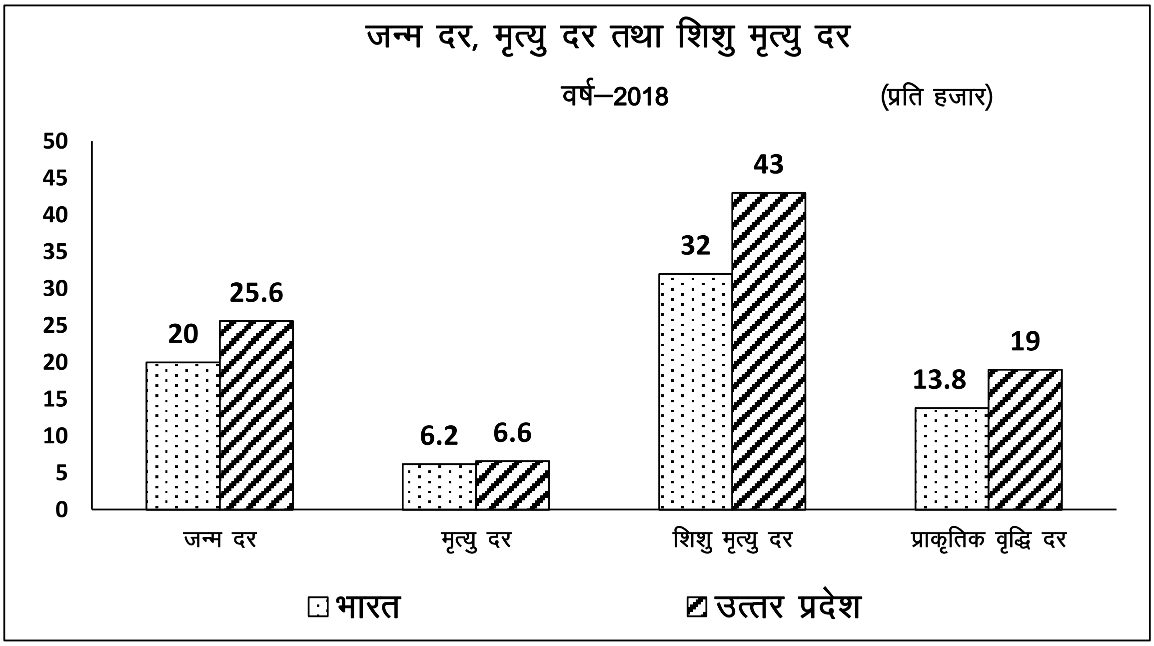

एसआरएस के उपरोक्त आँकडों से स्पष्ट है, कि वर्ष 2009 से वर्ष 2018 के बीच राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर 2009 के 22.5 प्रति हजार से घटकर 20.0 प्रति हजार पर आ गया और मृत्यु दर 7.3 प्रति हजार से घटकर 6.2 प्रति हजार हो गई, जिससे प्राकृतिक वृद्धि दर 15.2 प्रति हजार से गिरकर 13.8 प्रति हजार पर आ गई है, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, जो 50 प्रति हजार जीवित जन्म से कम होकर 32 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई। राज्य स्तर पर भी गम्भीर प्रयास किये गए है, परिणामस्वरूप जन्म दर 2009 के 28.7 से गिरकर 2018 में 25.6 पर आ गई और मृत्यु दर 8.2 से घटकर 6.6 हो गया, इससे प्राकृतिक वृद्धि दर मे 1.5 की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में उक्त अवधि के दौरान 20 की कमी आई है, जो 63 से कम होकर 43 हो गई हैं।

तालिका–13.02
प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर

मद	वर्ष 2009			वर्ष 2018		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
जन्म दर	**28.7**	**24.7**	**29.7**	**25.6**	**22.5**	**26.6**
मृत्यु दर	**8.2**	**6.5**	**8.6**	**6.6**	**5.3**	**7.0**
प्राकृतिक वृद्धि दर	**20.5**	**18.3**	**21.1**	**19.0**	**17.2**	**19.6**
शिशु मृत्यु दर	**63**	**47**	**66**	**43**	**35**	**46**

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

जन्म दर–
जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या बताता है। वर्ष 2009 एवं वर्ष 2018 की अवधि राज्य में **प्रदेश स्तर** पर जन्म दर में 3.1 की कमी दर्ज की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में 3.1 और शहरी क्षेत्रों में 2.2 की कमी हुई, इसके बावजूद देश के बड़े राज्यों में बिहार (26.2) के बाद उत्तर प्रदेश जन्म दर में दूसरे स्थान पर है।

मृत्यु दर–
मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है,जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक है। इसे एक निश्चित क्षेत्र और समयावधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या के रूप में पारिभाषित किया गया है।

प्रदेश में मृत्यु दर वर्ष 2009 में 8.2 से घटकर 2018 मे 6.6 पर आ गई। शहरी क्षेत्रों में 1.2 और ग्रामीण क्षेत्रों मे 1.6 की कमी आई है। इस कारण राज्य के प्राकृतिक वृद्धि दर में 1.5 की कमी आई है, शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक वृद्धि दर 1.1 की और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 की कमी आई है।

शिशु मृत्यु दर–
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), जिसे व्यापक रूप से किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य के क्रूड संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है, को एक निश्चित समयावधि में और किसी दिए गए क्षेत्र के लिए प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम) के रूप में पारिभाषित किया जाता है।

शिशु मृत्यु दर के मामले में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है। वर्ष 2009 में 63 से कम होकर 2018 में 43 पर आ गई किन्तु अभी भी राज्य शिशु मृत्यु दर के मामले में देश के बडे राज्यों में मध्य प्रदेश (48) के पश्चात् दूसरे स्थान पर है। शहरी क्षेत्र में 12 और ग्रामीण क्षेत्र में 20 की कमी दर्ज हुई है, इसके बावजूद भी दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 35 और 46 के साथ राज्य दूसरे स्थान पर है।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं–
प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख आंकड़ें तालिका–13.03 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–13.03
प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र0 सं0	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.19	1.1.2020	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20
1	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	**5119**	**5113**	**2360**	**2360**	**1576**	**1576**
2	शैय्याओं की संख्या	**87977**	**86737**	**11077**	**11077**	**438**	**438**
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	**10739**	**958**	**16492**	**27908**	**26464**	**25616**

प्रदेश के 07 नये मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 के प्रथम वर्ष का पठन–पाठन वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स मे 50–50 एम0बी0बी0एस0 सीटों पर छात्रों का प्रवेश हो चुका है।

चिकित्सा हेतु बजट प्राविधान–

बजट 2020–21 में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 81 करोड़ रूपये एवं 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 919 करोड़ रूपये एवं ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार–विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर में ओ0पी0डी0 एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रूपये एवं ट्रॉमा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एस0जी0पी0जी0आई0 हेतु 820 करोड़ रूपये की एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डीकेटर की दृष्टि में प्रदेश–

वर्ष 2019–20 में प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.07 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.90 केन्द्रीय क्षेत्र में है। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 49.31 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 34.12 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.80 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.35 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 6.90 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 3.79 पश्चिमी क्षेत्र में रही जैसा कि तालिका 13.04 से स्पष्ट है–

तालिका–13.04
प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या

(2019–20)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4	5
पूर्वी	**2.37**	**37.85**	**1.93**	**4.95**
बुन्देलखण्ड	**1.95**	**34.12**	**1.35**	**3.79**
पश्चिमी	**1.90**	**43.86**	**1.78**	**4.87**
केन्द्रीय	**3.07**	**49.31**	**2.80**	**6.90**
उत्तर प्रदेश	**2.16**	**38.07**	**1.73**	**4.60**

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय–

प्रदेश सरकार के वर्ष 2020–21 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रू0 2741320 लाख की व्यवस्था है। वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत् है–

तालिका–13.05
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2018-19	1906279 **(7.3%)**	72708 **(0.8%)**	1978987 **(5.5%)**
2019-20	2288859 **(7.4%)**	109757 **(0.9%)**	2398616 **(5.6%)**
2020-21	2620977 **(7.8%)**	120343 **(0.9%)**	2741320 **(5.8%)**

स्रोतः– उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2020–21

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो क्रमशः प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

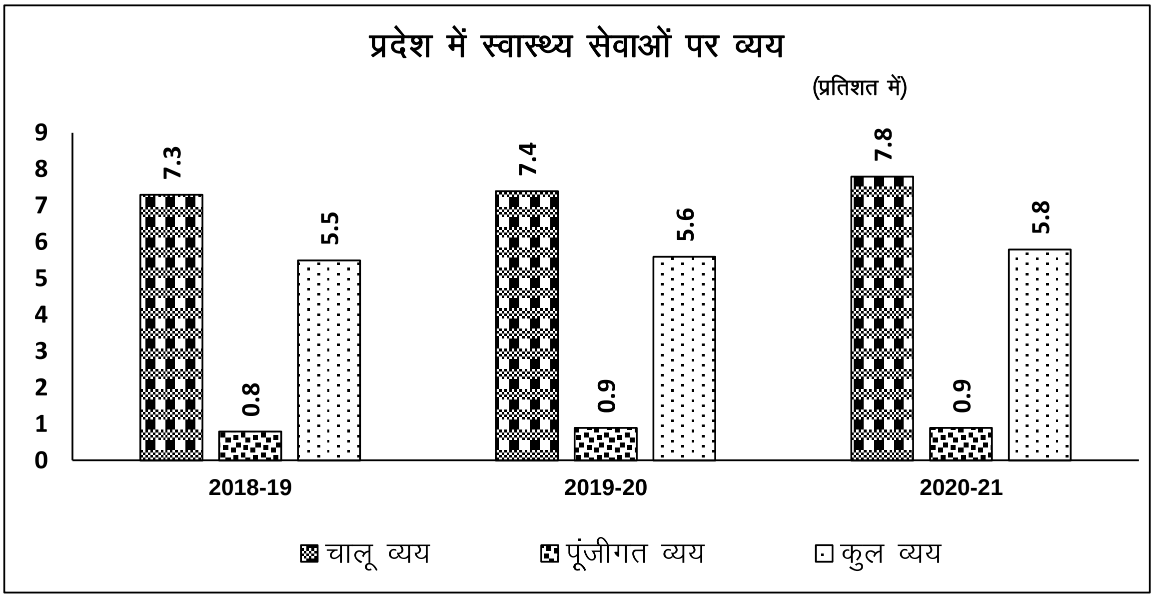

तालिका से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2020–21 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.8% प्रतिशत तथा 0.9% प्रतिशत रहा। वर्ष 2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.4% प्रतिशत तथा 0.9% प्रतिशत रहा। वर्ष 2018–19 (वास्तविक अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.3% प्रतिशत तथा 0.8% प्रतिशत रहा। स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना–

जनसेवा केंद्रों द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। जन–मानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य कार्य है। इस परियोजना को 75 जनपदों में लागू कर दिया है, इसके तहत वर्तमान में निम्नवत् 09 सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा हैं–

1– क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण ।
2–मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन।
3– विकलांगता प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।
4–असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान ।
5– सफल टीकाकरण प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।
6– आयु प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।
7– अस्पताल में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।
8–सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन ।
9– मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक के वृद्धजनों में दृष्टि पीड़ितों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिन्द आपरेशन के लिए आई0ओ0एल0 विधि द्वारा शल्य–क्रिया की जाती है। मोतिया बिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों (डायबेटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, लेजर टेक्नीक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपी एवं परामर्श प्रदान करना है। समस्त जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोगी सेवा केन्द्र और 10 शैय्या वाले वार्ड स्थापित किये गये हैं।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–

यह योजना अब वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक बेंचमार्क बन गयी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सम्पूर्ण देश को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन के 71 वें दौर में पाया गया कि 85.9 फीसदी ग्रामीण घरों में और 82 फीसदी शहरी घरों में स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। 17 फीसदी भारतीय अपने घर के बजट का 10 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। इन्हीं आकस्मिक खर्चो की वजह से ग्रामीण भारत में 24 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 18 फीसदी लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के साझा प्रयास से आयुष्मान योजना का लाभ अब सभी गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को मिल रहा है व चिकित्सा सुविधा अब बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए उपलब्ध है। आयुष्मान भारत पर आने वाले व्यय को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 60–40 के अनुपात में वहन करेंगी। इसमें प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों के छह करोड़ लोगों को चुना गया है, साथ ही शहरी क्षेत्र की 11 कामगार श्रेणियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी परिवारों को पांच लाख रूपये तक प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया गया है, जो क्लेम की जांच करेगी। आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए सरकार ने कुल 1425 सर्जिकल व मेडिकल पैकेज निर्धारित किए है, जिसमें 67 तरह के उपचार केवल राजकीय अस्पतालों में मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड व एमआरआई जैसी सुविधाएं भी मुफ्त मिलेंगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नही आने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, 2019 में की गई। इसमें हीमोग्लोबीन, मूत्र द्वारा गर्भ की जांच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि की जांच की सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यकम

गम्भीर मानसिक विकारों में सीजोफ्रेनिया बाई पोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से एक हजार की जनसंख्या में बीस व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनके उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में उपचार और सन्दर्भन की व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

टेलीमेडिसन केंद्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने मार्च, 2019 में गोरखपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर एवं बहराइच में 15 टेलीमेडिसिन केन्द्रों का शुभारम्भ किया। इसके जरिए रोगियों को टोल फ्री नम्बर पर दूरभाष के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं आर्थिक सहयोग से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं, समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रदेश में क्षय नियंत्रण हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

- वर्ष 2019 मे सरकारी क्षेत्र में 326973 एवं निजी क्षेत्र में 488172, कुल 272995 क्षय रोगी एवं वर्ष 2020 मे (01जनवरी, 2020 से 18 अगस्त, 2020 तक) सरकारी क्षेत्र मे 145312 एवं निजी क्षेत्र में 64632, कुल 209944 क्षय रोगी **निक्षय पोर्टल** पर पंजीकृत किये गये।
- वर्ष 2019 में प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित एक्टिव केस फाइंडिग अभियान में 20807 एवं फरवरी 2020 मे 44 जनपदों मे नये क्षय रोगी चिह्नित कर उपचार हेतु लाये गये।
- कल्चर डी0एस0टी0 लैब (मेरठ में) तथा सी0बी0नॉट मशीन क्रियाशील करा दिया गया है।
- टी0बी0 केस नोटीफिकेशन दर में सुधार लाने हेतु प्रदेश के 60 जनपदों में **जीत प्रोजेक्ट** के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आई0एम0ए0, केमिस्ट एसोसिएशन एवं अन्य व्यसायिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
- अप्रैल 2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से दिनांक 14 अगस्त, 2020 तक 489886 क्षय रोगियों को कुल धनराशि रू0 134.12 करोड़ का भुगतान किया गया।
- 22 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन का शुभारम्भ किया जा चुका है।

नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक (एन0पी0सी0डी0सी0एस0)

यह कार्यक्रम वर्ष 2016–17 से प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा सामान्य गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण एवं रोकथाम, उपचार एवं निदान हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं का उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्लुकोस्ट्रिप एवं ग्लुकोमीटर के द्वारा मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच करना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार एवं निदान करना, हृदय रोग,

मस्तिष्क आघात आदि रोगों के उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजना एवं कर्क रोग से ग्रसित मरीजों को **"टर्सरी कैन्सर सेण्टर"** पर भेजना आदि कार्य किये जाते हैं।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश

भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है। धूम्रपान का जितना गम्भीर प्रभाव धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, उतना ही प्रभाव उसके आस–पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। तम्बाकू के उपयोग के कारण कई घातक बीमारियां होती है, जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग तथा कैंसर प्रमुखता से है।

प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश की सामान्य जनता को विशेषकर युवा पीढ़ी को तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। । कानपुर नगर प्रशासन द्वारा 31 मई, 2015 को कानपुर नगर को देश का **प्रथम तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया गया। इसके पश्चात् जनपद रामपुर प्रशासन द्वारा 12 नवम्बर, 2018 को रामपुर को **तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया चुका है।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम

वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम, उ0प्र0 के 56 जनपदों में संचालित था। वर्ष 2019–20 में प्रदेश के कुल 56 जनपद राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम से आच्छादित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित इस कार्यक्रम में बधिरता की जॉच एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर कान की बीमारियों की जटिल एवं नाजुक माइक्रो सर्जरी द्वारा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम से आच्छादित 51 जनपदों के चयनित जिला चिकित्सालयों में साउण्ड प्रूफ कक्ष का निर्माण किया जा चुका है। बधिरता के निदान के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण तथा कान की सर्जरी हेतु सर्जिकल उपकरणों का क्रय सम्बन्धित जिला चिकित्सालयों द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु 54 जनपदों के चयनित ई0एन0टी0 विशेषज्ञों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर करा लिया गया है। 51 जनपदों में बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ तथा 54 जनपदों में स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकरियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 84975 मरीज देखे गये एवं 1441 की शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया गया। **वित्तीय वर्ष 2020–21** के अन्तर्गत कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों में संविदा मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य स्तर से प्रक्रियाधीन है। प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित जनपदों के चयनित जिला चिकित्सालयों में साउण्ड प्रूफ कक्ष का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

जे०ई० अभियान

प्रदेश सरकार, पूर्वांचल में विद्यमान ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की समस्या को दूर करने के लिये अत्यधिक गम्भीर एवं प्रतिबद्ध है। एक्यूट इन्सेफलाईटिस सिण्ड्रोम/जापानी इन्सेफलाईटिस, प्रदेश में संचारी रोगों, विशेषकर ए0ई0एस0/जे0ई0, डेंगू, मलेरिया तथा अन्य वेक्टर/जलजनित रोगों के सम्बन्ध में नियमित एवं अभियानपरक गतिविधियां संचालित कर राज्य की जनता को इन रोगो से बचाव एवं उपचार हेतु विभिन्न सुविधायें प्रदान की जा रही है। सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में दस्तक अभियान के अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार की गतिविधियां सम्पादित की गई। बी0आर0डी0

मेडिकल कालेज गोरखपुर तथा मस्तिष्क रोग उपचार केन्द्रों में भर्ती होने वाले रोगियों का तुलनात्मक विवरणः–

तालिका–13.06

वर्ष	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती					अन्य उपचार केन्द्र पर भर्ती रोगी			
	प्रदेश में सूचित कुल ए0ई0एस0 रोगी	ग्रसित	मृतक	रोग मृत्युदर	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचारित रोगियों का प्रतिशत	ग्रसित	मृतक	रोग मृत्युदर	अन्य उपचार केन्द्र पर भर्ती रोगी
2015	2900	1558	386	24.78	53.72	1342	105	7.82	46.28
2016	3911	1765	466	26.40	45.13	2146	175	8.15	54.87
2017	4724	2071	475	22.94	43.84	2653	179	6.75	56.16
2018	3077	922	130	14.10	29.96	2155	118	5.48	70.04
2019	2185	538	54	10.04	24.62	1647	72	4.37	75.38
2020	1237	414	22	5.31	33.47	823	12	1.46	66.53

ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफलाइटिस केन्द्र स्थापित किये गये तथा जापानी इंसेफलाइटिस व एक्यूट इंसेफलाइटिस के विरूद्ध अभियान मे 3 लाख 50 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं प्रदेश सरकार के प्रयासो से संक्रामक रोगों के रोकथाम, बचाव एवं उपचार के सम्बन्ध में कार्यक्रम परक एवं अभियान परक गतिविधियाँ संचालित की गई, जिसके फलस्वरूप ए.ई.एम./जे.ई. रोगियों एवं मृतकों की संख्या में विगत् दो वर्षों मे निरन्तर कमी आई है।

102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक भेजने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घंटे उपलब्ध है।

एम्बुलेन्स सेवा

रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 2200 एम्बुलेंस का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है। गम्भीर रोगियों को सुरक्षित उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाई हेतु संदर्भित किये जाने के लिए दिनांक 13.04.2017 को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारम्भ किया गया। ए0एल0एस0 में वेंटिलेटर, डिफिबिलेटर, फिटल डाप्लर, जीवन रक्षित दवायें, जरूरी उपकरण एवं प्रशिक्षित इमेरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारम्भ फरवरी, 2019 से किया गया है।

एम्बुलेंस सेवा 108 ई.एम.टी.एस. के अन्तर्गत प्रदेश मे पूर्वी एवं पश्चिमी क्लस्टर में 2 हजार 200 एम्बुलेस का संचालन किया जा रहा है एवं ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा की वर्तमान फ्लीट में 250 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है।

तालिका–13.07

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश

क्रमांक	विवरण	सितम्बर 2019 के अंत में	सितम्बर 2020 के अंत में
1	अवशेष अभिलेखित कुष्ठ रोगी	**12,356**	**7,650**
2	नये रोगी खोजी दर प्रति लाख जनसंख्या	**7.73**	**3.23**
3	कुष्ठ रोग की व्यापकता दर प्रति दस हजार जनसंख्या	**0.53**	**0.33**
4	नये खोजे रोगियों में विकलांगता दर (प्रतिशत में)	**1.11**	**0.92**
5	अवयस्क रोगी दर (प्रतिशत में)	**3.57**	**2.47**
6	विकलांगता दर प्रति दस लाख जनसंख्या पर	**0.86**	**0.30**

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी0बी0, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हैपेटाइटिस–बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- एच0एम0आई0एस0 डाटा के अनुसार वर्ष 2019–20 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों के वार्षिक लक्ष्य 5799996 के सापेक्ष 5433763 (94%) बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- नियमित टीकाकरण मॉनीटरिंग फीडबैक के अनुसार वर्ष 2018–19 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 81 था, जो कि वर्ष 2019–20 में बढ़कर 82 हो गया।
- प्रदेश के 73 जनपदों (गोरखपुर एवं महोबा को छोड़कर) के 425 ब्लाको में सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान चार चरणों (02 दिसम्बर, 2019, 06 जनवरी, 2020, 03 फरवरी, 2020 एवं 02 मार्च 2020) में चलाया गया, जिसके अर्न्तगत कुल 2087223 (116%) बच्चों का टीकाकरण किया गया। साथ की कुल 421970 (115%) गर्भवती माताओं को टी0डी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0 से बचाव हेतु जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान 01 मार्च, 2020 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 1136916 (105%) बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत पोलियो विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अर्न्तगत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 19 जनवरी, 2020 को पल्स पोलियो एन0आई0डी0 अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 3,34,60,862 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।
- बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अर्न्तगत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है।
- रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर रोटा वायरस की तीन डोज से (प्रथम डोज 6 सप्ताह, द्वितीय डोज 10 सप्ताह एवं तृतीय डोज 14 सप्ताह पर) निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

● प्रदेश के 19 जनपदों में पी0सी0वी0 टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत पी0सी0वी की तीन डोज से (प्रथम डोज 6 सप्ताह, द्वितीय डोज 14 सप्ताह एवं बूस्टर डोज 09 माह पर) निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

● अगस्त, 2020 को विटामिन–ए सम्पूर्ण कार्यक्रम एवं पी0सी0वी0 का शुभारम्भ किया गया, जिसके क्रम में प्रदेश के शेष 56 जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत पी0सी0वी0 को सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रदेश में वैक्सीन एवं सिरिन्जेस के वितरण हेतु 09 राज्य स्तरीय वैक्सीन भण्डारण केन्द्र बनाये गये हैं। मण्डलो से जनपद स्तरीय स्टोर को वैक्सीन वितरण किया जाता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरे देश में वर्ष 1955 से प्रारम्भ किया गया था। यह केन्द्र सरकार का शत–प्रतिशत पोषित कार्यक्रम है। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में **परिवार नियोजन** एवं परिवार कल्याण **से सम्बन्धित** कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैंः–गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टिटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधक आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994

1–मिशन परिवार विकास

03 या उससे अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल 2017 से प्रदेश में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमे नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जा रहा है।

2–गर्भ निरोधक सेवायें

दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाई गर्भ निरोधकों, जैसे ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर–टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरूष नसबन्दी की सेवायें दी जा रही है। महिला नसबन्दी की नई लैप्रोस्कोपिक विधि तथा पुरूष नसबन्दी की भी नई विधि ''नो स्केलपल वैसेक्टामी'' का विस्तार किया जा रहा है।

3–गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994

प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु अधिनियम लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिसमे तीन वर्ष की कठोर सजा का प्राविधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 01 जुलाई 2017 से मुखबिर योजना लागू की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों (शहरी एवं ग्रामीण) विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज के संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया गर्भावस्था तथा प्रसवोपरान्त माताओं की मृत्युदर घटाना, शिशु मृत्युदर को कम करना, हर बच्चे को सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही परिवार नियोजन

को प्रोत्साहित करना,एवं माताओं, बच्चों व किशोरों में कुपोषण के स्तर में सुधार तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य भी मिशन के अन्तर्गत निहित है।

- प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 517 प्रति लाख जीवित जन्म थी, वर्तमान में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर एस0आर0एस0 सर्वे रिपोर्ट 2016–18 के अनुसार 197 प्रति लाख जीवित जन्म है, जिसे वर्ष 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म लाने का लक्ष्य है। जननी सुरक्षा योजना के कारण संस्थागत प्रसवों में अच्छी बढोत्तरी हुई है, जिसके फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर घटी है।
- एन0एफ0एच0एस0–4 सर्वे रिपोर्ट 2015–16 के अनुसार सकल प्रजनन दर 2.7 है, जिसे वर्ष 2030 तक 2.1 लाने का लक्ष्य है।
- रिपोर्ट मे उल्लेख है कि पूर्ण प्रतिरक्षीकृत बच्चों का प्रतिशत 51.1 है। वर्ष 2018–19 में एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 87.4 हो गया है। वर्ष 2019–20 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 90 का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध विकसित मलिन बस्तियों मे स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे प्रदेश मे चरणबद्व रुप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। **भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 131 शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।** वर्ष 2020–21 में जनपद मिर्जापुर मे एक नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार 593 मे से 592 केन्द्र कियाशील हैं अवशेष एक केन्द्र के कियाशील किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। इन केन्द्रों में से चयनित 123 केन्द्रों को प्रसव ईकाई (डिलीवरी प्वांइट) के रुप में कियाशील किया जा चुका है। जनपद लखनऊ में पूर्व से कियाशील 08 बाल महिला चिकित्सालय तथा जनपद वाराणसी में दो मैटरनिटी होम सहित कुल 10 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कियाशील है। प्रदेश के 16 बड़े जनपदों में 75 अरबन हेल्थ क्योस्क स्थापित किये जा चुके हैं तथा प्रदेश के 61 जनपदों में स्वीकृत 405 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में स्थापित कर कियाशील किये जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 में 54 नये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुयी है। इस प्रकार कुल 459 में से 398 हेल्थ ऐण्ड वेलनेस सेन्टर की पोर्टल पर रिपोर्टिंग की जा रही है।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/–व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/–एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/–सहायता राशि के रूप में दिये जाते है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों मे 22 अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टेड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है।

- इसके अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियां एवं जॉच आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है। साथ ही चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन एवं एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से सेवा प्रदान किया जा रहा है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार 2011–13 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था। वर्ष 2016–18 की एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 197 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2030 तक इसे 70 प्रति लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश के उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों के चिकित्सकों (गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट एवं बालरोग विशेषज्ञ) को 08 आर.आर.टी.सी.(अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, इटावा एवं वाराणसी मेडिकल कॉलेज) के द्वारा मातृ एवं बाल मृत्यु के रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसमें अब तक 1036 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है। समस्त जनपदों के 100 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा माह सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना

इससे आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किस्तों में निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी–

1. गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किस्त–रू0 1000/–
2. कम से कम एक प्रसव पूर्व जॉच (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किस्त–रू0 2000/–
3. बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किस्त रू0–2000/–

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

- जनपद अलीगढ़ (जिला महिला चिकित्सालय), मुरादाबाद एवं गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टर्वेन्शन सेन्टर स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 सर्जिकल चिह्नित बीमारियां, जो केवल मेडिकल कालेजों में सम्भव है, के निःशुल्क उपचार हेतु प्रदेश के 7 सरकारी मेडिकल कालेजों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, एवं गोरखपुर) एवं दो चिकित्सा संस्थानों (एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ एवं आर0आई0एम0एस0 सैफई, इटावा) में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है।

साप्ताहिक आयरन एण्ड फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि के पंजीकृत लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियों को आयरन की नीली गोली शिक्षकों की निगरानी में खिलायी जाती है।

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग डे

प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को वर्ष में दो बार, 10 फरवरी व 10 अगस्त को एल्बेण्डाजॉल 400 मि0ग्रा0 की गोली दिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिससे बच्चे पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सके तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सके।

किशोरी सुरक्षा योजना–

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा जनवरी 2016 से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुल 2332714 किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएं

देश एवं प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारणों के रूप में प्री–टर्म बर्थ डायरिया, निमोनिया एवं बर्थ एक्सपेक्सिया इत्यादि मुख्य कारण हैं एवं इन कारणों का चिकित्सकीय प्रबन्ध कर ही नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार तुलनात्मक नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर व 0–5 मृत्यु दर निम्नवत् है–

तालिका–13.08

वर्ष	0–5 मृत्यु दर		शिशु मृत्युदर		नवजात मृत्यु दर	
	राष्ट्रीय	उ0प्र0	राष्ट्रीय	उ0प्र0	राष्ट्रीय	उ0प्र0
2016	39	47	34	43	24	30
2017	37	46	33	41	23	30
2018	36	47	32	43	23	32

शिशु मृत्यु दर व नवजात मृत्यु दर मे कमी लाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्नवत् योजनाएं संचालित की जा रहीं है–

- प्रदेश मे वर्तमान मे 1820 नवजात शिशु देखभाल स्थान, 180 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई तथा कुल 67 जनपदों में 80 एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील है।
- वर्तमान में 69 जनपदों में 174 **कंगारू मदर केयर (के0एम0सी0)** स्थापित है जहाँ कम वजन तथा समय से पूर्व जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल की जा रही है। अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक 121677 बच्चे के0एम0सी0 का लाभ प्राप्त कर चुके है।
- वर्तमान मे 77 **पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0)** 71 जनपदों मे क्रियाशील हैं।
- नवजात शिशु एवं बच्चों में डायरिया एवं न्यूमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण है। डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिये जिंक एवं ओ0आर0एस0 पैकेट बांटे जा रहे है तथा न्यूमोनिया को रोकने के लिये टेबलेट एमाक्सीसिलिन उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रसूति एवं शिशु कल्याण

इसके अन्तर्गत माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 20573 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर उपप्रसूतिकायें (ए0एन0एम0) कार्यरत हैं। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर गर्भवती माताओं की जांच, सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण तथा बच्चों के सात जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु मशीनों आदि हेतु 60:40 के अनुपात में भारत सरकार से वित्त पोषित है।

तालिका–13.9
महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गये टीके

(लाख में)

क्र0 सं0	मद	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर–2019 तक)
1	टी0टी0 गर्भवती माता	66.86	48.47	66.08	49.01	66.53	52.87	38.84	26.41
2	पेन्टावेलेन्ट	57.86	46.86	57.49	45.79	57.99	52.79	33.79	22.44
3	पोलियो	57.86	46.60	57.49	44.44	57.99	52.28	33.79	22.21
4	बी0सी0जी0	57.86	48.98	57.49	48.14	57.99	53.79	33.79	25.29
5	मिजिल्स	57.86	46.02	57.49	55.50	57.99	55.50	33.79	26.98
6	हेप्टाइटिस बी	–	–	–	–	–	–	–	–
7	जे0ई0 (38 जनपद)	32.68	24.04	34.45	25.89	34.77	30.97	20.26	14.99

<u>नोट.</u> वर्ष 2016–17 से पेन्टावेलेन्ट वैक्सीन लगने के कारण डी0टी0पी0 एवं हेप्टाइटिस बी का टीकाकरण बन्द हो गया है।

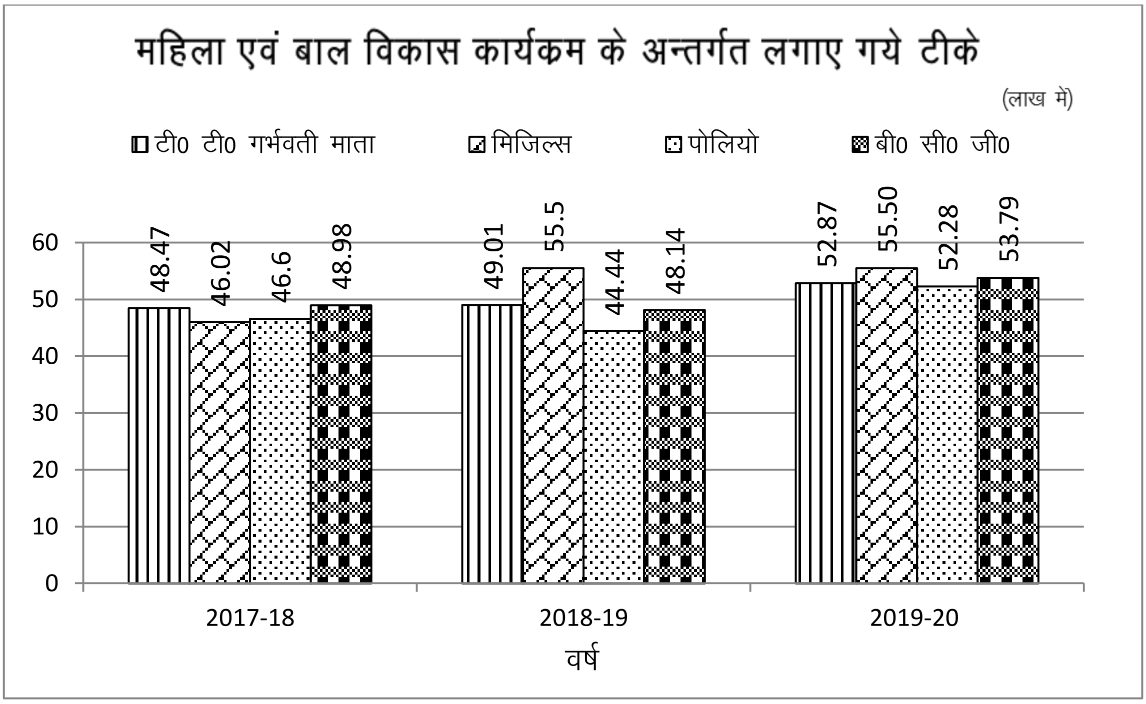

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा–

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में वर्ष 2019–20 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 259739, इससे लाभान्वित जनसंख्या 1698 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय

स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश में वर्ष 2019–20 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 63 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 91 लाख थी।

तालिका–13.10
पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

मद		2018-19	2019-20
1		2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त–		
	(1) नगरों की संख्या	652	652
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	492	492
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	260018	259739*
	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0
	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1723	1698
	(6) अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर–	63	63
	लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	85	91

** पूर्व की कुछ बस्तियां नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या कम हो गयी है। स्रोतः– उत्तर प्रदेश, जल निगम।*

कोविड–19 रोग के संदर्भ में चाही गई संचारी रोग अनुभाग, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है

कोविड–19 सम्बन्धित विवरण
तालिका–13.11

(अक्टूबर, 2020)

प्रदेश में अब तक की गई जांचो की सूचना	1,51,49,160	
	धनात्मक	ऋणात्मक
	4,85,609	1,46,63,551
प्रदेश में कोविड–19 के कारण हुई कुल मृत्यु	7,076	
रोग मृत्युदर	**1.46 प्रतिशत**	
प्रदेश में किये गये कुल सर्विलांस	1,31,44,570	
प्रदेश में की गई कुल कान्टैक्ट ट्रेसिंग	33,52,867	

कोविड चिकित्सा हेतु प्रदेश में 274 कोविड चिकित्सालय क्रियाशील हैं।

****

अध्याय–14
समाज कल्याण

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2020–21 (आय–व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 8.7 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2018–19 (वास्तविक अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.5 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत रहा।
- समाज में सर्वधर्म–समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' संचालित है।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को रू0 2500/– प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।
- प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है।

लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है ताकि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के समतुल्य लाया जा सके।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में सतत् विकास लक्ष्य अपनाये गये जिसमें राष्ट्रों के अन्दर एवं उनके बीच असमानता को कम करना दसवें लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। इस लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त करना और बढ़ावा देना है, चाहे वह किसी लिंग, अशक्तता, प्रजाति, मूल, धर्म अथवा आर्थिक व अन्य स्थिति के हों। उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असमानता को कम करना जिसके लिए उपयुक्त विधान, नीतियों और कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों तथा महिलाओं हेतु छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

तालिका–14.01

कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

मद	भारत		उत्तर प्रदेश	
	2001	2011	2001	2011
ग्रामीण जनसंख्या	742617747	833463448	131658339	155317278
नगरीय जनसंख्या	286119689	377106125	34539582	44495063
कुल जनसंख्या	1028737436	1210569573	166197921	199812341
अनुसूचित जाति (ग्रामीण)	133010878	153850848	30816596	35685227
अनुसूचित जाति (नगरीय)	33624822	47527524	4331781	5672381
कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या	166635700	201378372	35148377	41357608
अनुसूचित जनजाति (ग्रामीण)	77338597	94083844	95828	1031076
अनुसूचित जनजाति (नगरीय)	6987643	10461872	12135	103197
कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	84326240	104545716	107963	1134273
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	16.19	16.63	21.15	20.69
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	8.19	8.64	0.06	0.57

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2020–21 के अनुसार वर्ष 2018–19, 2019–.20 एवं 2020–21 में सरकार का सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–14.02

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2018-19	2235527 (7.5%)	79053 (0.9%)	2314580 (6.2%)
2019-20	2786442 (9.0%)	265763 (2.2%)	3052205 (7.1%)
2020-21	2901544 (8.7%)	352088 (2.5%)	3253632 (6.9%)

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

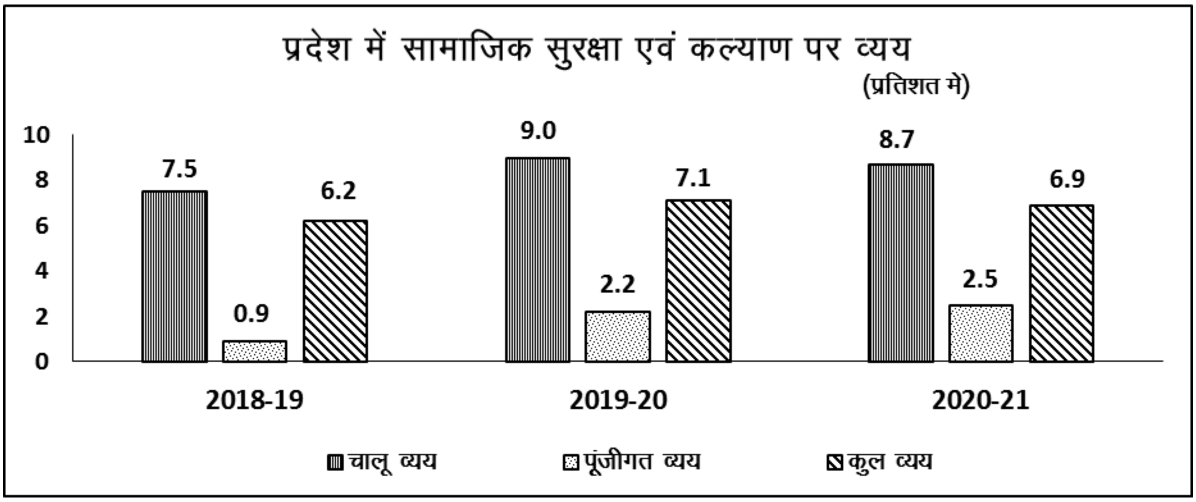

तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2020–21 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का कमशः 8.7 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का कमशः 9.0 प्रतिशत तथा 2.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018–19 (वास्तविक अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का कमशः 7.5 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना –**

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है अथवा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी हैं अर्थात जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/– वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/– वार्षिक से कम है, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इन वृद्धजनों को राज्य सरकार के संसाधन से रु0 300/– मासिक राज्यांश के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह रु0 200/– प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में अर्थात कुल रु0 500/–प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/– प्रति लाभार्थी प्रति माह पेंशन दी जाती है जो शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वर्ष 2019–20 में 4696670 लाभार्थियों को पेंशन के रूप में रु0 262899.99 लाख धनराशि दी गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 4987054 लाभार्थियों के लिए रु0 271000.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसमें से जुलाई, 2020 तक रु0 170596.88 लाख धनराशि व्यय की जा चुकी है।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना –**

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे निवासरत परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रु0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रु0 10,000/–(कुल रु0 30,000/–) का एक मुश्त अनुदान, सहायता राशि के रूप में दिया जाता है।

वर्ष 2019–20 में 146526 लाभार्थियों को रु0 43958 लाख धनाराशि अनुदान में दी गयी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 50000.00 लाख बजट का प्राविधान है। जुलाई, 2020 तक रु0 8574.60 लाख धनराशि व्यय कर 28582 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना –**

समाज में सर्वधर्म–समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' संचालित है जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मो के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की कन्याओं का रीति–रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रु0 35,000/–की धनराशि का अनुदान एवं रु0 10,000/– की धनराषि से विवाह संस्कार के लिए आवष्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि क्रय करके प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रु0 6,000/– की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल रु0 51,000/– की धनराशि की व्यवस्था है। नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण कर न्यूनतम 10 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019–20 में 47097 लाभार्थियों पर रु0 24524.68 लाख धनाराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रु0 25000.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन –**

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म एवं खेल–कूद आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालय खोले गये हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 45 सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध हैं एवं शेष 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सम्बद्ध हैं इन्हें भी सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध करे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कुल संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करा दी गयी है जिसमें कम्प्यूटर/प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था है। इन 93 विद्यालयों में एण्टी बैक्टीरियल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु बजट आवंटित हो चुका है। स्कूलों में प्लान्ट लगाने की प्रक्रिया गतिमान है। उच्च कोटि की संस्थाओं को सूचीबद्ध करते हुए पूरे प्रदेश के लिए एक मेन्यू निर्धारित कर प्रदेश के समस्त छात्र/छात्राओं को नवीन व्यवस्था से विद्यालय परिसर में ही भोजन बनवाकर उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रु0 24862.34 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है जिसमें से जुलाई, 2020 तक रु0 3533.53 लाख धनराशि व्यय कर ली गयी है।

- **छात्रवृत्ति वितरण योजना –**

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता हेतु छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू है। पूर्वदशम् (अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग) एवं दशमोत्तर (सामान्य वर्ग) की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र जिनके अभिभावकों/माता–पिता की आय सीमा रु0 2.00 लाख वार्षिक तक होती है एवं दशमोत्तर (अनुसूचित जाति) कक्षाओं में अध्ययनरत

छात्र, जिनके अभिभावकों/माता–पिता की आय सीमा रु0 2.50 लाख वार्षिक तक होती है, को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर आधारित ई–पेमेंट के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत निम्न उपलब्धि रही–

(धनाराशि रु0 लाख में)

क्र0स0	योजना का नाम	वर्ष	बजट प्राविधान	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	2019–20	20500.00	517936	14300.24
2	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	2019–20	2500.00	88113	2500.00
3	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	2019–20	183000.00	1360376	182999.99
4	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	2019–20	82500.00	699359	82263.03

वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति में अनु0जाति हेतु रु0 20500.00 लाख तथा सामान्य वर्ग हेतु रु0 2500.00 लाख बजट का प्राविधान है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति में अनु0जाति हेतु रु0 183000.00 लाख तथा सामान्य वर्ग हेतु रु0 50000.00 लाख बजट का प्राविधान है।

- **राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास –**

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की आवासीय समस्याओं के निदान हेतु छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत एवं पेय जल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में कुल 261 छात्रावास संचालित हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 3661.05 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रु0 3661.05 लाख व्यय कर 9832 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में जुलाई, 2020 तक प्राविधानित बजट रु0 4079.63 लाख के सापेक्ष रु0 834.58 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

- **अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता –**

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को न्यूनतम 85,000/– रूपये से लेकर 8,25,000/– रूपये तक की सहायता घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 25000.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 22325.17 लाख व्यय कर 23866 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित बजट रु0 25000.00 लाख के सापेक्ष जुलाई, 2020 तक व्यय धनराशि रु0 4802.94 लाख से 5064 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गयी।

- **उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन–**

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 32 के अधीन उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है जिनकी क्षमता 150 वृद्ध संवासियों की है। पी0पी0पी0 माडल पर स्थापित इन वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, औषाधि, मनोरंजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्ष 2019–20 में प्रदेश में रु0 5000.00 लाख बजट के सापेक्ष रु0 4864.70 लाख धनराशि व्यय कर समस्त 75 वृद्धाश्रमों में निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा इत्यादि दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रु0 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। जुलाई, 2020 तक रु0 1461.00 लाख व्यय कर 5188 निवासरत संवासियों को सुविधा प्रदान की गई है।

▪ अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना –

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार) का अनुदान आवेदक के खाते में भेजा जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/– हो एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते हैं। योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति हेतु रू0 13321.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 13170.00 लाख व्यय कर 65852 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में रू0 10000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

सामान्य वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 8250 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 6771.60 लाख व्यय कर 33858 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 में रु0 5000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

▪ निःशुल्क बोरिंग योजना –

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त व्यय भार लाभार्थी/कृषक द्वारा स्वयं वहन किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्राविधानित बजट रू0 1500.00 लाख है।

▪ विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण योजना –

विमुक्त जातियों के लिए 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा हे। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है:–

1– हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई,

2– सिलाई का प्रशिक्षण,

3– हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

प्रत्येक ट्रेड में 15–15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 150 रू0 प्रति माह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 40.11 लाख का प्राविधान है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

धर्म निरपेक्षता और प्रजातान्त्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को समानता के स्तर पर लाने के लिए संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 का प्राविधान किया गया है जिससे कि इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से उन्नत किया जा सके। वर्ष 1995–96 तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते थे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की लगभग 54 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1995–96 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गयी। इसके अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित हैं।

प्रमुख योजनाऐं एवं कार्यक्रम –

▪ पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

उत्तर प्रदेश स्थित समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् ऐसे छात्र/छात्राओं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.00 लाख या उससे कम हो, को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति बजट की उपलब्ध सीमा तक दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वर्तमान में कक्षा 1–8 की छात्रवृत्ति योजना स्थगित है तथा केवल कक्षा 9–10 हेतु संचालित है। कक्षा 9 व 10 तक रु0 150/– प्रति माह, अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक तदर्थ अनुदान रु0 750/–एकमुश्त, अधिकतम रु0 2250/–वार्षिक पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में दिए जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 175 करोड़ का बजट प्राविधान था। योजनान्तर्गत कक्षा 9–10 के कुल 11,13,277 छात्र/छात्राओं के सापेक्ष 'छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति' द्वारा पात्र पाए गये 10,26,205 छात्र/छात्राओं में से बजट की उपलब्धता तक कुल 8,33,622 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति हेतु निर्गत समय–सारिणी के अनुरूप जुलाई, 2020 से छात्रों से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत कुल रु0 175 करोड़ धनराशि का व्यय प्राविधानित है।

▪ दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

उत्तर प्रदेश स्थित समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् ऐसे छात्र/छात्राओं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.00 लाख या उससे कम हो, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति बजट की उपलब्ध सीमा तक दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कोर्स ग्रुप समूह–1 में बी.टेक, एम.बी.ए, एम.बी.बी.एस; समूह–2 में एम.एस.सी, एम.ए, बी.बी.ए, पी.जी.डिप्लोमा आदि कोर्स; समूह–3 में बी.ए, बी.एस.सी, बी.काम. आदि तथा समूह–4 में इण्टरमीडिएट, आई.टी.आई, पालीटेक्निक आदि कोर्स सम्मिलित हैं जिन्हें कोर्स ग्रुपवार निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में किए जाने का प्राविधान है।

शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कोर्सग्रुप–1 के छात्रों को अधिकतम रु0 50 हजार, कोर्सग्रुप–2 के छात्रों को अधिकतम रु0 30 हजार, कोर्स ग्रुप–3 व 4 के तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु0 20 हजार व कोर्सग्रुप–3 व 4 के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों/01 वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों
को अधिकतम रु0 10 हजार अथवा संस्था की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा छात्र द्वारा मांग की गई शुल्क, इनमें से जो न्यूनतम हो, दिए जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु कुल रु0 609.72 करोड़ तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में रु0 999.69 करोड़ का बजट उपलब्ध था। योजनान्तर्गत 29,55,728 छात्र/छात्राओं के सापेक्ष ''छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति'' द्वारा संस्तुत 21,85,490 छात्र/छात्राओं को बजट की उपलब्धता तक रु0 609.72 करोड़ अन्य पिछड़े वर्ग के 20,22,865 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में तथा रु0 999.69 करोड़ कुल 16,42,406 छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किये गये।

वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति हेतु निर्गत समय–सारिणी के अनुरूप अगस्त, 2020 से छात्रों से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। वर्ष 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रु0 120 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु प्राविधानित है।

▪ शादी अनुदान योजना

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु0 56,460/-प्रति वर्ष व ग्रामीण क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु0 46,080/-प्रति वर्ष) जीवन यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के रूप में रु0 20,000/-की सहायता प्रति शादी दिये जाने का प्राविधान है। शादी योजना में लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा से ग्रसित एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना वर्ष 2016-17 से पूर्णतया आनलाइन है जिसमें लाभार्थी पुत्री की शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तक अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

वर्ष 2019-20 में रु0 200 करोड़ बजट प्राविधान था जिसमें योजनान्तर्गत कुल 3.66 लाख लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष पात्र पाये गये 2.06 लाख लाभार्थियों में से कुल 01 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अनुदान की धनराशि पी0एफ0एम0एस0/ई-कुबेर के माध्यम से अन्तरित की गयी।

वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत कुल रु0 150 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। पूर्व में मार्च 2020 में होने वाली शादियों हेतु मार्च में ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों को मई 2020 तक भुगतान किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित थी किन्तु कोविड-19 (कोरोना) महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ऐसे लाभार्थियों को अगस्त, 2020 तक अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

▪ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास ऐसे बेरोजगार युवक/युवतियों, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु0 एक लाख तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की डोयक सोसाइटी नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रु0 15,000/-प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रु0 3,500/-अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। यदि लाभार्थी द्वारा संस्था को पूरी फीस जमा कर दी गई हो तो जमा रसीद को संस्था से सत्यापित कराने के बाद भुगतान विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी को किये जाने की व्यवस्था है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष तथा 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह होती है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन की कार्यवाही निदेशक की अध्यक्षता में एवं लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 में रु0 14.50 करोड़ के बजट में से 'ओ लेवल एवं "सी0सी0सी0" कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रदेश स्तर पर चयनित नीलिट से मान्यता प्राप्त कुल 194 संस्थाओं के माध्यम से 6,926 लाभार्थियों को 'ओ-लेवल' एवं 8,965 लाभार्थियों को 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण (कुल 15,891 प्रशिक्षणार्थियों को) प्रदान कराया गया तथा वर्ष 2018-19 के 928 प्रशिक्षणार्थियों की अवशेष धनराशि का भुगतान किया गया।

वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत 224 कम्प्यूटर प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का चयन किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु कुल रु0 15 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु प्राविधानित है।

▪ छात्रावास निर्माण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शैक्षिक संस्था के परिसर में छात्रावासों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में 100/50 छात्र/छात्राओं की क्षमता के छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु0 207.74 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु0 131.73 लाख निर्धारित है। यह केन्द्र/राज्य पोषित योजना है। राजकीय शिक्षण

संस्थाओं में वित्त पोषण का अनुपात छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश व राज्यांश है और छात्रों के लिए छात्रावास हेतु 60:40 केन्द्रांश व राज्यांश है। योजनान्तर्गत 33 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं हेतु किये जाने का प्राविधान है।

वर्ष 2019–20 में गत वर्षों के निर्माणाधीन 03 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रचलित था जिसे वर्ष 2020–21 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2020–21 में भारत सरकार/शासन द्वारा निर्गत धनराशि रु0 84.13 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है।

वर्ष 2020–21 में कुल 04 शिक्षण संस्थानों में नये छात्रावासों के निर्माण हेतु रु0 831.00 लाख़ की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि निःशक्तता, वाक् निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, अस्थि निःशक्तता, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति शामित हैं। समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांजनों के सार्वंगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 20, सितम्बर, 1995 को दिव्यान्गाजन सशक्तिकरण का गठन किया गया।

प्रमुख योजनाएं –

- **दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)**

ऐसे दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं उनके भरण–पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकारण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना अन्तर्गत रू0 500/– प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि रूपये 628.19 करोड़ के सापेक्ष रूपये 627.79 करोड़ व्यय कर 10,64,814 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया जिसमें 80,105 नवीन दिव्यांगजन सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 621.02 करोड़ के सापेक्ष पेंशन की द्वितीय त्रैमास किश्त से सितम्बर 2020 तक रू0 326.61 करोड़ व्यय कर कुल 10,83,007 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

- **कुष्ठावस्था पेंशन योजना**

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को रू0 2500/– प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि रूपये 31.44 करोड़ के सापेक्ष रूपये 31.44 करोड़ व्यय कर 10,723 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया जिसमें 2,316 नवीन दिव्यांगजन सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 30.00 करोड़ के सापेक्ष पेंशन की द्वितीय त्रैमास किश्त से सितम्बर 2020 तक कुल रू0 17.22 करोड़ व्यय कर कुल 11,637 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

- **शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना**

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी रेखा के अन्दर हों को अधिकतम रू0 10,000/– के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित धनराशि रूपये 19.90 करोड़ के सापेक्ष रूपये 18.76 करोड़ व्यय कर 26,806 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरित किये गये। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 37.40 करोड़ के सापेक्ष 62333 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

▪ दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। इस पुरस्कार के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/–, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/– की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित धनराशि रूपये 1.64 करोड़ के सापेक्ष रूपये 1.64 करोड़ व्यय कर 622 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

▪ दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना –

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन के पुनर्वासन हेतु रू0 20000/– की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू0 10000/–की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1.06 करोड़ के सापेक्ष रूपये 1.06 करोड़ व्यय कर 979 दिव्यांगजन को योजना से लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1.06 करोड़ के सापेक्ष 1060 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

▪ दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति –

न्यूनतम् 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अंतिम गंतव्य स्थल तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं ।

वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 35.00 करोड़ के सापेक्ष रूपये 35.00 करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना अन्तर्गत धनराशि रूपये 35.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

▪ मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल उपलब्ध कराये जाने की योजना –

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2020 को जारी शासनादेश ''निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020'' के द्वारा प्रदेश के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन जो मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल संचालित करने में सक्षम होंगे तथा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000/– से कम हो, के लिए प्रति दिव्यांगजन अधिकतम रू0 25,000/– अनुदान का प्राविधान करते हुए नवीन योजना का प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना अन्तर्गत धनराशि रूपये 32.56 करोड का प्राविधान किया गया है।

▪ दिव्यांगजन हेतु विशेष

1–दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओ/सेवायोजकों आदि को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 12 श्रेणियों (30 उपश्रेणी) में रू0 25000/– की दर से पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

2–18 मण्डल मुख्यालयों पर बचपन डे केयर सेन्टर स्थापित हैं जिनमें मानसिक मंदित/श्रवणबाधित/ दृष्टिबाधित जैसे विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगता वाले 03–07 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ मिड डे मील भी दिया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण

भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का अधिकार भी देता है। अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

तालिका–14.03

क्र0सं0	*समुदाय का नाम*	*कुल जनसंख्या में समुदाय का प्रतिशत*		*कुल अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिशत*	
		भारत	*उत्तर प्रदेश*	*भारत*	*उत्तर प्रदेश*
1.	मुस्लिम	**14.23**	**19.26**	**71.27**	**96.40**
2.	ईसाई	**2.30**	**0.18**	**11.50**	**0.89**
3.	सिक्ख	**1.72**	**0.32**	**8.61**	**1.61**
4.	बौद्ध	**0.70**	**0.10**	**0.05**	**0.03**
5.	पारसी	**नगण्य**	**0.01**	**3.48**	**0.52**
6.	जैन	**0.37**	**0.11**	**1.86**	**0.53**
	योग	**19.32**	**19.98**	**96.77**	**99.98**

राज्य पोषित प्रमुख योजनाऐं एवं कार्यक्रम

- **अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना –**

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी थी। योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु0 20,000/की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत में रु0 50 करोड़ धनराशि का बजट में प्राविधान है।

- **पूर्वदशम छात्रवृत्ति –**

पूर्वदशम् कक्षाओं 9 व 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख है, द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर अधिकतम रु0 3000/–वार्षिक की छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत रु0 20 करोड़ तथा जिला योजना पक्ष में रु0 10 करोड़ कुल रु0 30 करोड़ की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना–

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.00 लाख तक है, को निर्धारित अधिकतम वार्षिक दरों (जो भी कम हो) के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति निम्नलिखित निर्धारित मासिक दरों पर दिये जाने की व्यवस्था है जिसे पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित किया जाता है।

श्रेणी	**छात्रवृत्ति दर (प्रति माह)**		**अधिकतम शुल्क प्रतिपूर्ति**
	दिवाछात्र	**छात्रावासीय छात्र**	
समूह–1	रु0 550/–	रु0 1200/–	50000/-
समूह–2	रु0 530/–	रु0 820/–	30000/-
समूह–3	रु0 300/–	रु0 570/–	20000/-
समूह–4	रु0 230/–	रु0 380/–	10000/-

- **मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना**

योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिये कुल फीस (अधिकतम रु0 15000/–प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के लिये बजट में रु0 15.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडो की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है।

- **अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय हब की स्थापना**

योजना प्रदेश में सर्वाधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 20 जनपदों में लागू है। चयनित जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। स्थानीय औचित्य तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रावास की स्थापना की भी व्यवस्था है। प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज के मानक केन्द्रीय विद्यालय के अनुरूप होंगे व पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा।

वर्ष 2019–20 में योजना के लिए रु0 2473.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। 13 जनपदों के 23 मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की गयी है तथा निर्माण कार्य चल रहा है।

वर्ष 2020–21 में योजना के लिए रु0 1.00 लाख का सांकेतिक प्राविधान कराया गया है।

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं एवं कार्यक्रम

- **अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण/कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना –**

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता से यह योजना वर्ष 1993 से चलायी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रावास निर्माण हेतु रु0 340.58 लाख एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु रु0 340.58 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है।

- **भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना –**

योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख है, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों तथा गत परीक्षा जिनके कम से कम 50 प्रतिशत अंक किये हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000/– एवं दिवा छात्रों को रू0 5000/–वार्षिक (अधिकतम) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

- **प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम) –**

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से यह योजना प्रदेश में 47 जनपदों के 145 विकास खण्डों, 89 नगर पंचायत/नगर पालिका एवं 15 जिला मुख्यालयों में लागू है।
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत मद में रु0 69830.65 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रु0 8510.00 लाख अर्थात कुल रु0 78340.65 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्था :–**

प्रदेश में यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ0प्र0 राज्य हज समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2019 में उ0प्र0 से 31782 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड–19 के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से सऊदी अरब प्रशासन द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले हज यात्रियों की यात्रा पर रोक लगा दी गयी है।
वर्ष 2019–20 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए कुल रु0 313.67 लाख का प्राविधान कराया गया। वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए कुल रु0 309.00 लाख का प्राविधान कराया गया है।

महिला कल्याण

हमारे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति–निर्देशक–तत्व में भी नागरिकों की समानता निहित है जिसके फलस्वरूप इस देश में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अभी भी अधीनस्थ अवस्था में संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्यों को भी यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनायें बना सकते है।

तालिका–14.04

जनगणना 2011 में महिलाओं की नगरीय, ग्रामीण व कुल जनसंख्या

मद	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3
कुल जनसंख्या	**1210569573**	**199812341**
महिलाओं की ग्रामीण जनसंख्या	**405830805**	**74324283**
महिलाओं की नगरीय जनसंख्या	**181616925**	**21007548**
महिलाओं की कुल जनसंख्या	**587447730**	**95331831**

सतत विकास लक्ष्य 5 में लैगिंक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सुदृढ़ नीतियों और प्रवर्तनीय विधान को अपनाना और उनका सुदृढीकरण करना शामिल है। इसी उद्देश्य से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं।

- **स्वाधार आश्रय गृह–**

संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहयोग प्रदान करने एवं उनके पुनर्वासन हेतु यह योजना चलायी जा रही है। उक्त योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश होता है। वर्तमान में कुल 14 स्वधार आश्रय गृह संचालित हैं इस योजना से लगभग 206 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी। वर्ष 2020–21 में रूपये 500.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत किया गया है जिसमें से रु0 276.82 धनराषि व्यय की गयी है।

- **उज्जवला योजना–**

अनैतिक देह व्यापार से ग्रसित अथवा पीड़ित महिलाओं को पुर्नवासित किये जाने तक आश्रय प्रदान किये जाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से सचांलित है। वर्तमान में कानपुर में एक संस्था संचालित है। इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या 23 है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 150.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढाओ–**

भारत सरकार की योजना नेशनल मिशन फॉर वूमेन के अन्तर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने तथा बाल लैंगिक अनुपात की दर में वृद्धि हेतु समेकित प्रयास के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। उक्त योजना में प्राविधानित धनराशि भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जिला प्रोबेशन अधिकारियों के संयुक्त खाते में अन्तरित की जाती है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा प्रेषित रू0 1700.00 लाख के सापेक्ष रू0 900.79 लाख का व्यय किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 1700.00 लाख के सापेक्ष रु0 100.09 लाख का व्यय अब तक किया जा चुका है।

- **महिला हेल्प लाइन–**

महिला हेल्प लाइन के सार्वभौमिकरण की योजना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। वर्तमान में यह योजना 112 उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से संचालित है। गत वर्ष इस योजनान्तर्गत तकनीकी समस्या के कारण धनराशि का

व्यय नहीं किया जा सका था, वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 1190.28 लाख का व्यय किया जा चुका है।

▪ वन स्टाप सेन्टर–

संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस, विधिक, चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु अल्पकालिक सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। यह योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक प्राप्त धनराशि रु0 1125.34 लाख के सापेक्ष रु0 430.26 लाख का व्यय किया जा चुका है।

▪ निराश्रित महिलाओं के लिए राजकीय आश्रय सदन की स्थापना–

वृन्दावन मथुरा में सचालित दो आश्रय सदन लीलाकुंज एवं रास बिहारी सदन महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं जिसमें विभिन्न राज्यों से आयी वृद्व माताएं, निराश्रित तथा विधवा महिलाएं रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्हें फूड मनी, पाकेट मनी व औषधि आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। निवासरत महिलाओं को कन्ट्रोल रेट पर राशन, आधार कार्ड, पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध है। आश्रय सदन में तैनात डाक्टरों द्वारा महिलाओं की समय–समय पर जांच तथा निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 157.00 लाख के सापेक्ष रू0 157.00 लाख का व्यय किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 190.00 लाख के सापेक्ष रु0 100.01 लाख का व्यय अब तक किया जा चुका है।

▪ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना–

प्रदेश में समान लिगांनुपात स्थापित करने व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व षिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिकाओं के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा मार्च, 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गयी थी जो 01 अप्रैल, 2019 से लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत मुख्यतः ऐसे लाभार्थी पात्र होते हैं जिनका परिवार उत्तर प्रदेष का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख तथा जिनके परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के जन्म के समय रू0 2000, एक वर्ष का टीकाकरण पूर्ण करने पर रू0 1000, कक्षा 1 में प्रवेश के समय रू0 2000, कक्षा 6 में प्रवेष पर रू0 2000, कक्षा 9 में प्रवेष के समय रू0 3000 तथा दसवीं व बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर रू0 5000 एक मुष्त प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 4.96 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 109032.36 लाख बजट के सापेक्ष 7316.02 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 118282.20 लाख बजट के सापेक्ष रु0 1537.82 लाख का व्यय किया गया है।

▪ संस्थानों/गृहों का संचालन–

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होने पर भी विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाएं/किशोरियां अपराध की गिरफ्त में आ जाती हैं अथवा कुछ ऐसी बालिकाएं/किशोरियां हैं जिन्हें माता–पिता अथवा अन्य संरक्षक के अभाव में विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु–लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में 14 राजकीय महिला शरणालयों का संचालन किया जा रहा है।

▪ दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को सहायता–

वर्ष 1990–91 से संचालित इस योजना के अन्तर्गत दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को आर्थिक तथा कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। योजनानन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलायें जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, पात्रता की श्रेणी में आती हैं। ऐसी उत्पीड़ित महिलाओं को विधिक वाद की पैरवी हेतु रू0 2500/–की एक मुश्त राशि तथा वाद के निस्तारण होने तक रू0 125.00 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कानूनी सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 3.08 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 9.00 लाख का बजट उपलब्ध है।

▪ विधवा महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार–

योजनान्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो, से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 11000.00 का अनुदान दिया जाता है, बशर्ते कि वह आयकर दाता न हो।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 06.49 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 45.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है जिसमें से 11 हजार की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

▪ उ0प्र0 महिला सम्मान कोष–

नियमावली 2015 के अन्तर्गत रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की गई है। कोष का उपभोग जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल आर्थिक तथा चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करने, पीड़िताओं के भरण–पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ–साथ परिस्थितिवश यदि अपेक्षित हो तो ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिए किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं द्वारा बहादुरी का कार्य करने, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुंरस्कार से

सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना के अन्तर्गत रू0 10370.83 लाख के सापेक्ष रू0 2993.14 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 4565. 50 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

▪ निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान–

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रू0 500 प्रति माह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेष की स्थायी निवासी हो व उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, पात्रता की श्रेणी में आती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही अर्थात माह अप्रैल से सितम्बर तक कुल 27.46 लाख लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विषेष पैकेज के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही रू0 500 की 02 किश्तों में रू0 1000 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेंत्रों में तहसील/निकायों के माध्यम से संचालित है।

▪ निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान–

उक्त योजनान्तर्गत विधवा पेंशन पा रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रू0 10,000–00 की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 70 लाख के सापेक्ष

रू0 15.30 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 70.0 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

- **उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग–**

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वागींण विकास एवं सार्वभौमिकता आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं जैसे न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। देश की प्रत्येक राज्य सरकारों को बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए जिससे बच्चों के बचपन का दुरूपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी की गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए कृत संकल्प है इसी परिपेक्ष्य में संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है, तदक्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया साथ ही आयोग के कार्यो के निष्पादन हेतु नियमावली 2015 अधिसूचित की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित करना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 637.52 लाख के सापेक्ष रू0 51.97 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 634.51 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

- **चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज (सी.पी.एस) योजना–**

बालक ही देश का भविष्य हैं, इस परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित बाल संरक्षण योजना चलायी जा रही है। इसका मूल उद्देश्य बालकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। समाज में उपेक्षित, निराश्रित, भूले भटके एवं आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त बालकों को स्वस्थ शैक्षिक एवं पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बाल संरक्षण योजना संचालित की गयी है। इसका मूल लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों एवं योजनाओं को अतिरिक्त सुविधा तथा संसाधन उपलब्ध कराकर बाल संरक्षण की दशा व दिशा में गुणात्मक सुधार लाना तथा बच्चों व समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में कुल 9 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें बाल कल्याण समिति, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरुरतमंद बालकों के लिए खुले आश्रय गृह, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं/गृहों का संचालन, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन, दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी एवं किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना संचालित है। जिसका फन्डिंग पैटर्न (केन्द्रांश 60 प्रतिशत व राज्यांश 40 प्रतिशत) है तथा जो योजनाएं स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से संचालित हैं उनका फन्डिंग पैटर्न (केन्द्रांश 60 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत तथा स्वैच्छिक संगठन 10 प्रतिशत) है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 56 राजकीय गृह तथा 127 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से गृह संचालित हैं। राजकीय गृहों से लगभग 3870 बच्चे तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 1140 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

****

अध्याय–15
श्रमशक्ति एवं सेवायोजन

मुख्य बिन्दु–

- वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग का प्रदेश की कुल जनसंख्या मे अंश 55.77 प्रतिशत है।
- बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है।
- प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2020–21 में सितम्बर, 2020 तक 1133 कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर 342043 प्रतिभागियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गयी।
- प्रदेश में मार्च, 2019 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में 1601875 कर्मचारी कार्यरत थे।
- प्रदेश में मार्च, 2019 में महिला कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 0.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना' अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 44780 तथा वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर, 2020 तक 1887 पंजीकृत महिला कर्मकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

श्रमशक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114.42 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.77 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.80 लाख थी। प्रदेश में कुल कर्मकरों में 28.96 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.92 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.82 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–15.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–15.01
प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, कॅरियर काउन्सिलिंग का कार्य, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 15.02 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–15.02
प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम–संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2018	2019	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	422430	985459	133.28
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	237	116	(–)51.05
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	4483	897	(–)79.99
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	113910	95961	(–)15.76
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	91	270	196.70
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	2112	3305	56.49

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2018 में 91 एवं वर्ष 2019 में 270 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–15.03 में दर्शाया गया हैंः–

तालिका–15.03
प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रम–संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2018	2019	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	974	1766	81.31
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	595	312	(–)47.56
3.	स्वतः नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	091	270	196.70
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	545	498	(–)08.62
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	115	095	(–)17.39

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 15.04 में दर्शाया गया है–

तालिका–15.04
प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	725	726	0.14
2.राज्य सरकार	8371	8377	0.07
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5595	5599	0.07
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1600	1602	0.13
5.स्थानीय निकाय	1311	1311	0
योग	**17602**	**17615**	**0.07**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रदेश में मार्च, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। प्रदेश में मार्च, 2018 के अन्त में 17602 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो मार्च, 2019 में 17615 हो गये।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 15.05 में दिये जा रहे है–

तालिका–15.05
प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

कमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5581	5583	0.04
2	नान–एक्ट अधिष्ठान	3379	3407	0.83
	योग	**8960**	**8990**	0.34

तालिका संख्या–15.06 से स्पष्ट है कि प्रदेश में मार्च, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 0.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि 0.59 प्रतिशत अर्द्ध–सरकारी (केन्द्र) के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् हैः–

तालिका–15.06
प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	302877	302524	(–)0.12
2.	राज्य सरकार	699952	701418	(+)0.21
3.	अर्द्ध–सरकारी (केन्द्र)	158989	158530	(–)0.29
4.	अर्द्ध–सरकारी (राज्य)	330335	332268	(+)0.59
5.	स्थानीय निकाय	107369	107135	(–)0.22
योग		1599522	1601875	(+)0.15

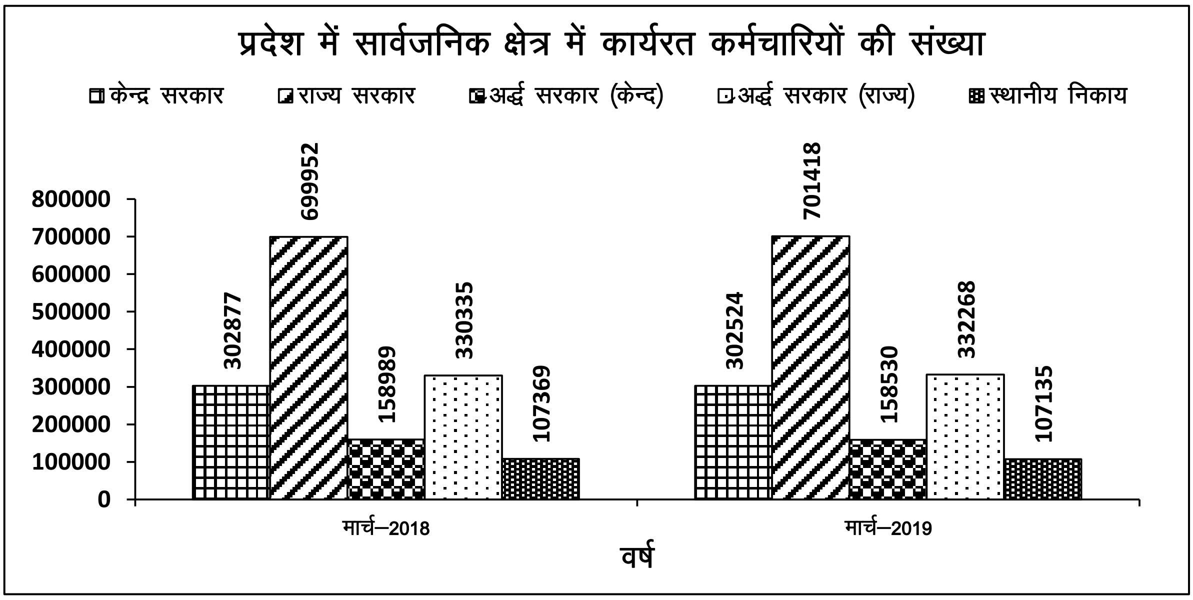

प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2019 में गत वर्ष की अपेक्षा 0.09 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 15.07 में दिये गये हैं–

तालिका–15.07
प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	एक्ट अधिष्ठान	667671	667740	0.01
2	नानएक्ट अधिष्ठान	49657	50226	1.15
योग		717328	717966	0.09

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2019 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 15.08 में दिया गया है–

तालिका–15.08
प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	37768	37695	(–)0.19
"बी"	खान एवं उत्खनन	4643	4644	0.02
"सी"	उत्पादन	90520	90476	(–)0.05
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	46126	46072	(–)0.12
"ई"	जल आपूर्ति	20476	20438	(–)0.19
"एफ"	निर्माण	126006	126289	0.22
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	15398	15338	(–)0.39
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	229074	228860	(–)0.09
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	345	347	0.58
"जे"	सूचना एवं संचार	21367	21246	(–)0.57
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	103183	102842	(–)0.33
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0.00
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20272	20213	(–)0.29
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	450	436	(–)3.11
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	542691	544505	0.33

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	2	3	4	5
"पी"	शिक्षा	235563	237115	0.66
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	100081	99929	(–)0.15
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2171	2044	(–)5.85
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3388	3386	(–)0.06
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0.00
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0.00
योग		1599522	1601875	0.15

तालिका–15.08 से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, निर्माण, खान एवं उत्खनन, शिक्षा एवं आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें वर्गो में मार्च, 2019 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक 0.66 प्रतिशत शिक्षा वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2019 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका–15.09 में दिया गया है–

तालिका–15.09
प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च 2019	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	459	503	9.59
"बी"	खान एवं उत्खनन	113	113	0
"सी"	उत्पादन	354717	354589	–0.04
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	5819	5808	–0.19
"ई"	जल आपूर्ति	0	0	0
"एफ"	निर्माण	431	431	0
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	13336	13447	0.83
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	2734	2733	(–)0.04
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	11600	11770	1.47
"जे"	सूचना एवं संचार	27484	27490	0.02
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	10474	10470	(–)0.04

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च 2019	
1	2	3	4	5
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	**26355**	**26355**	**0**
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	**457**	**457**	**0**
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	**42967**	**42930**	**(–)0.09**
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	**0**	**0**	**0**
"पी"	शिक्षा	**205543**	**205602**	**0.03**
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	**12793**	**13224**	**3.7**
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	**738**	**738**	**0**
"एस"	अन्य सेवा कार्य	**1308**	**1306**	**(–)0.15**
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	**0**	**0**	**0**
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	**0**	**0**	**0**
योग		**717328**	**717966**	**0.09**

तालिका 15.09 को देखने से स्पष्ट होता है कि उत्पादन, विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति, वित्तीय एवं बीमा क्रियायें, परिवहन एवं भण्डारण, सूचना एवं संचार, प्रशासकीय एवं सहायतित सेवाये तथा अन्य सेवा कार्य वर्ग को छोड़कर, शेष सभी वर्गो में मार्च, 2019 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य में 9.59 प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2019 में गत वर्ष की अपेक्षा 0.70 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 0.17 प्रतिशत अधिक रही, जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गतवर्ष की अपेक्षा 0.52 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।गतवर्ष की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या में निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रुप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई, तालिका निम्न है:–

तालिका–15.10
प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	**211734**	**213226**	**0.70**
2	निजी क्षेत्र	**110854**	**111038**	**0.17**
योग		**322588**	**324264**	**0.52**

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सेवायोजन हेतु संचालित कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1.रोजगार मेलों का आयोजन–

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सेवायोजन वेब पोर्टलः **सेवायोजन.यूपी. एनआईसी.इन** पर आनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।

2.कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम :

रोजगार बाजार में रोजगार के अवसरों तथा उपलब्ध श्रमशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

तालिका–15.11

कॅरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेला की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	रोजगार मेला		कॅरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2018	732	113814	3124	334752
2019	720	95898	3113	342043
2020(सितम्बर 20 तक)	529	105015	1133	115934

3.माडल कैरियर सेन्टर (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)–:

महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शत–प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में प्रदेश में माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इसका कार्य क्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संबंधित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किए जाने की भी व्यवस्था है।

वर्तमान में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ, जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजियाबाद में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मेरठ, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मुरादाबाद एवं प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

4.शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र–

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों यथा–अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान

कर उनकी सेवायोजकता में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में सामान्य केन्द्रों एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्वति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

तालिका–15.12
शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	**2**	**3**	**4**
2018	**43**	**55**	**98**
2019	**49**	**32**	**81**

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण

1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना–

उद्देश्यः–उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं पंजीकृत महिला कर्मकारों एवं पंजीकृत पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रता :–वे सभी कर्मकार जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, को अधिकतम 02 बच्चों तक ही देय होगा।

बालिका मदद योजना का लाभ परिवार में जन्मी पहली बालिका को मिलेगा। दूसरी बालिका को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब दोनों संतान बालिका हों। कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए (एक बालिका तक) अन्य शर्तों के यथावत रहने की स्थिति में योजना का लाभ अनुमन्य होगा। बालिका के जन्म का पंजीकरण, जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व संबंधित बालिका का निधन हो जाने पर उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कोष में वापस हो जायेगी।

हितलाभः–(1) लाभार्थी पुरूष कर्मकार द्वारा प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुरूष कामगारों को उनकी पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6,000/– एकमुश्त दिये जायेंगे।

(2) लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में संबंधित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1,000/– की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी।

(3) प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने पर धनराशि रू0 20 हजार तथा लड़की होने की स्थिति में धनराशि रू0 25 हजार वर्ष में एक बार एक मुश्त, दो वर्षों तक प्रति शिशु की दर से देय होगा।

(4) परिवार में पहली बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू0 25,000/– बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग

बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000/— बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत माता—पिता को बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर समीपस्थ आँगनबाड़ी के केन्द्र पर आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018—19	**51342**	**5699.05**
2019—20	**44780**	**6378.54**
2020—21 (माह सितम्बर, 2020 तक)	**1887**	**416.99**

2. सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना—

इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बालक, बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रताः—पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के ऐसे बालक एवं बालिका पात्र होंगे जिनकी आयु 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हों तथा वे ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

हितलाभः— योजनान्तर्गत देय हितलाभ कक्षा 1 से कक्षा 05 तक रू0 150/— प्रतिमाह, कक्षा 06 से कक्षा 10 तक रू0 200/— प्रतिमाह, कक्षा—11 से 12 तक रू0 250/— प्रतिमाह, पाठ्यक्रम आईटीआई/वोकेशनल कोर्स/प्रोफेशनल कोर्स, सरकारी संस्थानों/कॉलेजों के वार्षिक शुल्क के समान, स्नातक में रू0 1000/— प्रतिमाह, स्नातकोत्तर में रू0 2000/— प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान, इस शर्त के साथ किया गया है कि लाभ पाने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर ही देय होगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018—2019	**3976**	**55.17**
2019—2020	**4181**	**58.37**
2020—2021 (सितम्बर 2020 तक)	**35**	**0.52**

3. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना—

उद्देश्यः—उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना है।

पात्रताः—इस योजना के लिए वह सभी पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 09 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 10 से 12 तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक, आई0टी0आई0(व्यवसायिक प्रशिक्षण)/बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0,एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी, एल0एल0बी0 तक 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांकों पर तथा

पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, चिकित्सा डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया हो।

हितलाभः–

1. कक्षा 05 से 07 तक रू0 4,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
2. कक्षा 08 व 09 तक रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 6,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
3. कक्षा 10 से 11 तक रू0 6,000/–(पुत्र को) तथा रू0 7,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
4. कक्षा 12 हेतु रू0 10,000/–(पुत्र को) तथा रू0 12,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
5. आई0टी0आई0 (व्यवसायिक प्रशिक्षण) हेतु रू0 8,000/–(पुत्र को) तथा रू0 10,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
6. बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0,एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी, एल0एल0 बी0 हेतु रू0 12,000/–(पुत्र को) तथा रू0 14,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
7. पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हेतु रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 6,000/–(पुत्री को) प्रतिवर्ष।
8. इन्जीनियरिंग/चिकित्सा डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर रू0 10,000/–(पुत्र को) तथा रू0 12,000/–(पुत्री को) प्रतिवर्ष।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–2019	**7612**	**226.20**
2019–2020	**7295**	**238.59**
2020–21 (माह सितम्बर 2020 तक)	**15**	**0.50**

4. आवासीय विद्यालय योजना–

उद्देश्य– निर्माण–श्रमिकों के ऐसे बच्चे, जो माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते हैं, के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

पात्रताः–उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी निर्माण–श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2019–2020	**–**	**1163.69**
2020–2021 (सितम्बर, 2020 तक)	**2384**	**375.98**

5. निर्माण कामगार आवास सहायता योजना–

उद्देश्यः–अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं, परन्तु बीपीएल सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नहीं मिलता हैं। योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रताः–

1. एक वर्ष के लिए अंशदान जमा करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
2. लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।

3. उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
4. कार्य स्थान/निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
5. श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।

हितलाभः–रू–1,00,000/– की धनराशि 02 किश्तों में।

मरम्मत हेतु रू0 15,000/– की धनराशि एक मुश्त मिलेगी।

परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाएगा।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–2019	**1499**	**140.22**
2019–2020	**523**	**170.06**
2020–2021 (सितम्बर, 2020 तक)	**3**	**1.15**

6. कन्या विवाह सहायता योजना–

उद्देश्यः– यह, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

पात्रताः–

1. सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष)।
2. श्रमिक का न्यूनतम 01 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा नियमित अंशदान जमा हो। परन्तु पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुर्नविवाह की स्थिति में हितलाभ देय नहीं होगा।

हितलाभः–1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में रू0– 55,000/– तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में रू0–61,000/– की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में प्रति जोड़ा रू0 65,000/–(रू0 पैसठ हजार मात्र) की धनराशि तथा रू0 7,000/–(रू0 सात हजार मात्र) प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू को रू0 5000/–(रू0 पाँच हजार मात्र) प्रत्येक की दर से धनराशि विवाह से कम से कम एक सप्ताह पूर्व विवाह की पोशाक क्रय किये जाने हेतु दी जायेगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–2019	**6747**	**3639.55**
2019–2020	**15530**	**7929.43**
2020–2021 (माह सितम्बर, 2020 तक)	**608**	**339.80**

7. गम्भीर बीमारी सहायता योजना–

उद्देश्यः–पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

पात्रताः–सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट, मस्तिष्क ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी

ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स, आँख की शल्य क्रिया, पथरी की शल्य क्रिया, अपेन्डिक्स की शल्य क्रिया, हाइड्रोसील की शल्य क्रिया, महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्वाइकल कैंसर की शल्य क्रिया आदि की ही प्रतिपूर्ति होगी।

हितलाभः—

1—लाभार्थी स्वयं प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2—लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं, तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	
	भौतिक (सं0)	**वित्तीय (लाख में)**
2018—2019	**7**	**6.04**
2019—2020	**7**	**5.97**

8. मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना—

उद्देश्यः—उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थाई, पूर्ण अपंगता/विकलांगता अथवा स्थाई/आंशिक अपंगता/विकलांगता की स्थिति में तथा पंजीकृत कर्मकारों की दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर आर्थिक सहायता/पेंशन प्रदान करना योजना का उददे्श्य है।

पात्रताः—इस योजना के लाभार्थी को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा—12 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

हितलाभः—पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक के किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने की दशा में रू0 05 लाख (एम आइ एस के माध्यम से) पूर्ण (शत प्रतिशत) स्थायी अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 03 लाख, स्थायी आंशिक अपंगता/ विकलांगता की स्थिति में रू0 02 लाख, कार्यस्थल से इतर स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 02 लाख, अस्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को एक मुश्त रू0 01 लाख, सामान्य मृत्यु की स्थिति में रू0 02 लाख (एम आइ एस के माध्यम से) की सहायता प्रदान की जायेगी तथा लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम होने की दशा में अकुशल श्रमिकों के लिए रू0 1000/— एवं अर्धकुशल को रू0 1250/— तथा कुशल को रू0 1500/— प्रतिमाह अक्षमता पेंशन उसके जीवनकाल तक प्रदान की जायेगी।

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	
	भौतिक (सं0)	**वित्तीय (लाख में)**
2018—2019	**2241**	**4444.02**
2019—2020	**2006**	**3851.64**
2020—2021 (माह सितम्बर, 2020 तक)	**48**	**109.62**

9. चिकित्सा सुविधा योजना—

उद्देश्यः—योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामान्य बीमारियों व चोट हेतु वर्ष में एक बार चिकित्सा सुविधा हेतु धनराशि उपलब्ध कराना है।

पात्रताः—इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जो अद्यतन वैध/नवीनीकृत हैं, पात्र होगें।

हितलाभः—योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर एकमुश्त धनराशि रू0—3,000/— तथा अविवाहित पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 2,000/— की धनराशि उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–2019	**193629**	**3408.41**
2019–2020	**204462**	**4680.15**
2020–2021 (सितम्बर, 2020 तक)	**6769**	**2001.63**

10. महात्मा गाँधी पेंशन योजना–

उद्देश्यः–बोर्ड के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिकों को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।

पात्रताः–योजनान्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना, वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा होना, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 10 (दस) वर्ष तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहना, किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी पेंशन योजना में लाभार्थी न हो तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते समय प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करता हो।

हितलाभः–प्रत्येक पात्र लाभार्थी को रू0–1,000/– प्रतिमाह उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को (जैसी भी स्थिति हो) देय होगी। पेंशन में प्रति दो वर्ष रू0–50/– (पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह (अधिकतम रू0 1,250/–) की दर से वृद्धि करते हुए भुगतान किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन प्राप्तकर्ता के पति/पत्नी को रू0 1,000/– की पेंशन अनुमन्य होगी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 8.59 लाख एवं 2020–21 में सितम्बर, 2020 तक रू0 3.25 पेंशन वितरित की गयी है।

11. निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना

उद्देश्यः–उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किए जाने हेतु तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

पात्रताः–1. पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित।

2. यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

हितलाभः– रू0 25,000/– अंतिम संस्कार व्यय के रूप में।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–2019	**1975**	**450.50**
2019–2020	**2036**	**482.40**
2020–2021 (सितम्बर, 2020 तक)	**54**	**15.75**

12. आपदा राहत सहायता योजना

उद्देश्यः–इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ ऐसी स्थिति में, जबकि निर्माण श्रमिकों की जीविका एवं उनके भरण पोषण का संकट उत्पन्न हाने की संभावना होती है, ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण करने हेतु आपदा काल में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

पात्रताः–इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो, पात्र होंगे।

हितलाभः–योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र सरकार/राज्य

सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप मे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों करे, देय होगी। आर्थिक सहायता की यह धनराशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। यह योजना दिनांक 23.03.2020 को अधिसूचित की गयी है।

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	
	भौतिक (सं0)	**वित्तीय (लाख में)**
2019–2020	**973422**	**9734.22**
2020–2021 (माह सितम्बर, 2020 तक)	**प्रथम किस्त– 914767,** **द्वितीय किस्त– 1714349**	**26291.16**

****

अध्याय–16
सतत् विकास

मुख्य बिन्दु–

- नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की।
- समग्र सुधार कें शीर्ष तीन राज्यों मे उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है।
- लक्ष्य– 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मे प्रदेश की छलांग 40 अंकों की रही है।
- प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग नामित है। नियोजन विभाग समन्वय की भूमिका मे है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जबकि वर्ष 2018 में 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था।
- नीति आयोग के रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आँकलन करना, राज्यों के मध्य विकास में प्रतिस्पर्द्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को आम सहमति से स्वीकार किया। विश्व के बेहतर भविष्य के लिये इन लक्ष्यों को महत्त्वपूर्ण बताया तथा वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों के साथ साझा की। जिसका मूल लक्ष्य समाज की बेहतरी के लिये आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मोर्चे पर उच्च मानदंडों को प्राप्त करना है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जिसका उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शंतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

मानव जीवन का आधार पारितंत्र एवं पर्यावरण ही है अतः प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा सदुपयोग, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिये भी संसाधन उपलब्ध रहें और सबका जीवन सुखी बना रहे , इसके लिये जैव–विविधता,ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, खतरनाक कूड़े–करकट का प्रबंधन, पारिस्थितिकी सुरक्षा आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, गुणात्मक मानव विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। मानव समाज भी अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करे और यह समझें कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है ।

सतत् विकास लक्ष्य–

1. गरीबी उन्मूलन–

गरीबी सिर्फ आमदनी या संसाधनों की सुलभता का अभाव नहीं है। यह शिक्षा के लिए घटते अवसरों, सामाजिक भेदभाव और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने की अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। गरीबी के हर रूप को हर जगह से मिटा देना, 2030 के सतत् विकास एजेंडा का पहला

लक्ष्य है। इसके लिए सामाजिक संरक्षण देना एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि समावेशी हो एवं सभी को प्राकृतिक संसाधनों, उपयुक्त नई टैक्नॉलॉजी तथा वित्तीय सेवाएं सुलभ होनी चाहिए ।

2. शून्य भुखमरी–

लक्ष्य 2 का उद्देश्य भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना है। वर्ष 2030 तक भूख और कुपोषण को मिटाने और खेती की उत्पादकता दोगुनी करने का लक्ष्य है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून शामिल हैं। खेती की ऐसी विधियाँ अपनाना, जिनसे उत्पादकता बढ़े, पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण में मदद मिले तथा जमीन एवं मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो।

3. उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली–

उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली सतत् विकास का केंद्र बिंदु है। बेहतर स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वर्ष 2030 तक सभी को स्वास्थ्य सेवाएं और उत्तम और किफायती जरूरी दवाएं सुलभ हों। संचारी और असंचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास को मजबूत करना होगा।

4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा–

सतत् विकास लक्ष्यों मे समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसरों को वर्धित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भी सबको उत्तम शिक्षा और आजीवन सीखने की सुविधा देना है। सरकार की प्रमुख योजना, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करना ही है।

5. लैंगिक समानता–

लक्ष्य–5 का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करते हुए आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार, संपत्ति में स्वामित्व एवं राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया मे भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना है।

सरकार ने उक्त को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता माना है।'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर देना है। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना और जननी सुरक्षा योजना आदि लैंगिक समानता के प्रति गम्भीरता को दिखाता है।

6. स्वच्छ जल और स्वच्छता–

इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सबके लिए शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और साफ–सफाई की सुविधा सुलभ कराना है। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम शुरु किए गए हैं ,जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और नमामि गंगे कार्यक्रम आदि शामिल है।

प्रदूषण, कचरा और हानिकारक रसायनों तथा सामग्री को कम करना, जल की गुणवत्ता सुधारना, अनुपचारित गंदे जल का अनुपात कम करना, जल की रिसाइकलिंग मे वृद्धि तथा जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूती देना है।

7. सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा–

सतत विकास लक्ष्य–7 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए ऊर्जा कुशलता वृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किया जाए। पवन, जल, सौर, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से

ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती एवं प्रदूषण मुक्त होती है। सरकार का राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास, नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं की स्थापना से सबके लिए ऊर्जा सुलभता, उज्ज्वला योजना एवं सौभाग्य योजना आादि इस हेतु महत्वपूर्ण प्रयास है।

8. उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि–

आर्थिक वृद्धि का समावेशी होना अनिवार्य है अर्थात् सभी वर्गों को इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी विकासपरक नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो उत्पादक गतिविधियों, उत्कृष्ट रोजगार सृजन, नई उद्यमिता तथा वित्तीय सेवाओं सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना और वृद्धि को प्रोत्साहन देना है।

9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं –

समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना सतत् विकास का लक्ष्य है । वर्ष 2030 के लिए सतत् विकास एजेंडा का मूल मंत्र है **'कोई पीछे छूटने न पाए'**। आवश्यक है, कि घरेलू वित्तीय संस्थाओं की क्षमता मजबूत की जाए, जिससे बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन मिले और वे सबके लिए सुलभ हो सके।

10. असमानताओं में कमी–

सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को प्रोत्साहन देना और सशक्त करना लक्ष्य है। बढ़ती असमानताएं मानव विकास पर विपरीत असर डालती हैं। वर्ष 2030 तक उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार, समावेशन, वित्तीय सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की एक समग्र रणनीति पर कार्य कर रही है।

11. संवहनीय शहर और समुदाय–

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाया जाना आवश्यक है ।तेजी से बढ़ते शहरीकरण मे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सीवेज, स्वास्थ्य पर बुनियादी सेवाओं की सुलभता आदि सुनिश्चित करना लक्ष्य है।

स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आदि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुधार का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है।

12. संवहनीय उपभोग और उत्पादन–

संवहनीय उपभोग और उत्पादन का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, विनाश और प्रदूषण कम करके आर्थिक गतिविधियों से जन कल्याण मे वृद्धि करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करना कि जनसामान्य को सतत् विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के बारे में उपयुक्त सूचना और जागरूकता हो।

13. जलवायु परिवर्तन–

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उपायों को नीतियों, रणनीतियों और नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, ऊर्जा कुशलता बढ़ाने, तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में रणनीतिक जानकारी को प्रोत्साहित करने के बारे में अनेक कार्यक्रम भी अपनाए गए हैं।

14. जलीय जीवों की सुरक्षा–

सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना है।

15. थलीय जीवों की सुरक्षा–

मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण वृक्षों का कटाव और मरुस्थलीकरण, सतत् विकास में एक बड़ी चुनौती है। लक्ष्य 15 में प्राकृतिक पर्यावास का विनाश रोकने और जैव विविधता को स्थानीय नियोजन एवं विकास प्रक्रियाओं में शामिल करने को कहा गया है।

16. शांति, न्याय और सशक्त संस्थाए–

सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज को प्रोत्साहन, सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध कराना और सभी स्तरों पर जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं की रचना करना लक्ष्य है।

17. लक्ष्य हेतु भागीदारी–

कार्यान्वियन के उपायों का सुदृढ़ीकरण और सतत विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी और परस्पर जुड़े हुए वैश्विक विकास एजेंडा के लिए नई वैश्विक भागीदारी आवश्यक है।

सतत विकास लक्ष्य : नीति आयोग–

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप सूचकांक तैयार किया है। इस वर्ष नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जबकि वर्ष 2018 में 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था। नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र के 232 सूचकांकों की प्रणाली पर आधारित 100 निजी सूचकांकों पर राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है –

1. आकांक्षी :– 0–49
2. परफार्मर :– 50–64
3. फ्रंट रनर :– 65–99
4. अचीवर :– 100

नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन का आंकलन किया जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है. इस वार्षिक आकलन के पीछे नीति आयोग का उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आँकलन करना, राज्यों के मध्य विकास में प्रतिस्पर्द्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है। रिपोर्ट का एक अन्य उद्देश्य राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके विकास के मार्ग में बाधाओं की पहचान करने और प्राथमिकताओं को चुनने में सहायता करना है।

सतत विकास लक्ष्य–2030 : उत्तर प्रदेश में अब तक किये गये कार्य–

सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अन्तर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन की उपलब्धता तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एस0डी0जी0 विजन–2030 तैयार किया गया है जिसका भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस विजन डाक्यूमेंट की ड्राफ्ट कापी फरवरी, 2017 में नीति आयोग को प्रेषित की गयी।

प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग नामित है। नियोजन विभाग समन्वय की भूमिका मे है। प्रदेश में नामित नोडल विभाग एवं सतत् विकास लक्ष्य में प्रदेश का प्रदर्शन निम्नवत् है–

तालिका–1601
सतत विकास लक्ष्य में प्रदेश का प्रदर्शन

लक्ष्य कमांक	लक्ष्य	नोडल विभाग	प्रदर्शन 2018		प्रदर्शन 2019	
			स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
1	2	3	4	5	6	7
1	गरीबी उन्मूलन	ग्राम्य विकास	48	23	40	24
2	शून्य भुखमरी	खाद्य एवं रसद विभाग /कृषि विभाग	43	25	31	24
3	उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	25	29	34	27
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	बेसिक/माध्यमिक शिक्षा	53	19	48	22
5	लैंगिक समानता	महिला कल्याण	27	27	41	10
6	स्वच्छ जल और स्वच्छता	सिंचाई/ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग	55	18	94	02
7	सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा	ऊर्जा	23	25	63	19
8	उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	55	23	64	19
9	उद्योग,नवाचार और बुनियादी सुविधाएं	औद्योगिक विकास	29	22	63	10
10	असमानताओं में कमी	समाज कल्याण	38	29	46	25
11	संवहनीय शहर और समुदाय	नगर विकास	37	16	56	09
12	संवहनीय उपभोग और उत्पादन	पर्यावरण	–	–	62	10
13	जलवायु परिवर्तन	पर्यावरण	–	–	48	13
14	जलीय जीवों की सुरक्षा	उत्तर प्रदेश में लागू नहीं	–	–	–	–
15	थलीय जीवों की सुरक्षा	वन	55	28	62	25
16	शांति, न्याय और सशक्त संस्थाए	गृह	61	23	69	19
17	लक्ष्य हेतु भागीदारी	वित्त	42	–	55	–

नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की। समग्र सुधार कें शीर्ष तीन राज्यों मे उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है। लक्ष्य–6, 7 एवं 9 में बड़ा सुधार हुआ है। लक्ष्य– 6 में स्वच्छ पानी और स्वच्छता, लक्ष्य 9– उद्योग, नवाचार, और बुनियादी सुविधाएं क्रमशः 39 और 34 अंक तक चढ़ गए हैं। जबकि लक्ष्य– 7, सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा मे छलांग 40 अंकों की रही है।

सतत् विकास लक्ष्य से सम्बन्धित भारत सूचकांक के आंकड़े सरकारों के समक्ष वर्तमान भारत की वास्तविक छवि प्रकट करते है, जिसके अनुरूप ही सरकार को भविष्य की योजनाओं और उसके रणनीति तैयार करने मे बहुत ही मददगार साबित होगें।

****

परिशिष्ट
राज्य आय के अग्रिम अनुमान, वर्ष 2020–21

प्रचलित एवं स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय

(करोड़ रू0 में)

क्र.सं.	खण्ड	जीएसडीपी (प्रचलित भावों पर)	प्रतिशत वितरण	जीएसडीपी (स्थायी 2011–12 भावों पर)	वृद्धि दर
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	401931.02	26.1	238344.35	5.2
1.1	फसलें	254858.96	16.5	155278.14	5.1
1.2	पशुधन	114964.30	7.5	64657.81	6.7
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	21463.81	1.4	13652.76	0.0
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	10643.95	0.7	4755.64	5.6
2.	खनन और उत्खनन	21492.04	1.4	23955.16	–9.7
क–प्राथमिक (1+2)		423423.06	27.5	262299.51	3.7
3.	विनिर्माण	180444.19	11.7	148013.92	–5.6
4.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	33756.81	2.2	17112.27	1.6
5	निर्माण कार्य	150207.48	9.7	105847.69	–12.6
ख–माध्यमिक(3 से 5)		364408.48	23.6	270973.88	–8.0
6	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	129828.82	8.4	91972.51	–20.2
7	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	93106.51	6.0	71976.22	–25.2
7.1	रेलवे	13740.06	0.9	9431.36	–38.9
7.2	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	45312.35	2.9	38854.37	–34.0
7.3	भण्डारण	2265.48	0.1	1418.00	3.5
7.4	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	31788.62	2.1	22272.49	8.5
8	वित्तीय सेवायें	55347.69	3.6	40995.54	0.4
9	स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	245631.31	15.9	150280.07	–1.3
10	लोक प्रशासन और रक्षा	137719.42	8.9	91640.11	10.4
11	अन्य सेवाएं	92672.08	6.0	58730.40	–9.7
ग–तृतीयक (6 से 11)		754305.83	48.9	505594.85	–8.5
सकल राज्य मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)		1542137.37	100.00	1038868.24	–5.6
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)		1705593.37	–	1092623.81	–6.4
प्रति व्यक्ति आय रु0 – 2020–21		उत्तर प्रदेश		भारत*	
		65431		126968	

*प्रथम अग्रिम अनुमान वर्ष 2020–21 के अनुसार।